Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ३] तृतीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १९६३ का ३७वां दिवस [संख्या २७

गुरुवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६३

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अल्प-आय, गृह, योजना, उद्योग, आबकारी, खनिज, वित्त, राजस्व, शिक्षा, पंचायत, सहकारी, नियुक्ति व मंत्री-परिषद् विभाग]

मंडी कमेटी, कोटा

७७५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०): क्या अल्प आय गृह योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अल्प आय गृह निर्माण योजना प्रारम्भ करते समय कोटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया था ? यदि हां, तो इसने कितने समय तक काम किया ?

(२) इस ट्रस्ट को क्यों तोड़ने की आवश्यकता हुई और मंडी कमेटी क्यों बनाई गई ? ट्रस्ट का चार्ज मंडी कमेटी ने लिया उस समय कितनी धनराशि चार्ज में दी गई थी ? वह धनराशि किस काम में खर्च की गई ?

(३) क्या यह सही है कि कोटा शहर के विकास करने के बारे में बनाये गये मास्टर प्लान को मंडी कमेटी ने बदल दिया ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) चम्बल प्रोजेक्ट का क्षेत्र बहुत विस्तृत था और सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कोटा की सीमा कोटा शहर तक ही सीमित थी अतः चम्बल के कमान्डेन्ड क्षेत्र के विकास के लिये मंडी कमेटी बनाना आवश्यक था क्योंकि सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और मंडी कमेटी का दोहरा प्रबन्ध होने से विकास के कार्यों में रुकावट पड़ने का अन्देशा था; अतः ट्रस्ट को भंग करके सिर्फ मंडी कमेटी ही नगर और चम्बल प्रोजेक्ट दोनों के लिये बना दी गई; ताकि इस क्षेत्र का विकास बेतरतीब न हो, एक तरतीब से हो। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, कोटा की समाप्ति पर ६६,६५२.१० न. पै. की धनराशि मंडी कमेटी के राजकीय आय की मद

Page No 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

"L. I Extraordinary Ereceipts (a) sale of lauds in Mandies" में जमा की गई है। सरकारी आय में सीधा दर्ज नहीं किया जा सकता है; अतः विशेष रकम के खर्च होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) यह सही नहीं है कि कोटा के मास्टर प्लान में मंडी कमेटी ने कोई परिवर्तन किया है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : प्रश्न के भाग (१) का उत्तर आपने दिया है; 'जी नहीं'। मैंने प्रश्न तो यह पूछा था कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कितने दिन तक काम किया था। आपने कहा इसका मतलब यह है कि उसने काम नहीं किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें तो नाम का ही फर्क है। १९४६ में कोटा में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम किया गया था।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जो मास्टर प्लान बनाया था उसको मंडी कमेटी ने बिल्कुल बदल दिया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने मास्टर प्लान बनाया था उसका पालन कर रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : मंडी के निर्माण के लिये कोई प्रावधान है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंडियों का निर्माण करने के लिये प्रावधान है। उनको क्या क्या अधिकार हैं वे भी उन रूल्स में दिये गये हैं। पालिसी फ्रेम करना, सेल्स आफ लैन्ड आदि के लिये · · · · · ·

श्री अध्यक्ष : क्या वे रूल्स नगरपालिका क्षेत्र पर भी लागू हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे कॉलोनाइजेशन एरिया में लागू होते हैं।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : नगरपालिका अधिनियम के अनुसार जो क्षेत्र निर्धारित हैं उसम मंडी कमेटी किस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोलोनाइजेशन एरिया में म्युनिसिपल कानून बाबत जमीन विक्रय लागू नहीं होते।

श्री भैरोंसिह : क्या यह समझा जावे कि मंडी कमेटी बनाई जाने से पहले नगरपालिका का कौनसा क्षेत्र होगा, उसका विभाजन किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'यह जनरल प्रश्न है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिह : मैं कोटा के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसी एरिया के कोलोनाइजेशन क्षेत्र में घोषित हो जाने से वह अपने आप म्युनिसिपैलिटी की परिधि से बाहर हो जाता है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मंडी कमेटी के सदस्य कौन कौन थे थोडा उनके नाम तो और आप बता दें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

Page No 3

बी. आर. मिल, भरतपुर को टिन शीट्स

७७६. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बी. आर. मिल, भरतपुर को कभी कुछ टिन शीट्स दी गई हैं ? यदि हां, तो कब और कितनी और इन टिन शीट्स का उपयोग कहां २ और कितना कितना किया गया है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : बी. आर. आंइल मिल्स, भरतपुर को नालीदार चद्दर १'X३' के निम्न परमिट जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालय से जारी हुए थे :

परमिट नं.	तारीख	तादाद
२८	३०–३–६२	५ टन
४७	१४–५–६२	१५० टन

ये चद्दरें मिल के छप्पर (छत ढकने) लगाने के काम में लाई गई हैं ।

श्री रामकिशन : क्या आपने जांच कर ली है कि जिस काम के लिये ये चद्दरें ली गई थीं उसी काम में ली गई हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां । ऐसी रिपोर्ट आई है ।

श्री रामकिशन : यह रिपोर्ट कब मिली है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हीराभाई ।

महुआ बेचने के परमिट

७७७. **श्री हीराभाई (कुशलगढ)** : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान सरकार ने जगह जगह दूकानदारों को महुआ बेचने का परमिट दे रखा है ?

(२) यदि हां तो, कितनी तादाद में और कहां कहां ?

(३) क्या उपरोक्त व्यापारी महुआ खुले आम बेच सकते हैं या किसी डिस्टीलरी को ही बेच सकते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त दुकानों से महुआ खरीद कर लोग नाजायज शराब निकालते हैं जिसके जुर्मानों के रूप में भारी रकम वसूल की जाती है और घर व जमीन तक नीलाम किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) :

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

(४) ऐसा कोई केस सरकार के नोटिस में नहीं है ।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री मेरी भाषा को नहीं समझे और उन्होंने कह दिया 'जी नहीं' ।

श्री अध्यक्ष : आपकी भाषा तो स्पष्ट है ।

श्री हीराभाई : आपने महुआ के परमिट दिये हैं और इससे लोग खरीद कर शराब बनाते हैं नाजायज तरीके से । एक्साइज डिपार्टमेंट महुए के परमिट देता है और जिससे वे लोग अनाप शनाप शराब निकालते हैं । सरकार को भी मालूम है कि महुआ शराब निकालने के काम में आता है । अगर नहीं मालूम है तो वे कह दें कि यह शराब के अलावा महुआ किस काम में आता है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो बताना पड़ेगा ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, इतना मैं अर्ज कर सकता हूं कि कोई परमिट

(श्री बालकृष्ण कौल)

एक्साइज डिपार्टमेन्ट की तरफ से महुआ बेचने के लिये नहीं दिये जाते। अब यह कहना कि यह शराब निकालने के लिये ही काम आता है इस पर प्रतिबन्ध लगाया जावे तो मैं यह कहूंगा कि गुड भी शराब में काम आता है। गुड पर भी कोई परमिट नहीं है मगर फिर भी लोग शराब निकालते समय काम में लेते हैं। मगर जो लोग इस प्रकार से नाजायज शराब निकालते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होती है और वे पकडे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : महुआ पर किसी तरह का परमिट दिया जाता है आपके विभाग द्वारा ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी नहीं।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बगैर लाइसेन्स महुआ बेचा नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि महुआ जब बिक जाता है तो महुआ बेचने वालों को लिस्ट पेश करनी पडती है और जब वे लिस्ट पेश करते हैं तो उनको फिर से महुआ दिया जाता है। अगर यह बात गलत हो तो आप जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री के विभाग से इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध वन विभाग से है।

श्री बालकृष्ण कौल : एक्साइज विभाग की ओर से कोई महुए के परमिट नहीं हैं। यह इसी तरह से माना जाता है जिस तरह से गुड माना जाता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या आपने इस संबंध में जांच की है कि एक्साइज विभाग की तरफ से कोई परमिट नहीं दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

संड स्टोन क्वेरीज, जिला भरतपुर

७७८. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि बयाना, रूपवाल तहसील (जिला भरतपुर) की सैंड स्टोन क्वेरीज का ३० वर्ग मील का एरिया पुराने ठेकेदार मेसर्स तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल को दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी रॉयल्टी पर और क्या खनिज श्रमिक संघ बांसी, पहाडपुर तथा पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, महलपुर चूरां ने इस क्षेत्र में अधिक रॉयल्टी देने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उनको क्यों नहीं दिया गया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार का तारीख १५-६-६१ का ३० वर्ग मील का प्लान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त एरिया से बाहर के क्षेत्र में ग्राम सिरोंद में २०० एकड के लिये तारीख ७-१०-६१ को पाषाण उत्पादक सहकारी समिति लि०, महलपुर चूरां ने माइनिंग इंजीनियर कोटा के यहां प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No 5

(श्री नत्थीसिंह)

(४) क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना पत्र के पश्चात् उक्त ठेकेदार ने अपना प्लान बदलवा लिया ? यदि हां, तो क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है और इससे राज्य सरकार को कितना आर्थिक घाटा हुआ ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने १० माह तक डिमार्केशन नहीं होने दिया और बाउण्ड्री पिलर्स आज तक नहीं लगाये ? यदि हां, तो क्या यह नियम विरुद्ध नहीं है और क्या इससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) हां, तहसील रूपवास व बयाना (जिला भरतपुर) का बलुआ पत्थर का ३० वर्ग मील का एरिया पुराने ठेकेदार मेसर्स तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल को दिया गया।

(ख) यह एरिया दो लाख रुपया के वार्षिक स्थिर भाटक (एन्युअल डैडरेंट) तथा ४० नया पैसा प्रति घन फुट अधिशुल्क (रॉयल्टी) पर है।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(२) नहीं।

(३) हां, दिनांक ७-१०-६१ का प्रार्थना-पत्र पाषाण उत्पादक सहकारी समिति, महलपुर चूरां का ग्राम सिरोंद का खनि-अभियन्ता कोटा द्वारा दिनांक ८-११-६१ को खारिज कर दिया गया, क्योंकि यह क्षेत्र स्वीकृत शुदा पट्टेदार की सीमा में आता था।

(४) सरकार द्वारा इसका प्लान स्वीकृत किया गया और डिमार्केशन रिपोर्ट नियम के विरुद्ध नहीं थी जिससे सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ।

(५) डिमार्केशन में बरसात की मौसम होने के कारण देर हुई। एरिया डिमार्केशन करते वक्त कच्चे पिलर्स लगा दिये गये थे। पक्के पिलर्स लगाने के लिये पार्टी को नोटिस दिया गया है और उस पर कार्यवाही की जा रही है इससे राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है।

श्री नत्थीसिंह : मैंने यह पूछा है कि दो प्रकार के नक्शे इस ठेकेदार के द्वारा दिये गये १५-६-६१ को और बाद में। तो दो प्रकार के नक्शे दिये या नहीं ? पहला नक्शा देने के बाद में आपके विभागीय अधिकारी ने चिट्ठी लिखी है कि आपने बडी गलती की, उसकी ट्रू कॉपी मेरे पास है। उसके बाद में दूसरा नक्शा दिया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, स्थिति इस प्रकार नहीं है। पहले रफ प्लान इस पार्टी ने दिया था और उसके अन्दर १५-६-६१ से ५ वर्ष के लिये लीज ग्रांट कर दी थी। इसके बाद डिमार्केशन के वक्त कुछ डिफिकल्टी मालूम हुई और उसके बाद निश्चित प्लान रिपोर्ट के साथ दिया और जो २५-१२-६१ को सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरकार को आर्थिक नुकसान हो, ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ ३ क्षेत्रों में बांट दिया जिससे कि एरिया समान रहे, निश्चिन्तता हो, डिफिकल्टी नहीं हो। तीनों में स्क्वेयर माइल्स का एरिया उतना ही रखा गया।

Page No 6

श्री नत्थीसिंह : माननीय अध्यक्ष, आपकी आज्ञा से चिट्ठी पढ कर सुनाता हूं जो इनके सेक्रेटरी ने लिखी है :

"My dear Sethi,

Though nearly 8 months have passed, I understand that demarcation of Tewari Jhumarmal's area has not been completed. It is also alleged that this party has been allowed to change plans. I shall be thankful if you will instruct your subordinate officers that Tewari Jhumarmal should not be allowed to change their plan of 15-6-61 which they submitted in your office."

इससे साफ कहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो माननीय सदस्य ने बात कही है उससे मेरा जवाब विपरीत नहीं है। माननीय सदस्य ने बताया कि १५-६-६१ को प्लान दी है; तो मैंने यह कहा है कि पहले रफ प्लान पर स्वीकृति दी। फिर बाद में माकूल प्लान दिया तो उसको २५-१२-६१ को स्वीकार किया है। जहां तक सहकारी समितियों को देने का प्रश्न है मैं निवेदन करूं कि मेसर्स पाषाण उत्पादक समिति, सिरोंद सहकारी समिति, श्री खान उत्पादक सहकारी समिति, मेसर्स पाषाण उत्पादक सहकारी समिति आदि पांच समितियों को इसके कुछ एरिया में से कई हजार एकड एरिया दिया गया है। तो सहकारी समितियों को नहीं देने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री नत्थीसिंह : मेरे पास दोनों नक्शे हैं, दोनों की ट्रू कॉपी है। सिरोंद का एरिया पहले में नहीं था। दुबारा दिया उसमें सिरोंद का एरिया शामिल कर लिया है। उसको आपने सेंक्शन दी है। आपके नियमानुसार रेक्टेन्गुलर नक्शा होना चाहिये, ये दोनों रेक्टेन्गुलर नहीं हैं, ५० मील का एरिया घिरा हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बस यही कारण है, जैसा कि मैंने बताया पहला नक्शा रफ था रेक्टेन्गुलर नहीं था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि २५-१२-६२ को जो नक्शा स्वीकार किया गया वह रेक्टेन्गुलर के रूप में स्वीकार किया गया।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि १२-३-६२ को श्रमिक संघ ने इस एरिया में ३० वर्ग मील के एरिया को दो लाख में लेना स्वीकार किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सवाल यह है कि जिन जिन सोसाइटीज को दिया है, एरिया मैंने नहीं बताया है; ५ सोसाइटीज को दिया है।

श्री नत्थीसिंह : केवल ३० वर्ग मील के एरिया का दो लाख दे रहे थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसी के पट्टे में आया हुआ है वह तो नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अलवर जिले में साबुन की फैक्ट्रियों तथा डेरी फार्म के लिये ऋण

७७९. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) अलवर जिले में साबुन की फैक्ट्रियों के लिये पंचायत समितियों के

(श्री हरिराम चौहान)

क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया है ? ऋण लेने वालों में से कितने लोगों ने कितनी फैक्ट्रियां चालू की हैं ? जिन्होंने चालू नहीं की हैं, तो क्यों नहीं की हैं ? जो चालू हुई हैं उनकी प्रगति कैसी है ?

(२) अलवर जिले में पंचायत समितियों के क्षेत्र में कितने लोगों को डेरी फार्म के लिये रुपया मिला है और उनमें से कितनी डेरी फार्म चालू हुई हैं ? जो नहीं चालू हुई हैं उनके क्या कारण हैं ?

(३) जिन लोगों ने ऋण लेकर उसका उपयोग नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) इस जिले में साबुन बनाने के लिये आठ व्यक्तियों को ऋण दिया गया है । उनमें से चार व्यक्तियों ने फैक्ट्रियां चालू कर रखी हैं, बाकी फैक्ट्रियां स्थापित नहीं कर सके । जो चालू हैं उनकी प्रगति ठीक है ।

(२) विभाग ने कोई ऋण डेरी फार्म को नहीं दिया ।

(३) जिन लोगों ने एड का सही उपयोग नहीं किया उनके खिलाफ पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही चालू है ।

श्री हरिराम चौहान : जिन चार ने लोन लिया फिर भी फैक्ट्रियां चालू नहीं कीं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री चंदनमल वैद : मैंने निवेदन किया न कि पी. डी. आर. के तहत वसूली की कार्यवाही हो रही है ।

श्री हरिराम चौहान : कितना टाइम हो गया और कब से यह कार्यवाही चल रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : किस तारीख से कार्यवाही हो रही है, यह तो इस समय नहीं बता सकता पर ५८-५९ में ऋण दिया गया था ।

श्री हरिराम चौहान : इतने अर्से तक उस रुपये को उस उपयोग में नहीं लिया जिसके लिये कि यह दिया गया था, तो इसके लिये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : उस काम में नहीं लिया इसीलिए तो पी. डी. आर. के तहत वसूली की कार्यवाही चल रही है ।

श्री हरिराम चौहान : यह सरकार को कब पता लगा कि उन्होंने वह रुपया उस उपयोग में नहीं लिया जिसके लिये कि दिया गया था ?

श्री चन्दनमल वैद : आम तौर से दो साल में काम में ले लेंगे, यह समझते हैं । दो साल में उपयोग में नहीं लिया इसीलिये वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जयनारायण व्यास : दो साल तक तो उनको छूट है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा !

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है जिनको साबुन की फैक्ट्रियों के लिये ऋण दिया गया, वे चला भी रहे हैं कि नहीं, इसको आपने देखा है ?

Page No 8

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है ।

स्पेशल-पे के रूप में चुकाई गई धन-राशि

७८०. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६२-६३ में दिसम्बर ६२ तक स्पेशल-पे के रूप में राज्य सरकार ने कितनी धन-राशि चुकाई ?

(२) पिछले तीन वर्षों में स्पेशल-पे के रूप में राज्य सरकार ने कितनी धनराशि चुकाई, इसकी वर्ष वार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या राज्य सरकार इस बात से भिज्ञ है कि पंजाब सरकार द्वारा देश में संकटकालीन स्थिति के कारण स्पेशल-पे को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है ?

(४) क्या स्पेशल-पे के औचित्य पर राज्य सरकार या उसके द्वारा नियुक्त किसी कमेटी ने आज तक कभी विचार किया है और उस पर कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो राज्य सरकार देश की संकटकालीन स्थिति को मद्देनजर रखते हुए क्या स्पेशल-पे को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या वह इसकी समाप्ति के प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति का गठन करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१ व २)-नेसेसरी इन्फोर्मेशन सरकार के पास मौजूद नहीं है । इसके लिये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स से अभी आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं । इस पर काफी समय लगेगा । आंकड़े मिल जायेंगे तो उनकी सूची सदन की मेज पर पेश कर दी जायगी ।

(३) पंजाब गवर्नमेंट से इत्तला मिली है जिससे यह जाहिर है कि एमर्जेन्सी के दौरान में स्पेशल-पे को खत्म करने का कोई प्रपोजल गवर्नमेंट के जेरे गौर नहीं है ।

(४) अभी तक न कोई ऐसे कदम उठाये गये हैं और न आयन्दा उठाने का सरकार का इरादा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : १८ लाख नौ महीने के हैं तो बारह के अमूमन २५ लाख का एवरेज समझ सकते हैं साधारण तौर पर; तो क्या स्पेशल-पे देना संकटकालीन . . .

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : आर्ग्यूमेंट में जा रहे हैं । आपको फैक्ट्स मालूम होने चाहिए वे हो गए ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फैक्ट्स दिये नहीं हैं । उत्तर में कह दिया है आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार के लिए लाजमी है कि स्पेशल-पे दे ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी. ए. डी. से मालूम कर लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह महार ।

Page No 9

राजस्थान की तहसीलें

७८१. **श्री मानसिंह महार** (आमेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—क्या यह सही है कि राजस्थान में कुछ तहसीलें तोड़ी जा रही हैं ? अगर हां, तो कितनी और कौन- कौन सी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी नहीं । अभी कोई तहसील नहीं तोडी जा रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आमेर की तोड़ी जा रही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोतीलाल चौधरी ।

ग्रामों में महिला शिक्षा प्रचार के लिये योजनाबद्ध विशेष कार्यक्रम

७८२. **श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य के गांवों में महिला शिक्षा प्रचार के लिये क्या सरकार के पास कोई योजनाबद्ध विशेष कार्यक्रम है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) लडकियों की शिक्षा के लिये गांवों में शिक्षा व्यवस्था शहरों में खोले गये स्कूलों के किस अनुपात में है तथा शहरों में महिला शिक्षा गांवों के महिला शिक्षा के प्रतिशत से कितना अधिक है, तथा क्या सरकार इस प्रतिशत को सामान्य स्तर पर लाने के लिए प्रयत्नशील है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) राजस्थान की महिलाओं में घूंघट प्रथा को हटाने के लिये सरकार के पास क्या कोई विशेष कार्यक्रम है ? यदि हां, तो अब तक इस क्षेत्र में क्या प्रगति की गई तथा शहरों तथा गांवों में इस प्रथा को हटाने में क्रमशः क्या प्रतिशत सफलता मिली है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) रूरल व अर्बन दोनों क्षेत्रों में महिला शिक्षा प्रचार पर पूरा पूरा ध्यान दिया जा रहा है । प्राथमिक-शालाओं में लडके व लडकियां एक साथ ही शिक्षाध्ययन करते हैं तथा अधिकतर शालायें रूरल क्षेत्रों में खोली गई हैं । रूरल व अर्बन क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं का अनुपात क्रमशः १ : १.५ है । अर्बन क्षेत्रों में काफी संख्या में छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है । अर्बन व रूरल क्षेत्रों में छात्राओं की संख्या का अनुपात १ : ८ का है ।

(३) शिक्षा विभाग महिलाओं में शिक्षा बढाने का प्रयास कर रहा है । पर्दा प्रथा एक सामाजिक व्यवस्था है और आशा है कि शिक्षा के प्रचार से धीरे धीरे यह प्रथा समाप्त हो सकेगी । परन्तु अन्ततोगत्वा समाज ही यदि चाहे तो इस व्यवस्था को समाप्त कर सकता है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : समाज-सुधार का कोई कार्यक्रम नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पर्दा प्रथा के लिए सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं है, सिवाय शिक्षा के ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : माननीय सदस्य ने प्रश्न सोच कर पूछा होता । उप-मंत्रीजी के पास कार्यक्रम होता तो घर की औरतों का पर्दा छुड़ा देते ।

Page No 10

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने सबसे बड़ा, अध्यक्ष महोदय, कार्य यह किया है कि आपका पर्दा सिस्टम मैंने छुड़वाया है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि सरकार के केबिनेट में जो मिनिस्टर्स या डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनके यहां पर्दा नहीं हो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डॉमेस्टिक अफेयर हैं। उनके यहां वही प्रथा है जो आपके घर में है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : १ : ८ का अनुपात बताया है। जब रूरल एरिया में इतनी पॉपुलेशन है तो इस रेश्यो को कम करने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

पंचायतों के सेक्रेट्री

७८३. श्री **नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) एक व्यक्ति कितनी पचायतों के सेक्रेटरी के पद पर काम कर सकता है ?

(२) क्या सेक्रेटरी का कई पंचायतों में काम करना जनता के लिये हितकर है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) पंचायतों की संख्या का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(२) यह पंचायतों के कार्यभार पर निर्भर है।

श्री नत्थीसिंह : सेक्रेटरी कितनी पंचायतों पर होना चाहिए ? दस-दस पर सेक्रेटरी काम कर रहा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी पालिसी बदल गई है। अब ग्राम सेवक काम करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : पिछलों के लिए कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पिछलों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक को लगाने से सेक्रेटरी हटायेंगे, इस सम्बन्ध में बेरोजगारी होगी। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सरकारी मॉन्टेसरी स्कूल

७८४. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में सरकारी मोन्टेसरी स्कूल कहां कहां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि इन स्कूलों में छात्रों की फीस व अन्य सुविधाओं सम्बन्धी सरकारी नियम लागू नहीं होते ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) किस किस मॉन्टेसरी स्कूल में कितने कितने मॉन्टेसरी ट्रेन्ड अध्यापक हैं और कितने नहीं हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No 11

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (क) राजस्थान में निम्न लिखित सरकारी मॉन्टेसरी स्कूल हैं:—

(१) राजकीय मॉन्टेसरी स्कूल, जोधपुर।

(२) राजकीय मॉन्टेसरी स्कूल, कोटा।

(३) राजकीय मॉन्टेसरी स्कूल, भरतपुर।

(४) श्री जीतकमल शिशुशाला, सिरोही।

(५) किन्डरकार्टन स्कूल (कन्या), बांसवाड़ा।

(६) राजकीय मॉन्टेसरी स्कूल (कन्या), उदयपुर।

(७) एन. बी. डी. बालमन्दिर, जयपुर।

(८) गंगा बाल विद्यालय, बीकानेर।

(ख) ये स्कूल स्पेशल स्कूलों की कैटेगरी में आते हैं। अतः इन स्कूलों में दूसरे साधारण स्कूलों की तरह फीस व अन्य सुविधायें सम्बन्धित नियम लागू नहीं होते।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : आपकी सूची के अनुसार अधिकांश अध्यापिकायें मॉन्टेसरी ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हैं। इस हालत में जो बच्चों को शिक्षा मिल सकती है वह नहीं मिल पाती है तो विशेष फीस ली जाने का क्या अधिकार है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है कि अधिकांश अध्यापिकायें मॉन्टेसरी ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हैं; लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां-जहां नहीं हैं वहां ट्रेन्ड प्रदान की जायं। इससे पहले ही विशेष खर्चे को देखते हुए एक तरह की फीस कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : जिस प्रकार की शिक्षा के लिए इनमें ट्रेन्ड टीचर्स देने चाहिए, जब ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं तो फीस क्यों लेते हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विशेष फीस इसलिए है कि साधारण स्कूलों की अपेक्षा इनमें इक्विपमेंट ज्यादा हैं और अध्यापन भी विशेष शिक्षा के आधार पर किया जाता है। मैं मानता हूं कि यह क्षति है, इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मॉन्टेसरी स्कूल नियमों के अनुसार ट्रेन्ड अध्यापिकाओं का होना आवश्यक है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मॉन्टेसरी स्कूल में मॉन्टेसरी ट्रेन्ड अध्यापिकाओं का होना आवश्यक है, इसमें शक नहीं है। लेकिन मॉन्टेसरी ट्रेन्ड अध्यापिकायें प्राप्त होना कठिन है। इसलिए हमारा प्रयास है कि ट्रेन्ड अध्यापिकायें प्राप्त हों। हम प्रयत्नशील हैं।

श्री भैरोंसिंह: जब तक ट्रेन्ड अध्यापिकायें नहीं हों, उस शिक्षा के लिए विशेष शुल्क कैसे ले सकते हैं? नियमों में लिखा है कि मॉन्टेसरी स्कूल में ट्रेन्ड अध्यापिकाओं का होना आवश्यक है। वे नहीं हैं तो फीस कैसे लेंगे?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने निवेदन किया, ट्रेन्ड शिक्षकों का अभाव है लेकिन जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, खेलों का प्रावधान, शिक्षा देने का प्रावधान-वह खर्चीला है। इसलिए जो खर्चा इन विद्यालयों का है उसके आधार

Page No 12

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
पर हमको यह फीस लेनी पड़ती है। थोड़े पैसे में यह व्यवस्था नहीं हो सकती। जैसा मैंने अर्ज किया, हम क्षति-पूर्ति करने का प्रयास करेंगे।

श्री भैरोंसिंह: क्या सरकार बतायेगी कि साधारण स्कूलों में २५०) रु० से कम वेतन पाने वालों के बच्चों की किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ती तो इन स्कूलों में फीस देने को क्यों बाध्य किया जाता है?

श्री अध्यक्ष: यह बता चुके हैं। आपका प्रश्न यही है।

श्री भैरोंसिंह: नहीं साहब, उसमें कमी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह आपके कहने की बात है। वे कह रहे हैं।

श्री निरंजनाथ आचार्य: आप किसी स्कूल का निरीक्षण कर लें तो आप देख पायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): कोई ऐसा स्कूल है जिसमें एक भी अध्यापिका ट्रेन्ड नहीं है? किसी में दो हैं, किसी में एक भी नहीं है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: जयपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर-इनमें हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी नहीं है ट्रेन्ड?

श्री निरंजननाथ आचार्य: ऐसे भी हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरलीधर व्यास।

पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं

७८५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार ने गत वर्षों में कहां कहां पर किस किस विषय के लिये पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खोलीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खोलने का आधार क्या है?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जिन जिन कॉलेजों में गत ५ वर्षों में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं खोली गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कॉलेजों में अंग्रेजी के व्याख्याताओं की कमी पूरी करने के लिये इस विषय म उदयपुर व कोटा में एम. ए. तक की कक्षाए खोलना आवश्यक था। दूसरे विषय जो खोले गये उनका आधार छात्रों की बढ़ती हुई संख्या और स्थानीय मांग थी, जिससे अन्य कॉलेजों में उन विषयों में छात्र-संख्या न बढ़े तथा इनको प्रवेश पाने में असुविधा न हो।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास: जब आपने आधार निर्धारित किया है और इस आधार पर जब दूसरे स्थानों पर पोलिटिकल साइन्स और सोशियोलोजी की पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खोलीं तो अधिक संख्या बीकानेर में होते हुए और आश्वासन देने के बावजूद भी क्यों नहीं खोली गई?

श्री निरंजननाथ आचार्य: किस विषय पर?

श्री मुरलीधर व्यास: पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाएं, पोलिटिकल साइस और सोशियोलोजी दोनों पर वहां नहीं खोली गई, इसका क्या आधार है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वहां पर नहीं खोली तो क्या आधार है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जो आधार है और जिस पर उदयपुर, कोटा में खोली गई तो वही आधार बीकानेर में होते हुए क्यों नहीं खोली गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह नहीं खोलने के आधार में आता होगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं । वहां आधार और भी ज्यादा हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आधार है, यह प्रश्न बातचीत से तय कर लेंगे और अगर माकूल आधार है तो शिक्षा को प्रगति देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : समय समय पर जवाब दिया था, बिल्डिंग में कमरे न होने से नहीं खोल सकते । नई बिल्डिंग हो जायगी तो खोल दी जायेंगी । यह शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था । अब बिल्डिंग वहां है इसके बावजूद क्यों नहीं खोली गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब इन आधारों पर पुर्नविचार कर रहे हैं । इस सेशन में देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री मुरलीधर व्यास : कमरों की व्यवस्था हो गई है । मैं उम्मीद करूंगा कि अब खोल दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : आश्वासन का सवाल है । दो दफा कहा है ।

श्री अध्यक्ष : पांच दफा । पूछ चुके हैं किसी से जबरदस्ती आश्वासन लेंगे ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आश्वासन दिया गया. उसको कार्य रूप में परिणित करना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानाद अग्रवाल ।

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पेंडिंग गबन के मामले

७८६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ ३१-३-६२ तक कितने गबन के मामले पैंडिग हैं ? उनमें कुल कितनी रकम का सम्बन्ध है ?

(२) क्या यह सही है कि अधिकतर रकम के मामले सन् १९५६ से भी पहले के पैंडिग हैं ? यदि हां, तो ३१-३-५६ से पहले के ऐसे मामले कितने हैं और उनका कितनी रकम से सम्बन्ध है ?

(३) इन मामलों का फैसला करने में इतना समय क्यों लग रहा है ? क्या सरकार इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिये कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ ३१-३-६२ तक गबन के कुल ५९० मामले पैंडिग हैं । इनमें कुल मिला कर करीब २५,०६,६९० रु० की रकम का गबन है ।

(२) जी हां, ज्यादातर रकम के मामले १९५६ से पहले के पैंडिग हैं । ३१-३-५६ से

(श्री बालकृष्ण कौल)
पहले के ऐसे मामलों की संख्या ३०५ है और इनमें २१,४५,२७४ रु० का गबन है ।

(३) कुछ विभागों में पुराने केसों के रेकॉर्ड नहीं मिलते हैं । बहुत से मामले ऐसे हैं जिनका फैसला सम्बन्धित विभागों ने नहीं किया । इन्हें अब कमिश्नर फार डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज को सौंप दिया गया है । कुछ मामले अदालतों में चल रहे हैं और अदालतें अपना अलग अलग वक्त लेती हैं ।

पैंडिंग केसों को जल्द निबटाने के लिए सरकार ने जरूरी ऑर्डर जारी कर दिये हैं और इनकी इन्क्वायरी के लिये कमिश्नर फॉर डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज भी मुकर्रर कर दिया है जो इन मामलों को जल्दी निबटाने की कोशिश कर रहा है ।

५०००) रु० से ऊपर के गबन के हर मामले में जो जो कार्यवाही पैंडिंग है उसकी फहरिस्त सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज के लिए ऑफिसर कब मुकर्रर किया गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : अक्टूबर, १९६१ में ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुकर्रर किये जाने के बाद उन्होंने कितने मामले निपटाये ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसकी अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो महत्वपूर्ण है कि आया नया अफसर नियुक्त होने के बाद भी कोई प्रगति हुई या नहीं ? मामले किस प्रकार चल रहे हैं ? That is an important question. अध्यक्ष महोदय । यह तो अधूरी इत्तिला मिल रही है ।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर चुका हूं कि कुछ मामले पुलिस के पास हैं कुछ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज में हैं । अभी मैंने अर्ज किया कि कुछ फाइलें ही नहीं मिलती हैं, केसेज ही नहीं मिलते हैं । इन केसेज का अनअर्थ जितना किया जा सकता है किया जा रहा है । कुछ तो काबू के बाहर हैं, कुछ में कागजात नहीं मिल रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'काबू से बाहर' का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : मुकदमात की तादाद और इस मसले की अहमियत को देखते हुए आपकी मशीनरी काफी हो सकेगी या उसको आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे ? गबन हो, यह बड़ी बुरी बात है और इसकी रोकथाम न हो सके, यह तो विचारणीय बात है ।

श्री बालकृष्ण कौल : हमने देखा कि इसको कोप (cope) करें, कोप नहीं कर सके तो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरीज कमिश्नर को अपॉइन्ट किया ।

श्री अध्यक्ष : कमिश्नर यह ही काम देखते हैं या और भी काम हैं उनके पास ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह मेरे डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपका सम्बन्ध इसलिए है कि सरकार की वित्तीय व्यवस्था अच्छी चले, गबन हो ।

(एक माननीय सदस्य के बोलने को खड़े होने पर)
Order please ! Shri Rawat Ram !

जिलाधीश चूरू द्वारा आराजी राज भूमि को आबादी भूमि में बदलने के आदेश

७८७. श्री रावतराम (सादूलपुर-सु.) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जिलाधीश चूरू ने सन् १९६१ में समस्त तहसीलदारों व जिले की समस्त पंचायतों को एक सर्क्यूलर इस आशय का जारी किया था कि गांवों के चिपती हुई जो आराजी राज (जमीनें) हैं और आबादी में कन्वर्ट करने के काबिल हैं उनके नक्शे पटवारियों द्वारा बनवाकर पंचायत समिति से जिला कार्यालय को प्रस्तुत करें? यदि हां, तो कितने गांवों के नक्शे बन कर आये और उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम लीलकी तहसील राजगढ जिला चूरू में आयूनो पासे गांव के चिपती आराजी राज (जमीन) है, उसके नक्शे बना कर पंचायत ने अपने प्रस्ताव द्वारा उच्चाधिकारियों से यह मांग की थी कि सम्बन्धित भूमि आबादी में कन्वर्ट करली जावे? पंचायत ने यह भी स्वीकार किया कि वह नियमानुसार उक्त जमीन का मुआवजा देने को भी तैयार है?

(ग) क्या यह सही है कि आराजी राज (जमीन) को आबादी में कन्वर्ट करने के लिये सरकार ग्राम पंचायत से मुआवजा प्राप्त करती है? यदि हां, तो कितना?

(घ) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत महलाना तहसील राजगढ जिला चूरू ने ग्राम लीलकी तहसील राजगढ जिला चूरू के लिये आबादी भूमि छुडाने हेतु सन् १९६१ से सम्बन्धित अधिकारियों को लिख रही है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई? यदि हां, तो यह आबादी कब तक छूट जायगी?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) जी नहीं। इस प्रकार का कोई परिपत्र कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी नहीं हुआ। अतः नक्शे आदि बन कर जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, सरकारी जमीन को आबादी में कन्वर्ट कराने पर पंचायतों से मुआवजा भू-राजस्व का २० गुणा लेती है।

(घ) जी नहीं। उनका प्रस्ताव ही २५ जनवरी, १९६२ को पारित हुआ है। उक्त भूमि को शीघ्र ही छुडाने की कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

शिक्षा विभाग के उपाध्यक्षों के कार्य का विकेन्द्री करण कर जिला निरीक्षकों को अधिकार

७८८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्तमान में शिक्षा विभाग के उपाध्यक्ष कितने व कहां हैं? इनको क्या काम दिये गये हैं?

(२) क्या इनके कामों का विकेन्द्रीकरण करके जिला निरीक्षकों को अधिकार देना सरकार वाजिब नहीं समझती जब कि दोनों प्रकार के पदों के ग्रेड में मामूली फर्क है?

(श्री भीमसेन)

(३) जन-सुविधा एवं विकेन्द्रीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए क्या यह वाजिब नहीं है कि उपरोक्त कदम तुरन्त उठा कर सरकारी खर्चे में बचत की जाय ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) वर्तमान में उप-शिक्षाध्यक्ष निम्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं :—

१. मुख्य कार्यालय में ५ :

(१) उप शिक्षाध्यक्ष, सैकन्डरी ।
(२) उप शिक्षाध्यक्ष, एलीमेन्ट्री ।
(३) उप शिक्षाध्यक्ष, महिला ।
(४) उप शिक्षाध्यक्ष, समाज शिक्षा ।
(५) उप शिक्षाध्यक्ष, मिल्क स्कीम ।

२. रेन्जेज में :

(१) उप-शिक्षाध्यक्ष, जे. बी. रेन्ज जोधपुर ।

(२) उप-शिक्षाध्यक्ष, थ्रु. के. रेन्ज, उदयपुर ।

(३) उपशिक्षाध्यक्ष, अजमेर रेन्ज, जयपुर ।

उप-शिक्षाध्यक्ष, जोधपुर, उदयपुर व जयपुर के लिये क्रमशः निम्नलिखित जिलों के शिक्षा सम्बन्धी कार्य दिये हुए हैं :

(१) उप-शिक्षाध्यक्ष, जोधपुर :

जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बाडमेर, पाली, सिरोही, जालौर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर ।

(२) उप-शिक्षाध्यक्ष, उदयपुर :

उदयपुर, भीलवाडा, चित्तौडगढ़, बांसवाडा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड ।

(३) उपशिक्षाध्यक्ष, जयपुर :

अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, सीकर, और झुन्झुनूं ।

(२) निरीक्षक शिक्षणालयों के अधिकार बढाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(३) निरीक्षक शिक्षणालयों के अधिकार बढाने के उपरान्त भी निरीक्षकों के कार्य का निरीक्षण करने के लिये और उन्हें उनके कार्य में पथ प्रदर्शन देने के लिए तथा विभिन्न जिलों के कार्यों को कोआर्डिनेट करने के लिये तथा कुछ हाई व हायर सैकन्डरी स्कूलों के निरीक्षण के लिये उप-शिक्षाध्यक्षों का पद कायम रखना अत्यन्त आवश्यक है । उप-शिक्षाध्यक्ष, कोटा व बीकानेर के पद पहले से ही कम किये जा चुके हैं । इनके अतिरिक्त उप-शिक्षाध्यक्षों के पदों में कटौती सम्भव नहीं है ।

श्री **भीमसेन** : क्या यह सही है कि उदयपुर, जोधपुर और जयपुर के उपाध्यक्ष यदि कम कर दिये जायं तो काम पर असर नहीं पडेगा और इन्सपेक्टर्स को पावर्स अधिक दे दिये जायं ? क्या सरकार इसकी वास्तविकता नहीं समझती ?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : इन्सपेक्टर्स को पावर्स देने का जहां तक सम्बन्ध है हमने उनको पावर्स दिये हैं । उपाध्यक्षों के पद अलग किये हैं क्योंकि ज्यूरिस्डिक्शन अधिक बढ गया है । निरीक्षकों के कार्य का निरीक्षण, उनका पथ प्रदर्शन करने के लिये और को-

Page No 17

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
आर्डिनेशन करने के लिये उनका पद रहना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री भीमसेन : डाइरेक्टोरेट में उपाध्यक्ष हूं वे ही कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) नियम, १९६१ में संशोधन

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : द्वारा पूछा गया] :

Will the Finance Minister please reply :—

(1) How many times the rules have been made to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 1961 ?

(2) How many 'new entries' have been added through these amending rules ?

(3) How many amending rules were made retrospective in operation and what were the compelling reasons for making them so ?

(4). In view of the numerous amendments to the original Rules does the Government intend to get them fully scrutinised so as to avoid every day amendments ?

(5) Does the Government propose to codify the Rules?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) १२३।

(२) ५२५।

(३) तमाम अमेन्डमेन्ट्स १-९-६१ से इफेक्ट में आये क्योंकि असल रूल भी १-९-६१ से लागू किये गये।

(४) तमाम अमेन्डमेन्ट्स की अच्छी तरह से जांच की जाती है और उनको बमुजिब रिवाइज्ड पे स्केल प्रेस्क्राइब किये गये या रिवाइज्ड पे स्केल्स के शिड्यूल में पहले शामिल नहीं किये गये थे।

(५) फिलहाल रूल्स को कोडीफाई करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : १९३ का किया है।

श्री बालकृष्ण कौल : रूल में तो छः ही हुए हैं। बाकी जो पे स्केल्स के ग्रेड्स बाकी रह गये थे जैसे जैसे सामने आये ग्रेड्स में अमेन्डमेन्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

सिवाय चक भूमि का आवंटन, नीम का थाना

७९०. श्री **ज्ञानचन्द मोदी** (थोई) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) नीम का थाना में सन् १९५७ में कुल कितनी सिवाय चक भूमि थी ?

(२) सन् १९५७ से ६१ तक सिवाय चक भूमि के आवंटन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र तहसील नीम का थाना ने प्राप्त किये ?

(३) कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि आवंटन की गई व कब्जा दिलाया गया ?

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

(४) भूमि आवंटन समिति की कुल कितनी बैठकें सन् १९५८ से ६१ तक हुई व कहां पर तथा किन किन तारीखों को ?

(५) क्या स्वयं तहसीलदार ने बिना आवंटन समिति के सदस्यों को सूचना दिये भूमि आवंटित कर दी ? यदि हां, तो किन २ व्यक्तियों को व कब कब की ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(६) क्या सरकार ने इस तरह भूमि का आवंटन होने पर कोई जांच की है ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा है ?

(७) अब तक इस आवंटित भूमि में से कितनी अवैध हो गई है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) २,२८,६०० बीघा भूमि।

(२) १,८०५ प्रार्थना-पत्र।

(३) इस अवधि में कुल ४३२ भूमिहीन परिवारों को ४,२६१ बीघा १८ बिस्वा भूमि अलाट की गई।

(४) कुल १० मीटिंग हुईं। विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री ज्ञानचन्द मोदी : प्रश्न ५ का उत्तर 'जी नहीं' दिया गया, यह गलत है। मीटिंग की और तहसीलदार ने जमीन दे दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि मीटिंग का नोटिस दिया कोई न आये तो एतराज, तहसीलदार को करने का अधिकार है न करे तो एतराज, मीटिंग की सूचना दी, कोई नहीं आया, तो बिना कोरम के किया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ग्राम पंचायत की स्वीकृति के बिना तहसीलदार नहीं कर सकता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सूचना दी। नहीं आये तो मीटिंग रोक नहीं सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कोरम का प्रश्न नहीं।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने बताया कि १८ हजार।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १८ हजार नहीं, १८००।

श्री रामकिशन : हरिजन लोगों को जमीन नहीं मिली इसलिये पूछना पडा, बाकी चुप रहता।

श्री अध्यक्ष : श्री पोहूमल।

अजमेर जिले में शराब की दुकानों हेतु नये अनुज्ञा-पत्र

७९१. **श्री पोहूमल ईसरदास (अजमेर)** : Will the Minister for Excise be pleased to state:—

(1) How many new licences for shops have been sanctioned in Ajmer District in 1962-63 ?

(2) Will the Government state the names of such licence holders ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) १९६२-६३ में कोई नया लाइसेन्स नहीं दिया गया।

(२) सवाल पैदा ही नहीं होता।

Page No 19

सरकारी सामान का दुरुपयोग

७९२. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बस्सी, जिला जयपुर की ओर से पंचायत समिति के चर्म रंगाई केन्द्र, मोहनपुरा, चर्म रंगाई बस्सी केन्द्र एवं सार्वजनिक सुविधा केन्द्र बढईगिरी, कानोता में सरकारी सामान के दुरुपयोग और गोलमाल करने की शिकायतें सितम्बर १९६१ से अप्रेल १९६२ के बीच संचालक, उद्योग विभाग राजस्थान को भेजी गई है ?

(२) क्या यह सही है कि उद्योग विभाग ने अभी तक इन शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाया है और पंचायत समिति के पत्रों की पहुंच की सूचना तक वापिस नहीं भेजी है ?

(३) क्या यह सही है कि इस पंचायत समिति के प्रधान द्वारा मुख्य मंत्री महोदय को एक पत्र द्वारा उद्योग विभाग के खिलाफ उनके तत्संबंधी १७ पत्रों को एकनोलेज तक न करने और भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने की शिकायत की गई ?

(४) क्या यह सही है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट आफिसर, उद्योग द्वारा इन केन्द्रों का कई बार दौरा करने के बावजूद उच्च अधिकारियों को इन गोलमालों के बारे में कार्यवाही करने के लिये कभी सिफारिश नहीं की गई ?

(५) क्या सरकार उद्योग विभाग द्वारा इतने गंभीर मामलों में ढिलाई बरतने के कारण बतायेंगी ?

(६) क्या सरकार इस मामले में उद्योग विभाग एवं कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, उद्योग द्वारा बरती गई ढिलाई के कारणों की जांच करायेगी और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां।

(२) अंश (१) सही नहीं है।

अंश (२) सूचना मिलने पर उद्योग विभाग के उच्च अधिकारी को मौके पर भेजा गया था। विस्तृत जांच विकास विभाग लेखा अधिकारी द्वारा की गई थी। इन सबके परिणाम स्वरूप बस्सी के (१) उद्योग प्रसार अधिकारी, (२) चर्म निरीक्षक (३) काष्ट कला (कार्पेन्टरी) प्रशिक्षक और (४) चर्म कला सहायक को सस्पेन्ड कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(३) जी हां। संचालक, उद्योग विभाग ने स्वयं बस्सी पंचायत समिति के प्रधानजी से विस्तृत बातचीत की थी और उन्हें इस विषय में पूर्ण जानकारी दे दी थी।

(४) जी नहीं। सूचना प्राप्त होने पर जैसा पैरा ३ के उत्तर में बताया गया है संबन्धित अधिकारियों को सस्पेन्ड किया गया।

(५) कोई ढिलाई नहीं की गई।

(६) उद्योग विभाग एवं कम्युनिटी प्रोजेक्ट अफसर उद्योग द्वारा कोई ढिलाई नहीं बरती गयी। संबन्धित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है।

श्री रामानंद अग्रवाल : क्या यह सही नहीं था कि सन् ६१ में इस बात की रिपोर्ट

Page No 20

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कर देने के बावजूद उद्योग विभाग ने करीब डेढ साल तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया ?

श्री चंदनमल वैद : नवम्बर और दिसम्बर ६१ में शिकायत आयी थी और ६२ की अप्रेल को चार अधिकारियों को सस्पेन्ड कर दिया गया । जल्दी शिकायत की जाती तो जल्दी सस्पेन्ड करते ।

प्रश्न संख्या ७९३

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल ।

(अनुपस्थित)

मवेशियों का मेला, ग्राम पंचायत पीपलू, तहसील टोंक

७९४. **श्री अमरनारायण हालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पीपलू, तहसील टोंक की ओर से हर साल मवेशियों का मेला लगाया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मेले से पंचायत पीपलू को जो मवेशियों का टैक्स मिलता है उसे पंचायत समिति टोंक ने लेने का निर्णय किया है ?

(३) क्या यह सही है कि पंचायत समिति टोंक के उक्त निर्णय से पंचायत पीपलू के कोष पर बुरा असर पडेगा ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय से धनाभाव के कारण पंचायत के विकास-कार्य रुक जावेंगे ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी हां, ऐसा निर्णय लिया था ।

(३) जी हां ।

(४) पंचायत समिति के निर्णय को स्थगित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

पिग आइरन फैक्ट्री, उदयपुर

७९५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उदयपुर में यूगोस्लाविया की सहायता से निर्मित होने वाले पिग आइरन प्लान्ट के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई ?

(२) क्या सरकार औद्योगिक और सैनिक महत्व को देखते हुए इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) उदयपुर में पिग आइरन प्लान्ट की स्थापना के लिये जिस पार्टी को भारत सरकार द्वारा लाइसेन्स दिया गया है वे यूगोस्लाविया टेक्निकल कन्सल्टेन्ट्स द्वारा फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं । वास्तविक प्रगति इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही हो सकती है । वैसे इस उद्योग के लिये जमीन की व्यवस्था की जा रही है तथा समय पर आवश्यक मात्रा में बिजली

(श्री चन्दनमल वैद)
उपलब्ध हो सके, इसके लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

(२) जी हां, जहां तक सरकार का संबंध है सरकार प्रयत्नशील है कि यह योजना शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित हो और इसके लिये जो भी उचित सुविधायें राज्य सरकार पार्टी को दे सकती है, दे रही है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : कितने दिनों में यह कार्य किया जाय यह कोई शर्त थी क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : टाइम बताना संभव नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी।

श्री चन्दनमल वैद : यूगोस्लाविया टेक्निकल कन्सलटेन्ट्स द्वारा फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं उसके लिये मैं क्या कह सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : दो, चार साल दस साल आखिर कोई मियाद तो होगी कौन सी योजना में हो जायगा ?

श्री चन्दनमल वैद : संभव है चार, पांच साल लग जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समय तो तय किया होगा उस पार्टी के साथ ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बीमा विभाग के कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट

७९९. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बीमा विभाग में सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स की धारा २७ के अनुसार बीमा विभाग के कर्मचारियों की एक सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई है ? यदि हां, तो कब ?

(२) इस लिस्ट के विरोध में कितने रिप्रजेन्टेशन्स आये हैं और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ? क्या इन रिप्रजेन्टेशन्स के कारण प्रस्तावित सीनियोरिटी लिस्ट में कुछ संशोधन हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

(३) कितने व्यक्तियों ने गवर्नमेंट के सामने रिप्रजेण्टेशन्स किये हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

(४) क्या यह लिस्ट अन्तिम रूप से तैयार की जाकर प्रकाशित कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

वित मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) क्योंकि इस डिपार्टमेंट (विभाग) में कोई सबोर्डिनेट सर्विस की पोस्ट नहीं है, इसलिये सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स के मातहत सीनियोरिटी लिस्ट बनाने का सवाल ही नहीं उठता।

(२) सवाल नहीं उठता।

(३) सवाल नहीं उठता।

(४) सवाल नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बीमा विभाग के सुपरवाइजर्स को सबोर्डिनेट सर्विस में शुमार किया जाता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : जी नहीं।

दूकानों की नीलामी, ग्राम पंचायत अलीगढ़, जिला टोंक

७९७. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अलीगढ़, जिला टोंक के सरपंच ने कोई पंचायत की दूकानें नीलाम की थीं ? यदि हां, तो किस आज्ञा से ?

(२) क्या यह सही है कि इन दूकानों की नीलामी के लिये जिलाधीश-टोंक के यहां से कोई आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि सरपंच ने उक्त आदेशों का पालन न करते हुए यह कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि इसके लिये एक कमेटी का निर्माण करना आवश्यक था ? यदि हां, तो कमेटी गठित की गई या नहीं ? यदि की गई, तो उसके कौन कौन सदस्य थे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(५) क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसे सरपंच के खिलाफ पंचायत अधिनियम की धारा १७ (४) के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां । पंचायत के प्रस्ताव से ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) कमेटी के निर्माण की आवश्यकता नहीं है; पर एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) पंचायत अधिनियम की धारा १७ (४) के अन्तर्गत जांच शुरू की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : नीलामी की बोली एक हजार से अधिक हो, उस हालत में कलेक्टर की आज्ञा लेना आवश्यक हो जाता है ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आज्ञा ली गई ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : नहीं ली गई । इसीलिए १७ (४) के अन्तर्गत जांच जारी है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मंजूरी के बिना कार्यवाही की गई तो आप क्या कर रहे हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जांच हो रही है और वह जांच नियमों के अन्तर्गत ही हो सकती है ।

तहसील बसवा के ग्रामों में मिडिल स्कूल खोलने के लिये आवेदन-पत्र

७९८. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील बसवा में ग्राम बैजूपाडा, लोटवाडा एवं करनावर में मिडिल

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

स्कूल खोलने के लिये समिति एवं जनता की ओर से सरकार के समक्ष गये साल से आवेदन किया जा रहा है और क्या गुढा कटला में हाई स्कूल के लिये जनता द्वारा आवेदन दिया जा रहा है व भवन बनाया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि बांदीकुई से बालेडा, हींगोटा जो करीब १५ मील पडता है और जिसमें अनेकों प्राइमरी स्कूल हैं और कोई मिडिल स्कूल नहीं है और हींगोटा, बालेडा, बेजूपाडा, झूताहेडा इत्यादि पंचायत के छात्रों को सवाई माधोपुर जिले के मिडल स्कूलों में मीलों दूर जाना पडता है ?

(३) क्या यह सही है कि इन ग्रामों की जनता ने स्कूल भवन के लिये भी व्यवस्था कर दी है ?

(४) क्या सरकार इस वर्ष इन जगहों में मिडिल स्कूल खोलने के लिये तैयार है व गुढा कटला में हाई स्कूल चालू करने के लिये क्या विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, बेजूपाडा, लोटवाडा, एवं करनावर में माध्यमिक शाला खोलने के लिये पंचायत समितियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। ऐसी कोई सूचना कि जनता द्वारा गुढा कटला में उच्च माध्यमिक शाला हेतु आवेदन दिया जा रहा है तथा भवन बनवाया जा रहा है प्राप्त नहीं हुई है।

(२) जी नहीं। बालेडा, हींगोटा, बेजूपाडा, भूताहेडा आदि के छात्रों के लिये ६ मील के अन्दर माध्यमिक शाला बडियाकलां, बिवाई एवं मानपुर में मौजूद है।

(३) जी नहीं।

(४) यदि जिला परिषद् ने सिफारिश की तो इस प्रकार के अन्य स्कूलों के साथ सरकारी नियमों के अनुसार सरकार की आर्थिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर : केवल आवेदन-पत्र ही नहीं दिये गये, बल्कि बेजूपाडा, लोटेवाडा एवं करनावर में बिल्डिंग देने के लिये लोग तैयार हैं जिसके लिये रजिस्ट्री करवा कर इत्तिला दी गई है। करनावर में और गुढा कटला में एक व्यक्ति ने बगीची जिसमें मकान है देने के लिये रजिस्ट्री द्वारा विभाग को इत्तिला दी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरी सूचना के अनुसार तो नहीं आया है। यदि आया भी है तो नम्बर ४ के अनुसार सुविधा दी जा सकती है।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : जिसने आपको गलत सूचना दी है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

प्रश्न संख्या ७९९

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

खादी उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड, हिण्डौन को ऋण

८००. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन-सु.) :

Page No 24

(श्री श्रवणलाल)
क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) हिण्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति लि०, हिण्डौन को कितना लोन दिया गया था ?

(२) क्या यह सच है कि महुवा, टोडाभीम व खेडला उस समिति के उप केन्द्र थे ?

(३) क्या यह भी सही है कि हिण्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति लि०, हिण्डौन को दो समितियों में बांट दिया गया है ?

(४) क्या यह भी सही है कि महुवा, खेडला व टोडाभीम को क्षेत्रीय समिति के नाम से निजी संस्था बना ली है ?

(५) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्रीय समिति बनाने से हिण्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति लि०, हिण्डौन की संस्था को काफी नुकसान हुआ है ?

(६) क्या यह भी सही है कि इस बात का पता सदस्यों को भी नहीं दिया गया है ?

(७) क्या यह भी सही है कि पहले हिण्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति लि०, हिण्डौन संस्था में करीब चार लाख का प्रोडक्शन होता था ? जब वहां पर एक संस्था ठीक प्रकार से चल रही थी तो दूसरी संस्था वहां बनाने की क्या जरूरत पड गई ?

उप-मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) ५२,००० रुपये अम्बर कार्यक्रम ऋण दिया गया था।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) महुवा, टोडाभीम, व खेडला का क्षेत्र नवनिर्मित हिण्डौन क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग संघ के अन्तर्गत है जो चेरिटेबल सोसाइटी एक्ट, १८६० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। उस क्षेत्र में कोई निजी संस्था नहीं है।

(५) कोई नुकसान नहीं है।

(६) नवनिर्मित संस्था के बनने की चर्चा समिति की साधारण सभा में की गई थी।

(७) खादी ग्रामोद्योग कमीशन की विकेन्द्रित नीति के अनुसार खादी क्षेत्र के लिये इस संस्था का गठन किया गया है।

श्री श्रवणलाल : पहले जब एक संस्था चल रही थी तो दूसरी क्यों बना दी ?

श्री दिनेश राय डांगी : यह हमारे बोर्ड की तरफ से नहीं बनाई गई है, बल्कि चेरिटेबल सोसाइटी एक्ट, १८६० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है।

श्री श्रवणलाल : क्षेत्रीय समिति बनाई गई है उसी के अन्तर्गत है ?

श्री दिनेशराय डांगी : दोनों अलग अलग हैं।

एल. डी. सी. तथा यू. डी. सी. स्तर के कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण

८०१. **श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि एल. डी. सी. तथा यू. डी. सी. स्तर के सरकारी कर्मचारियों

(श्री विजयसिंह झाला)
को वेतन के आधार पर उनको भवन बनाने के लिये ऋण देने के कोई नियम हैं ?

(२) यदि हां, तो कुल कितना ऋण आज दिन तक दिया गया है ? जिलावार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) कुल कितने निवेदन-पत्र इस प्रकार के कर्मचारियों के पेंडिंग पडे हैं तथा कितने वर्षों से ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) आफिसरों को भवन बनाने के लिये अब तक कितना ऋण दिया गया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें तथा कितने निवेदन-पत्र पेंडिंग हैं ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : श्रीमन्, यह अनस्टार्ड क्वेश्चन हो गया था, इसका जवाब दे दिया जायगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय में पर राष्ट्र भाषाओं के पाठन की व्यवस्था

८०२. श्री **दुर्गालाल बाड़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय में परराष्ट्र भाषाओं के पाठन की व्यवस्था है ? यदि हां, तो परराष्ट्रीय कितनी भाषाओं के पाठन की व्यवस्था है और इन सब पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(२) परराष्ट्रीय भाषाओं को पढने वाले कितने विद्यार्थी किस किस भाषा में सन् १९५४ से अब तक रहे हैं व परीक्षा पास की है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : जी हां। फ्रेंच, जर्मन और रशियन भाषाएं राजस्थान विश्वविद्यालय में पाठन कराई जाती है। इसके व्यय इस प्रकार हैं:—

		रुपये
१९६०-६१	..	४,७९९
१९६१-६२	..	११,८९०

(२) परराष्ट्रीय भाषाओं को पढने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है:—

नाम भाषा	वर्ष	विद्यार्थी संख्या	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या
फ्रेंच	१९६०-६१	६	५
जर्मन	१९६०-६१	१५	१३
फ्रेंच	१९६१-६२	५	५
जर्मन	१९६१-६२	६	६

फ्रेंच और जर्मन भाषाओं का पाठन-कार्य सन् १९६० से प्रारंभ हुआ है व रसीयन भाषा जुलाई ६२ से प्रारंभ की गई है। अतः १९६० में पास होने के आंकडे देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : नं० १ में मैंने लिस्ट देने के लिए कहा था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जितना व्यय हुआ है और जितनी संख्या थी वह बता दी है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : नाम पूछे थे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नाम तो मेरे पास नहीं हैं।

Page No 26

श्री रामकिशन (वैर) : यूरोपियन और एशियाई, अफ्रीकी भाषा पढ़ाने का प्रबंध भी कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एशिया और अफ्रीका की उन्नत भाषा नहीं है।

श्री रामकिशन : यह आप कैसे कहते हैं उन्नत भाषा नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारे ख्याल से........

चाकसू सेवा सहकारी समितियों के चुनाव

८०३. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर की सेवा सहकारी समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव हुए चार चार साल हो गये हैं ?

(२) यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ? अब चुनाव कब तक करा दिया जायगा ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता। कार्यकारिणी के चुनाव करा दिये गये हैं।

श्री नाथूलाल करोल : क्या चुनाव चार साल से नहीं हुए ?

श्री भीमसिंह : आपका प्रश्न था कि चार साल से चुनाव नहीं हुए। मैंने कहा, "जी नहीं"; इसलिये कि चुनाव चार साल के अन्दर अन्दर हुए हैं।

श्री नाथूलाल करोल : कार्यकारिणी के चुनाव कराने का क्या प्रोसीजर है ?

श्री भीमसिंह : यह आपका प्रश्न नहीं था। आपका प्रश्न और था जिसका मैंने जवाब दे दिया। इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाथूलाल करोल : क्या हर साल होते हैं, यह सही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पाली जिले में अध्यापकों के नियम विरुद्ध प्रोमोशन

८०४. श्री मोहनराज (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले में अध्यापकों का ग्रेड प्रोमोशन योग्यता एवं सीनियोरिटी के आधार पर नहीं हुआ है और इस कारण सारे अध्यापक-समाज में रोष व असन्तोष छाया हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि अनेक अध्यापकों ने इन प्रमोशन्स के विरुद्ध गत दो वर्षों में आपत्तियां व स्मरण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनका आज तक कोई निर्णय नहीं दिया गया ?

(३) क्या सरकार प्रमोशन्स एवं सीनियोरिटी के सारे मामले पर पुनर्विचार करने हेतु एवं शीघ्र निणय देने हेतु किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचाय) : (१) पाली जिले के अध्यापकों का ग्रेड प्रमोशन उनकी योग्यता व सीनियोरिटी के आधार पर किया गया है। कुछ अध्यापकों का

Page No 27

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

ग्रेड प्रोमोशन गलत हो गया है। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही उस पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

(२) कुछ अध्यापकों ने इन प्रमोशनों के विरुद्ध गत दो वर्षों में आपत्तियां व स्मरण-पत्र दिये हैं उनमें से कुछ अध्यापकों का उचित प्रमोशन कर दिया गया है और कुछ के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(३) जी नहीं। यह कार्य निरीक्षणालय लेवल का ही है और वहां पर उचित कार्यवाही की जा रही है उसके लिये कोई विशेष अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री मोहनराज : प्रश्न (२) के उत्तर में जो आपने बताया उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि कुल कितने स्मरण-पत्र प्राप्त हुए हैं और कितनों का आपने निर्णय कर दिया और कितने बाकी पडे हैं ?

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया है कि २५ अध्यापक २०-१२-६२ की दर्ख्वास्तें हैं। इसी तरह थर्ड के दो अध्यापक १-३-६२ के, वे भी कन्सीडरेशन में हैं।

श्री मोहनराज : अब तक एक भी निर्णय इन मामलों में अन्तिम रूप से नहीं लिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑर्डर्स नीचे से रिकमण्ड हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : अन्तिम निर्णय तो उनको फायदा मिले तब है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, फायदा मिलने का विश्वास मैं दिलाता हूं अगर उनमें कोई गलतियां नहीं हैं तो।

डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर तहसील में मिलाने का निर्णय

८०५. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर तहसील में मिलाने के बारे में सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है ? लम्बे अर्से से वहां की जनता की मांग होने के बावजूद अभी तक सरकार ने इस संबंध में निर्णय क्यों नहीं लिया ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) अभी कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया।

(२) मामले की प्रशासनिक दृष्टि से जांच की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस संबंध में मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय दे दिया है कि इसको बीकानेर में मिला दिया जावे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा कोई निर्णय मुख्य मंत्रीजी ने नहीं लिया।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार की जांच पूरी हो चुकी है या उसमें कोई कारण है जिससे निर्णय नहीं हो रहा है जब कि वहां की सारी जनता की यह सम्मिलित मांग है ?

श्री अध्यक्ष : रावल श्री अमरसिंह।

बालोतरा हाई स्कूल को डिग्री कालेज बनाने की योजना

८०६. रावल श्री अमरसिंह (पचपदरा)

Page No 28

(रावल श्री अमरसिंह)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बालोतरा हाई स्कूल को डिग्री कालेज बनाने के लिये गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद भी आज दिन तक योजना क्यों नहीं बनाई गई ? डिग्री कालेज की आवश्यकता की इस क्षेत्र में पूर्ति की कब तक आशा की जा सकती है ?

(२) टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना जसोल में की जाने की पूर्ववत् योजना की कब तक पूर्ति होगी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) संकटकालीन स्थिति के कारण नये डिग्री कालेज खोलने के प्रस्ताव स्थगित कर दिये गये हैं।

(२) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रावल श्री अमरसिंह : क्या यही क्षेत्र मिला श्रीमानजी कि जो संकटकाल के लिये रिजर्व रखा गया है और शिक्षा वहीं पर नहीं दी जा सकती ? पानी आप नहीं देते, अन्न नहीं देते वहां तो, क्या, बाडमेर जिले को सिंगल आउट करना चाहते हैं आप ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमारी बडी हमदर्दी रहती है पर विशेष स्थिति उत्पन्न होने के कारण यह करना पडा है।

रावल श्री अमरसिंह : आपसे झगडा मोल न लेकर नम्रतापूर्वक आशा रखूं क्या कि आप अगले साल तो इस पर अवश्य विचार करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : झगडा आप मोल लें तो आपकी मर्जी। हम तो नहीं करते।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि शाहपुरा में डिग्री कालेज खोला गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिलान्यास हुआ है खोला नहीं गया है। पत्थर पडा है।

श्री अध्यक्ष : कहां पर पडा है ?

नेक्स्ट।

चार्ज शीट

८०७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय को जनवरी, १९६२ में इन्क्वायरी के सम्बन्ध में चार्ज शीट दी गई थी ? यदि हां, तो इस चार्ज शीट का जवाब संचालक की ओर से कब दिया गया और इन्क्वायरी अब किस स्टेज पर है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी हां, चार्ज शीट का जवाब नहीं आया है। इन्क्वायरी अब कमिश्नर विभागीय जांच के सामने है व गवाहों के बयान शीघ्र लिये जाने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह : चार्ज शीट का जवाब क्यों नहीं दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं दिया, इसलिये नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या कोई सरकारी अधिकारी को चार्ज शीट दी जाय और उसकी मर्जी आवे तो दे या नहीं दे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नियमों में यह प्रावधान है कि अगर जवाब नहीं देता है तो एक्सपार्टी प्रोसीडिंग्ज़ हो सकती हैं और इसके अन्दर ऐसा ऑर्डर दे दिया गया है ।

श्री **भैरोंसिंह** : चार्ज शीट के लिये कितने दिनों तक इंतजार की जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो समय निश्चित है उसके लिये डेट दी जाती है । उसके बाद भी अगर जवाब नहीं आए और अगर इन्क्वायरी अफसर चाहे तो एक-दो मौके और दे सकता है हैं और उसके बाद भी जवाब नहीं आए तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्ज़ लेने का अधिकार है और इसके अन्दर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्ज़ लेने का आदेश दे दिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : जनवरी, ६२ में चार्ज शीट दी गई थी और कहा गया था कि एक महीने के अन्दर अन्दर जवाब दिया जाय और जब एक महीने में जवाब नहीं आया तो एक महीने के बाद एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्ज़ क्यों नहीं ली गई ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : १८-६-६२ से एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्ज़ किये जाने का आदेश दिया जा चुका है ।

श्री भैरोंसिंह : जब आदेश १८-६-६२ को जारी किये जा चुके तो तब से लेकर अब तक एक भी आदमी की साक्षी क्यों नहीं हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सबसे पहले मिस्टर उज्जवल को जो एडीशनल चीफ सेक्रेटरी थे १८-६-६२ को इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया और उनको इन्क्वायरी ऑफिसर नियुक्त करने के बाद जो बयान लेने थे जिसमें कि भट्ट के भी बयान की आवश्यकता थी, पर १२ जुलाई, ६२ से ६ अक्टूबर, ६२ तक वे मेडिकल लीव पर थे और इसके बाद मिस्टर उज्जवल का ट्रान्सफर हो गया । अब मिस्टर हावा १६ फरवरी, १९६३ से अपॉइन्ट हुए हैं और गवाहियों की कार्यवाही चल रही है ।

श्री भैरोंसिंह : हावा साहब नियुक्त हुए तब से इन्क्वायरी चल रही है, इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवाहियों को एग्ज़ामिन कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें तो कोई सवाल नहीं । जब इन्क्वायरी के दर्मियान मई से अक्टूबर तक वे बीमार रहे तो अक्टूबर के बाद तो वह इन्क्वायरी या एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स शुरू होनी चाहिये थी । तब क्यों नहीं हुई, इतने दिन क्यों रुकी रही ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चालू तो थी ही ।

श्री भैरोंसिंह : फिर बताइये किस किस किस के बयान हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस किस के बयान हुए, यह नहीं बता सकता ।

श्री भैरोंसिंह : तो यही बता दीजिये आप कि क्या एक के भी बयान हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मैं, किस किस की गवाहियां हुई, नहीं बता सकता ।

श्री **भैरोंसिंह** : फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि अधिकारी चाहे तो इन्क्वायरी होने दे, नहीं तो वह भी खत्म करवा दे ।

श्री **अध्यक्ष** : इन्क्वायरी रेकॉर्ड में भी हो सकती है ।

Page No 30

श्री भैरोंसिह: कोई बयान नहीं हुए। कोई सूचना ही नहीं है उनके पास आप नाम मत बतलाइये, यह बता दीजिये कि कितनों की गवाहियां हुई हैं टोटल ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): जब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्ज़ चलनी थीं, तो उनके छुट्टी पर चले जाने से इन्क्वायरी क्यों बन्द हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: उनकी मौजूदगी की जरूरत थी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: क्या जरूरत थी ? एक्स पार्टी में कोई जरूरत नहीं होती।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: केस में इन्साफ करने के लिये।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: जिन जिन अफसरों के बयान लेने का सवाल था उनके लेते। इनका सवाल ही कहां था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष: भीमसेन।

ग्राम रिडमलसर सिपाहियान

८०८. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील व जिला बीकानेर में रिडमलसर सिपाहियान नामक गांव कब से आबाद है ?

(२) क्या उपरोक्त गांव रेवेन्यू रेकॉर्ड में एक अलग गांव दर्ज है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) ग्रामरिडमलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर में करीब ३०० वर्षों से आबाद है।

(२) उपरोक्त गांव रेवेन्यू रेकॉर्ड में अलग दर्ज नहीं है, क्योंकि यह गांव बतौर एक बस्ती के ग्राम शिवबाड़ी में स्थित है। इसका रिकॉर्ड ग्राम शिवबाडी के नाम से पुकारा जाता है।

श्री भीमसेन: शिवबाड़ी से यह बड़ा है या शिवबाड़ी बड़ी है इससे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है। वर्षों से यह था और शिवबाड़ी का सबब था इसलिये इसको अलग से नहीं लिखा गया।

श्री भीमसेन: यह सूचना सही नहीं है। इसे अलग विलेज की तरह क्यों नहीं एन्टर करते ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा: यह सैंकड़ों वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा था। अब अगर इच्छा ह तो सर्वे और सैन्टलमेन्ट के जरिये ही इसका अलग रेकॉर्ड और सारी जानकारी रखी जा सकती है। दोनों गांवों की सीमाओं को डिमार्कट करके स्पेसिफिक लैंड कौनसी किस गांव में रहेगी, कौनसी किस में रहेगी, चरागाह का और एग्रीकल्चरल लैंड का सवाल तय किया होजावेगा और इस तरह के और भी कई मसले सकते हैं जिन पर सारी बातें तय करने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): बस्ती तो ऑलरेडी डिमार्केटेड है।

(१२ मध्यान्ह)

चित्तौड़गढ़ गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिकाओं की निर्धारित संख्या

८०६. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चित्तौड़गढ़ गर्ल्स हाई स्कूल में कुल कितनी अध्यापिकायें हैं और निर्धारित संख्या से कम हैं या अधिक ?

(२) क्या सन् १९६१-६२ में जो स्ट्रेन्थ थी वह आज भी है और रखी जाएगी ?

(३) कितनी अध्यापिकायें सन् ६२ में उक्त हाई स्कूल से सेवा-मुक्त की गई व क्यों ?

(४) किसके आदेश से इस प्रकार के टर्मीनेशन हुए हैं ? टर्मीनेशन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) चित्तौड़गढ़ गर्ल्स हाई स्कूल में १० अध्यापिकाओं के पद हैं । ९ कार्य कर रही हैं, एक स्थान रिक्त है ।

(२) सन् ६१-६२ में भी इतनी ही स्ट्रेन्थ थी । आगे के लिए स्ट्रेन्थ छात्राओं की घटती-बढ़ती संख्या पर निर्भर करेगी ।

(३) सन् ६२ में ५ अध्यापिकायें प्रधानाध्यापिका द्वारा सेवा-मुक्त की गई क्योंकि ये अध्यापिकायें अस्थाई तौर पर नियुक्त की गई थी और उनकी अवधि की समाप्ति पर उन्हें सेवा-मुक्त किया गया ।

(४) प्रधानाध्यापिका द्वारा आदेश निकाले गये थे । आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार : इन अध्यापिकाओं की अपोइन्टिग ऑथोरिटी कौन थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : चूंकि प्रधानाध्यापिका ने टर्मीनेट की हैं अस्थाई तौर पर और वह भी इसलिए कि जब तक पी० एस० सी० से हैण्ड अवेलेबल नहीं हो तब तक ५–६ महीने के लिए नियुक्त की गई थीं ।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा प्रश्न यह है कि अपोइन्टिग ऑथेरिटी इनकी कौन है ? आप यह फरमाइये, by whom these Mistresses were appointed.

श्री निरंजननाथ आचार्य : They were appointed under Service Rules.

श्री अब्दुल जब्बार : By whom ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Probably by the Head Mistress with the consent of the Inspector.

श्री अध्यक्ष : शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि प्रोपरली उनको डिस्चार्ज किया गया या नहीं, प्रोपर ऑथोरिटी जिनको ऐसा करने का अधिकार है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रोपर्ली तो तो डिस्चार्ज हुई हैं । अपोइन्टिग ऑथोरिटी कौन है, इसके संबंध में मुझे संशय है ।

श्री अध्यक्ष : अपोइन्टिग ऑथोरिटी जो है वही हटा सकती है । दोनों भिन्न ऑथोरिटी नहीं हो सकती ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, इसकी इन्फार्मेशन नहीं है, लेकिन

Page No 32

श्री अध्यक्ष : यह पहले ही फरमा देते ।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना सा मंत्री महोदय और बता दें कि प्रधानाध्यापिका द्वारा जो यह लिस्ट दे रखी है टर्मीनेशन की उसमें मिसेज भाग्य खन्ना भी है। है। तो इन्हें अधिकार नहीं था और यह बता दें कि कन्फर्मेशन के लिए डाइरेक्टर साहब के पास भेजने का है तो उसके पद पर लिखने का आवश्यक है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामकिशन ।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, इस तरह किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं की जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये वसूली के संबंध में शिकायतें

८१०. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य में कहीं से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की वसूली के सिलसिले में सरकार को अधिकारियों द्वारा जौर जबरदस्ती की शिकायतें मिली हैं ?

(२) यदि हां, तो कहां कहां से और सरकारने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) दो शिकायतें जयपुर जिले से प्राप्त हुई हैं जो जांच के पश्चात् तथ्यहीन पाई गई। एक शिकायत गंगानगर जिले से प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद कुछ सूचना और आयेगी । विरोधी दल के नेता ने मुख्य मंत्री जी को भेजा जैसा कि सदन में चर्चा हुई थी और उसकी सूची मेरे पास है। वे शिकायतें भी आई हैं जिसकी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या पाली जिले में भी इस प्रकार की कोई शिकायत आई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो शिकायतों की लिस्ट है उसमें पाली जिले की कोई शिकायत नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डिप्टी मिनिस्टर, श्री दिनेशराय डांगी ने जिला परिषद की बैठक में इस प्रकार की शिकायत की है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो शिकायत सरकार के पास आने का है ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के पास ही आई है। क्या यह सही है कि पाली जिला परिषद् की बैठक में श्री दिनेश राय डांगी ने इस प्रकार की शिकायत की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : गंगानगर में हनुमानगढ़ तहसील की शिकायत आई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां, आई है।

श्री रामकिशन : क्या भरतपुर जिले की सेवर तहसील के गांव भुसावर में मुख्य मंत्री महोदय गये थे उनको शिकायत की थी वह सूची में दर्ज नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं है ।

श्री **रामकिशन** : तो यह शिकायत तो मेरे सामने ही दी थी मुख्य मंत्रीजी को, वह कहां चली गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो शिकायतें हैं वही बता रहा हूं । जो गवर्नमेन्ट के पास शिकायत आई और जिसके लिए जांच के आदेश दिये गये हैं वह मैंने कहा है ।

श्री रामकिशन : क्या मुख्य मंत्री जी गवर्नमेन्ट नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिल्कुल गवर्नमेन्ट में हैं ।

श्री रामकिशन : गवर्नमेन्ट में है या गवर्नमेन्ट ही हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेन्ट ही हैं ।

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी मिनिस्टर ने जो शिकायत की है क्या डिप्टी मिनिस्टर के पास शिकायत आती है वह सरकार में शामिल नहीं होती ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि आया उन्होंने या उनके पास इस प्रकार की कोई शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

श्री भैरोंसिंह : जिला परिषद् की प्रोसीडिंग्ज में है कि उन्होंने शिकायत की और उसके लिए ३ आदमियों की कमेटी नियुक्त हुई । फिर सरकार कैसे कहती है कि हमें मालूम नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिला परिषद् में क्या हुआ, क्या नहीं; इसकी सूचना हमारे पास नहीं है और सरकार के पास शिकायत या विभाग के पास ऐसी शिकायत नहीं आई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या डिप्टी मिनिस्टर के लिए जरूरी नहीं था कि इस प्रकार की शिकायत वह सरकार के ध्यान में लाकर उसकी जांच करवाते, न कि जिला परिषद् की बैठक में भाषण देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका उत्तर देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है ।

उप-मंत्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : क्योंकि मैं जिला परिषद् का मेम्बर था उसकी हैसियत से कुछ कहा । उस समय उप मंत्री की हैसियत से नहीं था यह आपको मालूम होना चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि डिप्टी मिनिस्टर पहल सरकार को सूचित करते या केबिनेट को करते और फिर इसको जिला परिषद् में रखते ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के कई स्वरूप होते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के डिप्टी मिनिस्टर होने के नाते श्री डांगी के लिए आवश्यक नहीं था कि जिला परिषद् की बैठक में बोलने के साथ ही साथ सरकार को भी सूचना देते और उस पर कार्यवाही करवाते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : स्थगित प्रश्न और हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब समय हो चुका है । आगे बहुत काम हैं ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए परिशिष्ट ६ देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

आर. ए. एस. इत्यादि सेवा का गठन

(१) १. (८२।सी. एम.) श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) आर. ए. एस., आर. पी. एस. आर. जे. एस., आर. ए. ए. एस. आदि सेवाओं का गठन कब से किया गया ?

(२) उपरोक्त सेवाओं में अब तक कुल कितने व्यक्ति लिये गये हैं और उनमें से कितने देहाती क्षेत्र के हैं ? यदि संभव हो तो देहाती क्षेत्रों के व्यक्तियों के नाम मय गांव के सूचित करें ।

उत्तर

(१) इन सेवाओं के गठन की तारीख निम्न प्रकार है:—

आर. ए. एस.	९-७-१९५४
आर. पी. एस.	३०-९-१९५४
आर. जे. एस.	१२-५-१९५५
आर. ए. ए. एस.	३०-९-१९५४

(२) उपरोक्त सेवाओं में अब तक कुल ३१५ व्यक्ति लिये गये हैं जिनमें ९० व्यक्ति देहाती क्षेत्रों के हैं, जिनके नाम मय गांव के संलग्न सूची में दिये हुए हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

भूमिहीन काश्तकारों द्वारा दूसरों के खेतों पर मजदूरी

(२) (९७।सी. एम.) श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान में ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिनके पास अपनी काश्त की जमीन बिल्कुल नहीं है और वे दूसरों की जमीन पर मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं ?

(ब) अपनी खातेदारी की जमीन बिल्कुल नहीं है और दूसरों की जमीन लगान या बटाई पर लेकर काश्त करते हैं ?

(स) जिनके पास ५ एकड या उससे कम भूमि खातेदारी की है । कृपया जिलेवार आंकडे बतायें ।

उत्तर

सूची सदन को मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिए)

तहसील निवाई में सवाई चक भूमि लेने के प्रार्थना-पत्र

(३) (१२२।सी. एम.) श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निवाई जिला टोंक में सन् १९६१ से १९६२ तक सवाई चक भूमि लेने के कितने प्रार्थना-पत्र आये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उन प्रार्थना-पत्रों में से कितने को जमीन कितनी कितनी बीघा मिली ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)
नामजद सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) तहसील भर के खारिज हुए प्रार्थना-पत्रों की सूची कारण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) अनुसूचित व अनुसूचित आदिम जाति के कितने लोगों को जमीन दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) विवरण सूची के खाना ७ में अंकित कर दिया गया है।

(४) विवरण सूची के खाने नम्बर ५ व ६ में अंकित किया गया है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य सरकार द्वारा मितव्ययता

(४) ४.(५।एफएम.) श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार ने मितव्ययता का कार्यक्रम प्रारंभ करके कुल कितने रुपये की मितव्ययता करने का निर्णय लिया है तथा वह मितव्ययता किस किस तरह से कहां कहां की गई?

(२) इस मितव्ययता कार्यक्रम से कुल कितनी मितव्ययता हुई है?

उत्तर

(१) राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों में किफायत की योजना के मुताबिक १९६२-६३ में १४६.६४ लाख रुपये की approved economy करने का फैसला किया था इसका खुलासा एक statement में दिया गया है जो कि सदन की मेज पर रखा जा रहा है।

(२) १९६२-६३ के आखिर तक १२४.९२ लाख रु० की किफायत होने का अन्दाजा है।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

राजस्थान प्रशासन सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

(५) (३८०।सी. एम.) **श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) आर. ए. एस. का केडर स्थापित होने के बाद आर. ए. एस. की वरिष्ठता सूची कितनी बार और कब २ परिवर्तित की गई और क्यों?

(ख) आर. ए. एस. की अन्तिम वरिष्ठता सूची क्या है?

(ग) आर. ए. एस. के कितने अं। कौन अधिकारियों को स्पेशल ग्रेड के पद पर कब कब से नियुक्त किया गया ऐसे अधिकारियों का वरिष्ठता सूची ग क्या क्या नम्बर है?

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त अधिकारियों की तुलना में आर. ए. एस. की वरिष्ठता सूची के आधार पर कई दूसरे

(श्री भैरोंसिह)
अधिकारी सीनियर हैं जिनको इन पदों पर नियुक्त नहीं किया गया ? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ? कृपया तालिकाएं सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(क) एक बार तारीख ३ सितम्बर, ५३ को परिवर्तित करके प्रकाशित की गई । वरिष्ठता सूची को परिवर्तित करने का कारण यह था कि पहली सूची में कुछ खामियां रह गई थीं, उन्हें सही किया गया ।

(ख) वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(घ) हां सिलेक्शन ग्रेड के पदों पर नियुक्तियां करने के लिये सरकार ने सलेक्शन कमेटी बना रखी है । इस कमेटी की सिफारिश पर ही इन पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं । जिन आर. ए. एस. अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड पर नियुक्त नहीं किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । तालिकाएं सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

ग्राम पंचायत ६० जी. बी. को दी गई राशि

(६) (३। यू. एस. क्यू.) **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(१) १ अक्टूबर, १९५९ से आज तक कितनी राशि पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा ग्राम पंचायत ९० जी. बी. को विभिन्न कार्य हेतु दी गई है ? अलग अलग कार्य तथा उससे संबंधित राशि तथा वर्ष सहित सूचित करें ।

(२) क्या उपरोक्त राशि प्रयोग में आई है ? क्या उपरोक्त राशि किसी बैंक या पोस्ट आफिस में जमा कराई गई या सरपंच की पर्सनल कस्टडी में रही ?

(३) यदि उपरोक्त राशि प्रयोग में नहीं आई तो क्या उसे पंचायत समिति द्वारा रिकवर कर लिया गया है ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या उपरोक्त राशियां समय समय अनुसार पंचायत की रोकड़ में दर्ज की गई है ? उपरोक्त पंचायत का १९५९ से आज तक कितनी बार ऑडिटिंग हुआ है ?

उत्तर

(१) ८१५६ रु० ७० नये पैसे की । जिन जिन कार्यों के लिये राशि दी गई, उसकी सूची संलग्न है ।

(२) सूची में क्रमांक १ से ६ तक अंकित कार्यों के लिये दी गई धनराशि का उपयोग नहीं हुआ है । ये सारी रकमें सरपंच के पास नहीं रहीं । निम्न रकमें सरपंच के पास विभिन्न मासों में –

(श्री पंचायत-मंत्री)

रही:–

क्रमांक	माह	धनराशि		
		१९५९-६०	६०-६१	६१-६२
१	२	३	४	५
१.	अप्रेल	–	५,७५९	१,४१७
२.	मई	–	५,४४२	१,३९७
३.	जून	–	५,३५६	१,३०४
४.	जुलाई	–	५,३९१	१,३०४
५.	अगस्त	–	५,३५६	१,२८०
६.	सितम्बर	१,०८१	५,३८३	१,२६४
७.	अक्तुबर	१,१५६	५,४४१	१,२२४
८.	नवम्बर	१,१५६	५,४६२	१,३११
९.	दिसम्बर	१,२५०	५,४६३	१,१९१
१०.	जनवरी	१,२८२	५,४९०	२,८९१
११.	फरवरी	५,४८६	१,१०७	२,७९१
१२.	मार्च	५,४०८	१,६०७	२,७११

(३) वसूली की कार्यवाही चालू है।

(४) प्रायः सभी राशियां समय पर पंचायत की रोकड में दर्ज की गई हैं। पंचायत का आडिट केवल एक बार दिनांक ११-८-६२ को सन् १९५९ से १९६२ तक के समय का किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

तकावी लोन बकाया

(७) (५२२।सी. एम.) श्री **विजयसिंह झाला** (नायद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान में कुल कितना तकावी लोन बकाया है जो अब तक वसूल हो जाना चाहिए ? तहसीलानुसार सूची दीजिये।

उत्तर

राजस्थान में कुल १,१७,३९,१६१.२६ न. पै. तकावी लोन बकाया है। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

विभिन्न उद्योगों, व्यक्तियों, फर्मों एवं कम्पनीज को दी गई धन राशियां

(८) (२७।ई. एम.) श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सन् १९५० से अब तक किन किन उद्योगों के लिए किन किन व्यक्तियों अथवा फर्मों एवं कम्पनीज को कितनी २ धनराशि राज्य सरकार, देवस्थान फंड, राज्य वित्त निगम अथवा अन्य स्त्रोतों से दी गई है ?

उत्तर

सन् १९५० से अब तक जिन जिन उद्योगों के लिए जिन जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों एवं कम्पनीज को राज्य सरकार, राजस्थान वित्त निगम व देवस्थान फण्ड द्वारा जो धनराशि उधार दी गई है उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(संबंधित पुस्तक विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई एवं शेष सूची के लिये कृपया परिशिष्ट १३ देखिए)

गंगानहर क्षेत्र में आबदी मंजूरी की मिसलें

(९) (४।यू. एस. क्यू.) श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर जिले के गंगनहर क्षेत्र में पिछले दस वर्षो में आबादी मंजूरी की

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
कितनी मिसलें चल रही हैं ? इनके प्रार्थना-पत्र कब कब दिये गये तहसीलवार (गांववार) सूचित करें तथा इनमें से कौन २ सी मिसलें कब कब तय करदी गई, तारीखवार सूचित करें, हर मिसल को मंजूर करने में कितना समय लगा, यह भी सूचित करें, कितनी मिसलें बकाया हैं ? कितने समय से बकाया हैं ? तहसीलवार सूचित करें ।

उत्तर

पिछले दस वर्षों में आबादी मंजूरी हेतु जो मिसलें दायर हुई व जिस कदर फैसला होकर जो बाकी रही उसका तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :

नाम तहसील	तादाद मिसलात जो दायर हुई	तादाद मिसलात जो तय हुई	बकाया
रायसिंह नगर	५०	४३	७
गंगानगर	६	५	१
पदमपुर	३	२	१
अनूपगढ़	६	५	१
करनपुर	२	१	१
	६७	५६	११

उपरोक्त मिसलों के प्रार्थना-पत्र कब कब दिये गये तहसीलवार (गांववार) सूचना उनमें कौन कौनसी कब कब तय हुई तारीखवार सूचना व मंजूरी में जो समय लगा व जो इस वक्त जितने समय से बकाया हैं उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट १४ देखिये)

सन् १९६२–६३ में राजस्थान में अलाट हुई भूमि

(१०) (५२३।सी. एम.) **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में १९६२-६३ में कुल कितनी भूमि अलाट हुई उसके आंकड़े तहसीलानुसार दीजिए ।

उत्तर

तहसीलवार अलाटमेंट के आंकड़े सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १५ देखिये)

अलवर जिले में जागीरदारों एवं बिस्वेदारों की खुदकाश्त भूमि का नियतन

(११) (६१।सी०एम०)–**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर जिले में जागीरदारों और बिस्वेदारों की खुद काश्त जमीन अलाट करने के लिए राजस्थान रिजम्पशन आफ जागीर एक्ट और राजस्थान एबालीशन आफ बिस्वेदारी एंड जमीदारी एक्ट के तहत:—

(अ) कितनी कितनी दरख्वास्तें प्राप्त हुई हैं ?

(ब) कितनी कितनी दरख्वास्तों का निर्णय कर दिया गया है ?

(स) कितनी कितनी जमीनें अलॉट कर कर दी गई हैं ?

Page No 39

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(द) कितनी कितनी दरख्वास्तें अब भी विचारार्थ बाकी हैं ? तहसीलवार बताने की कृपा करें।

उत्तर

चाही गई सूचना का एक स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १६ देखिये)

(१२.७ म० प०)

राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन आफ लैण्ड आनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३.

(पुरःस्थापन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजीशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १९५९ के अन्तर्गत नियम न बनाने संबंधी ध्यान आकर्षित करना

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत नाथद्वारा मंदिर विधेयक, १९५९ के अन्तर्गत नियम न बनाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मंत्री, देवस्थान विभाग का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, देवस्थान) : Mr. Speaker Sir, with your permission, I want to give the statement in English. I have also tried to persuade the Hon,ble Member.

Sec. 30 of the Nathdwara Temple Act, 1959, provides as below:—

'Power to make rules—(1) The State Government may make rules, consistent with this Act, for carrying out all or any of the purposes thereof.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, it shall have power to make rules with reference to-

(a) the qualifications for, holding the office of and the allowance payable to the Goswami;—

Page No 40

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

And the rest of the part I will not read because it is not relevant with this.

The rules made under this Act shall be placed before the House of the State Legislature at the session thereof next following.

In accordance with this section, the State Government is supposed to make rules consistent with this Act for carrying out all or any of the purposes of the Act.

The Supreme Court has held the provisions of this Act as intact except part of sub-section (2) (a) of section 30. The Court has declared that the words, 'the qualification for holding the office of...' in sub section 2 (a) may be struck down vide page 101 of the cyclostyled copy of the judgment. The remaining part of section 30 (2) (a) has been up-held by the Supreme Court.

The Supreme Court has further up-held that the expression, 'affairs of the temple' in section 16 clearly refers to the purely secular affairs in regard to the administration of the temple. Clearly, section 16 cannot be construed in isolation and must be read along with section 22. That is why it has been left to the Board to manage the properties of the temple as well as the purely secular affairs of the temple, and so, this management need not be governed by the custom and usage of the denomination. If the expression 'affairs of the temple' is construed in this narrow sense as it is intended to be, then there is no infirmity in the said provisions. The Supreme Court has further held that the expression, 'affairs of the temple' are in order and there is no question of striking down these words.

With regard to provisions of section 21, which provides to the Temple Board complete powers of appointment, suspension, removal, dismissal or imposition of any other punishment on the officers and servants of the temple or the Board, the Chief Executive Officer, being exempted from the operation of this section, it was urged before the Supreme Court that this section might include even the Mukhia and the Asstt. Mukhia who are essentially religious officers of the temple with the performance of religious rites and services to the idols. In this connection the Supreme Court held, 'in considering this argument, we must have regard to the fact that the Mukhia and the Asstt. Mukhia are not only concerned with the religious worship in the temple, but are also required to handle Jewellery and ornaments of a very valuable order which are put on the idol and removed from the idol every day, and the safety of the said valuable jewellery is a secular matter within the jurisdiction of the Board. That is why it was necesary that the Board should be given jurisdiction over those officers in so far as they are concerned with the property of the temple. The Supreme Court further held, 'we have no doubt that in working out the Act, the Board will act reasonably and fairly by the Tilkayat and nothing will be done to impair his status or to affect his authority over the servants of the temple in so far as they are concerned with the religious part of the worship in the temple."

In view of the above observations of the Supreme Court, the framing of the rules under section 30 of the Act, is not a very simple task. The rules must be so framed as may enable the Temple Board and the Maharaj Shri to perform various duties and functions embodied in the Act. In pursuance

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

of the aforesaid observations of the Supreme Court, the Government called the meeting to be attended to by the President of the Temple Board and some of its members and Shri Tilkayatji or his nominees. The meeting so called was held on 24-3-63 at the residence of the Devasthan Minister. The various issues as a result of the Supreme Court Judgment and its observations which came up before this meeting, were discussed. It was agreed that the Temple Board should send a proposition statement relating to the Rules which will be examined by the Government. After such examination by the Government, a copy of the draft rules will be sent to the President of the Temple Board and Shri Tilkayatji for inviting their comments. On receipt of their comments, the rules will be further examined in the light of the comments so received and will be finalised by the Government.

श्री विजयसिंह झाला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वैष्णव सम्प्रदाय की जो मर्यादाएं हैं वे अक्षुण्ण रहनी चाहिए और इसके लिये महाराज श्री को अधिकार दिये हैं। उसके बाद जो नियम बनाये जायेंगे उस समय क्या वैष्णव संप्रदाय के रिप्रजेन्टेटिव को लेना आवश्यक है या नहीं, क्योंकि जहां तक वैष्णव संप्रदाय की मर्यादाओं का संबंध है वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोगों का रिप्रजेन्टेशन रूल्स बनाते समय होना चाहिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रूल्स बनाने में किसको लिया जाय, किस को नहीं उसके लिये प्रावधान नहीं है। गवर्नमेन्ट स्वयं रूल्स बनाती है, बना रही है और बनायेगी। लेकिन जहां तक महाराजश्री के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है अथवा उनकी कार्यप्रणाली में आगे चल कर रुकावट न आवे इन बातों को ध्यान में रख कर टेम्पलबोर्ड के हितों की रक्षा हो सके, महाराज श्री के हितों की रक्षा हो सके इसके लिये दोनों के रिप्रजेन्टेटिव्ज या नोमिनीज से कमेन्ट्स ले रहे हैं, ओपीनियन ले रहे हैं। जो कुछ करना है वह तो सरकार को करना है और इसके लिये सरकार ही अल्टीमेट आथोरिटी है।

श्री विजयसिंह झाला : चार भागों में रेस्पोन्सिबिलिटी बंट जाती है। महाराज श्री की अलग रेस्पान्सिबिलिटी है, वैष्णव संप्रदाय की अलग है, टेम्पल बोर्ड की अलग है और गवर्नमेन्ट की अलग है। जहां तक महाराज श्री के अधिकार का सवाल है, महाराज श्री को इन्वाइट करते हैं; टेम्पल बोर्ड का सवाल है तो उनके रिप्रजेन्टेटिव को इन्वाइट करते हैं........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दोनों के अधिकारों का समन्वय करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि वैष्णव सम्प्रदाय की परम्पराओं के अनुसार काम किया जाय.....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अक्षरशः पालन किया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला : आगे जाकर लिटिगेशन नहीं हो, इसके लिये वैष्णव संप्रदाय के अनुसार कौनसे नियम रखे हैं ? उदाहरण के तौर पर मुखिया को मुकर्रर करना है तो उसके लिये अधिकार टेम्पल बोर्ड को दिया है लेकिन जब तक रिलीजियस परफोर्मेन्स महाराज श्री नहीं करेंगे तब तक मुखिया नहीं बन सकेगा। इसलिये विवाद

Page No 42

(श्री विजयसिंह झाला)
खड़ा होगा । फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक जायेंगे । इसलिये इस प्रकार के विवाद को बचाना बहुत आवश्यक है । रूल्स बनाते हैं तो वैष्णव संप्रदाय के रिप्रजेन्टेटिव्ज को भी इन्वाइट करें, नहीं तो विवाद खड़ा हो जायगा और उसको फिर निपटाना पड़ेगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कानूनी आधार पर जो कानून अल्ट्रावायरस नहीं है उनके अंतर्गत जितनी डिस्क्रिपेन्सीज टेम्पल बोर्ड और महाराज श्री के बीच कम की जा सकती है उनको कम करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है । उसका प्रमाण यह है कि महाराज श्री के रिप्रजेन्टेटिव्ज को, नोमीनीज को रूल्स की मीटिंग से पहले आमंत्रित किया गया है ।

श्री विजयसिंह झाला : महाराज श्री के रिप्रजेन्टेटिव या नोमीनी को ही आमंत्रित करने से काम नहीं चलेगा · · · · ·

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री से अधिक और कानून बनाने में कौन योगदान देगा ?

श्री विजयसिंह झाला : सारे भारतवर्ष में वैष्णव संप्रदाय के लोग हजारों की संख्या में हैं । इसलिये आवश्यक होता है कि हम उनके नुमायन्दों को रूल्स फ्रेम करते समय इन्वाइट करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी यह कहा गया है कि वैष्णव संप्रदाय की मर्यादाओं को अखंड रखा जायगा । तो सवाल केवल महाराज श्री का ही नहीं आता है, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोगों का भी आता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेम्पल बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर्स और ट्रस्टीज हैं वे भी वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले हैं । महाराज श्री के नुमायन्दे श्री मालपाणी और अन्य लोग हैं वे भी इसी धार्मिक भावना को मानने वाले हैं, सरकार भी सभी धर्मों का सम्मान करती है । इसलिये इनमें शंका करना उचित नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला : कल, मान लें कि महाराज श्री अपने इन्ट्रेस्ट के लिये कोई इस तरह का · · · · · ·

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री के अलावा टेम्पल बोर्ड के सदस्य भी हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : They are interested for the Government. लेकिन वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोग हजारों की संख्या में हैं । उनका प्रतिनिधि क्यों नहीं लिया जाता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : No, that is not true....

श्री विजयसिंह झाला : यह आश्वासन तो दे दीजिये · · · · · · · ·

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा ।

खानों से वसूल की जाने वाली रायल्टी से सम्बन्धित दिनांक २८ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख खनिज विभाग के ड्यूज के मुतल्लिक कुछ निवेदन करना चाहता हूं और आधे घंटे की चर्चा उठाना चाहता हूं । अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न के जवाब में खनिज मंत्री ने जवाब दिया कि इस राज्य में माइनिंग लीज होल्डर्स

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के ऊपर ६० लाख रुपये बकाया हैं, राज्य के बाकी हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब था और खनिज विभाग की सारी आय को देखते हुए जिसकी इस वर्ष की आय कुल ६० लाख रुपये रखी है, इस विभाग की ६० लाख रुपयों की बकाया का मतलब यह है कि हमारी ९ महीनों की आमदनी कुछ लोगों में बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण बकाया का हिस्सा यह है अध्यक्ष महोदय, ६० लाख की बकाया में से ५६ लाख रुपये ६५७ आदमियों में बाकी हैं। उनका यदि विश्लेषण किया जाय तो अध्यक्ष महोदय, करीब १० लाख रुपये ऐसे हैं जो सिर्फ १५,२० आदमियों में बाकी निकलेंगे। कहने का मतलब यह है कि खनिज विभाग की बकाया को देख कर इस बात का एहसास हो रहा है कि यह बकाया बहुत पूंजीपति लोगों में या जिनको धनिक या पूंजीपति कहा जा सकता है उन लोगों में बाकी हैं। खनिज विभाग की बकाया किसी प्रकार से नहीं रहनी चाहिये। इसके लिये कानून बना हुआ है। सरकार चाहे तो बकाया तीन महीनों के भीतर वसूल हो सकती है। मैं सबसे पहले इसका नून का हवाला देना चाहूंगा और मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स के नियम १७ के उप-नियम (२१), (२२) के तहत सरकार को अधिकार है कि बकाया वसूल करने के लिये माइन या लीज में प्रवेश करे और वहां पर जो सामान पडा हुआ हो तो उस सामान को सरकार इतना उठा सकती है कि जिससे ड्यूज पूरे वसूल करने में सेटिस्फेक्शन होता हो। इस नियम का उप-नियम (२२) कहता है कि कोई भी माइन या लीज होल्डर ड्यूज नहीं देना चाहता है तो सरकार को अधिकार है कि उसको १५ दिन का नोटिस देकर उसके बाद एक आध महीने की प्रक्रिया और है उसके बाद सरकार उसकी लीज केंसिल कर सकती है।

सारी लिस्टों को देखने से, अध्यक्ष महोदय, यह मालूम पडता है कि आज तक इन नियमों और कानूनों का कभी उपयोग अपनी ड्यूज की रिक्वरीज में नहीं किया है और इसमें लेथार्जी बरती गई है, जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। १९४९-५० की रकम बाकी है, १९५२-५३ की रकम बाकी है, पता नहीं जो ६० लाख की रिकवरीज की लिस्ट दी गई है उसमें ऐसी लिस्ट भी दी गई है कि जिन आदमियों का पता नहीं और जिनसे रिकवरीज रिकवर नहीं की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह रिकवरीज का हमारा जो, हाल है, यह बहुत दयनीय स्थिति है और यह किसी विभाग के लिए शोभनीय नहीं है और मुख्यतया उस विभाग के लिए जिसे मुख्य मंत्रीजी प्रिसाइड करते हों—उस विभाग के लिए कतई शोभनीय नहीं है।

मैं अब कुछ उन लोगों के बारे में जिक्र करूंगा जिन लोगों में लगभग एक लाख की रिकवरी आपकी बाकी है। छुट्टन लाल पोपल्या जयपुर डिवीजन में हैं उनमें १ लाख ३ हजार कोई १९५०-५१ से बाकी है। इनको एक माइन टौंक में दी गई। उस माइन पर जो वर्क किया उसके १ लाख, ३ हजार रुपये बाकी हैं जो १९५१-५२ के बाद रिक्वर नहीं किये जा सके। इन तेरह वर्षों में आप एक आदमी से १ लाख, ३ हजार रुपये रिकवर नहीं कर सके। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए कोई मिनिस्टर विभाग या डाइरेक्टर आफ माइन्स एण्ड

Page No 44

(श्री माणिकचन्द सुराणा)

ज्योलोजी गर्व कर सकें। इसके बाद इस माइन को १९५८-५९ में राजपूताना मिनरल दिया गया और इस माइन के वर्क शुरू होने के तीन साल में एक लाख, १५ हजार रुपये की ड्यूज उससे रिकवर करने को हो हो गई। एक माइन जो लाखों रुपये लीज होल्डर को देती है लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है कि उससे इतना पैसा लाभ के बावजूद वसूल नहीं कर सकी। मैंने एक उदाहरण दिया यह लाइट थ्रो करता है कि गवर्नमेंट मनी के रियलाइजेशन का क्या हाल है। एक गोठम लाइम सिंडीकेट है जिसमें ६४ हजार की रिकवरी बाकी है। यह बात स्पष्ट है कि गोठम लाइम सिंडीकेट है उसमें राजस्थान विधान सभा के एक कांग्रेसी एम. एल. ए. की पार्टनरशिप है या उनके भाई-भतीजे उसके पार्टनर हैं। इसी तरह से जोधपुर के मोहम्मद एण्ड सन्स में ४४ हजार रुपये की रिकवरी बाकी है। इस प्रकार तीन लाख की रिकवरी तो पचास आदमियों में है। जिसमें से एक लाख, डेढ लाख की रिकवरी बाकी है।

इसी प्रकार सारे जिलों और तहसीलों का विश्लेषण किया जा सकता है। एक लाख दाऊदयाल मोहता भीलवाडा में रिकवरी के बाकी हैं। मैंने निवेदन किया कि दस पन्द्रह आदमी ऐसे हैं जिनमें एक लाख से ऊपर रिकवरी बाकी है। माइन्स की रिकवरी और लैंड रैवेन्यू की रिकवरी म अन्तर यह है कि लेंड रैवेन्यू में डेढ़ करोड़ रिकवरी करनी होती है तो वह २० करोड़ आदमियों में बाकी रहती है और इतने आदमियों में वह डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, किसी में पच्चीस, किसी में चालीस और किसी में पचास: लेकिन माइन्स में कन्सोलिडेटेड फार्म में रहती है। इसलिए इसमें जितने आदमी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी है तो पी.डी.आर. एक्ट के तहत जो पॉवर्स हैं सरकार उन पॉवर्स को अख्तियार करे और वकील मुकर्रर करे तो कोई वजह नहीं है कि वह रिकवरी न कर सके। अध्यक्ष महोदय, इन रिकवरीज के मामले में सरकार निहायत कॉम्प्लीसेन्ट है। इसका कारण यह है कि यह विभाग एक तौर पर पोलिटिकल डिपार्टमेंट का रूप धारण किये हुए है राजस्थान में और इस डिपार्टमेंट द्वारा राजनैतिक प्रश्रय दिया जाता है। इस विभाग द्वारा राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को पाला जाता है और राजनैतिक तरीके पर चलाया जाता है क्योंकि इस विभाग में एक करप्ट डाइरेक्टर ऑफ माइन्स एण्ड ज्योलोजी जो लगा हुआ है जिसके बारे में इस विधान सभा में चर्चा उठाई जाती है।

मैं नीति के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार की यह नीति है और जब कि सरकार यह उम्मीद करती है कि टैक्सेज का भार जनता पर बढ़ेगा और हर आदमी को उसके लिए बलिदान करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नॉन-टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है उसके बारे में सरकार को अपने दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करना होगा। प्रश्न किसी एक पर्टीक्यूलर कांग्रेसी एम. एल. ए. का नहीं है, प्रश्न किसी राजगढ़िया की माइन का नहीं है–प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार को यह नीति बनानी होगी कि जो लीज होल्डर छः महीने में एक वर्ष में ड्यूज नहीं दें तो वह चाहे आनन्द सिंह कछवाहा हों या राजगढ़ियां हों उनकी लीज सरकार कैंसिल करेगी और आगे उसे लीज नहीं देगी। साथ ही उसका

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नाम ब्लेक लिस्ट में इन्क्लूड करेगा। ब्लेक लिस्ट में नाम आने पर कोई आदमी दो वर्ष का इन्तजार कर सकता है लेकिन आपको ऐसा नियम सख्ती से बनाना पड़ेगा कि एक बार ब्लेक लिस्ट में नाम आने पर दुबारा लीज नहीं दी जायगी क्या वजह है कि जो आदमी लाखों रुपया कमाता है वह आपके ड्यूज नहीं देना चाहता है? वह सिर्फ इसलिए कि वे जानते हैं कि उन्हें राजनैतिक प्रश्रय है और अगर वे ड्यूज न दें तो उनसे लीज़ वापिस नहीं ली जा सकती उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इसलिए ही आठ-दस वर्षों से रिकवरी बाकी है।

सिर्फ रिकवरी का ही प्रश्न नहीं है, इसके अलावा यह प्रश्न और आया कि कोई एक कोआपरेटिव माइन्स लेना चाहती है और चार वर्गमील के लिये ६० हजार रुपया देना चाहती है। उसी माइन का तीस वर्ग मील एक प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर को दो लाख रुपये में देना चाहते हैं जब कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चार वर्ग मील लेना चाहती है ६० हजार में। एक तरफ जिस सहकारिता का आप नारा लगाते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं देते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर को बढावा देते हैं। इस तरह की हरकत होती है, तो अध्यक्ष महोदय, साधारण नागरिक को विश्वास नहीं होता कि सरकार वास्तविक रूप में सहकारिता में विश्वास रखती है और उसको बढावा देना चाहती है। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो ड्यूज के मामले हैं, उनमें मन्त्री महोदय ने धोखा दिया है। वे चाहते हैं कि रिकवरी हो, लेकिन कुछ ऐसी ड्यूज भी हैं जिनको सरकार ड्यूज बनने नहीं देती। आज खान को लीजिये लीजेज के लिए एक आदमी कहता है, मैं चालीस हजार में लेना चाहता हूं। दूसरी तरफ दूसरा कहता है, मैं साठ हजार में लेना चाहता हूं। तीसरा व्यक्ति अस्सी हजार में लेना चाहता है। लेकिन हमारी सरकार चालीस हजार की बिड को, ऑफर को, एक्सेप्ट करती है, दूसरी को नहीं करती है। इसकी स्पेसिफिक एक्जाम्पिल चाहिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने मोहनलाल मोदी को नीम का थाना में मामडा में लाइम स्टोन की क्वेरीज दी थी, जब कि साठ हजार की ऑफर आ चुकी है वह चासील हजार में एक पर्टीक्यूलर कांग्रेस एम. एल. ए.के भाई को दे दी। अगर ६० हजार में दी जाती तो बीस हजार और हमारे खजाने में आते। निश्चित रूप से और मिनिस्टर की जेब में नहीं जाते लेकिन राज्य सरकार को हानि हो रही है, इसके बारे में उन्हें चिन्ता नहीं। मैं समझता हूं कि यह बीस हजार, दस हजार का जो नुकसान राज्य सरकार को पहुंचाया गया है यह गम्भीर मामला है; जब कि जो ज्यादा से ज्यादा पैसा देता है, उसको नहीं दी जाती है और जो कम देता है उसको दी जाती है यह आरोप है और इससे सिद्ध होगा कि इन खानों का उपयोग राजनैतिक प्रश्रय देने के लिये किया जा रहा है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, रॉयल्टी के मामले में ऐसा हो रहा है कि ऐसी खानें हैं, जिनमें कोई रायल्टी फिक्स नहीं की गई है। के. एल. माथुर हैं भीलवाडा के, उनको एक माइन दी गई है उस माइन में किसी प्रकार की रायल्टी फिक्स नहीं की गई है, वह चाहे जितना वर्क करे, चाहे जितना काम करे। यह खान

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मन्त्री महोदय की जानकारी में है फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि मगरूप गांव की जो लीज के. एल. माथुर की एक फर्म को दी है। उस पर रॉयल्टी फिक्स नहीं की है। इस प्रकार से आपने माइनिंग में एक मोनोपोली क्रियेट की है और इस मोनोपोली को क्रियेट करने का सबसे बडा उदारहण मिल सकता है, वह भीलवाडा एरिया में है जहां पर राजगढिया की पांच सात इस प्रकार की फर्म्स हैं। उन फर्मों को अलग अलग नाम से सरकार ने लाइम स्टोन की लीजेज दे रखी हैं। इस लिये, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ रिकवरी ऑफ ड्यूज का ही सवाल नहीं है, एक प्रश्न यह है कि जो हायर बिड आती है उसको सरकार एक्सेप्ट नहीं करती है और नीची बिड को एक्सेप्ट करके रेवेन्यू को नुकसान पहुंचा रही है। तीसरा प्रश्न यह है; कि रॉयल्टी फिक्स नहीं की जाती है और चौथा प्रश्न यह है जहां पर रॉयल्टीज रिकवर की जानी चाहिए, रॉयल्टी के असेसमेंन्ट का कोई तरीका होना चाहिए, सरकार के पास रॉयल्टी असेस करने का तरीका नहीं है। मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देना चाहूंगा कि नीम का थाना में हालांकि बहुत प्रभावशाली लोग थे लेकिन उन्होंने वहां रेड (raid) करवाई और वह रेड मोहनलाल मोदी, जो ज्ञानचन्द मोदी के रिश्तेदार हैं, के यहां हुई और २ लाख ५३ हजार की वसूली सेल्स टैक्स में हुई जिसको कि इस फर्म ने इवेड कर रखा था। दो लाख, ५३ हजार सेल्स टैक्स की रकम एक वर्ष में इवेड की इस बात से अन्दाज लगाना चाहिए कि दो लाख, ५३ हजार बेचे हुए माल पर लगाया है तो उस पर कितनी रॉयल्टी ड्यू होती है। मैं पूछना चाहता हूं, खनिज मंत्री से कि उन्होंने कौनसे कदम उठाये हैं जिससे असेस कर सके कि पर्टीक्यूलर माइन ने कितना माल प्रोडक्ट कर दिया है, कितना एक्सपोर्ट कर दिया है और जितनी रॉयल्टी दी जानी चाहिए थी वह दी है या नहीं ? इसका कोई तरीका नहीं है; उपाध्यक्ष महोदय, केवल जो माइन लीज होल्डर स्टेटमेंट दे देते हैं उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है। उसका क्लेरीफिकेशन नहीं कराया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खान का माल उड कर नहीं जा सकता, वह या या तो रोडवेज के जरिये जाता है या रेल के द्वारा जाता है।

हमारे प्रान्त में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में माल जाता है और दूसरे प्रान्तों में भी माल जाता है इसके लिये कितना माल कहां पर गया यह सब स्टेटमेंट रेलवे स्टेशनों से प्राप्त कर सकते हैं और उससे मालूम हो सकता है कि कितना माल कहां से एक्सपोर्ट किया गया। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई इस संबंध में जानकारी करने के लिये कदम नहीं उठाया कि कितना माल कहां पर जाता है। जिस समय फाइनेन्स मिनिस्टर ने २ लाख, ६३ हजार का एसेसमेंट पेश किया तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि जब एसेसमेंट फाइनल हो जावेगा तो उसका स्टेटमेंट सदन में रख दूंगा। मगर इसकी वित्त मंत्री को चिन्ता नहीं कि वह स्टेटमेंट हाउस में रखा जावे। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जब रिकवरी हो चुकी है तो अब उसके लीज को कैन्सिल क्यों नहीं किया गया ? अगर इतने बड़े गडबडी के काम होते हुए भी एन्टरप्राइजेज के लीज कैन्सिल नहीं किये

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जावें तो उसके लिये क्या कहा जा सकता है ? यही कहूंगा कि इसमें कोई न कोई राजनीतिक प्रश्न जरूर है । इसलिये यह बहुत गंभीर मसला है । मैंने इस संबंध में चीफ मिनिस्टर साहब को पहले भी निवेदन किया था और बजट भी डेफिसिट है इसलिये इस पर अमल किया जावे । मुख्य मंत्री की योग्यता इससे नहीं आंकी जाती है कि कि वे माइन्स में कितनी आमदनी कर सकते हैं लेकिन इससे आंकी जाती है है कि वे जो बकाया है उनमें से कितनी वसूल करते हैं । लोगों में ९० लाख की रेवेन्यू बाकी है । बहुत से लोगों में वसूलियत होनी बाकी है ।

यदि मैं आधा घंटा भी बोलूं तो पूरा नहीं कह सकूंगा । लेकिन मैं उन बातो पर कुछ नहीं कहता हुआ यही निवेदन करना चाहता हूं किइस माइन्स विभाग को टार्गेट करना चाहिये कि हमारी जितने बकाया हैं वे जल्दी से जल्दी वसूल की जाएं । यदि इन रुपयों की वसूली में सरकार को सख्ती भी किसी के साथ करनी पडे तो करे और अगर माइन्स के लीज को कैन्सिल करने की की थ्रेटनिंग से ये ड्यूज वसूल हो सकते हैं तो इस प्रकार का कदम भी हमारी सरकार को उठाना चाहिए । इसके लिये कानून में प्रोविजन है । आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इन ड्यूज को वसूल करने के प्रति जो मौजूदा रवैया अपनाया गया है उसको छोडें और जल्दी से जल्दी रिकवरी करने का प्रयत्न करें । सरकार की नान टैक्स रेवेन्यू में इन्क्रीज हुआ है । मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें चीफ मिनिस्टर की कोई काबलियत नहीं है । हमारे राजस्थान में डिपोजिटस थे उनमें बढोत्तरी हुई है । १९५०-५१ में जितनी खानों में काम होता था उस डिपोजिट में बढोत्तरी हुई और उसके कारण से रॉयल्टी बढी । इसलिये यह बढोत्तरी मंत्री महोदय की काबलियत से नहीं हुई कही जा सकती यह तो हमारे यहां नेचर की देन है । डिपोजिट की रॉयल्टी ९० लाख आ रही है । इसमें नेचर की देन है और किसी की देन नहीं है । हमारे मुख्य मंत्रीजी की काबलियत तो इसमें है कि यह रॉयल्टी किसी में छूट न जाने पाए ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय . . . .

श्री अध्यक्ष : जरा संक्षेप में ही कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय सारे मुद्दों पर कह दिया गया है। मैं तो सिर्फ तीन बातें पूछना चाहता हूं। एक तो यह प्रश्न पूछा गया कि कितनी पूंजी, तो उत्तर मिला ६१ लाख, २८ हजार २ सौ ९० नये पैसे बकाया हैं। यह पूछा गया कि यह बकाया वसूल क्यों नहीं की गई? जिनकी तरफ बकाया है उनको नया लीज नहीं दे सकते? उसके उत्तर में यह बताया गया कि वह लीज इसलिये दी कि कुछ डिस्प्यूटेड मामले थे । एक कमेटी थी उसने डिसाइड किया था। कमेटी क्या थी, क्या टर्म्स थी, उसके साथ बताया जावे कि कमेटी ने किस आधार पर दिया? उसमें भी ७ या ८ नाम बताये गये लेकिन उन लोगों को फिर से बकाया होते हुए भी लीज दिया गया। उसके अन्तर्गत भी बहुत से नाम हैं। इससे मालूम होता है कि या तो माननीय मन्त्री महोदय ने स्पष्ट रूप से उनको रखा नहीं है या बकाया बहुत कम

(श्री मुरलीधर व्यास)

है। इसके ८ नाम बताये जबकि १५, २० नाम और हैं जिनमें बकाया है और उनमें बकाया होने से बावजूद भी उनको लीज दी और आपने नाम बताये उसके अतिरिक्त हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है?

एक तो आपने कहा कि डिस्प्यूटेड मामला था। मगर तीन क्या कारण हैं जब आपने उनको दिया, जब एक सिद्धान्त के थे तो आपने कमेटी की रिकमन्डेशन किन कारणों से की? वही इन्जीनियर, वही डाइरेक्टर उन्हीं लोगों की कमेटी और वही रिकमन्ड करने वाले थे। उन्होंने सिफारिश की तो आखिर किस आधार पर सिफारिश की? इसमें नाम दिया ऐसा प्रश्न पूछा जयपुर के बारे में आपने नाम बताया है कि एक हजार से ज्यादा ऐसे केसेज हैं जिनमें ११८ आदमियों के नाम बताये। जयपुर से जब ११८ एक हजार से ज्यादा बता दिये और एक हजार से कम वालों की संख्या बतानी चाहिये? उसकी जगह खाली रखी। जो इन्तजाम में ७,६६५ संख्या है। ये तो कोई आदमी नहीं हैं तो फिर टोटल आपने बताई १० लाख, ८३ हजार, ३८२ रुपया, वह ११८ आदमियों में बताई है। या तो आपने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह गलत है क्योंकि जो ८३ हजार रुपये एक ही आदमी में हैं। जब सदन में प्रश्न पूछने के बाद में जवाब देते हैं तो वह स्पष्ट होना चाहिये ताकि सभी माननीय सदस्य उसको समझ सकें। उसमें आपने जवाब में छिपाने की कोशिश की है। आपने दिसम्बर, ६२ तक की बकाया दी है उससे ८ आदमियों को ज्यादा नाम निकल जाते हैं तो आपकी लिस्ट दी उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये कि उन अधिकारियों ने आपको धोखे में क्यों रखा। हमेशा कोशिश की जावेगी। भ्रष्टाचार है इसलिये इन प्रश्नों का उत्तर देते समय स्पष्टीकरण अवश्य करना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, खनिज) अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से और कोलायत से आनेवाले माननीय सदस्यों ने खनिज विभाग के बारे में चर्चा की और यह भी जाहिर किया कि राजस्थान सरकार खनिज विभाग की जो रिकवरीज हैं उनको वसूल करने के सम्बन्ध में प्रयत्न नहीं करती, अतः अब बकाया जल्दी वसूल की जावे। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने खनिज विभाग की बकाया को वसूल करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किये हैं या नहीं, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि खनिज विभाग की परिस्थिति दूसरे विभागों की परिस्थिति से भिन्न होती है। यहां की परिस्थिति विशेष तरह की हुआ करती है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस तरह से लैण्ड रेवेन्यू की बकाया होती है, जैसे तकावी या दूसरे लोन की बकायात होती है उस तरह की यह बकायात नहीं होती है। इसमें एरिया का डिमार्केशन, एसेसमेन्ट ग्रॉफ रॉयल्टी आदि के प्रश्न होते हैं। इनमें तरह तरह के बाउन्डरी डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। इसलिये आम तौर पर दूसरे ड्यूज की रिकवरी की जो पोजीशन होती है उससे कुछ हद तक इसकी पोजीशन मुख्तलिफ होती है। इसलिये इसको कुछ कन्सेशन्स भी देने चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि जो रकम बकाया है वह वसूल नहीं की जानी चाहिये या मैं उसकी उपेक्षा या शिथिलता के बारे में कुछ कह रहा हूं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
लेकिन थोडा कन्सेशन इस बात पर भी दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो आंकडे आपके सामने रखे गये । खनिज विभाग में लीजेज हैं रेन्ट-कम-रॉयल्टी है मेजर, माइनर मिनरल्स के हैं, इनकी जो पहले स्थिति थी उसमें बहुत अन्तर आया है और कई गुना इनकी संख्याएं बढी हैं इस वजह से डिस्प्यूट्स भी बढे हैं आमदनी भी बढी है तो इसके साथ साथ बकाया भी बढी है। पर इन सब बातों के बावजूद भी सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्न-शील है। जब सदन में इस सम्बन्ध में आंकडे मांगे गये तो ३१ दिसम्बर, १९६२ की तारीख तक के आंकडे पेश किये गये थे कि ६१ लाख और कुछ हजार की बकायात लोगों में बाकी है और इसके फीगर्स कि किसमें कितनी रकम कब से बाकी है वह भी सदन में प्रस्तुत की गई थी । उसको लेकर जवाब में स्पष्ट न होने के कारण, माननीय सदस्य को संतोष न होने के कारण यह मुद्दे आज उठाये गये हैं।

अब मैं आपके सामने रखूंगा कि वास्तव में क्या स्थिति है ? यदि असंतोषजनक है तो इसे संतोषजनक बनाने के लिये सरकार क्या कर रही है, इन दो बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब जो लेटेस्ट पोजीशन है वह इस प्रकार है। २८ फरवरी, ६३ को जब बकायात के आकडे बताये गये थे तो ३१ दिसम्बर, ६२ तक ६१ लाख और कुछ हजार रुपया बकाया था। आज मैं ३१ मार्च, १९६३ तक के आंकडे देना चाहता हूं, जिससे मालूम होजाय कि आपको ये फीगर्स दिये, उसके बाद में भी सरकार ने कितने प्रयत्न किये हैं। १२,६०,०००) रु. सरकार ने वसूल किया है और अब बकायात ६१ लाख और कुछ हजार से घट कर ४८ लाख ६५ हजार रह गई है, बाकी की रकम वसूल हो गई है। अब मैं माननीय सदस्यों को सूचना के लिये यह बताना चाहूंगा कि ४८ लाख ६५ हजार की रकम का क्या ब्रेकअप है, जिससे कि आप कल्पना कर सकें कि सरकार कम्प्लेसेन्ट है बकाया रकम की वसूली के बारे में। जब मैं यह कहूं कि इनमें से ११ लाख रुपया ऐसा है जिसकी वसूली हाई कोर्ट और दूसरे कोर्टों की वजह से स्थगित है तो ४८ लाख में से एकदम ११ लाख कम हो जाते हैं और जब मैं यह कहूं कि १ लाख और कुछ हजार ऐसे हैं जिनकी रकम हमारे यहां जमा है, केवल एड्जस्टमेन्ट करना बाकी है, जल्दी ही एड्जस्टमेन्ट हो जाने पर, वह रकम भी कम हो जाती है। जब मैं यह निवेदन करूं कि दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में हमारी कुछ रकम बाकी है, सरकार की रकम सरकार के ही विभागों में बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ५ लाख रुपया बाकी है, जिसको देने का फैसला कर लिया है, कुछ रकम जल्दी ही मिलने वाली है। वह भी बाहर की किसी कन्सर्न में बाकी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बाकी है, जिसका एड्जस्टमेन्ट, रकम की अदायगी जल्दी ही होने वाली है तो यह रकम भी कम हो जाती है । कुछ केसेज ऐसे हैं जो सरकार के पास कन्सीडरेशन में पैन्डिंग हैं। उनमें उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया है कि इन इन आधारों पर यह उचित नहीं है, कुछ केसेज को हमने एग्जामिन किया है, कुछ पैन्डिंग हैं । कुछ क्लेम्स में तथ्य होने के कारण उन्हें गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को रेफर किया है, क्योंकि मेजर मिनरल्स के मामलों में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की राय हम ले लेते हैं। तो कुछ लाख के केसेज इस

Page No 50

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रकार के भी हैं, जिनका होना स्वाभाविक है, क्योंकि डिस्प्यूट्स होते हैं उनके फैसले करने पडते हैं और वसूली स्थगित करनी पडती है। इसमें वह रकम भी शामिल है, जो रोजाना करेन्ट ड्यूज बढते जाते हैं, एक महीना निकलते ही करेन्ट ड्यूज भी ड्यू हो जाते हैं। वह भी रकम इसमें जुड जाती है। तो इसमें सारी रकम वो नहीं है जो वर्षों से बकाया हो। इसमें वह रकम भी शामिल है जो करेन्ट ड्यूज की रकम ड्यू होती है, विशेष परिस्थितियों की वजह से अनेक केसेज में इन्स्टालमेन्ट्स किये हैं। जो इन्स्टालमेन्ट्स चढ गये वे तो दे दिये गये पर जो इन्स्टालमेन्ट्स चढे नहीं हैं उनके लेने का तो अधिकार तभी होगा जब कि वे चढेंगे। फिर वह रकम ड्यू हो चुकी थी इस लिये उसको बताया है। तो इस तरह से २, ३ लाख के ऐसे केसेज भी हैं। यदि इनकासारा विश्लेषण करे तो कम से कम माननीय सदस्यों को विश्वास हो जायगा कि हम बकायात की वसूली करने में कम्प्लेसेन्ट नहीं हैं, हम सतर्क हैं और बराबर प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी वसूली हो जाय। पर जब डिस्प्यूट आ जाते हैं कारण आजाते हैं तो वसूली को स्थगित करना पडता है।

अब मैं माननीय सदस्यों का कुछ आइटम्स की ओर ध्यान दिलाऊं। मैं कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं करता। श्री आनन्दसिंह कछवाहा का, मोहम्मद एण्ड सन्स, देवीदयाल महता और किसी ने राजगढिया का और अन्य सदस्यों का नाम लेते हुए बताने की कोशिश की कि इनमें बहुत रुपया बाकी है और सरकार पोलिटिकल रीजन्स के आधार पर जल्दी वसूल करना नहीं चाहती ? यह सत्यता से परे है। किसी ने श्री आनन्दसिंह कछवाहा के लिये कहा मैं अर्ज करूं कि गोटन लाइम सिन्डीकेट का फैसला हो चुका है और आज उनमें कोई बकाया नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : (कोलायत) किसी ने नहीं, मैंने कहा। इनकी लिस्ट में ६४ हजार की ड्यूज बताई हैं। इसलिये यह रखा, हमको स्वप्न नहीं आ सकता कि वसूली कर ली है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि ६०-६१ की ड्यूज बाकी आ रही थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी तरह मोहम्मद एण्ड सन्स में ६९ हजार बकाया बताया आपको जो लिस्ट २८ फरवरी को दी थी उसमें ६९ हजार बताया, पर बाद में इससे वसूली कितनी की जाय, इस सम्बन्ध में विवाद था, उसका फैसला होकर जो वाजिब रकम बाकी थी वह वसूल करली गई है। अब इनमें भी कोई रकम बाकी नहीं है।

इसी तरह दूसरी पार्टीज के बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, पर यह अर्ज करदू कि जहां जेनुआइन चीज होती है, बोनाफाइड क्लेम्स होते हैं तभी वसूली स्थगित करते हैं, अन्यथा वसूली की कार्यवाही जारी रहती है।

इसके बावजूद भी वसूली में जो परिणाम आने चाहिये वह नहीं आये हैं, इसको मानने से मैं इन्कार नहीं करता। इसके लिये सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है। पहले पी. डी. आर. के तहत वसूली होती थी। उसमें समय लग जाना स्वाभाविक है। इसके बाद यह तरीका अपनाया गया कि लैण्ड रेवेन्यू की तरह वसूली की जाय इससे कुछ बेटर रिजल्ट्स गेन कर पाये हैं। पर कुछ ही दिन हुए इस चीज को किये, इसलिये इसके परिणाम देखने हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
और सक्रिय कदम उठाने के लिये सरकार ने ५ तहसीलदार और ५ नायब तहसीलदार अपोइन्ट किये हैं और विचार किया जा रहा है कि रिकवरी करने के, अटेचमेन्ट करनेकें और सेल के पॉवर्स इनको दे दें, जिससे यह रकम जल्दी वसूल हो जाय पर कल बहस हो रही थी कि असेसिंग ऑथोरिटी को यह पावर नहीं होने चाहिये, इस पर विचार करना पडेगा पर हम सोच रहे हैं कि इन्हीं को ये पॉवर्स दे दिये जांय, इसमें असेसिंग ऑथोरिटी का सवाल नहीं आता है। यदि सरकारने फैसला किया कि इनको अधिकार दे दिये जांय तो बकायात की वसूली में सुविधा हो जायगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of clarification, Sir!
जो वसूली की है उसके लिये तो धन्यवाद। मैं माईनिंग रूल्स १७ और २१ की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अर्ज करना चाहता हूं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने तीन, चार मुद्दे उठाये थे, उनका भी उत्तर देना है, आप फिर फरमा देना।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्यों नहीं नोटिस देते हैं, क्यों नहीं धमकी देते हैं लीजेज कैन्सिल करने की और क्यों नहीं लीजेज कैन्सिल करते हैं? यदि नियमों को देखें तो नियम इस प्रकार के बने हुए हैं नियमों में थर्टी डेज का और टू मन्थ्स का नोटिस का मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स के लिये प्रावधान है। नोटिस देते हैं, केवल नोटिस ही नहीं देते हमने १२० लीजेज अब तक कैन्सिल किये हैं, जिन्होंने समय पर रुपया अदा नहीं कया, ड्यूज को नहीं दिया, उनके लीजेज कैन्सिल किये हैं, उनकी संख्या १२० है १२० व्यक्तियों के लीजेज हमने कैन्सिल किये हैं और नोटिस दिया जाता है। बाकायदा। उसको धमकी कहिये या नियम के अन्तर्गत उसको रिक्वेस्ट कहिये।

दूसरा सवाल बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि ८ पार्टीज के नाम दिये, जिनको ड्यूज होते हुए भी लीज दी गई। साथ साथ आपका यह भी कहना था कि ऐसे केसेज ज्यादा हैं। जितने केसेज मेरी जानकारी में थे, जहां से मालूम हुए उन केसेज की सूची सदन में प्रस्तुत की। मेरी जानकारी के अनुसार ८ सेकेज हैं। उनके खिलाफ ड्यूज होते हुए भी उनको क्यों लीज दी गई, यह प्रश्न है। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के आदेश हैं, रूल्स हैं, कोई आइटम डिस्प्यूटेड हो, किसी आइटम की वैलिडिटी के बारे में कि यह ड्यूज है या नहीं, डिस्प्यूट हो, गवर्नमेन्ट उस डिस्प्यूट में वेट समझती हो, गवर्नमेन्ट उस डिस्प्यूट को वेटी समझे, उस आइटम को डिस्प्यूटेड समझ कर इग्नोर कर सकती है For the purposes of giving lease of licence और उस प्रावधान के तहत जो ८ केसेज बताये जाते हैं ७ को इस आशय की रिकमन्डेशन होने पर लीजेज या लाइसेन्सेज दिये गये।

एक केस मोहता का है। उस केस में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी। पहले सदन में यह प्रश्न उठा था तो नाम उस समय में बता चुका हूं। उसने यह होल्ड किया कि इस कम्पनी में लाखों का इन्वेस्टमेन्ट कर डाला है और इसकी फाइनेन्शियल पोजीशन खराब हो गई है, और श्री श्रीगोपाल मोहता की फाइनेन्शियल पोजीशन खराब होने से अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो गई। उनके

Page No 52

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
इन्वेस्टमेन्ट को देखते हुए उस एक्सपर्ट कमेटी ने यह राय दी थी कि उनको दे दिया जाय। इस प्रकार बड़े बड़े ऑफिसर्स ने रिकमन्ड किया है। ८ केसेज की यह कैफियत है और इन ८ केसेज में कोई कानून के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है और जो परिस्थितियां हैं वे आपके सम्मुख रखदी गई।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of explanation, Sir! आपने ८ की लिस्ट दी है। एक नाम मैं अभी बताता हूं, ड्यूज होते हुए भी दूसरी लीज दी गई। उसको आपने ८ केसेज में शामिल भी नहीं किया है। हनुमान चौधरी, जोधपुर की लिस्ट में है नं० ४२ पर, रिकवरीज दिखाई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य, यह भूलभुलैया है जिसको फोलो नहीं कर पाये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं समझ नहीं पाया हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं प्रमाणित करता हूं। जिस तारीख को लीज ग्रान्ट की जाती है उस तारीख को ड्यूज थे या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। लीज ग्रान्ट कर देने के बाद ड्यूज हो, यह कोई बात नहीं जिस केस को आप रेफर कर रहे हैं जिस तारीख को लीज दी गई उस तारीख को कोई ड्यूज बाकी नहीं होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न बडा महत्वपूर्ण है....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : Order please!

माननीय सदस्य, इस पर काफी बहस हो चुकी है। आधे घंटे से अधिक भी हो गया है। आगे को कार्यवाही की व्यवस्था होनी है। इसको यहीं पर समाप्त करते हुए वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे बहस का उत्तर दें

(१२.५३ म. पू.)

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३,
(अग्रेतर विचार एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कल की चार, पांच घंटे बहस के बाद यह जाहिर हुआ कि जो मुद्दे जनरल डिस्कशन के वक्त उठाये गये थे करीब करीब वे ही मुद्दे फाइनेन्स बिल के डिस्कशन के वक्त भी सामने आये। मुझे अफसोस से यह कहना पडता है कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे, खास कर टैक्सेशन के सम्बन्ध में और गवर्नमेन्ट ने उन पर जो विचार किया और विचार करके कुछ उनमें जो संशोधन पेश किये उसके माननीय ऑपोजिशन के लीडर ने जो माने निकाले मुझे अफसोस से कहना पड रहा है कि वह गैर-मुनासिब बात थी। उन्होंने यह समझा कि सरकार ने जो तरमीम पेश की जो संशोधन किये, उसमें सरकार ने अपनी मोरल डिफीट को तस्लीम किया है। उनको चाहिये था कि वे यह कहते कि उन्होंने प्रजातन्त्रवाद को आज बडा बुलन्द किया।

अगर कुछ माननीय सदस्य सुझाव रखते हैं सरकार के आगे और सरकार उनको सोच

(श्री बालकृष्ण कौल)

कर उन पर पुनः विचार करके उनके सुझावों का आदर करती है उसके माने यह नहीं कि सरकार घबरा गयी या डर गयी या उसकी मोरल डिफीट हो गई। मैं तो समझता हूं कि सरकार की उसमें जीत है कि सरकार ने सदन की बातों का आदर किया। एक माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर में यहां तक कह दिया कि यह जो उन्होंने विचार किया गवर्नमेन्ट ने उससे वह जाहिर होता है कि गवर्नमेन्ट इन्कॉम्पिटेन्ट है इन फिशियेन्ट है। खैर। यह कह देना बडा आसान है इस प्रजातन्त्र में····

एक माननीय सदस्य : करना बडा कठिन है।

श्री **बालकृष्ण कौल** : अगर कुछ सुझाव सरकार अपनी तरफ से रखती है जो उसके सामने सामग्री होती है उसके बिना पर वह सुझाव रखती है और अगर कोई आर्बिट्रेरी रूल होता कोई डिक्टेटोरियल गवर्नमेन्ट होती तो उसी पर अडी रहती कि उसने जो फैसला किया है वही एक फैसला है । तो इतने बडे हाउस में सरकार जिस वक्त अपने सुझाव रखती है यह मान कर रखती है कि उन पर सुझाव आये, सरकार को मौका मिले, इतने बडे सुझावों पर सोचे कि उस पृष्ठ भूमि में सुझाव कहां तक ठीक हैं इसके माने यह नहीं कि सरकार में इनइफिशेन्सी है या इन्कॉम्पिटेन्सी है। उन सब चीजों का ख्याल रखते हुए, श्रीमान्, मुझे दुख हुआ कि ऐसे नेता जो ओपोजिशन के महान नेता हैं उन्होंने ऐसी बातें सदन में कही।

दीगर टैक्सेशन के बाबत जो बातें माननीय सदस्यों ने रखी उनका जवाब कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं।

कुछ चन्द माननीय सदस्यों को यह भी शंका हुई कि जो इस वक्त आय और व्यय में खाई है, एक गैप है वह कहीं सरकार तिरछी टेडी तरीके से उसको कहीं लगाने दे, उसको पूरा न करदे। मैं माननीय सदस्यों से इतना अर्ज करदूं, श्रीमान्, कि कोई भी टैक्सेशन ऐसा नहीं हो सकता जो रायज कर दिया जाय जब तककि वह टैक्सेशन बिल इस सदन में प्रस्तुत होकर आप माननीय सदस्यों से पास न करा लिया जाय और जो भी कभी नोटिफिकेशन से मसले सामने आये हैं वे वी ही हो सकते हैं जो इस सदन में लेजिस्लेचर के जरिये पास दिये हैं और सरकार को इस बात के अख्तियार दिये होते हैं कि चार के बजायपांच कर ले, पांच के बजाय छः करले, इस तरह के अधिकार सदन ने दिये हैं। कोई फ्रेश टैक्सेशन नहीं लगाया जो सदन ने पास नहीं किया हो। यह आपको अधिकार हैं, सदन को अधिकार है; जिस तरीके से चाहें पास करें और पास करके सदन को अख्तियार दें सरकार को अधिकार है कि जिस तरीके से चाहे नाफिज करे।

(१.०० म० प०)

श्रीमान्, मैं जिक्र कर रहा था, कुछ माननीय सदस्यों को अन्देशा है कि यह जो खाई आय-व्ययक में है वह किस प्रकार से पूरी होगी। यह तो मैंने साफ जाहिर कर दिया है कोई भी चीज जो टैक्स के रूप में आयगी उस वक्त तक रायज नहीं हो सकती जब तक कि यह सदन पास न करदे। हमारे सामने एक सवाल है चूंकि आज मैं इस स्थिति में नहीं कि उसका जवाब दे सकूं और वह यह है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के स्माल सेविंग के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का

(श्री बालकृष्ण कौल)
क्या हिस्सा होगा, मैं आज बता नहीं सकता। इसलिये आज यह कहना कि यह डैफिसिट बजट कैसे पूरा किया जाय आज इस स्थिति में नहीं हूं। आपको यह अन्देशा है कि किस तरीके से आपकी गवर्नमेन्ट कहां टैक्स लगा देगी, यह गैर मुनासिब है। आप यह अन्देशा न रक्खें।

श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू सालों साल गिरती जा रही है और टैक्स रेवेन्यू बढती जा रही है। मैं कह नहीं सकता कि ये आंकड़े कहां से लाये। जो किताब बजट स्टेडी की सर्कुलेट की गई थी उस किताव में जो आंकड़े दिये हुए हैं उनकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:—

१९५१-५२ नॉन टैक्स रेवेन्यू ४,४२.३७ लाख थी

१९६३-६४ नॉन टैक्स रेवेन्यू २,६५४.६८ लाख है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप परसेन्टेज निकाल कर बतलाइये।

श्री बालकृष्ण कौल : टैक्स रेवेन्यू।

१९५१-५२	१,१६३.६९ लाख
१९६३-६४	३,६६१.२२ लाख

अगर आप नॉन टैक्स रेवेन्यू की तरफ देखें तो इन्डेक्स १०० से ६०० हो गया टैक्स रेवेन्यू आपको मालूम होजाय उसमें सेन्ट्रल टैक्सेज निकाल दें तो स्टेट टैक्स रेवेन्यू २५४०.७२ और २६६१.४८। ये आंकड़े किताब में दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : परसेन्टेज बतलाइये मिसलीड करने की कोशिश न करें। You are giving a wrong figures to revert our arguments.

श्री अध्यक्ष : He is stressing certain facts.

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने इन्डैक्स बता दिया ५१-५२ में जहां १०० था वहां ६३-६४ में ६०० हो गया, सिक्स टाइम्स बढा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चार्ज यह था कि परसेन्टेज गिरा है इसका स्पष्टीकरण करदें।

श्री बालकृष्ण कौल : नॉन टैक्स रेवेन्यू बढी है और टैक्स रेवेन्यू घटी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६०-६१ में परसेन्टेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ५०.२ था और अब ४१.४ हो गया है क्या यह बात सही है?

श्री अध्यक्ष : किताब में है वह सही है। आप अपने ढंग से बोलते जाइये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर रहा था नॉन टैक्स रेवेन्यू बढा है, उसके मुकाबले टैक्स रेवेन्यू कम है।

श्रीमान् अफसोस की बात यह है कि··

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : तो फिर खुशी की बात क्या है?

श्री बालकृष्ण कौल : आप साहवान यहां आये हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय से बजट प्रोपोजल्स पेश हुए उसी वक्त से माननीय सदस्यों का रवैया बजट के खिलाफ था, टैक्सेज के खिलाफ था और वे चाहते थे कि बजट में जो योजनायें हैं वे योजनायें चालू

(श्री बालकृष्ण कौल)
रहें किन्तु किसी तरह से रुपया टैक्स के जरिये वसूल नहीं हो।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : टैक्स उन पर लगाइये जो टैक्स दे सकते हैं····

श्री बालकृष्ण कौल : आपको इतना उतावला नहीं होना चाहिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपसे बुजुर्ग आदमी हैं इनकी भी सुनिये।

श्री बालकृष्ण कौल : लेकिन जिधर चले गये उसका असर है। मेरे भी साथ रहे हैं, लेकिन जिसके अन्दर रह रहे हैं उसका मुलम्मा चढ गया है, उसी का असर बोल रहा है।

यह कितनी एनोमोली है कि योजनायें सब चालू रहें, किन्तु टैक्स न लगे। आमदनी स्टेट की स्ट्राइक हो जाय, बढे नहीं और काम सब चलता रहे। यह प्रजातन्त्री शासन में तो संभव नहीं, कॉम्युनिज्म में इस प्रकार हो सकता है....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि और अच्छा चलेगा?

श्री बालकृष्ण कौल : यह कितनी बडी भारी एनोमोली है। एक माननीय सदस्य यह भी कह गये कि आप कर्जा लेते जाइये और कर्जा ले लेकर अपना काम चलाइये, सडकें बनाइये, बन्ध बनवाइये कर्ज ले लेकर के बनाइये। मैं नहीं समझता क्या वे उस समय सीरियस थे, जिस वक्त यह तजवीज पेश की। मैं उनसे इत्तफाक रखता हूं कि कर्जा लेना चाहिये काफी कर्जा हम लेते हैं। उस कर्जे का सात करोड रुपया सालाना इन्टरेस्ट हम देते हैं। आखिर वह इन्टरेस्ट कहां से आयेगा, आखिर वह भी तो टैक्स लगाकर वसूल होता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप अपने एक्सपेन्डीचर को कम करें।

श्री बालकृष्ण कौल : यहां तीन प्रकार के स्लोगन्स खास तौर से सामने आते हैं। एक तो एरियर्स की रिकवरी की जाय··

श्री मानिकचन्द सुराणा : कुल कर्जा आपका कितना है जिस पर आप सात करोड ब्याज का दे रहे हैं?

श्री बालकृष्ण कौल : हम जहां कर्जे की बातें करते हैं वहां हमें भुगतान की भी व्यवस्था करनी पडती है। कर्जे के भुगतान का भी ख्याल है।

श्री रामकिशन (वैर) : भुगतान के तो आप आदी नहीं हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : भुगतान नहीं करेंगे तो हमको कर्जा कौन देगा?

भुगतान करने के लिये सूद भी है, इन्स्टालमेन्ट भी है सभी हैं और फिर यह कोई चाहे कि उसकी पूर्ति करने के लिये टैक्स न लगे तो शायद प्रजातन्त्र में तो यह बात नहीं हो सकती। शायद दूसरा कोई राज्य हो जिसकी ये (कम्यूनिस्ट ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए) कल्पना कर रहे हैं उस वक्त होगी तो देखा जायगा।

यह आम तौर पर कहा जाता है कि यह ११ करोड़ की रिक्वरी क्यों नहीं कर लेते। कहने के लिए बात तो बहुत ठीक है। यह रिक्वरी हो जावे तो एक साल तो काम

Page No 56

(श्री बालकृष्ण कौल)

चल जावे। लेकिन मैं अर्ज करूं कि जहां आमद होती है तो वहां रिक्वरी भी थोड़ी होती है, कुछ रहता है, कुछ आता है। जहां रियेलाइ-जेशन होता है जहां व्यापार होता है, वहां हर चीज १६ आने वसूल नहीं होती। उसकी माली हालत भी देखनी पड़ती है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): पर यह घाटे की दुकान कब तक चलेगी?

श्री मानिकचन्द सुराणा: यह सब कहकर क्या आप रिक्वरी की सरकारी ढिलाई को डिफेन्ड करना चाहते हैं?

श्री बालकृष्ण कौल: जहां से चीजें आती हैं आमदनी आती है, उसकी रिक्वरी में कितनी दिक्कतें होती हैं यह जानने वाला ही अन्दाज लगा सकता है और यहां खड़े होकर यह कह देना कि सब रिक्वरी एक बार हो जानी चाहिये, तो मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि उन माननीय सदस्यों को प्रेक्टिकल होना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह गलत कह रहे हैं आप। यह किसी की माली हालत देखकर आपने नहीं रोक रखी है रिक्वरी, नहीं तो क्या आपने यह रिक्वरी राजाओं की माली हालत देखकर रोक रखी है, बड़े बड़े सेठ साहूकारों की माली हालत देखकर रोक रखी है? यह साफ क्यों नहीं कहते कि आपने पॉलिटिकल कन्सीडरेशन्स से रोक रखी है, इस कन्सीडरेशन से आप रिक्वरी नहीं करना चाहते।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं कहूंगा कि आप अपनी आंखों पर से चश्मा उतारें और असलियत और हकीकत का चश्मा लगाकर देखें कि असलियत क्या है, कौन कॉन्टिटलिस्टों के पीछे जाता है और कौन नहीं जाता। अभी एक ही दिन हुआ आप मेरे पास आये थे और व्यापारियों का डेपूटेशन लेकर थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कोई छिपी बात करने नहीं आया था। इस हाउस में भी मैंने कहा है उस कन्सेशन के लिये और सभी जगह मैंने खुले शब्दों में कहा है। मैं आपके पास डेपूटेशन द्वारा कोई शराब का ठेका लेना नहीं आया। आपसे जब तक आप इस कुर्सी पर हैं या ऐक्स-वाई-जेड़ कोई है तब तक आपसे मैं कोई ऐसी रियायत लेने नहीं आऊंगा। आप बता दें मैं कौनसी नाजायज बात ले करके आया था आपके पास?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप गये थे, पहले तो यह साफ हो जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: किस बात के लिये गया था यह मालूम होना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल: आप आये थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) सेठ तो सेठों की पैरवी करेंगे।

श्री हरिराम चौहान: बकाया वसूली उनसे मत करो यह कहने को गये थे क्या?

श्री रामानन्द अग्रवाल: किसी की बकाया वसूली रूकवाने के लिये गया था तो बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल: दूसरा सवाल जो आम तौर पर कहा जाता है कि सरकार अपने खर्चे में कमी करे। खैर, कमी इन्सान जसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कभी किसी की दवाई नहीं होती है बीमारी की तो वह टोना टपका

(श्री बालकृष्ण कौल)
करवाने जाता हूँ। डॉक्टरों को छोड़कर भोपों के पास जाता है और उस वक्त इसी किस्म की दलील पेश करता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि···

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: भोपे किन किन को समझते हैं आप?

श्री बालकृष्ण कौल: मैं अर्ज कर रहा था

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) आप लोग पहले नम्बर के हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: ये खूब बोले भोपे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): आप राडाजी के भोपे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: अगर आप डेमोक्रेसी रखना चाहते हैं उसके अनुसार चलना चाहते हैं तो उसका एक पैटन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लोगों को भ्रष्टाचार की मयाद भी देनी पड़ती है।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर आप यह चाहें कि करोड़ों का एक्सपेन्डीचर एक दिन में खत्म हो जावे तो यह नामुमकिन है।

अगर आप यह समझते हैं वाकई यह एक्सपेन्डीचर···

श्री भैरोंसिंह: डेढ दो साल में २॥ करोड़ रुपया हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : अहो कितना सुन्दर विचार है।

श्री बालकृष्ण कौल: अगर आप समझते हैं वाकई कि यह एक्सपेन्डीचर एडमिनिस्ट्रेशन का एक दिन में खत्म हो सकता है तो आप भूल जाइये इस डेमोक्रेसी को आप अंदाज कीजिये···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भूल गये। हुजूर की आत्मा बोल रही है।

श्री बालकृष्ण कौल : जिस दिन यह डेमोक्रेसी नहीं रहेगी एक दिन में सारा एक्सपेन्डीचर खत्म करने वाले होंगे तो उस दिन न यह सदन रहेगा, न आप रहेंगे, न मैं रहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, यह आपके है ब्राह्मण महाशय का। इस तो वापिस लिवा दीजिये नहीं तो आप पर ही चोट पहुंचेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह अहम मसला है। यह संविधान की सरासर उपेक्षा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह जो भाषा का प्रयोग किया गया है सम्माननीय मन्त्री महोदय द्वारा जिससे कि सदन में इस तरह का एलान किया जाता है वह इस सदन की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है और ये खुद अपनी आत्म हत्या का ऐलान करते हैं।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू): इनके और उनके बीच क्या कोई झगड़ा है?

श्री अध्यक्ष: दोस्ती है, झगड़ा नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं निवेदन कर रहा था कि कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि जिससे टैक्सेशन कुछ पूंजीपतियों पर पड़ सकता है और यह सरकार क्योंकि पूंजीपतियों की मदद पर है, इसलिये ये

(श्री बालकृष्ण कौल)

टैक्स नहीं लगाती। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज कर दूं कि जैसा मैंने पहले कहा था कि आप उसकी जो लीगेलिटी है, कानूनी हैसियत है अगर आप उसको समझ लें तो आप शायद यह न कहें।

सवाल यह है कि जितने यहां प्लॉट्स हैं प्रोपर्टीज़ हैं, जिनकी वेल्यू बहुत बढ़ गई बहुत से कारणों से उनके ऊपर क्यों नहीं टैक्स लगाया जाता? ख्याल तो बहुत अच्छा है पर इस ख्याल को सरकार ने भी सोचा, लॉ डिपार्टमेन्ट से एग्ज़ामिन कराया और फिर इस नतीजे पर आई कि यह एक ऐसा मसला है कि इस पर टैक्स लगाना सरकार के अधिकार में नहीं है केपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगा सकती। इसलिये श्रीमान्,......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने हायर स्टाम्प ड्यूटी कर दी फिर केपिटल गेन्स पर टैक्स क्यों नहीं लगा सकते, दोनों आपकी पर्व्यू में हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं सूचना देना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जिस रूप में लॉ डिपार्टमेन्ट से पूछा जाता है उसके बजाय यह पूछा जावे कि जैसा दूसरे प्रोविन्सेज में है वैसा यहां क्यों नहीं हो सकता। पर उसे जब पूछा जाता है तो कुछ उसके अन्दर लेकुना रख कर पूछा जाता है। इसकी वजह से लॉ विभाग की राय कुछ और रहती है मैंने सदन में पहले कहा है कि केरल, यू.पी. और पंजाब में इस तरह के टैक्स हैं जो कार्मशियल जगह हैं उन पर पांच परसेन्ट और दूसरी पर २ परसेन्ट। तो इसी तरह के टैक्स आप यहां लगा सकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: अगर माननीय सदस्य मेरी बात पूरी सुन लेते तो यह कहने का उनको मौका नहीं मिलता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आपने भी मैसूर की एक किताब पेश की थी।

श्री बालकृष्ण कौल: एप्रिशिएटेड वेल्यूज़ का सवाल है। सवाल एक ही है। उनकी जो रेन्टल वेल्यू है, जो रेंट आता है उसके ऊपर सरकार टैक्स कर सकती है। इतना मैं अर्ज कर दूं कि यह टैक्स म्यूनिसि-पैलिटियां लगा रही हैं और म्युनिसिपैलिटियों ने कइयों पर लगा दिया है। जहां नहीं है वहां लगाया जा रहा है। अब यह प्रश्न उठा कि जो नगरपालिकाएं यह काम कर रही हैं उनको रोक दिया जावे और सरकार खुद नये सिरे से असेस करे और उसके लिये काम शुरू करे। इसके लिये सरकार ने फिलहाल मुनासिब यह समझा है कि पहले जो लगता है वह सब जगह लग जावे म्यूनिसिपेलिटियों द्वारा इसके बाद सोचा जावेगा कि किस तरह से एक दो परसेन्ट सेस भी लगा सकते हैं तो लगाई जावे। वह भी रेन्ट पर सेस लगाना चाहे तो लगा सकती है। वेल्यूज़ पर नहीं लगा सकती।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हायर स्टाम्प ड्यूटी किन्हीं ट्रान्जेक्शन और ट्रान्सफर पर सन् ६२ के बाद आज हो रही है। उन पर एक और एक्सटेन्शन लगा सकते हैं तो इसमें लगाते डिफिकल्टी है क्या आपको?

श्री बालकृष्ण कौल: आपने देखा होगा कि हमने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई है। कन्विएन्स पर सरचार्ज लगाया है और हम यह देखना चाहते हैं कि इन सरचार्जों से और ड्यूटी

(श्री बालकृष्ण कौल)
बढाने से कितना इवेजन होता है, कितना नुक्सान होता है, क्योंकि इसमें कुछ खामियां भी हैं। इसलिये हम एक बार ही इतना बढ़ा दें कि जिससे हमने जो अन्दाज लगाया है वह भी नहीं आसके तो हमारे बजट के असेसमेंन्ट में नुकसान हो सकता है, इसलिये वह नुक्सान न हो इसलिये हमने जो बढ़ाया है ५० परसेन्ट उसका परिणाम हम पहले देखना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह तो खतरनाक एक्सपेरीमेंन्ट कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: बड़ों पर एक्सपेरीमेन्ट कर रहे हैं, छोटों पर तो बढा दिया।

श्री बालकृष्ण कौल: श्रीमान्, कुछ सुझाव भी पेश हुए। उन सुझावों के संबंध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव रखा कि जितने सेल्स टैक्स के नोटीफिकेशन्स हैं, अमेन्डमेन्ट्स हैं इनको कोडीफाई कर दिया जाये। मैं श्रीमान्, सदन को यह उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि यह चीज कोडीफाई करने के लिये जैसा कि उन्होंने अपना ख्याल जाहिर किया है वैसा किया जायगा।

दूसरा एक सुझाव था कि रॉयल्टी एक जगह कुछ ली जाती है और दूसरी जगह कुछ, एक जगह मेजरमेन्ट के ऊपर ली जाती है और दूसरी जगह वेट पर ली जाती है। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि सदन को कुछ आश्वासन दूं। फिर भी इसको एग्जामिन करवा कर जो भी इसमें खामियां हैं उनको पूरा किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने कुछ सर्विसेज का जिक्र किया जो कि डेपुटेशन पर स्टेट सर्विसेज में हैं। जो उन्होंने मिसाल दी, आज मैं नहीं कह सकता कि वह मिसाल कहां तक दुरुस्त है, लेकिन उस मसले को एग्जामिन करके जो उसमें असलियत होगी वह मालूम करके कभी मौका मिला या जिन्होंने यह सवाल रखा है उनको बता दूंगा। इसी तरह से कुछ और मसले थे, इन्जीनीयर्स के थे और इसी किस्म की कुछ बात थीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): बकाया के संबंध में थी।

श्री बालकृष्ण कौल: एक माननीय सदस्य ने कुछ मोटर एरियर्स के बारे में बताया। मैं इतना ही इस पर कह सकता हूं कि उन्होंने जो पोइन्ट्स दिये हैं, जो बातें बताई हैं उनको एग्जामिन करके देखा जायेगा कि वाकई में सरकार को नुकसान होता है तो पूरा किया जायेगा। एक माननीय सदस्य ने श्रीमान, यह कहा कि एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए टैक्सेशन की। मैं शायद गलत नहीं होऊंगा अगर मैं यह निवेदन करूं कि यह ऑलरेडी है और एग्जिस्ट करती है और इसमें अगर कोई रद्दोबदल की जरूरत है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह कमेटी स्टेट लेवल पर है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर?

श्री बालकृष्ण कौल: स्टेट लेवल पर है श्रीमान् एक माननीय सदस्य ने मिस्टर धारीवाल का किस्सा उठाया था।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): एक बोतल वाला भी उठाया था।

श्री बालकृष्ण कौल: जरा थोड़ा बरदाश्त करें।

(श्री बालकृष्ण कौल)

मैं अर्ज कर दूं कि शायद उनको व्यक्तिगत पूरी वाकफियत नहीं है कि जिसके कारण उन्होंने यह चीज सामने रख दी; अगर उनको पूरे फैक्ट्स मालूम होते तो मुझे यकीन है कि यह सवाल सामने नहीं आता। मैं उनको इत्तिलाना अर्ज कर दूं कि वह धारीवाल साहब एक ट्रेजरी ऑफिसर से रिटायर्ड हैं। उनके साथ एक मुआहदा हुआ इस सेविंग के सम्बन्ध में। उनके आने से स्टेट के पास प्रोविडेण्ट फन्ड का ६० लाख रुपये का कलेक्शन आया करता था। तो वे शायद यह चाहते थे कि उनके जरिये बड़े बड़े पूंजीपतियों को प्रोविडेण्ट फण्ड लाजमी जमा कराना पड़ता है वह स्टेट के खाते में जमा करायें। उनके साथ यह मुआहदा हुआ था कि ६० लाख तक उनका कोई क्लेम नहीं था। ६० लाख से जब ऊपर करेंगे तो उनको ६ आना परसेन्ट दिया जायेगा और जब ज्यादा का हो जायेगा तब भी उनकी मेहनत को देखते हुए ६० लाख पर भी ३ आना दिया जायेगा। लेकिन ३ आने का था वह तभी था जब कि ६० लाख के ऊपर का डिपोजिट ले आयेंगे। तो यह उनके साथ एक एग्रीमेंट था। पिछली साल ६० लाख से ज्यादा का नहीं हुआ इसलिए उनको छुट्टी दे दी गयी। लेकिन मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कुछ बातें ऐसी कहीं कि १। परसेन्ट के उपरान्त यह ३ आना और ६ आना से उनसे हमें कोई सस्ता काम मिलता है। बहस के वक्त ऐसा मालूम होता था कि माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि जहां १। परसेन्ट हमको खर्च करना था वहां बड़ा सस्ता काम ३ आना और ६ आना पर से लिया। यह नहीं है यह प्रोविडेन्ट फण्ड से ताल्लुक रखता है। स्माल सेविंग में अब भी १। परसेन्ट खर्च होता है। अगर माननीय सदस्य उनको इस बात के लिए तैयार करें और स्माल सेविंग में काम करना चाहते हैं तो १। परसेन्ट के उनके लिए अब भी हाजिरी है। तो जब सरकार को नुकसान हुआ उसको रखने से तो उनको रखना मुनासिब नहीं समझा कि ३ आना जो हमारी खुद की कमाई थी उनको देते जायें। जब उनसे क्लीयर एग्रीमेन्ट था कि ६० लाख ऊपर काम करेंगे तब हम उनको ६ आना परसेन्ट देंगे और उस समय उन्होंने उसको मान लिया कि इसमें भी दे देंगे। लेकिन जब उनका ६० लाख का आंकड़ा नहीं गया तो हमने ऐसा कर दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): Point of clarification

श्री बालकृष्ण कौल: वह बाद में ले लेना।

श्री मानिकचन्द सुराणा: आप यह नहीं कह सकते। केवल अध्यक्ष महोदय ही इस प्रकार से कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय अपने ढंग से उत्तर दे रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार केवल आप कह सकते हैं कि बाद में ले लेना। आप इस प्रकार से नहीं कह सकते। मंत्री महोदय कोई अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। उनको अध्यक्ष की पॉवर्स एज्यूम नहीं करनी चाहिए।

श्री बालकृष्ण कौल: अच्छा, आपकी बात मान लेता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: अच्छा, अच्छा भी यह अध्यक्ष महोदय की मारफत कहें।

श्री बालकृष्ण कौल: श्रीमान अब जितनी बातें आगे कहना चाहता हूं और संजीदगी

Page No 61

(श्री बालकृष्ण कौल)
से कहना चाहता हूं वह उनकी मारफत कहूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: वे सभी उनकी मारफत आयगी।

श्री बालकृष्ण कौल: कुछ माननीय सदस्यों ने छीपों का जिक्र किया था। मैं उनसे इतना अर्ज कर दूं कि अगर छीपे अपने आपको रजिस्टर्ड डीलर करा लें तो उनको १ परसेन्ट ही देना पड़ेगा। चूंकि हमने इन्डस्ट्रीज में टैक्स सिर्फ १ परसेन्ट ही रखा है इसलिए उसमें आ जायेंगे और बच जायेंगे

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): उनकी रजिस्ट्रेशन फी क्या होगी?

श्री बालकृष्ण कौल: १० रुपये।

श्रीमान्, बावजूद इसके कि जनरल डिसकशन के वक्त अनाज के ऊपर काफी बहस हो गयी थी लेकिन देखने में यह आया कि यहां फिर उसी चीज को शुरु किया गया।

और यहां तक कहा गया हमारे अपोजीशन के महान् नेता की तरफ से कि हम लोगों· ·

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): 'महान नेता' कौन होता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: On a point of information, Sir, 'महान् नेता' बताया जाय, कौन हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल: हमारे सामने कैफियत का नजारा सामने रखा जब कर कि शायद माननीय सदस्य सदनमें यह समझने लगे हों कि शायद राजस्थान में कोई ऐसा टैक्स आ रहा है ज बहुत ही ज्यादती का टैक्स है· · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इसमें क्या शक है ?

श्री बालकृष्ण कौल: मैं श्रीमान, इतना अर्ज कर दूं कि यहां तो पहली दफा यह टैक्स लगाने जा रहे हैं किन्तु पंजाब में, यू. पी. में, मध्यप्रदेश में, आन्ध्र में पहले से यह टैक्स है· · · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल: किन किन चीजों पर कितना कितना ?

श्री बालकृष्ण कौल: कहीं १.५ परसेन्ट लास्ट पोइन्ट पर, कहीं १ परसेन्ट मल्टी पोइन्ट पर–इस तरह का टैक्स है। मैं आपको सोरियल्स के बारे में बता रहा हूं। इसलिये यह कहना कि सिर्फ राजस्थान में ही सब कुछ कर रहे हैं यह थोड़ा अन्याय होगा राजस्थान के साथ· · · ·

श्री हरिराम चौहान: बाकी प्रांतों में है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल: आप तो अपने प्रान्त का ही सोच लीजिये। यह टैक्स सब पर है। हर गरीब अमीर पर पडता है। तो इसका क्या इम्पेक्ट है, यह मैं अर्ज करना चाहता हूं। यदि कोई गेहूं खाने वाला है· ·

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सब लगाते है, म्युनिसिपेलिटीज लगाती हैं, आप भी लगाते हैं तो भाव बढेगा उसको रोकना है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल: ज्यादा से ज्यादा फर्क पडता है २० नये पैसे गेहूं खाने वालों पर महीने में· · · ·

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : गेहूं खाने वालों पर २० नये पैसे टेक्स पडता है।

श्री रामकिशन (वैर) : एक व्यक्ति पर २० नये पैसे तो एक परिवार पर १) ६० माहवार पडता है।

श्री बालकृष्ण कौल : जी हां, गेहूं खाने वालों पर इस तरह से पडता है और ज्वांर और बाजरा खानेवालों पर १४ नये पैसे पडता है। लेकिन इस तरह से सामने रखा जाता है कि शायद कोई बडी भारी चीज हो और बडा भारी अन्याय हुआ है···

श्री हरिराम चौहान : सवाल पैसे का नहीं है, यह टैक्स ऐसा है जिससे सरकार को शर्म आनी चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान, सरकार को शर्म आनी चाहिये। मान लिया जाय फिर भी माननीय सदस्यों को इतना तो हथियार दे रहे हैं कि इस सवाल को लेकर लोगों के सामने जाकर कहें कि सरकार अत्याचार कर रही है, टैक्स लगा रही है तो शायद अब की बार ४ के बजाय ८ आ जायें। इस टैक्स के जरिये आपको इतना बडा हथियार दिया जा रहा है इससे बढ कर क्या होगा। आप आइये और सरकार बनाइये। इसका इफैक्ट आम लोगों पर ज्यादा नहीं आयेगा इसलिये सदन में जो चाहें कह दें, अखबारों में जिक्र आ जाय, उनकी भावनाओं में··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप के बचे हुए नकली हथियार को लेकर हम नहीं आना चाहते हैं···

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय सूचना का प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष : या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वित्त मंत्रीजी ने जो चेलेन्ज यहां बैठे हुए भाइयों को दिया हम उसको स्वीकार करते हैं। सरकार में कुछ अगर है तो अनाज पर टैक्स लगाने के मामले को लेकर फिर चुनाव कराये और फिर ८८ में से ८ रह जायें तो हम चाहें जो करने को तैयार हैं। इस रूप में सबसे पहले हम त्याग-पत्र देने को तैयार हैं, बाद में ये दें। उन्होंने चुनौती दी है इस प्रकार की, हम उसको हर तरह से स्वीकार करने को तैयार हैं। यह टैक्स जनमत के खिलाफ है, जनहित के खिलाफ है, स्वीकार करने लायक नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : सदन में चुनौती देना मेरा काम नहीं रहा है। चुनौती लफ्ज इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं कि हर तरफ एक सेन्टेन्स में चार दफा चैलेन्ज देते हैं। उनकी पार्टी में शायद सिखाया ही यह जाता है कि खडे होकर चुनौती दें। लेकिन मैं इस तरह से चुनौती नहीं देता हूं। अभी तक चुनाव में ४ साल बाकी हैं, उस समय क्या होगा, क्या नहीं····

श्री हरिराम चौहान : आप नहीं आयेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चुनाव में आपकी चिता बन जायगी।

श्री बालकृष्ण कौल : यदि राजस्थान की सेवा करने में, राजस्थान की आर्थिक अवस्था को ठीक करने में मैं नहीं आऊंगा तो कोई हर्ज नहीं····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, यदि मैं गलत नहीं हूं तो शायद यह कहा कि आपकी चिता बन जायगी····

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजनैतिक चिता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी भावना यह थी कि राजनैतिक चिता बनेगी, वर्ना मेरी हार्दिक भावना यह है कि आप स्वास्थ्य लाभ करें और मैं कामना करता हूं कि आप सौ वर्ष तक जियें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : राजनैतिक चिता बनाने वाले ये कौन होते हैं, हम नहीं बना सकते क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : यदि राजस्थान को बनाने में मुझे अपनी कुर्बानी करनी पड़े तो मुझे खुशी होगी, डर नहीं लगेगा। मैंने अपनी जिन्दगी के ४२ साल तक जनता की सेवा की है और आखिरी श्वास तक सेवा की जाय तो चिन्ता नहीं, खुशी होगी। मेरी आखिरी उम्र भी इसमें जावे तो मुझे खुशी गी।

मैं एक चीज अर्ज कर रहा था, पेश्तर इसके कि बैठूं, दो चीजें कल यहां पर उठाई गई। शान्ति से सुनियें। और जो जयपुर से आये हुए माननीय सदस्य जनसंघ के नेता ने ध्यान दिलाया और मुझसे कुछ उन्होंने चाहा कि मैं सदन के आगे कहूं। मैं नहीं चाहता था श्रीमान, कि मैं ऐसी चीज को सदन के सामने कहूं का ज्यादा संबंध मेरी पार्टी से है—उसको यहां रखूं। लेकिन जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है जिससे ऐसा वातावरण बने, उस वातावरण का असर हर पेपर छपे बड़ी बड़ी खों से····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I object to reference to papers.

श्री बालकृष्ण कौल : यह जरूरी हो जाता है कि मैं कम से कम उसके बारे में अपना एक्सप्लेनेशन देऊं। श्रीमान, नसीराबाद से आये हुए माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे सामने रखे सदन में और यह पहली दफा ही नहीं है इससे पहले भी दो तीन दफा ये मुद्दे आ चुके हैं। मैं समझता हूं जब ये मुद्दे पहले आ चुके हैं और बार बार फिर रखने पर यह व्यवस्था होनी चाहिये थी कि चेयर से रोक दिये जाते····

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of information, sir,

पहले एक बार आये थे।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री बालकृष्ण कौल : लेकिन वे मुद्दे फिर आयें और यह मेरी बदकिस्मती थी कि कल यहां हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं थे और यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां होते तो यह उनका फर्ज हो जाता कि उसका क्या जवाब दें। लेकिन आज मैं समझता हूं, मैं अपने अधिकार में हूं उसका जवाब दूं।

श्रीमान, दो मुद्दे उठाये उन्होंने। एक तो उन्होंने यह उठाया कि एक अतिरिक्त कमिश्नर, सीकर के बारे में यह कहा कि वित्त मंत्री ने उसका रात में टेलीफोन करके ट्रान्सफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया, इसलिये कि वह एक पार्टी का एसेसमेन्ट कर रहा था और कुछ वित्त मंत्री पर असर ऐसा पड़ा कि उस एसेसमेन्ट को रोकने के खातिर रात को उसका ट्रांसफर टेलीफोन से कर दिया। श्रीमान, इस संबंध में इतना ही कहना

श्री बालकृष्ण कौल)
है कि ट्रांसफर किसी आफिसर का करने का अधिकार वित्त मंत्री के हाथ में नहीं है, मुख्य मंत्री के हाथ में है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है।

दूसरे इस सदन में कहा गया कि वे कुछ ऐसा असेसमेन्ट कर रहे थे उस असेसमेन्ट को रोकने की खातिर उनका ट्रान्सफर हुआ था। इतना मैं अर्ज कर दूं कि वह असेसमेन्ट करके गये हैं। असेसमेन्ट नहीं रुका। [illegible] यहां यह क्लियर कर देना कि उस असेसमेन्ट को रोकने के खातिर, क्योंकि वित्त मंत्री किसी से प्रभावित थे, ट्रान्सफर कर दिया गया यह बिलकुल निराधार है, गलत है।

श्रीमान दूसरा पोइन्ट··

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने रात को उससे चार्ज दिलवाया, यह क्यों हुआ, झुंझुनू से ए. सी. को बुलाया और स्पेशली बुलवा कर ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह चुका हूं शायद आपने सुना नहीं, यह मेरा किया हुआ ट्रान्सफर नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चीफ मिनिस्टर ने करवाया था, आपका यह कहना है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर रहा था दूसरा पोइन्ट। दूसरा पोइन्ट यह है कि उन्होंने कुछ अंग्रेजी शराब के लाइसेन्स के बारे में कहा। श्रीमान्, इस जनरल इलेक्शन से पहले केबिनेट ने, जहां तक मुझे पता लगा, यह फैसला किया था कि बारह-चौदह दुकानें फला फला जगह पर खोली जायं··

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : और पीने वालों की संख्या बढाई जाय।

श्री बालकृष्ण कौल : आप सुन लीजिये। मैं जवाब दे रहा हूं।

इसलिये वहां क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, उस वक्त क्या परिस्थितियां पैदा हुई-यह मैं नहीं जानता। लेकिन जब नई सरकार बनी, कुछ महीनों के बाद कुछ शिकायतें मेरे सामने आई। कुछ इस किस्म का वातावरण देखने में आया जो बडा दूषित था। इसलिये यह मुनासिब समझा सरकार ने कि इसकी कार्यवाही एप्लीकेशन्स मंगा कर की जाय। उससे पहले कोई एडवर्टाइजमेन्ट नहीं निकला था। तो उसके एडवर्टाइजमेंट के आर्डर्स हुए और एडवर्टाइजमेंट के जरिये उसकी अर्जियां मंगाई गई। अर्जी आने के बाद···

श्री भैरोंसिंह : कितनी कुल एप्लीकेशन्स आई ?

श्री बालकृष्ण कौल : वे डिप्टी कमिश्नर के पास आई, वे सरकार के पास नहीं आई। इसलिये मैं अर्ज कर रहा था, वह आप सुन लीजिये। फिर कोई सवाल करिये।

मैं निवेदन कर रहा था कि वे अर्जियां आने के बाद जब यह प्रश्न उठा? उसका क्या किया जाय कि जो नये कमिश्नर आये थे, पहले कमिश्नर का ट्रान्सफर हो गया था, रिटायर हो गये थे, दूसरे कमिश्नर वहां तशरीफ लाये। कानों में यह आया, उस वक्त सरकार की तरफ से कोई रूल्स नहीं थे इस किस्म के कि किन किन बातों को कन्सीडर करके ये जो लाइसेन्स हैं, दिये जायं। नेगेटिव रूल्स थे, लेकिन पोजीटिव रूल्स नहीं थे कि जिनमें यह हो-किस आदमी में क्या योग्यता हो, क्या बात, किस तराजू पर उसे तोल सकें और उसको दिया जाय। तो

(श्री बालकृष्ण कौल)

इसके मायने यह थे कि उसमें सब डिस्क्रिशन पर था। जब कोई रूल्स नहीं थे, जिसकी बिना पर किसी चीज का बंटवारा किया जाय सिवाय इसके कि डिस्क्रिशन यूज करके उसमें जैसा कोई समझे वैसा करे। मैं अर्ज कर रहा था उस समय ऐसा दूषित वातावरण था, उसके पीछे बहुत कहानी किस्से थे बहुत सी शिकयतें आई थीं, ऐसी जिससे कमिश्नर का फैसला करना था, उनका फैसला नहीं कर सके। इसलिये कोई चारा नहीं था क्योंकि सरकार रेस्पोन्सिबल है हर ओमीशन और कमीशन के लिये और सरकार ही इसमें फाइनल से रखती है तब सरकार ने यह हिम्मत की और उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाना मुनासिब समझा। इसलिये कमिश्नर से बातचीत करके सरकार ने फैसला लिया और उस फैसले पर अब भी सरकार कायम है। श्रीमान् उसके बाद ही उसके रूल्स बनाये गये और वे रूल्स भी केबिनेट के सामने हैं....

श्री भैरोंसिह : लागू कर दिये रूल्स ?

श्री बालकृष्ण कौल : नहीं।

श्री भैरोंसिह : रूल्स हाउस में रखे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : कौन से ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रूल्स को बनाने की जरूरत पडी तो उसके बिना उनका बंटवारा क्यों किया ? आप हाउस के सामने लिस्ट रख दें जिनको दी गई हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं निवेदन कर रहा था जब सरकार के पास पूरे अधिकार हैं उस चीज के तो सरकार का यह डिस्क्रिशन था, उसी को उसमे यूज किया। यह हो सकता है कि आदमी कोई भी हो, अगर एक आदमी समझता है कि वाजिब है तो दूसरा समझता है कि गैर वाजिब है। हर इन्सान पर दो राय हो सकती हैं। इसलिये सरकार ने जो उस वक्त मुनासिब समझा वह उसने किया।

श्रीमान, मैं अर्ज कर रहा था, एक दलील और इसके संबंध में दी गई। वह यह दी गई कि कलालों को नहीं दी गई और जिन्होंने यह काम नहीं किया लफ्ज उन्होंने यह कहे ब्राह्मण वैष्णव को दिये गये और कलालों को क्यों नहीं दिये गये ? श्रीमान, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद और नया कान्स्टीट्यूशन आने के बाद कोई कॉम्युनिटी आज यह नहीं कह सकती कि फला चीज उसके लिए सीमित है। इसलिये कलाल या ब्राह्मण या वैष्णव या वैश्य कोई भी हो–सबके लिये खुला है हर प्रोफेशन करना। इसलिये यह हो सकता है कि किसी की दोस्ती कलालों से हो, किसी की दोस्ती....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : I challenge this point, Sir.

श्री बालकृष्ण कौल : किसी की दोस्ती धोबी से हो।

श्री अध्यक्ष : आप शांति से सुनिये। इन्होंने भी आपको शांति से सुना था।

श्री बालकृष्ण कौल : किसी की दोस्ती किसी और से हो, और....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : कलालों से किसकी दोस्ती है?

श्री बालकृष्ण कौल : किसी की दोस्ती किसी से हो और इसलिये बुरा लगा हो कि फला आदमी को मिला और फला को नहीं मिला....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप लिस्ट बता दीजिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान, मैं अर्ज कर रहा था कि फला चीज एक बिरादरी के आदमियों को मिले . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कलालों का शराब बेचने का पेशा है ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान, कलालों का अगर शराब बेचने का पेशा है तो मैं पूछना चाहता हूं हाउस के आगे माननीय सदस्य से, क्या जमीन की काश्तकारी करना आपका पेशा है ? मैं यह जानना चाहता हूं माननीय सदस्य से, क्या प्रिन्टर एण्ड पब्लिशर बनना और उसके जरिये इलेक्टोरल लिस्ट का कॉन्ट्रेक्ट लेना और उसको छपवाना क्या आपका पेशा है ? माननीय सदस्य इन बातों का जवाब दें . . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I challenge it, Sir

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : किसके बारे में कहा है ? कौन हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : जिसको लगे जवाब दे ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : किसके लिए है ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर रहा हूं, जिसके दिमाग पर जो असर है वही सामने आता है । जिसकी आंखों पर जैसा चश्मा चढ़ा है, जैसी सोसाइटी में बैठता है वही चीज वह पेश करता है ।

बस, मुझे इतना ही अर्ज करना था । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, आप हर चीज को गम्भीरता से सोचें । अगर आपने मुझे वित्त मंत्री बनाया है, चीफ मिनिस्टर के जरिये और मुझे आपने अधिकार दिये हैं तो मुझसे आपको विश्वास रखना चाहिए । मैंने जो किया है, उसमें गलती हो सकती है, भूल हो सकती है लेकिन बेईमानी नहीं हो सकती । मैंने अपनी जिन्दगी के ४३ वर्ष जनता की सेवा में बिताये हैं, वह बेईमान होकर नहीं, मैंने उसमें सर्वस्व त्याग किया है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसकी लिस्ट क्या है, आप सारी चीजों की इन्क्वायरी करायें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : on point of information Sir,
माननीय मंत्री महोदय ने इस संबंध में अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए भावुकता में जो बातें कही हैं, मैं उनमें न जाते हुए केवल एक क्वेश्चन करना चाहता हूं । इस सदन के अन्दर पिछले सेशन में यह प्रश्न उठाया गया था और माननीय उप-मंत्री और मंत्री महोदय दोनों ने यह कहा था कि इस विदेशी शराब के लाइसेन्स जिन लोगों को दिये हैं वे लाइसेन्स कमिश्नर ने दिये हैं, मिनिस्टर ने नहीं दिये हैं । आज मंत्री महोदय कहते हैं कि मैंने मेरा डिस्क्रिशन एक्सर्साइज किया है । इन दोनों में कौनसी बात सही है ? आप पिछले सेशन की प्रोसीडिंग्ज निकलवा कर देख लें ।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान, शायद दोनों बातें ठीक हैं । क्योंकि देने वाला मैं नहीं हूं । कमिश्नर ने दिया ।

Page No 67

श्री भैरोंसिंह जब कमिश्नर देने वाला है तो आपने अपना डिस्क्रिशन किस तरह से उसमें यूज किया।

श्री बालकृष्ण कौल: मैंने आपको कहा है, मैंने उनसे बातचीत करके यह किया है। आवश्यकता थी इसलिये ऐसा किया गया।

श्री भैरोंसिंह: आपको उनसे फाइल मंगा कर देने की आवश्यकता क्यों पडी? इसीलिये कि आपको अमुक अमुक व्यक्तियों को देना था?

श्री बालकृष्ण कौल: मैंने सारी पोजीशन और फैक्ट्स आपके सामने रख दिये हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे केसेज थे जिनमें कमिश्नर खुद हिम्मत नहीं करते थे और इसलिये गवर्नमेन्ट से कन्सल्ट करके लाइसेन्स दिये हैं। मुझे अधिकार था कि उनको मैं देखता। इसलिये मैंने देखा।

श्री भैरोंसिंह: पिछली बार जब एप्लीकेशन्स आई थीं तब तो दिक्कत थी। बाद में आपने कहा कि कोई एप्लीकेशन्स नहीं ली जावें, हालांकि उनके केस आपके पास रिक्मन्डेड होकर पहुंच चुके थे। उनको आपने कैन्सल कर दिया। दुबारा आपने एप्लीकेशन्स इन्वाइट की फिर खुदा भला करे अमुक अमुक व्यक्तियों को आपने अपने डिस्क्रिशन को यूज करके दुकानें दे दी। आपके पास एक शिकायत नहीं आई थी फिर आपने अपना डिस्क्रिशन क्यों यूज किया? आपको क्या जरूरत पडी थी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री कह रहे हैं कि नियम के अन्तर्गत उनको डिस्क्रिशन यूज करने का अधिकार नहीं दिया गया है; लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसा किया गया।

श्री भैरोंसिंह: पिछले समय जिस समय एप्लीकेशन्स थीं उसमें तो कम्प्लेन्ट की थी और आपने उसको कैन्सल किया। उसके लिये तो मैं आपकी तारीफ करता हूं। लेकिन दुवारा एप्लीकेशन्स इन्वाइट कीं, उसमें तो गवर्नमेन्ट को या डिपार्टमेन्ट को कोई शिकायत नहीं की गई थी फिर ऐसा क्यों किया गया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री ने बताया कि पहले एप्लीकेशन्स के द्वारा जिस प्रकार का वातावरण बना उसको दूर करने के लिये अधिकार कमिश्नर को थे मगर कमिश्नर उन अधिकारों का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं करता था और इसलिये वह यह चाहता था कि गवर्नमेन्ट की राय से यह हो।

श्री भैरोंसिंह: जरूरत क्यों पडी?

श्री अध्यक्ष: वातावरण तो बना था।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं कह रहा हूं कि उस वक्त तक जब एप्लीकेशन्स आई उस वक्त भी कमिश्नर पर असर था और वे खुद यह चाहते थे कि यह जो कुछ हो वह गवर्नमेन्ट के जरिये से ही हो।

श्री भैरोंसिंह: I challeng this, sir. कमिश्नर की राय से नहीं हुआ। गवर्नमेन्ट ने कमिश्नर को लैटर लिखा था, कमिश्नर ने उनको कभी इसके लिये नहीं लिखा था।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न लैटर और तथ्यों का ही नहीं है। वातावरण वैसा था। अब तो आप सदन में वातावरण समाप्त करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सम्माननीय सदस्य एक बात और फरमाने की कृपा करेंगे कि यह जब इतनी बात है तो मैं भी यह चाहता कि हमारा दामन साफ हो और हमारी पार्टी का दामन साफ हो । यह फाइल जो है आप सदन में टेबल पर रख दें । आपको यह कहना पड़ा कि आप साधु हैं, सदन जैसा चाहे सदन इस पर सोचे । हमारे सम्मानीय मंत्री का दिमाग साफ हों, अगर यह फाइल आपको दिखा दें । लिस्ट दे दें तो यह बिल्कुल साफ हो जावे कि किन किन को दी हैं ? रीजन्स होने चाहिये, जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला होता है उसमें रीजन्स होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य लिस्ट के लिये कहते हैं, किसी दिन प्रश्न पूछ कर लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : किन किन की एप्लीकेशन्स मंजर की गई और किन किन की एप्लीकेशन्स को ना मंजूर किया गया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके रूल्स बन रहे थे । तो आप उन रूल्स बनने तक वेट नहीं कर सकते थे ? उन्होंने देने का विचार किया तो रूल्स नहीं बने थे तो भी दे दीं । रूल्स एक महीने में जब आपने दूकानें दे दी तो बन गये । पॉवर एसिस्टेन्ट कमिश्नर को नहीं है । उनको कोई अधिकार नहीं है, जैसा उन्होंने खुद ने माना है ।

श्री अध्यक्ष : और कुछ कहना है । अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो सारे प्रस्तावों के बजाय एक ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जावे और उसके बाद अन्य प्रस्तावों पर मत देने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

क्लॉज बाई क्लाज । अगर माननीय सदस्य सहमत हों सारे क्लाजेज के एमेंडमेन्ट्स को पूरा नहीं लेकर कुछ संशोधन जोर माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किये हैं उनको लेकर मतदान ले लिया जावे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसके लिये कुछ समय रख दिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : दूसरे विधेयक पर ।

श्री भैरोंसिंह: कल यह कहा था..

श्री अध्यक्ष : दो-दो, तीन-तीन मिनट बोलेंगे । इससे न तो अच्छी तरह से अपने विचार व्यक्त हो सकेंगे, इसलिये मैं समझता हूं कि जो सदस्य अपने विचार रखना चाहें वे इस पर रख सकते हैं ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सदन की एक परम्परा है ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन समय दो-चार मिनट का ही रहेगा । चाहे सारे माननीय सदस्य अपने एमेन्डमेन्ट पेश कर दें ।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(विराम)

श्री रामानन्द ।

Page No 69

(श्री अध्यक्ष)
श्री सम्पतिलाल बोहरा ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): संशोधन इस प्रकार है: substitute the following for the table

amount of duty rate of surchage
on every rupee
and fractions
of it

अध्यक्ष महोदय, क्लाज दो में मेरा संशोधन है कि इस में जो रेट्स हैं अलग अलग लगाई हैं। कहीं पर २५, कहीं ४५ नये पैसे लगाये हैं; इसके बजाय सारे के सारे ५० नये पैसे कर दिये जावें, इससे केल्कुलेशन में तो सहूलियत रहेगी। केल्कुलेशन की सहूलियत के लिये मैंने यह संशोधन रखा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मेरा यह संशोधन था कि १,००० तक..

एक माननीय सदस्य: यह क्लाज ३ में है, २ में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री कुछ उत्तर देंगे?

माननीय सदस्य अपना सुझाव कृपया बोहरा दें।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): अध्यक्ष महोदय, मेरा क्लाज २ में संशोधन है कि आपने जो दर रखी है कहीं ३० नये पैसे और कहीं ४५ नये पैसे उनको बराबर ५० कर दें क्योंकि आप उनको सबको मिला कर केल्कुलेट करते हैं तो एवरेज ५० नये पैसे आता है। so it should be.

on every rupee and fractions of it तो आपको केल्कुलेशन में सहूलियत रहेगी।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): मैंने इस पर सोचा, लेकिन इसके जरिये से एकाउन्ट में गल्ती बढ़ सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको मान लेते। अगर कोई इसको वर्क आउट करेगा तो उसमें गलती होगी।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): इसकी जो फ्रेक्शन आती है तो नियरेस्ट ले लें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): जब आपको दिक्कत आती है तो हमारा वाला मान लें।

श्री अध्यक्ष: आप इसको प्रेस करते हैं?

श्री सम्पतिलाल बोहरा: जी नहीं। is with draw

श्री अध्यक्ष: मैं ऐसा मानता हूं कि आपने इसको प्रेस ही नहीं किया।

प्रश्न यह है कि क्लाज २ विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

क्लाज २ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

विराम
(२.०० म. प.)
क्लाज ३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुये।

Page No 70

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : मौखिक संशोधन प्रस्तुत किया ।

२. **श्री सम्पत्तिलाल बोहर** (मावली) :
in article 23 sought to be submitted for the existing article 23 of schedule I of Rajasthan Act 7 of 1952, replace item at S. No. 12 by the following—

(a) "and for every rupees 500 or part thereof in excess of Rs. 1000/—Rs. ten"

(b) Delete items 13 and 14.

३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) :-
At the end of exception in article 23 ought of the substituted for article 23 of schedule I of the Rajasthan Act of 1952.

add the words "and assiganment of any property for religious social of public purpose."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय अध्यक्ष क्लाज ३ में मेरा संशोधन है कि एक हजार तक की प्रोपर्टी के कन्वेयेन्सेज हैं उन पर इस नये सेक्शन के द्वारा दुगनी स्टाम्प ड्यूटी कर दी है । मेरा सजेशन है कि थोड़ी कीमत की प्रोपर्टी है गरीब लोगों के ट्रान्सफर की है इस पर तो स्टाम्प ड्यूटी नहीं बढाई जावे और हायर डिनोमिनेशन्स हैं १० हजार से ऊपर के हैं उन पर बढा दिया जाय पर बढाने का अमेंडमेंट एड्मिसिबल नहीं हुआ इसलिये आया नहीं पर वित्त मन्त्रीजी चाहें तो अपनी तरफ से दे सकते हैं । पर इस तरह जो एक हजार तक की प्रोपर्टी के कन्वेयेन्सेज हैं उनमें ड्यूटी में बढोत्तरी न्यायसंगत नहीं प्रतीत होती । इसका गरीबों पर असर पडता है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) श्रीमान, एक हजार तक तो कोई फर्क है ही नहीं है, बराबर है जो पहले था वही है । माननीय सदस्य ने संशोधन दिया तब वह गलत छपा हुआ था इसलिये आपको संशोधन देना पड़ा । दुबारा संशोधन कर दिया गया है उसमें आप ही की बात चलती है संशोधित जो है आप उसे देख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष: श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।
(a) and for every rupee 500 or part thereof in excess of Rs. 1000.

Rs. 10

delete items 13 and 14.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : आर्टीकल ३ में कन्वेयेन्स के सम्बन्ध में १२,१६ और २० रुपयों का क्लॉज है उसके बजाय यह कर दियाजाय ।

इसका कारण यह है कि आज कल प्रोपर्टीज की वेल्यू बढ रही है कीमतें बढती जा रही हैं तो स्टाम्प ज्यादा लगाने पडेंगे। ऐसी हालत में लोग डॉक्यूमेंट में वेल्यू कम बतायेंगे और इस तरह आपको फायदा न होकर लोस हो जायगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of information मामला यह है कि मुझे पता नहीं लगा मेरे खिलाफ दो एलीगेशन्स लगाये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : Order please ! अभी तो क्लॉजेज ले रहे हैं।

श्रीज्वालाप्रसाद शर्मा : I contradict both the points and I want enquiry on me.

श्री अध्यक्ष : Order please ! आप समय चाहते हैं तो और तरह से व्यवस्था की जायगी

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष पर्सनल एसपर्शन्स हैं तो समय दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : समय अवश्य दिया जायगा पर इस समय नहीं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं इसके लिये लिये लिख कर दूं या यों ही समय मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजिये कि किस किस पोइंट पर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं । yes Shri Vijay Singh jhala.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्लॉज ३ पर मेरा भी अमेंडमेंट है मैं समझता हूं वित्त मन्त्रीजी सुन कर खुश होंगे। इसमें बाद में इस इस प्रकार का एग्जेम्प्शन कर दिया जाय कि सोशियल,रिलीजियस और पब्लिक पर्पज के लिये इस प्रकार के असाइनमेंट्स हैं प्रोपर्टी के, उन पर यह स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जाय; क्योंकि कोई भी आदमी जमीन किसी इन्स्टीट्यूशन के लिये ; स्कूल, हॉस्पिटल, सोशियल वर्क के लिये देता है तो यह आवश्यक है कि वह इस प्रकार के खर्च से बच जाय । अतः इस प्रकार के असाइनमेंट्स ऑफ प्रोपर्टीज पर यह ड्यूटी नहीं लगाई जाय ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): श्रीमान, जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य, झालाजी ने रखा है वह कुछ दिक्कत पैदा करने वाला है । एक चीज इसमें अलबत्ता ऐसी है जो सोची जा सकती है। लेकिन मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि निर्णय ले लूं। लेकिन आज जैसे अमेंडमेंट सरकार की तरफ से पेश हैं मैं निवेदन करूंगा कि आप उन्हें स्वीकार कर लें, आपके अमेंडमेंट पर विचार किया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): मैं अपना संशोधन मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है उसके आधार पर वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन पेश किय गये हैं उन्हे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय!

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) I Withdrow.

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : I withdraw

श्री अध्यक्ष : क्लाज ४

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली): संशोधन इस प्रकार है Substitute the word submitted" for the word produced" in the last of the proviso sought to be added to sub-section (1) of section 10 of Rajasthan Act 11 of 1951. क्लाज ४ में ये शब्द लिखे हैं सर्टिफिकेट प्राड्यूस करेगा। तो

Page No 72

(श्री सम्पत्ति लाल बोहरा)
कोई जाली सर्टिफिकेट प्रड्यूस कर सकता है और वापिस ले लेता है इसलिये इसमें सब्मिट कर दें तो अच्छा रहेगा वह सर्टिफिकेट यहीं रेकॉर्ड में रहेगा : 'Produce' means that they will just show and take back मैं समझता वित्त मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : मैं समझता हूं प्रोड्यूस ज्यादा लीगल लेंग्वेज है

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ४ में संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड १ और ४ विधेयक के अंग बने

(स्वीकृत)

खण्ड ३ और ४ विधेयक में अंग रूपसे जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज ५ इसमें मंत्री महोदय का संशोधन है।

(विराम)

पहले अन्य माननीय सदस्य बोल ले।

(विराम)

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

वित्त मंत्री महोदय।

(विराम)

संशोधन यह है :

For the new article IV A sought to be added by part (b) of clause 5, substituted the following new article, namely:—

"IV-A (A) Tractors (including those used or kept for carrying out agricultural operations) 20

(b) Every trailor attached to or drawn by a tractor 30

Explanation:—(i) For the purpose of this article the expression 'agricultural operations' shall mean tilling, sowing, harvesting or crushing of agricultural produce or any other similar operation carried out for the purposes of agriculture and shall include carrying of produce, of farm to market towns and manure and seeds from market towns to farm.

(ii) Clause (h) of rule 28 (including the proviso and the explanation thereto) of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, shall be omitted."

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रश्न ५ में जो संशोधन वित्त मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

Page No 73

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज ५, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ६, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

क्लॉज ७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ७ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

क्लॉज ८, श्री झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, क्लाज ८ पर मेरा एक संशोधन है, वह इस प्रकार है:—

At the end of new sub-clause (2-A) sought to be instead in Section 3 of the Rajasthan Act 24 of 1957 add the following explanation :—

Explanation:—

Any advertisement if it is for or from any Co-operative Society or any educational or Social or Cultural institution, whether it is of Government or semi-Government or Private, it shall not be included for the purpose of this sub-clause."

इस प्रकार कोई इन्टीट्यूशन जो एजूकेशनल हो, सोशियल और कल्चरल हो, चाहे गवर्नमेंट द्वारा चलती हो या प्राइवेट चलती हो और कोआँपरेटिव सोसाइटी हो, इनके द्वारा कोई एडवर्टाइजमेंट हो, बहुत सी तरह के हो सकते हैं, स्कूलों में भर्ती के लिए हों, स्कूलों में अन्य फंक्शन्स के लिए हों, प्रोपर्टी बेचने के लिए हो सकते हैं तो उनको एग्जम्प्शन देने से राज्य की आय पर बडा कोई फर्क नहीं पडने वाला है और ऐसा फर्क भी नहीं पडने वाला है कि जिससे बजट घाटे में ही जाय। मैं आशा करता हूं कि आदेश को रखते हुए जिस प्रकार माननीय मंत्री महोदय ने बहुत से कर वापस ले लिये हैं इनको आदर्श के माफिक स्वीकार करेंगे ताकि एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स, सोशियल और कल्चरल इन्स्टीट्यूशन्स और कोआपरेटिव्ज के एडवर्टाइजमेन्ट पर छूट हो और इससे उनको लाभ मिल सके।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): श्रीमान, माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है थोडी देर के लिये सोचें कि सिनेमाओं में जो एडवर्टाइजमेन्ट होता है उस पर? on the Screen of a cinema एजूकेशनल और दूसरे मसलों पर नहीं होता है। उन्होंने यह जो रखा है उसको हम देख लें कि वाकई असर पडता है या नहीं। अगर असर पडता है तो मानने में कोई एतराज नहीं है। इसलिये उन्होंने इस वक्त जो संशोधन रखा है उसको वे वापिस ले लें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पेन्डिग रखते हैं तो इसको स्वीकार ही क्यों न कर लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय यह देखना चाहते हैं कि इस प्रकार के एडवर्टाइजमेन्ट आते हैं या नहीं । उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं ?

श्री विजयसिंह झाला : यदि नहीं आते हैं तो घाटा नहीं पड़ेगा । अगर आते हैं तो एग्जेम्पशन कर दिया जाय ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं इस वक्त इस चीज के लिये कोई डिस्क्रिम-मिनेट नहीं कर सकता कि सिनेमाओं में इस तरह के एडवर्टाईजमेन्ट आते हैं या नहीं · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप एडवाइस ले लें ।

श्री अध्यक्ष : इसमें गवर्नमेन्ट आर्गनाइजेशन की भी है ।

श्री बालकृष्ण कौल : जरूरत होगी तो देख लेंगे ।

श्री विजयसिंह झाला : 'Yes or 'No' जवाब मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : न अभी 'Yes' और न अभी 'No' ।

प्रश्न यह है कि क्लाज ८ में संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लाज १, श्री मोहनराज ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : संशोधन इस प्रकार है:–

14. In sub-section (1) of section 4-A sought to be added in Rajasthan Act 24 of 1957—

(i) in clause (a) replace the figure "25 nP." by the figure and the words "25% of the gross receipts of slides."

(ii) in clause (b) replace the figures and the words " 5 nP. per show," by the figures and the words "25% of the gross receipts of film rent charges."]

अध्यक्ष महोदय, 'सिनेमा स्लाइड्स पर स्लाइड पर शो २५ नये पैसा आपने टैक्स का रखा है । मेरा संशोधन यह है कि इसमें परसेन्टज तय कर दिया जाय । फिल्म वालों का भी इसमें परसेन्टेज तय कर दिया जाय । नहीं तो क्या होगा, अध्यक्ष महोदय, कि एक फिल्म पर २५

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

नये पैसे पर स्लाइड पर शो रखा है। इस प्रकार १) रु० प्रति दिन हुआ। जिस चीज की इनकम ही २०) रु० हो और उस पर यदि आप ३०) रु० टैक्स के रूप में लगा दें तो इसका मतलब यह होगा कि सिनेमा में जो एडवर्टाइजमेन्ट होंगे वे बिल्कुल ही बन्द हो जायंगे। इससे आपको भी फायदा नहीं होगा, देश को भी नुकसान होगा। राष्ट्रीय हितों के भी यह विरुद्ध होगा। बीडी, तम्बाखू आदि इस प्रकार के जो एडवर्टाईजमेन्ट होते हैं यदि उन पर आप टैक्स लगाते हैं तो यह बात समझ में भी आ सकती थी, लेकिन सब ही एडवर्टाईजमेन्ट्स पर इस प्रकार टैक्स लगायें तो यह ज्यादा है और इसका भारी असर पडेगा। इससे सिनेमा वालों को भी काफी नुकसान होगा। जिनको २०) रु० मिलता है उनको दो पास तो कन्सेशनल रेट पर देने पडते हैं जिनकी ४) रु० कीमत होती है तो उनको १६) रु० ही मिलते हैं इस तरह से। यह मेग्जिमम रेट है जो में आपको बता रहा हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह सब जो आप संशोधन रख रहे हैं इस बात का ख्याल रखें कि हमारी आय का जो पहलू था उसको काफी सोच कर रखा था फिर भी काफी सलैश हो गई। अब थोड़ा थोड़ा बचा है उसमें भी कमी कर दी जाय। यह मुनासिब नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि इस किस्म का संशोधन न रखें जिससे टैक्स की आय पर नुकसान होता हो यह हो सकता है कि आप ऐसा संशोधन लायें जिससे टैक्स रेवेन्यू बढ़े। मैं उनको स्वीकार कर लूंगा या ऐसे सुझाव रखें कि काम करने में, टैक्स रियलाइजेशन में टैक्स पेयर को तकलीफ हो रही हो, टैक्स देने की नहीं, प्रोसीजर की कोई तकलीफ हो रही हो तो वह मैं स्वीकार कर लूंगा इस वक्त सरकार मुश्किल में फंसी है और ऐसे संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : मेरा जो मेन आइडिया था वह यह था कि आप उसकी इनकम को परसेन्टेज बेसिस पर तय करें तो अच्छा होगा। इसमें क्या होता है कि आपने २५ नये पैसे पर स्लाइड रखा है। उससे क्या होगा कि जैसे १०), २०), ३०), ५०) का एडवर्टाइजमेन्ट है, तो छोटे २ एडवर्टाइजमेन्ट से टैक्स अधिक होगा और बड़े से कम। इसलिए आप जो रेट रखें वह परसेन्टेज बेसिस पर रखें कि जैसे एक स्लाइड की टोटल फीस आने वाली है ५०) रु० तो इस पर इतना परसेन्ट होगा। इसलिए आप परसेन्टेज रखें बनिस्बत फिक्स्ड रेट के।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : आपका सुझाव दो चीजें पैदा कर देता है डिस्क्रिमिनेशन और नुकसान पैदा कर देता है।

श्री अध्यक्ष : स्लाइड पर लगेगा या फिल्म चलती है एडवर्टाइजमेन्ट की उस पर ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : जैसे १०० फीट होगी तो ५) रु० पर फिल्म डेली टैक्स हो गया। यदि दोनों आइटम पर परसेन्टेज बेसिस पर रखेंगे तो लोस नहीं होगा बढोत्तरी होगी। सिनेमा वालों से पूछा। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ डेट हो जाती है। सिनेमा वालों को एडवर्टाइजमेन्ट नहीं मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप वापिस ले रहे हैं संशोधन को ?

Page No 76

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : मैं प्रेस करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज ९ में जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बौहरा ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(वित्त मंत्री महोदय द्वारा 'हां' कहने पर)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : वित्त मंत्रीजी ने 'हां' कहा है। इसको स्वीकार करना चाहिये, या इधर बैठना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : I opposed the amendment strongly in the beginning.

श्री विजयसिंह झाला : गुस्सा उन पर निकल गया।

श्री अध्यक्ष : फिर भी 'ना' पक्ष की आवाज तेज थी।

श्री विजयसिंह झाला : जो एडमिट करने जा रहे हैं वे ही 'हां' कर लेते हैं तो 'No' का प्रश्न ही नहीं रहता है। इसलिए इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : 'ना' पक्ष जीता। संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड १० व ११

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १० और ११ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १० व ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १२

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय खण्ड १२ में मेरा संशोधन है पार्ट सी का जो प्रोविजो है उसको डिलीट कर दिया जाय :

'Provided that any such rule may be made without previous publication if the State Government considers that it should be brought in force at once.'

मैं समझता हूं कि उसूलन सरकार इस प्रकार के पॉवर्स लिये बिना रूल्स के गजट में पब्लिश किये और वह भी ऐसे कानून के बारे में जिसका संबंध टैक्स से है जिसका ताल्लुक थर्ड पर्सन से पड़ता है। जिन पर असर होता है उनको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने क्या नियम बनाये हैं। इसके बाद नियम लागू होने चाहिए। यह जो प्रोविजो पार्ट सी के जरिये एड किया जा रहा है उसको मैं सही नहीं समझता। पब्लिकेशन के बाद ही लागू होने चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो

Page No 77

(श्री बालकृष्ण कौल)
अमेण्डमेण्ट रखा है उसके बारे में मैं माननीय सदस्य से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपका संशोधन मान लिया जाय तो इसी वक्त रॉयट हो जायगा । उस रुपये की वसूली करने में यह टैक्स काफी अर्से से लगा हुआ है और वसूल हो रहा है । उसको फौरन ही रोक दें और फिर वसूली करें जब रूल्स साथ में हों । रूल्स होने जरूरी हैं किन्तु इस किस्म के नहीं कि आज कानून पास कर दें और रूल्स बनने तक एक महीने तक टैक्स न लगायें । रूल्स को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजें उस समय तक रोकदें तो रॉयट हो जायगा टैक्स की वसूली में । इसलिये मैं आपके संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता । आप इस समय माफ फरमायें इस वक्त इस चीज के लिये जोर न दें ।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : मेरा विरोध उसूलन इस चीज से है कि जब इस प्रकार के कानून आयें उसी वक्त साथ में रूल्स बना लेने चाहियें एन्विसेज कर लेने चाहिए । जब आपने टैक्स इम्पोज किया उसके साथ साथ रूल्स भी प्रकाशित हो जाने चाहियें ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : रूल्स नहीं होते तो वसूली किस प्रकार होती, रूल्स हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस समय टैक्स लगाने का नोटिफाई किया उसके साथ ही रूल्स भी होने चाहिए ।

श्री बालकृष्ण कौल : हम कोई कानून पास करते हैं उसके साथ साथ उसके लिये रूल्स भी पब्लिश होने चाहिए । इस उसूल को हम मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष : रूल्स बनेंगे किन्तु प्रायर पब्लिकेशन नहीं हो पायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस समय तो एमर्जेन्सी थी इसलिये आप रूल्स का पब्लिकेशन नहीं करवा सके, किन्तु आयन्दा इस प्रकार टैक्स के जो कानून हों उनके लिये रूल्स का उसके साथ होना लाजमी होना चाहिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : प्रायर पब्लिकेशन इस वक्त रखना नहीं चाहते नुकसान होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मुझे अपना संशोधन वापिस लेने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानद अग्रवाल ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

Page No 78

क्लॉज़ १३

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस खण्ड के संशोधन इस प्रकार हैं:—

In the proposed sub section (3), in line 4, for the word "remit" the word "exempt" shall be substituted.

अध्यक्ष महोदय क्लॉज़ १३ में मेरा यह संशोधन है प्रोपोज्ड सब सेक्शन थ्री में इसके अनुसार यह होगा :—

"Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient in public interest to do so, it may, by notification in the Official Gazette, reduce or remit the electricity duty on the energy consumed........"

इसमें शब्द "रेमिट" शब्द "एग्जेम्प्ट" के बदले में सब्स्टीट्यूट किया है । इससे पहले सरकार को एक्ज़ेम्प्ट करने के पॉवर्स थे । अब सरकार यह चाहती है कि एक्ज़ेम्प्ट न करके टैक्स को कम कर सकती है इस प्रकार के अधिकार नहीं थे । या तो सरकार बिल्कुल माफ कर सकती थी या पूरा वसूल कर सकती थी । इसके जरिये अगर सरकार की मंशा केवल रिड्यूस करने के पॉवर्स लेना है तो वह सही तरीके से इस तरह से आते हैं "रिड्यूस और एक्ज़ेम्प्ट" । अब सरकार रेमिट करने के पॉवर्स लेना चाहती है । जिन इण्डस्ट्रीज को अब तक टैक्स लगता था सरकार रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से उनको जिनको रियायत देना चाहे रियायत दे सकती है । इस प्रकार का डिस्क्रीशन वित्त मंत्री महोदय के जरिये सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है । यह करप्शन का आधार बन सकता है फेवरटिज्म का आधार बन सकता है । इस प्रकार का डिस्क्रीशन लेकर मैं सदन से निवेदन करूंगा और वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि फिर वे अपने आपको ट्रबल्ड वाटर में डालने की सिच्युएशन पैदा न करें । अगर आप इस तरह के पॉवर्स चाहते हैं तो रिड्यूस रेट पर दे सकते हैं जैसा कि उन्होंने किया है इसके जरिये पूरा हो जायगा । रिट्रोस्पेक्टिवली लागू करके रेमिट करने की बातें करें और इस तरह से जिसको आप चाहें रियायत दे सकते हैं वह अधिकार हम देना नहीं चाहते । इसको वित्त मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे । अगर वे अपने हाथ में बहुत बड़ा डिस्क्रीशन मामले हैं रखना चाहेंगे तो वैसे ही यह इंडस्ट्रीज के सिलसिले में उद्योगपतियों से डील विथ करना पड़ता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय मैं इस क्लॉज़ के डिसीजन के लिये निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : पहले जिनका संशोधन है उन्हें मूव करने दें फिर आप बोल सकते हैं ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १३ के सब-सेक्शन १ में मेरा संशोधन इस प्रकार है

In clause (i) of sub-section (3) sought to be substituted for sub-section (3) of section 3 of Rajasthan Act 12 of 1962—

'Omit the word 'goods' and add the following words any arms and Agriculture implements or any goods used for defence, or for agricultural purposes after the words 'or repair' of."

Page No 79

(श्री तेजाराम गहलोत)

अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया हमारे इस वित्तीय वर्ष के अन्दर पैसे की बहुत कमी है और इसलिये हमने हर सोर्स से टैक्स बढ़ाने की कोशिश की है। मैं इस संशोधन के जरिये माननीय वित्त मंत्री महोदय को इंडस्ट्रीज पर जिन पर इलेक्ट्रिक सरचार्ज लगाया था उनको एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं। मेरे संशोधन के जरिये सुझाव देना चाहता हूं कि सिवाय डिफेन्स पर्पज और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन होता है इस प्रकार की दो इंडस्ट्रीज को आप इस अधिकार में शामिल रखें। एक तरह तो आप धान के ऊपर टैक्स करते हैं तो फिर क्या वजह है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिन पर सरचार्ज लगाया उनको राहत देना चाहते हैं? यह कोई सिद्धान्त नहीं हो सकता। मेरा जो सुझाव है वह टैक्स बढ़ाने के हित में है। वित्त मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को मंजूर करेंगे। डिस्क्रीशन केवल डिफेन्स इंडस्ट्रीज एवं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिये हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं इस क्लाज के डिलीशन के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): अमेन्डमेन्ट पर बोल रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं इसके डिलीशन पर बोल रहा हूं। इसके रिडक्शन और रेमिशन में अभी तक सरकार ने कोई मान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन नही किया है और इसके अधिकारों का जैसा उपयोग किया गया है उससे इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है कि उनका सैद्धान्तिक तरीके से उपयोग किया जावेगा।

मैं यह उचित समझता कि वित्त मन्त्रीजी यह भी इसके साथ जोड़ते कि जिन आधारों पर एक इन्डस्ट्री को रेमिशन किया जावेगा उन्हीं आधारों पर दूसरी जो और इन्डस्ट्रियां हैं उनको भी रेमिशन ड्यूटी में दिया जावेगा।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में बिजली की रेट वैसे ही बहुत ज्यादा है। भाखरा और चम्बल की बिजली के मिलने के बावजूद उद्योगों को और जनता को सरकार सस्ती रेट पर बिजली नहीं दे पाई है, जैसा कि वादा किया था। इसलिये राजस्थान के उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जब भाखरा और चम्बल की बिजली आने के बाद भी अगर सस्ती रेट नहीं दे पायेंगे तो राजस्थान में उद्योगों का विकास रुकेगा।

सरकार कहेगी कि हम तो एग्जम्पशन की बात करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक आपने जिन इन्डस्ट्रीज को इसम एग्जम्पशन दिया है वे तो बहुत बड़ी बड़ी है और जो जरूरतमन्द हैं उनको आप कोई भी किसी प्रकार की राहत नहीं दे पाये हैं। उदाहरण के लिये कोटा में सोडा कास्टिक का एक प्लान्ट है। उसके लिये कहा गया है कि जो ड्यूटी बिजली पर बढाई जावेगी वह इस केमिकल इन्डस्ट्रीज पर नहीं बढाई जावेगी। मैं कहता हूं इस इन्डस्ट्री को तीन नये पैसे यूनिट शायद दी गई है। वित्त मन्त्रीजी कह रहे हैं यह रेट फिक्स करने का मामला नहीं और एग्जेम्पशन दिया है, रिड्यूस की है तो इसके लिये वे कह सकते हैं यह मैंने नहीं किया, कैबिनेट ने की होगी। मेरी उसमें जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी हुवी

Page No 80

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
इन्डस्ट्रीज जिसका टेलीफेट ७।। नये पैसे हैं, उसको तीन नये पैसे पर दें और इसके बावजूद इसको तो एग्जेम्पशन कर दिया और दूसरी इन्डस्ट्रीज के लिये कहते हैं कि उनको जो एग्जेम्पशन दिया है तो रिव्हेक्शन उसमें ला सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह उद्योगों को बढाने की नीति नहीं है और राजस्थान में जो उद्योग पनप रहे हैं उस में अभी अभी वित्त विधेयक द्वारा रॉ मैटीरियल पर एक परसेन्ट और दूसरे सेल्स टैक्स बढ़े हैं और दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा रॉ मेटीरियल यहां महंगा भी मिलता है। दिल्ली में जो रॉ मेटीरियल चार परसेन्ट से मिल जाता है उस पर ९।१० परसेन्ट सेल्स टैक्स लग जावेगा।

तो इन्डस्ट्री के हित में यह सारा क्लॉज डिलीट कर दिया जावे और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज से माफ करें तो इन्डीजुअल को न करें, उस प्रकार की स्थिति के जितने भी इन्डस्ट्री हैं उन सारी को करें। उन सारों के केस एक साथ सुनें और कोई भी मूव करते हैं तो गजट में नोटिफाई करें और उस कैटेगरी की इन्डस्ट्री को मौका दें कि वे भी एप्लाई करें और उनके केसों के साथ भी जस्टिस करें। आज जो कोई एकाध प्रभावशाली लोग आप से कन्सेशन ले जाते हैं, एग्जेम्पशन ले जाते हैं, उसे रोका जावे, सब के साथ एक सा व्यवहार किया जावे। इससे उन प्रभावशालियों को भी लाभ मिलेगा और जो प्रभावशाली नहीं हैं उनके उद्योगों का भी विकास होगा, उनको भी क्षति नहीं होगी।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): श्रीमन्....

(२.३५ म० प०)

(**उपाध्यक्ष**- राव श्री नारायणसिंह, पदासीन):

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जिस रूप में अमेन्डमेन्ट क्लॉज १३ में अलवर वालों ने रखा है मैं उसका पूर्ण रूप से सपोर्ट करूंगा।

एक बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बहुत सी ऐसी फैक्टरियां हैं जिन्हें हमने इम्पीटस देने के लिये, प्रेरणा देने के लिये कुछ रियायतें दी हैं। तो उनका कन्सीडरेशन हमें हर दिशा में करना होगा। एक ओर हम सोडा फैक्टरी, कोटा की बात सोचते हैं तो दूसरी ओर दूसरी कैमिकल फैक्टरीज के बारे में भी सोचना होगा। सोडियम सल्फेट के कारखाने को भी देखना होगा; जो सारे भारतवर्ष में यही एक ऐसा प्लान्ट है जो लैदर ट्रेनिंग में काम आने वाले मेटीरियल बनाती है और राजस्थान में इसके बहुत प्रोस्पेक्टस हैं; क्योंकि सारे भारतवर्ष के आंकड़े अगर उठाकर देखें तो जितने पशु राजस्थान में हैं उतने सारे किसी अन्य प्रान्त में कहीं नहीं हैं। तो कैमिकल प्लान्ट के सम्बन्ध में एग्जेम्पशन किया जाता है तो इसमें कुछ बुद्धिमता है, समझदारी है और जिस रूप में अलवर वालों ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिन्सिपल एक्ट में यह देखें तो मालूम होगा कि जिन को एग्जेम्पशन था आज हम उस एग्जेम्पशन में कुछ विथ्ड्रॉ कर रहे हैं। एक माननीय सोशलिस्ट सदस्य ने कहा, उसके बारे में मैं यह सोचने लगा कि या तो वे इस चीज का पूरी तरह विश्लेषण नहीं कर सके कि वे कह क्या रहे हैं या फिर मैं समझ नहीं सका। यह हो सकता है।

आज इंडस्ट्रियलिस्ट्स सब एग्जेम्पटेड हैं और जो पेरेण्ट एक्ट में प्रिन्सिपल एक्ट

(श्री बालकृष्ण कौल)
में जिनको एग्ज़ेम्प्शन है यह हम चाहते हैं इससे कि हम उनको सिवाय वह उन इंडस्ट्रीज कि जिनका जिक्र माननीय हांडा ने किया जिनसे कमिटेड हैं उनसे कुछ नहीं कर सकते कुछ सालों तक कमिटमेंट किया है जिनका इलेक्ट्रिसिटी फ्यूग्रल है उनको छोड़ कर हम सब इंडस्ट्रियेलिस्ट को एग्जम्प्शन स्टॉप करना चाहते हैं । यह स्टैप है सोशलिज्म की तरफ हमारा । इसलिये अर्ज करूंगा कि हमारा स्कोप बढ रहा है । आप ही चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को न छोड़ा जावे तो उसी के लिये पॉवर ले रहे हैं कि उनमें हम रिडक्शन एगजम्प्शन हटा कर उस किस्म का पॉवर दे दें ताकि हम सब इंडस्ट्रियलिस्टों पर समान रूप से लागू कर सकें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : फिर रेमिशन के पॉवर्स क्यों ले रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : यह एक ही चीज है । दोनों में कोई फर्क नहीं है एग्ज़ेम्प्शन और रेमिशन में । वह ज्यादा लीगल है इसलिये करते हैं । आप हमारी बात मान जाइये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : हम भी तो लॉ दूसरों को बताया, बता रहे हैं अपना पढ़ा नहीं बता रहे हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल : वे लीगल आस्पेक्ट क्वोट कर रहे हैं । यह आगे का है स्टैप हमारा और इसमें आप हमारी मदद करें । अगर लफ्ज का ही झगड़ा है तो कोर्ट में हो जावेगा फैसला ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका इण्टेन्शन क्या है ? पांच लगा हुआ था अभी तक किसी को । तो अब रेमिशन करने के पॉवर आपने हाथ में रखा है तो अब आपने १ परसेण्ट लगा दिया और आगे जाकर समझ में आये तो रेमिट भी कर दें या किसी को पूरी तरह से पीछे से रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से तो रैमिशन देने का ख्याल नहीं है । आप सदन में कहने को यह तैयार हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं तैयार हूं कि इस कॉण्टेक्स्ट में यह इसलिये रखा जा रहा है कि हमारे दिमाग में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यह रैमिशन देने का विचार नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर तो इसके लिये "एग्ज़ेम्प्ट" वर्ड प्रोपर होता । यह इंडिविजुअल को दिया जावेगा या क्लास ऑफ इंडिविजुल्स को दिया जावेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw your amendment?

श्री रामानन्द अग्रवाल : With the assurance of the Hon'ble Minister I withdraw.

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि हम टैक्स करना चाहते हैं लेकिन जो संशोधन पेश किया गया है उसके आगे नहीं कहते कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को रेमिट या एग्ज़ेम्प्ट करना चाहते हैं.........

श्री उपाध्यक्ष : Would you also withdraw Mr. Gahlot ?

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : Yes sir

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मंशा है कि दोनों संशोधन वापिस लिए जायें ।

Page No 82

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लिए गए ।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं भी अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज १४

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय,

In sub section (2) of section 11 of the Rajasthan Passangers and Goods Taxation Act, 1959 (Rajas han Act 18 of 1959) sought to be amended by amendment 14 after the words 'the assessing authority may', the words 'with the previous approval of the Commissioner in writing', shall be added.

यह मेरा सेक्शन १४ में अमेण्डमेण्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कौल ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज १४ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज १५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज १५ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज १६, श्री संपत्तिलाल बोहरा ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : संशोधन इस प्रकार है

In clause (mm) sought to be inserted in section 2 of Rajasthan Act 29 of 1954 insert the words "Machinery spare parts and packing material required for use in manufacture and for packing" after the words "for the process of Manufacture."

उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज १६ में जो रॉ-मेटीरियल की डेफिनिशन दी गयी है उसमें सिर्फ:

'raw material' means an article used as an ingradiental in any manufactured goods and includes fuel and lubricants required for the process of manufacture...

मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

insert the words 'Machinery spare parts and packing materials required for use in manufacture and for packing' after the words 'for the process of Manufacture'.

Page No 83

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

रॉ-मेटीरियल जो मेनुफक्चरार के लिए आवश्यक होता है; वैसे तो जो प्रोसेस में काम में आता है वही होता है लेकिन क्योंकि इसमें फ्यूअल एण्ड लुब्रिकेटिंग और लिखा है और हमारी मंशा यह है कि इंडस्ट्रीज को आगे बढाया जाये और इंडस्ट्रीज जो हमारे प्रान्त में लगें उनको सब प्रकार की सुविधाएं दी जाय तो मैं यह चाहता था कि इसके लिये जो इन्सटॉलमेंट के लिए मशीन या मशीनरी स्पेयर पार्ट्स काम में लें और इसके साथ साथ जो पैकिंग मेटीरियल के लिए बारदाना और सुतली वगैरह काम में आती हैं तो वह १ परसेण्ट कन्सेशन रेट पर मिले। रॉ-मेटीरियल की जो डेफीनिशन दी गयी है उसमें।

"machinery, spare parts and packing materials required for use in manufacture and for packing...."

भी ऐड किया जाये; क्योंकि ऐसी सुविधायें सेण्ट्रल एक्ट में भी प्राप्त हैं और उस सुविधा को अगर राजस्थान में दे दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी तरह से हो सकेगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान्, रॉ-मेटीरियल की अगर डेफिनेशन पढ़ी जावे तो उससे मालूम हो जायेगा कि रॉ-मेटीरियल किसको माना गया है और यह जो माननीय सदस्य ने स्पेयर पार्टस् और मशीनरी के बारे में कहा यह कैसे रॉ–मेटीरियल में है उस डेफीनिशन में फिट-इन नहीं होता है :

"including any manufactured goods........."

तो इसलिये माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह प्रोसेस ऑफ मेनुफेक्चरिंग में नहीं है। इसलिये रॉ-मेटीरियल नहीं माना जा सकता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: आइल आ सकता है लुब्रिकेटिंग आ सकता है। जिस प्रकार से फ्युअल आ सकता है उसी तरह से मशीनरी के स्पेयर पार्टस् भी आ सकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : प्रॉसेस ऑफ मेनुफेक्चरिंग में नहीं आ सकता। टूट जाये और फिर आ जाये तो नहीं कह सकता। आग नहीं जले तो मशीन ही न चले। "in the process of manufacture...

मैं मैं नहीं समझता कि मशीन आ सकती है उसके स्पेयर पार्टस् आ सकते हैं बारदाना आ सकता है या क्या आ सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : I withdraw

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मंशा है कि वे अमेण्डमेण्ट को विदड्रा करें ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री संपतिलाल बोहरा: I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I sympathize with the Hon'ble Finance Minister who is piloting the Bill all alone without any help..

Page No 84

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : I am very grateful to the Hon'ble Members who are helping me. I belong to the House.

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज १७ ।

संशोधन इस प्रकार है —

(1) Shri Sampathi Lal Bohra (2) Shri Chandrasingh Barfa (3) Shri Umrao Singh Dhabaria	Delete part (a) of clause 17.

श्री सम्पितलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय मूल अधिनियम के सेक्शन ३ में जो अमेण्डमेण्ट चाहा गया है सब-क्लॉज (ए) में वह यह है :

"Delete part (a) of the clause".

मैं इस बारे में विशेष जोर करके यह कहना चाहता हूं कि अब तक सेल्स टैक्स के अन्दर १२,०००) रु० का एग्ज़ेम्पशन था यानी कोई भी डीलर जो राजस्थान में माल बेचता है और खरीदता है तो वह १२००) रु० तक की बिक्री करता था वह माफ था । इसके ऊपर हमने मांग की और कहा कि यह लिमिट १२००) रु० की बढ़ाई जाये और गत वर्ष माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस लिमिट को १२०००) रु० से बढ़ाकर १५००) रु० किए । और यह देख कर इसको बढ़ाया गया कि व्यापारियों को सुविधा दी जाये इसलिये १२०००) रु० से १५०००) रु० लिमिट कर दी गयी । लेकिन अब जो सेक्शन (३) (ए) में पहले यह था कि जो इम्पोर्टर है जो राजस्थान के बाहर से माल मंगाता है यदि उसकी बिक्री ५००) रु० की हो गयी तो वह बिक्री कर के लायेबल होगा । लेकिन इसके द्वारा जिनकी बिक्री ५०००) रु० है चाहे कोई इम्पोर्टर हो या मेनुफेक्चरार हो "of any goods other than...."

या सीरियल्स और पल्सेज़ बेचता हो, यदि वह एक रुपये का भी अनाज बेचेगा और उसकी बिक्री ५००) रु० की भी होगी तो वह टैक्स पे करने के दायरे में आ गया यानी अब छोटे से छोटे व्यापारी के ऊपर गांव के व्यापारी के ऊपर भी टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ गयी । क्योंकि ५,०००) रु० की बिक्री तो जो माल कन्धों पर लाद कर बाजार में बेचते हैं वह भी कर लेते हैं । एक कपास की गाड़ी की कीमत ५००) होती है और गेहूं की गाड़ी की कीमत २००) रु० होती है तो एक छोटे से छोटा व्यापारी जो गांव में बैठा हुआ है यदि वह ५००) रु० की बिक्री कुल करता है और एक रुपय का भी गेहूं ज्वार बाजरा या मक्की बेचता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा । उसको कितनी तकलीफ होगी कैसे हिसाब मेण्टन करेगा ? यह सारी दिक्कत इससे पैदा होंगी । एक बात और कहना चाहता हूं कि इससे सरकार को फायदा क्या होगा ? यदि उसकी बिक्री कुल ५०००) रु० की होती है तो टैक्स आपको क्या मिलेगा ? अगर आप एक रुपया सैकड़ा से केलकुलेट करें ५०००) रु० पर तो वह ५०) रु० आता है और यदि २) रु० सैकड़ के हिसाब से लगाये तो १००) रु० होता है । इसके पीछे उस व्यापारी को कितना नुकसान होगा ? He has to propermaintain books of accounts. उसको सारी पर्चेजेज़ के बिल रखने पड़ेंगे उसको पेशियों के लिए आना पड़ेगा और वकील एंगेज करना पड़ेगा यानी सरकार

Page No 85

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)

को उसके ५०) रु० के लिये उसके सौ दो सौ चार सौ, रुपये खर्च हो जायेंगे । इसलिए यह इतना बड़ा मैजरमेंट नहीं है कि जिससे साधारण से साधारण व्यापारी को भी टैक्स करें । इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा बाकी जो आपका १२,००) रु० वा १५ ०.००) रु० का लिमिट है उसका कोई आधार नहीं है यदि आप यह ५,०००) रु० वाला प्रावधान रखते हैं तो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ढाबरिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १७ का सब-क्लॉज (ए) है उसमें यह प्रोवीजन किया गया है कि अनाज के ऊपर भी टैक्स लगाया गया । इसको मैं डिलिट करने का प्रस्ताव रखता हूं और इसका कारण यह है कि जैसा कि बताया गया इस टैक्स के लगाने से करीब ७० लाख रु० की आमदनी होगी । जैसा कि कल मैंने अर्ज किया था ७० लाख रु० अनाज पर टैक्स लगा कर वसूल किये जायं उससे अच्छा है डिप्टी मिनिस्टर्स पर १२ लाख रु० खर्च होते हैं वे कम कर दिये जायं और ३० लाख रु० की स्पेशल पे है उसको खतम कर दिया जाय और समाज कल्याण विभाग और सहकारिता विभाग में खर्च कम करके ७० लाख रु० की बचत की जाय बनस्पति अनाज पर टैक्स लगाने के । महात्मा गांधी ने नियम बनाया था कि नमक पर टैक्स, नहीं लगाया जाय । यदि आप अनाज पर टैक्स लगाते हैं तो वह भी नमक पर टैक्स लगाने के बराबर ही है । इस तरह का टैक्स लगा कर महात्मा गांधी की आत्मा को दुखी करेंगे । इसलिये जो परिस्थिति राजस्थान में है उसको देखते हुए अनाज पर टैक्स लगाने का जो प्रावधान रखा है उसके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत वित्त मंत्रीजी से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें और महात्मा गांधी की आत्मा को शांति पहुंचावें ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : मिनिस्टर्स पर १२ लाख रु० कैसे खर्च होते हैं ? That is not correct.

श्री उपाध्यक्ष : श्री. चन्द्रसिंह बर्फा ।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ १, के सब-क्लॉज़ ए (क) को डिलिट करने का प्रस्ताव करता हूं ।

अनाज मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व-पूर्ण चीज है उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए । यदि अनाज पर टैक्स लगा कर वित्त मंत्री जी अनाज जैसी आवश्यक वस्तु से महरूम रखना चाहते हैं तो यह अच्छी चीज नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि आज हमें लोगों को बलशाली बनाना है । इसलिये इस क्लॉज़ को डिलिट करने के लिये मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : I want two minutes

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I want to oppoe the whole clause.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : Since this is an important clause, we want to speak.

श्री उपाध्यक्ष:You want to oppose ? Yes Shri Ramanand Agarwal.

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय इस क्लॉज के द्वारा सरकार ने जो सीरियल्स और पलसेज पर टैक्स लगाया है उसका इंम्प लीमेंटएशन उन सौदागरों पर डीलर्स पर जो डील करते हैं उन पर जो टैक्स लगाने का इसमें प्रावधान है । हमने इस बिल के कन्सीड्रेशन के समय भी इस बात को कहा था कि सरकार ने सीरियल्स एण्ड पलसेज पर से जो एक्जेम्पशन विथड्रा किया है वह प्रतिगामी कदम है उसको विथड्रा करना चाहिये; क्योंकि यह क्लॉज़ सरकार के इस कदम को सफल करता है इसलिये हम पूरे क्लॉज़ को रिफ्यूज करते हैं। इस भावना से सरकार ने अनाज और दालों पर टैक्स १ परसेण्ट और दो परसेण्ट लगाया है उसका हम विरोध करते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय.....

(और भी कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आप सब आॅपोज करना चाहते हैं क्या ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस अनाज पर टैक्स लगा कर सरकार ७० लाख रु० प्राप्त करने जा रही हैं । इस क्लॉज के द्वारा अनाज के टैक्स को सरकार ओपरेट करना चाहती है और ७० लाख रु० प्राप्त करना चाहती है । ये रुपये तो सरकार को नम्बरदारी प्रथा खत्म करने से ही मिल सकते हैं । सरकार नम्बरदारों को ५० लाख रु० प्रति वर्ष देती है । पिछले वर्ष भी सरकार कमिटमेंट कर चुकी है, नम्बरदारी खत्म कर चुकी है । दूसरे और हैं जिनसे मिला कर इस टैक्सेशन की ७० लाख रु० की राशि सरकार को प्राप्त हो सकती है । इस टैक्स से ७० लाख रु० की राशि प्राप्त होगी, यह इतना महत्वपूर्ण सवाल नहीं है लेकिन यह भावना महत्वपूर्ण है : किसान और ग्राम गरीब अनाज खाते हैं । उन पर इसका असर पड़ता है । यह भावना महत्वपूर्ण की है और जब राष्ट्र सन्कट में है, राष्ट्र के किसान और मजदूरों ने आगे बढ कर हिस्सा लिया है । यदि गेहूं बाजरा, मक्का, ज्वार आदि पर टैक्स लगाते हैं तो वह व्यक्ति जिसने आगे बढ कर राष्ट्र के संकट की स्थिति में, अन्तर्राष्ट्रीय संकट स्थिति में और देश की संकटपूर्ण स्थिति में हिस्सा लिया है उस व्यक्ति को महसूस होता है कि बड़े लोगों को टैक्स करने के बजाय मेहनत का लोगों पर टैक्स लगाते हैं तो उस पर बुरा असर पड़ता है । वैसे किसान और मजदूर अपनी भूजा कमाई से इस टैक्स को भी वहन कर सकते हैं लेकिन बड़ों पर नहीं लगा कर छोटे लोगों पर टैक्स लगाने की भावना महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष । श्री विजयसिंह झाला ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं थोड़े में ही कह देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please; Shri Vijay Singh Jhala.

Page No 87

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह जो प्रस्ताव माननीय श्री रामानन्दजी, श्री संपत्तिलालजी इत्यादि ने रखा है डिलीट करने का, मैं इसका समर्थन करता हूं और समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे । क्योंकि आज संकटकालीन स्थिति है और इस स्थिति में जब कि हमें good will जनता की बनानी है तो उस good will के खातिर हमें यह टैक्स नहीं लगाना चाहिए । इससे good will को खतरा पैदा होगा..

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसको हटा दें ।

Order please !! Shri Vijay Singh Jhala.

श्री उपाध्यक्ष : Order !

श्री विजयसिंह झाला : यदि मंत्री महोदय इसको वापिस ले रहे हैं तो वे अपना इण्टेनशन बता दें तो सदन का समय बच सकता है, हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी ......

श्री उपाध्यक्ष – Is the Hon'ble Minister taking it back ?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : No. No.

श्री विजयसिंह झाला : इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ेगा और साथ ही साथ मजदूरों पर भी पड़ेगा । इसलिये पड़ेगा किसानों पर कि जब बाजार में अनाज बेचने जायेंगे तो व्यापारी २ परसेण्ट टैक्स इस बिना में से काट लेंगे, क्योंकि व्यापारी अपने पास से टैक्स नहीं देगा । तो सीधे किसानों पर इसका प्रभाव पड़ता है । उसके बाद मजदूरों पर पड़ेगा क्योंकि अनाज खरीदने वाले ये वे ही हैं बीच में दूसरे नहीं । साथ ही साथ जो व्यापारी छोटे छोटे गावों में हैं वे चाहे ५) रु० का ही व्यापार करते हैं तो भी उनको लम्बा अकाउन्ट मेन्टेन करना पड़ेगा । तो किसानों को मजदूरों को और छोटे छोटे व्यापारियों को, इससे नुकसान होगा और किसानों में जो good will है वह बहुत जरूरी है खास कर इस संकटकालीन स्थिति में । क्योंकि आपकी गवर्नमेंट के प्रति जनता की बुरी भावना हो जायगी और उस स्थिति में हो गई जब कि देश पर संकट है तो आगे जाकर जो सहायता मिलने वाली है, डिफेंस की सहायता में बाधा पहुंचेगी । तो आवश्यक है कि इस संकटकालीन स्थिति में डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले तो जो पब्लिक ओपनियन आपके प्रति बिगड़ रही है उसको ठीक करने के लिये इसे हटाना चाहिये । और यदि जैसा कि आप चाहते हैं कि कांग्रेस वाकेई डूब जाय और आप जैसा कि कह रहे हैं साथ में सदन भी चला जायगा तो वास्तव में यही इच्छा है और कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं तो कांग्रेस को खत्म करदें लेकिन डिफेंस का जो प्रोग्राम है उसको धक्का न पहुंचावें । उसके लिये पब्लिक ओपीनियन मेण्टेन करने के लिये यह आवश्यक है कि इसको आप वापिस लें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बहस हो रही है वह किस विषय पर हो रही है,

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !! बहस डिलीशन के लिये हो रही है।

श्री बालकृष्ण कौल : डिलीशन के लिये बहस हो रहा है, लेकिन वह मुद्दा सामने नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सामने होता नहीं है तो क्लॉज एज ए होल (clause as a whole) का विरोध करें....

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर रहा हूं जो इस वक्त हमारा क्लॉज है वह सीरियल्स पर टैक्स लगाने के लिये नहीं है। वह सिर्फ इसलिए है कि किस तरीके से टैक्स वसूल हो। यह टर्न ओवर के ऊपर हो रहा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह अन्दर है। आपने होशियारी से कहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : डिक्लेयर कर दें अनाज पर टैक्स नहीं लगेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए इस पर बहस हो कि जो स्टेट ने लिमिट लगाई है ट्रेडर की कि किससे वसूल किया जायगा वह लिमिट पांच हजार की हो, दो हजार की हो एक हजार की हो......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हो नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सवाल यह है कि आपने नोटिफिकेशन के जरिये एक्ज़ेम्पशन को खत्म कर दिया। अब आप जिस डीलर से वसूल करना चाहते हैं वह डीलर पहले सीरियल्स में डील करता था तो उस पर नहीं था अब उस पर भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और सीरियल जहां पड़ी रहे तो भी वसूल करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : एक सवाल.....

श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली) : ऐसी बात है......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टर्न ओवर को लिमिट करने का क्लॉज है कि अमुक टन ओवर वालों पर ही लगेगा ऐसे नहीं लगेगा....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : हम लगाना नहीं चाहते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप लगाना नहीं चाहते लेकिन यह एग्ज़ेम्पृशन था। उस एग्ज़ेम्पशन को किसी नोटिफिकेशन के जरिये विथड्रा कर लिया गया। जब नोटिफिकेशन अपनी जगह विथड्रा किया हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि टैक्सेबल है, टैक्स तो लगेगा। अब इस टर्न ओवर से लाभ मिलने वाला है ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस क्लॉज को डिलीट कर देते हैं तो टर्न ओवर लिमिट किसी सीमा तक दिया गया है वह नहीं रहेगा तो और ज्यादा कठिनाई हो जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह नहीं रहेगा तो वसूल नहीं हो सकेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसको मद्दे नजर रखते हुए कुछ डिलीशन के लिए कहना चाहते हों तो कहें।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : On a point of information.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of information.

श्री उपाध्यक्ष : There can be one point of information.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्य–महोदय

श्री उपाध्यक्ष : One at a time please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री संपत्तिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय जिस क्लॉज पर डिसक्शन हो रहा है वह समझ में नहीं आया कि वास्तव में बात क्या है। इस क्लॉज में व्यवस्था की गई है कि जो अनाज पर टैक्स लगेगा उसमें यदि उसकी बिक्री पांच हजार की होगी तो टैक्स देना पड़ेगा यानी इसमें टैक्स तो लग चुका है और टैक्स लगने के बाद अब तक चालू था, उसमें यदि कोई व्यापारी पन्द्रह हजार की बिक्री करता है तो उस पर टैक्स था, कम बिक्री पर टैक्स नहीं था। अब सरकार ने पन्द्रह हजार की लिमिट घटा कर पांच हजार कर दी है। उसमें यदि कोई अनाज बेचेगा और उसकी पांच हजार की आमदनी होगी तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए हम विरोध करना......

श्री उपाध्यक्ष : आपका पोइण्ट था वह स्पष्ट हो गया है।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : एक सेकिंड में इसके लिये और कहूंगा कि इसमें पोइण्ट है कि वित्त मंत्री महोदय ने जो अमेण्डमेण्ट रखा है वह कहता है कि अनाज की बिक्री करेगा उसकी बिक्री पांच हजार की है तो लगेगा। मेरा विरोध है कि पहले पन्द्रह हजार तक टैक्स माफ था अब पांच हजार पर टैक्स रखा जायगा। जैसा उप-मंत्री जी ने बताया कि यह हर आदमी पर लग जायगा ऐसा नहीं है। आज कोई आदमी बिक्री करता है––अनाज की बिक्री करता है। वह पन्द्रह हजार की बिक्री करता है। अगर इसमें नहीं हो तो टैक्स नहीं लगता है। अगर वह अमेण्डमेण्ट हो जायगा तो पांच हजार की बिक्री पर टैक्स लग जायगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : आप डिलीशन के लिए कहना चाहते हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : अभी प्रस्ताव...

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आप इस क्लॉज के डिलीशन के लिए कहना चाहते हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : डिलीशन के लिए और बहस पर भी।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पांच हजार की लिमिट जो प्रपोज की गई है वह बहुत कम है। पहले जो पन्द्रह हजार की लिमिट थी वह थोड़ी बहुत रिलीफ देती थी। हमारी भावना है कि अनाज पर, दाल पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं रखा जाय और जो व्यापारियों के लिए पांच हजार से अधिक पर तय किया जाता है वह लिमिट पांच हजार न रख कर आगे रखी जाय और वह पन्द्रह हजार रखो जाय। इसका कारण स्पष्ट है कि सस्ता अनाज सप्लाई करवाने, दिलवाने की जन प्रतिनिधि

(राधाकृष्ण गोयल)

सरकार की जिम्मेदारी है। अगर अनाज को मंहगा करने के लिये कोई कदम उठाया जाता है तो जन प्रतिनिधि सरकार न रह कर आततायी सरकार बन जाती है, बल्कि इस प्रकार जैसा चाहे वैसा कानून बनाने की चेष्टा करते हैं और एग्रीकल्चरल एरिया में उसको लगाया जाता है। जिस प्रकार इस टैक्स को लगाया जा रहा है तो उसका तोन प्रकार से हमें नुकसान पहुंचेगा। एक तो यह है कि जो उत्पादक वर्ग है—वह बिक्री करेगा उस पर टैक्स बढेगा और वह उत्पादक से वसूल कर लिया जायगा और इस प्रकार जो कन्ज्यूमर्स हैं उनको अनाज मंहगा मिलेगा। दूसरे जो व्यापारी वर्ग है उसको अपना लाइसेन्स लेने में अपना हिसाब किताब वगैरह रखने में काफी खर्च करना पडेगा। इस प्रकार कन्ज्यूमर्स पर असर पहुंचेगा और उत्पादन करने वालों का खर्च बढेगा। इस तरह करीब ७० हजार रुपये की राजस्थान सरकार को इसके द्वारा प्राप्ति होगी उसके मुकाबले में जनता को दो, तीन करोड की हानि हो सकती है। इसलिये करोड रुपये का जनता का नुकसान करके राज्य कोष के लिये ७० हजार रुपया प्राप्त करना जनहित में नहीं है। इसलिये इस प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए और अगर लगे तो पन्द्रह हजार की सीमा को घटा कर पांच हजार नहीं करना चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने इस बात को बडी सफाई के साथ रखा है। वे सोचते हैं कि इस क्लाज के पास हो जाने से अनाज के ऊपर टैक्स लगाने की कोई बात नहीं आती। परन्तु जो टर्न ओवर होगा, इसमें अनाज शरीक होगा, यह बात वे मानते हैं। सवाल यह है कि अनाज शरीक होता है तो बुनियादी नीति के अनुसार आप अनाज के ऊपर टैक्स लगाते हैं, क्योंकि टर्न ओवर में जुड जाता है। इसकी नीति के रूप में मैं सख्त विरोध करता हूं। प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री की क्या मंशा है? वे बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं लगा रहे हैं। यह सवाल अलग है। परन्तु एक दूसरी तरह इस बात को रखा जाना और जनता पर टैक्स लगाना एक अलग चीज है। मैं समझता हूं कि कभी कभी कोई चीज को अपनी प्रेस्टिज का प्रश्न लोग बना लेते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आप कह रहे थे कि हम लोकतंत्र में विरोधी पक्ष की बात को बडी शांति के साथ में सुनना चाहते हैं और उस पर गम्भीरता से सोचना चाहते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पक्ष को है कि अनाज के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वह टैक्स कुछ लोगों पर पडे और आम लोगों के ऊपर नहीं पडे? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह गांव के गरीब आदमियों पर पडेगा। राजस्थान में इतनी गरीबी है कि गांवों के अन्दर आपको सौ में से पचास आदमी ऐसे मिलेंगे जिनके पास जमीन नहीं है और अगर उन्हें जमीन मिलजजाती है तो उस पर उत्पादन करके बाजार से चीजें खरीद कर लाते हैं और अपना निर्वाह करते हैं। उन पर भी इसका असर पडेगा। इसका असर हर नागरिक पर पडेगा।

माननीय वित्त मंत्रीजी कह रहे हैं, बडे गर्व के साथ, बडे जोश के साथ कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वह राजस्थान की जनता के हित में कर रहा हूं, मैं विश्वासघात नहीं कर रहा हूं, धोखेबाजी नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, आप अनाज पर टैक्स

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

लगा रहे हैं, आप राजस्थान की गरीब से गरीब जनता पर टैक्स लगा रहे हैं और राजस्थान की भूखी जनता, जिनके वोट लेकर आप आये हैं, आपने उससे यह कभी नहीं कहा कि मैं सरकार में जाऊंगा और वित्त मंत्री बनूंगा तो अनाज के ऊपर टैक्स लगाऊंगा। आप अनाज पर टैक्स लगायेंगे, इस बात को आपने अपने घोषणा-पत्र में भी नहीं कहा, चुनाव के अन्दर नहीं कहा और जो जबरदस्त कागज छापे उनके अन्दर भी नहीं कहा कि सरकार अनाज पर टैक्स लगायेगी। इसके बावजूद आप अनाज के ऊपर टैक्स लगाते हैं और इस तरह जनता के साथ आप विश्वासघात करते हैं, अपने घोषणा-पत्र के साथ आप विश्वासघात करते हैं और राजस्थान की डेढ, दो करोड जनता, जिसके सामने घोषणा-पत्र रख कर आपने वोट प्राप्त किये हैं, उस दो करोड जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं और विश्वासघात कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको आप अपनी प्रेस्टीज का सवाल न बनाइये, अपनी नीति का सवाल बनाइये। अभी आप कह रहे थे, जोश के साथ, कि मैंने राजस्थान की जनता का हित किया है, मैंने नैतिक दृष्टि से ठीक किया है, कोई धोखेबाजो नहीं की, गद्दारी नहीं की। मैं कहना चाहता हूं कि यह टैक्स लगा कर आप राजस्थान की दो करोड जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं और जो घोषणा-पत्र आपने दिया था, उसकी खिलाफत कर रहे हैं। घोषणा-पत्र की एक नीति होती है, कांग्रेस ने जो नीति निर्धारित की थी और जिसके आधार पर आपने चुनाव लडा था उसमें यह चीज नहीं थी। यह चीज ला रहे हैं, यह बुनियादी चीज है और इसका राजस्थान की डेढ, दो करोड जनता के ऊपर असर पडने वाला है। उन पर असर पडने वाला है जिनकी आमदनी नौ पैसा, दस, बारह पैसा है, जो गांवों में बैठे हैं, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, जिनका चार, छः आने मजदूरी मिलती है। वे बाजार से सामान खरीदते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसलिये जिस दूसरे दबाब या कांग्रेस के लोगों के दबाव से मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी जोरों के साथ कि हमारे यहां लैंड रेवेन्यू नहीं बढेगा, वह घोषणा उन्होंने की क्योंकि कांग्रेस का दबाब था, कांग्रेस का भीतरी दबाव था इसलिये कोई फैसला कर दिया। उसके लिए भी ग है। लेकिन इस बात के लिए फैसला करना था वह नहीं किया और घोषणा-पत्र को भूल गये और उस मामले में कोई बात कही भी हो तो उसका निर्णय नहीं किया। मैं निवेदन करूंगा कि आप जनता की आवाज को मान कर कार्य करें या अपने सिद्धान्तों से त्याग-पत्र दे दीजिये और त्याग-पत्र नहीं दे सकते हैं तो आप हिम्मत से कहिये कि मैं इन टैक्सों को माफ करूंगा, अन्यथा त्याग-पत्र दे दीजिये; यह जनता का प्रश्न है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह उपयोगी क्लाज है। इसके बारे में कुछ भ्रम हो गया है। मैं· · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य केवल भ्रम को दूर न करें डिलीट करने के लिये कुछ बताना चाहते हैं तो कहें।

श्री मानसिंह महार : वे नाज के बहाव में न जावें। पहले आपने १५ हजार के टर्न ओवर पर टैक्स लगाने की बात रखी थी, वही ५ हजार कि, की है। मैं सीधा इस पर आता हूँ और यह कहना चाहता हूं कि यह बात बहुत

Page No 92

(श्री मानसिंह महार)

घातक होगी। गांव में छोटे छोटे दुकानदार दुकानें करते हैं और उनकी टर्न ओवर ५ हजार से ऊपर हो सकती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि थडी वाले ५ हजार से ज्यादा का टर्न ओवर कर लेते हैं। अगर आप इस पर सेल्स टैक्स लगाते हैं तो उनको बहुत दिक्कतें होंगी। आप शहरों में रहते हैं इसलिये आपको यह अनुभव नहीं है और उनकी क्या दशा होगी यह आपको मालूम नहीं होगा। हम लोग जो गांव में रहते हैं यह अच्छी तरह से जानते हैं। आप तो बड़े शहर से चुनाव लड़ कर आये हैं इसलिये आपके दिमाग में भ्रम है उसको मैं दूर करना चाहता हूं। गांवों में एक आदमी पांच हजार की बिक्री करता है मगर वह एकाउन्ट मेन्टेन नहीं करता है। आपके दिमाग में अनाज पर टैक्स लगाने की इच्छा, प्रवृति और भावना पैदा हुई उसको कार्यान्वित करने के लिये आपने ऐसा देखा कि बड़े व्यापारी पर यह रखा जावेगा तो आपको आमदनी कम होगी। आपने यह डिलेट करके सब व्यापारियों के लिये आपत्ति पैदा कर दी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको डिलेट करने से अनाज के टैक्सेज विथड्रा होते हैं। यह तो सिम्पल क्लाज है। आपने पिछली दफे माना, आपने १० हजार के टर्न ओवर से १५ हजार का टर्नओवर किया। हमने आपको धन्यवाद दिया। आज हमारी समझ में नहीं आता कि आपका दिमाग फिर आसमान से जमीन में कैसे गिरता जा रहा है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप इस तरह के टैक्सेज रखेंगे तो हम तो उसका विरोध करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ५ हजार के टर्न ओवर वाले छोटे व्यापारियों को परेशान मत करें। आप १५ हजार की छूट उनको रखिये। आप दृढ संकल्प हैं कि काश्तकारों के पेट चीरेंगे और अनाज पर टैक्स लगावेंगे तो यह मैं आपके दिमाग में जंचाना चाहता हूं और यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप १५ हजार वाली बात रहने दें। मैं समझता हूं कि अगर आप समझ जावेंगे तो वाजिब बात होगी तो हम भी उसमें आपको सहयोग देंगे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी हमारे नेता ने कहा कि मान लेते हैं अगर सदन मांग करे। मगर मैं यह कहूंगा कि यह सही है कि आपने पावर्स सदन से ले रखे हैं कि जिसके द्वारा आप नोटिफिकेशन्स के जरिये सेल्स टैक्स लगा सकते हैं और माफ कर सकते हैं और आज आप इस बिल के द्वारा इस सदन की मोहर लगवा रहे हैं। आज तक आपने नियम बना रखा था कि १५ हजार का टर्न ओवर होता है उसमें एग्जेम्पशन रखा था। उसमें यह शब्द नहीं थे अनाज या दालों के व्यापारी जो व्यापार करते हैं। आज अनाज पर टैक्स लगाया गया है। उसके टर्न ओवर की सीमा में आपने १५ हजार से ५ हजार कर दिया है और वह इस फाइनेन्स बिल के जरिये से किया है। इसको डिलेट करने की हम मांग करते हैं। आज आप बड़े बड़े व्यापारियों की बात छोडिये। आप छोटे उत्पादन करने वालों को नहीं छोडना चाहते हैं। आज आप गांवों में देखेंगे कि थडी लगा कर एक छोटा व्यापारी बैठता है उसको भी आप समाप्त करना चाहते हैं। आप सदन से दूर रह कर नोटिफिकेशन से करना चाहते हैं।

दूसरी बात मुझे कहनी है वह यह है कि जैसा पहले कहा गया था मुझे उर्दू तो नहीं आती है मगर फिर भी कहूंगा कि जैसा श्री ज्वालाप्रसाद ने कहा 'पुरफरे व तखयल'

ठीक उसी तरह का यह क्लाज है जो आप यहां लाये हैं। जो आपने नये टैक्स लगाये हैं उस पर सदन की मोहर लगाना चाहते हैं जिसका हम विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के सम्माननीय सदस्यों की राय आ चुकी है। अब माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का समय दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष :Order! Order please!!

श्री अब्दुलजब्बार : मैं सिर्फ एक मिनट के लिये इजाजत चाहता हूं। सिर्फ एक शेर कहना चाहता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे--शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमन्, यह जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है और उस पर जो बहस हुई है महज माननीय सदस्य जो अनाज के टैक्सों के खिलाफ हैं·······

एक माननीय सदस्य : अनाज के खिलाफ नहीं है, टैक्सों के खिलाफ हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : टैक्सेज के खिलाफ हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : इस पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि चार दिनों तक जनरल डिबेट हुई उसमें यही बात कही गई। कल दिन भर बहस हुई वह इसी पर हुई। सदन के सामने जो क्लाज है वह यह नहीं है कि अनाज पर टैक्स लगाया जाय।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह सारा चार दरवाजों से लेना है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय मंत्री नाजायज चीज पर टैक्स लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुन लें।

श्री बालकृष्ण कौल : प्रश्न अनाज पर टैक्स का नहीं है, प्रश्न है वह यह कि किसके जरिये कौन एजेन्ट हो, जिसके जरिये यह टैक्स वसूल किया जावे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बडी वकालत से इसको रखा है।

श्री बालकृष्ण कौल : टैक्स तो लगा हुआ है। किस जरिये से·······

एक माननीय सदस्य : टैक्स अनाज पर लगा हुआ है ?·······

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री बालकृष्ण कौल : किस एजेन्सी के जरिये यह वसूल किया जावे, प्रश्न सिर्फ यह है। इसलिये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बकरा बंधा है, उसको नया जल्लाद कैसे काटे ?

श्री बालकृष्ण कौल : एक माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा वह यह था कि १५ हजार

Page No 94

(श्री बालकृष्ण कौल)

के बजाय ५ हजार का टर्न ओवर का प्रावधान है, वह नहीं किया जाय। इसके माने यह होंगे कि टैक्स के कलेक्शन की एजेंसी उस व्यक्ति के पास डीलर के पास, नहीं होनी चाहिये जिसका टर्न ओवर ५ हजार है। एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव रखा कि गांवों में डीलर्स हैं उनको बडी दिक्कत होगी उसका हिसाबात रखने में और इसलिये ५ हजार की बजाय १५ हजार ही रखा जाय। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनको तसल्ली हो जाय, छोटे डीलर हैं जिनका ५ हजार टर्न ओवर है उन्हें यह भी आश्वासन हो जाय कि हिसाबात की और सेल्स टैक्स की दिक्कतें नहीं होंगी तो हमारी तरफ से इस क्लॉज को सपोर्ट करेंगे। श्रीमान्, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे क्लॉज २४ को देखें·······

श्री विजयसिंह झाला : कौन सपोर्ट करता है?

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो वे खुद समझते हैं।

श्रीमान्, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जहां हमने ५ हजार की टर्न ओवर की वहां क्लॉज २४ इस फाइनेन्शियल बिल में रखा है। इस क्लॉज को पढ लें तो जितने छोटे डीलर्स हैं उनको सुविधा दी है कि न उनको हिसाब रखने की जरूरत है, न रिटर्न देने की जरूरत है, उनको तो हिसाब कम्पाउन्ड करके असेसमेन्ट होगा, हिसाबात रखने की आवश्यकता नहीं। ३० थाउजेंड तक का आउट टर्न है उनको यह रखना पडेगा। क्लॉज २४ में यह रख दिया है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : On a Point of information, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Order ; Order please!

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : २४ में उनके लिये कहा है जो ३० हजार का बिक्री करते हैं वह तो इससे भी खराब है।

श्री उपाध्यक्ष : वह क्लाज आये तब फरमाना।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : तो इस बात को कह कर हमें मुगालता क्यों देना चाहते हैं? १५ हजार की छूट से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें तो एव्रीडे (everyday) इन्सपेक्टर वगैरह जा कर तंग करेंगे। इस क्लाज को तो डिलीट ही कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात स्पष्ट हो गई।

श्री बालकृष्ण कौल : क्लाज २४ इसलिये रखा था·········

श्री विजयसिंह झाला : क्लाज २४ का तो नाम ही मत लो।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं तो रखूंगा।

इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट रखा है, उसको स्वीकार नहीं करता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं एक जानकारी चाहूंगा। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा हम जानना चाहते हैं कि यह एजेंसी जिसके जरिये टैक्स वसूल किया जायेगा तो जो टैक्स यह एजेंसी वसूल करेगी उसमें अनाज है कि नहीं?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैंने कहा न कि अनाज का टैक्स लगा हुआ है, आप १५ हजार के आउट टर्न वाले को स्पोर्ट दें

Page No 95

(श्री बालकृष्ण कौल)

कर रहे हैं, आप डाइरेक्टली, इन्डाइरेक्टली बिजनेसमैन को ही स्पोर्ट कर रहे हैं।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलना–शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!! Order please !!!

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लाज १७ पर आये हैं उनको माननीय सदस्य वापिस लेना चाहेंगे या नहीं ?

एक साथ अनेक माननीय सदस्य : नहीं साहब।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : delete this clause.

श्री उपाध्यक्ष : Now I am putting the clause to Vote.

एक माननीय सदस्य : हमारे अमेंडमेंट का क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न से अपने आप निर्णय हो जायगा।

प्रश्न यह है कि क्लाज १७ विधेयक का अंग बने।

(मत-दान के पश्चात्) 'हां' पक्ष जीता।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : 'ना' पक्ष जीता।

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य : 'A yes' have it.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'Noes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Do you want Division ?

(विभाजन–घंटी)

श्री मानसिंह महार : घास चरने वालों को वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order Sir. उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी भी डिविजन होता है तो डिवीजन के पहले जिस विषय पर डिवीजन होता है उस विषय को बताना आवश्यक है। इसलिये आवश्यक है कि उस समय अनेक माननीय सदस्य यहां सदन में उपस्थित नहीं थे इस लिये उनको बताया जाय कि अनाज पर टैक्स लगाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please !!

प्रश्न यह है कि क्लाज १७ विधेयक में अंग रूप से जोडा जाय।

(मतदान के पश्चात्)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : 'हां' पक्ष जीता। 'A yes' have it Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'Nois' have it, Sir

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 'हां' पक्ष वाले 'हां' कक्ष में जायं और 'ना' पक्ष वाले 'ना' कक्ष में जायं।

(विभाजन के पश्चात्)

Order please;

नतीजा इस प्रकार से है :—

'हां' पक्ष ७१

'ना' पक्ष ५०

क्लॉज १७ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विभाजन सूचियों के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य इस प्रकार हैं :—

Page No 96

'हां' पक्ष

श्री अलदाराम मीणा
श्री अमृतलाल यादव
श्री बालकृष्ण कौल
श्री भगराज चौधरी
श्री भरतलाल
श्री भवानीशंकर नन्दवाना
श्री भीखाभाई
श्री भीम सेन
महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री छोटू राम
श्री छुट्टन लाल
श्री दौलतराम सारण
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेश लाल
श्री गंगासिंह परिहार (हिंडौली)
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री घासीराम यादव
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुल चन्द
श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
श्री गोविन्द सिंह (पिडावा)
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हनुमान सिंह चौधरी
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
डा० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिराम धारू (सिवाना)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री जगन सिंह
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरबड
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद
श्रीमती कमला बेनीवाल
श्री काना भाई नुवाल
श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)
श्री किशन सिंह बाटड
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
श्री लालाराम
श्री मालम सिंह
श्री मन फूल सिंह
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोहन राज
श्री मोतीलाल चौधरी
श्री नाथूराम (बागीडौरा)
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्रीमती निर्मला देवी नाहर
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूल चन्द जैन
डा० पोहूमल ईसरदास
श्री रघुनाथ विश्नोई
श्री रामचन्द्र
श्री रामदेवसिंह
श्री रामप्रसाद लढ्ढा
श्री रविशंकर याज्ञनिक
श्री शंकरलाल जाट

श्री शीशराम ओला
श्रीमती सुमित्रा
श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
श्री तेजाराम गहलोत
कुमारी उमा माथुर
श्री विरधाराम फुलवारिया

'ना' पक्ष

श्री ए. जब्बार
श्री अभयसिंह
श्री अमरसिंह (दूदू)
श्री भैरोंसिंह शेखावत
श्री चन्द्रसिंह बर्फा
श्री चौथमल वर्मा
श्री छत्रसिंह
श्री चोसर सिंह बाबेल
श्री दयाचन्द सौन
श्री दिग्विजयसिंह
श्री फतेह सिंह
वैद्य श्री गोविन्द सहाय
श्री गोविन्द सिंह (कुम्भलगढ)
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री हीराभाई
श्री जयलाल
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री जावन्दसिंह
ठाकुर श्री जीवराजसिंह
श्री जोधसिंह चौहान
श्री केदार नाथ
श्री केसरीसिंह (पाली)
श्री कुमारानन्द
श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल
श्री ललित मोहन
कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवडी
श्री मानिक चन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
श्री मावा
श्री मोहर सिंह राठौड
श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल
श्री मुरलीधर व्यास
श्री नाना राठौड
मास्टर श्री नत्थी सिंह (गोविन्दगढ)
श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
श्री नाथूलाल करोल
श्री राधाकृष्ण गोयल
राव श्री रघुवीरसिंह (बाडी)
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री रामकिशन
श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
श्री सतीश कुमार शर्मा
श्री श्योपत सिंह
श्री स्वरूपसिंह
श्री उदयलाल वर्दिया
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयपाल कटार
श्री विजयसिंह झाला
श्री विठ्ठल
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा]:--

श्री **उपाध्यक्षः** क्लॉज १८;
श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : संशोधन इस प्रकार है :-- क्लॉज १८ द्वारा सेक्शन ५ में जहां पहले ४ परसेन्ट था वहां पर अब जनरल रेट ६ परसेन्ट किया गया है, इसमें मेरा प्रस्ताव है कि ४ परसेन्ट से जहां ६ परसेन्ट किया गया है

(श्री सम्पत्ति लाल बोहरा)
उसके बजाय ५ परसेंट किया जाय, जो गत वर्ष लिया गया था।

इसके बारे में मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सेक्शन ५, जिसमें········

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): सेक्शन १८।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सेक्शन ५, क्लॉज १८।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज १८।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सदन ने जो अधिकार सरकार को दिये थे वे यह थे कि ३ रु० २ आना जनरल रेट होगी और उसके अलावा कितने ही प्रोवीजो हैं, उस रेट को बढा कर सरकार ने ४ परसेन्ट की वह भी बात ठीक थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने ४ परसेन्ट को बढा कर ५ परसेन्ट की गत वर्ष और इसके लिये सदन से सरकार ने अनुमति नहीं ली। इस तरह से अब ५ से ६ परसेन्ट किया जा रहा है और वैसे सदन से ४ परसेन्ट से ६ परसेन्ट करने की अनुमति मांगी गई है। जितना टैक्स बढा है उस हिसाब से ३ रु० दो आना जहां जनरल रेट थी वह अब बढ कर ६ रु० २ आना हो गई। करीब दुगुना हो गई है और इसके अलावा सेन्ट्रल सेल्स टैक्स १ परसेन्ट से २ परसेन्ट हो गया। यह जनरल रेट पर बढा। इस प्रकार यह अधिक हो गया। इसलिये गत वर्ष जो आपने ४ परसेन्ट के बजाय ५ परसेन्ट कर दिया था उसको चालू रखें तो अच्छा होगा। जहां ७ परसेन्ट था वहां १० परसेन्ट कर दिया है और बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको ५ परसेन्ट से ७ परसेन्ट कर दिया है। इसलिये यदि जनरल रेट ५ परसेन्ट ही रखी जाय तो कोई हानि नहीं होगी। ४ परसेन्ट से ६ परसेन्ट किया जा रहा है उसको ५ ही किया जाय। पहले आपने बिना अनुमति के ही ४ से ५ परसेन्ट कर दिया था वह गैर कानूनी था।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज को '६' से '५' करने के संबंध में मेरा निवेदन है। वित्त मंत्री महोदय ने गत वर्ष भी चार परसेन्ट सेल्स टैक्स लगाया था उसके लिये हाउस से अनुमति ली थी, उसके बाद अवैधानिक तरीके से उन्होंने पांच परसेन्ट वसूल कर लिया। अब यदि उन्हें ६ परसेन्ट ही करना था तो ५ के स्थान पर ६ कर दिया जाय, यह संशोधन करना चाहिये था। आज हम देखते हैं हर बिल में किसी न किसी प्रकार टैक्स लग रहे हैं। ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही जिस पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं। आज कोई चीज टैक्स से वंचित नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सेल्स टैक्स की दर पांच प्रतिशत ही रखी जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १८ के अन्दर मेरा संशोधन है। वह इस तरह का है जहां चार परसेन्ट की जगह ६ परसेन्ट के लिये कहा गया है वहां मेरी तजवीज यह है कि ६ के बजाय ५ परसेन्ट किया जाय।

जैसा कि इस वित्तीय वर्ष के अन्दर हमारी भारत सरकार ने सेल्स टैक्स की दर एक परसेन्ट से दो परसेन्ट कर दी और राजस्थान सरकार ने यहां इस कानून के अन्दर जहां ४ परसेन्ट का पहले अधिकार दिया गया था उसकी जगह ६ परसेन्ट कर

Page No 99

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छा यह होता कि अब तक जो वसूल किया गया है वही इस समय स्वीकृति के लिये रखा जाता, क्योंकि आज जिस तरह का कानून रखा जा रहा है उससे स्पष्ट साबित हो जाता है कि ५ परसेन्ट जो वसूल किया गया है वह वसूल नहीं किया जा सकता था। इसलिये इसमें ४ परसेन्ट से ६ किया है वह ६ से ५ किया जाना चाहिये। आज अगर ३ परसेन्ट रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स बढता है तो ३ से ४ परसेन्ट तक बढता है तो गरीबों के लिये अपना जीवनयापन मुश्किल हो जायगा। खास तौर से उन व्यापारियों के लिये जो छोटे अनाज के व्यापारी हैं जिनकी आमदनी कम है वे ३ परसेन्ट भी मंहगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिविल लाइन्स में बैठे रहने वालों को क्या पता कि गरीब जनता पर इन टैक्सेज का क्या मार पड़ेगा? इसलिये मेरा निवेदन है कि ६ के स्थान पर ५ रखा जाय।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस क्लॉज को डिलीट करने के लिये प्रस्ताव करता हूं। यह सेल्स टैक्स जो है यह जनता पर भारी बोझ है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट पहले से दो परसेन्ट सेल्स टैक्स वसूल कर रही है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि राजस्थान बहुत बडी ऊन की मंडी है। इन्डिया की सबसे ज्यादा ऊन यहां से बाहर जाती है। इस पर जो टैक्स लगाया है पहले दो लाख के टैक्स थे वह अब बढकर ४० लाख तक हो गये हैं, यह बहुत अन्याय है। इसलिये मैं इस क्लॉज का विरोध करता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमन्. माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यगण अपने संशोधन वापिस लेंगे? प्रश्न यह है कि··

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of order, Sir.........

श्री उपाध्यक्ष : While putting a question, there cannot be any point of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : I raised the point of order before the question was put, Sir. It was not heard by your Honour because the microphone is not in order.

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : The Hon'ble Member Should observe decom.

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न यह है..........

श्री उपाध्यक्ष : आप किस विषय में बोलना चाहते हैं?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न इसी मुद्दे से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स के मुताबिक यह संभव नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने आपसे प्रश्न पूछने से पहले ही·······

श्री उपाध्यक्ष : आप इस व्यवस्था को स्वीकार करें।

Page No 100

श्री मानिकचन्द सुराणा : ४ परसेन्ट की परमिशन थी हाउस द्वारा, आप ६ परसेन्ट कैसे कर रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्यतलिफ राय हो तो आप वोट अलग दे दें ।

(शोरगुल)

प्रश्न यह है कि······

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : पहले उनको जवाब देना पडेगा कि ४ परसेन्ट से ६ परसेन्ट कैसे कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की व्यवस्था कायम रखना माननीय सदस्यों का परम कर्त्तव्य है । मैं नियम २९४ (६) की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं उसमें यह स्पष्टतया लिखा है : (c) When a question on any motion is beirg put to the House, a Member shall not raise a po:nt of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके खडे होने से पहले ही खड़ा हो चुका था । मेरी आवाज माइक्रोफोन की खराबी की वजह से आप तक नहीं पहुंच सकी; इसमें हमारा क्या दोष है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदन की प्रतिष्ठा बनाये रखना हमारा भी परम कर्त्तव्य है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने ऊपर ही क्यों लेते हैं ? मैं जबकि प्रश्न रखने के लिये खड़ा हो गया वैसी हालत में जब कि मैं कह रहा हूं आपपोइन्ट ऑफ आर्डर नहीं उठा सकते, इसे आपको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपके खडे होने से पहले माननीय सदस्य खड़े हो चुके थे । आप व्यवस्था दे चुके, फिर भी This involves a very important point.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपकी व्यवस्था को हम शिरोधार्य करते हैं, इसमें कतई किसी के अपमान का सवाल नहीं. .

श्री उपाध्यक्ष : यह तो व्यवस्था को मानना नहीं हुआ ।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जब प्रश्न रख रहे थे उस समय पोइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकते, यह हम मानते हैं । लेकिन बात यह है कि आपके खड़े होने से ,पहले हमने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठा दिया था । वह आप तक नहीं पहुंच सका, इसमें हमारा क्या दोष है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन पर ही विश्वास रखिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय.

श्री उपाध्यक्ष : Order please मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आसन के नोटिस में नहीं आया । मैं हर समय हर प्रकार से सभी मेम्बरों का ध्यान रखता हूं । माननीय सदस्य के खड़े होने पर भी मेरा भी ध्यान नहीं गया । मेरी त्रुटि हो सकती है, फिर भी जब व्यवस्था दी जा चुकी तो उसको मानने में माननीय सदस्य का लाभ है ।

Page No 101

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की प्रतिष्ठा को बचाने के लिये तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : I shall be only allowed to eat my own words, and I hope you will not reduce me to that position.

श्री मानिकचन्द सुराणा : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, में रूल्स को रिलेक्स करने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं

श्री उपाध्यक्ष : में व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of order, Sir, I am urging your Honour to relax the Rules under Rule 306 of the Rules of Procedure.

३० में यह प्रावधान यह है कि :—

"कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू हो निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायगा।"

में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मान्यता को और जजमेन्ट को हम चैलेन्ज नहीं करते, पर इन नियमों में प्रावधान है कि आप जब चाहें तो रूल्स रिलेक्स कर सकते हैं तो जो पोइन्ट आफ आर्डर की प्रक्रिया है उसको रिलेक्स करें और सरकार को जो सदन ने ४ परसेन्ट टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया था और यह बात सदन के समक्ष आ गई है तो यह सदन का पूर्ण अधिकार है कि वह यह जानकारी ले कि ५ परसेन्ट क्यों वसूल किया गया, जब कि ४ परसेन्ट की ही सदन की मन्जूरी थी। सदन की इस स्वीकृति की अवज्ञा सरकार ने क्यों की और किस कारण से ४ परसेन्ट की जगह सरकार ने ५ परसेन्ट सेल्स टैक्स वसूल कर लिया। तो जब तक इसका वे उचित जवाब नहीं दे दें तब तक ४ से ६ की बात करना भी गलत है, क्योंकि टैक्स तो ५ परसेन्ट रियलाइज किया गया है।

अब इस बात के लिये मूव किया जा रहा हो कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से अधिकार दे दिया जावे ताकि कोई भी रिफण्ड का प्रश्न नहीं होता। अब क्योंकि उनकी स्थिति खराब है और दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है इसलिये इस रूल को रिलेक्स करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : इसके सन्दर्भ में में अर्ज करना चाहता हूं कि अब इसके लिये समय नहीं रहा। तो में अब रख रहा हूं कि प्रश्न यह है कि क्लाज १८ विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें हां।

जो इसके विपक्ष में हों वे 'ना' कहें ना।

(मत-दान के पश्चात)

'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : "Noes" haveit Sir

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : Point of order, Sir....

श्री उपाध्यक्ष : अब तो आप बैठ चुके।

श्री मुरलीधर व्यास : अब भी मैं पोइन्ट आफ आर्डर रेज कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब कैसे कर सकते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार का कोई भी विभाग अगर गलती से ४ परसेन्ट की जगह ५ परसेन्ट की वसूली कर ले और··

श्री उपाध्यक्ष :

Order, Please order.

Why are you putting the chair in such on odd position ? It is not a trial of the chair. It is a question of 'Vayavastha' in the House.

प्रश्न यह है कि क्लाज १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज १८ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : On a point of order, Sir, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक बडा ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था और वह प्रश्न यह था कि ४ परसेन्ट से ६ परसेन्ट सेल्स टैक्स किया जावे। अब कहा यह जा रहा है कि ४ से ६ किया जावे, जब कि वसूल जो किया गया है वह ५ किया गया है तो जब तक सरकार इस ५ को कैसे वसूल किया उसका सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण न कर दे तब तक ४ का सवाल और ६ करने की बात कहां पैदा होती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अब इसका कहीं एन्ड भी होगा। प्रश्न कई बार उठ गया जवाब भी इसका दे दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथहांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय···

श्री उपाध्यक्ष : Order please, order

श्री मुरलीधर व्यास : यह स्पष्ट नहीं किया गया, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह पोइन्ट आफ आर्डर हमारे नियमों के अनुसार और परम्पराओं के अनुसार अब नहीं उठाया जाना चाहिये, क्योंकि वह क्लाज खत्म हो चूका। अब उसके विषय में फिर बहस नहीं उठाई जा सकती। अब तो इसके लिये दूसरे उपाय मौजूद है, आप उनका उपयोग कीजियेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : सुन तो लीजिये, मैंने कहां उठाया, क्या नहीं; मैं तो अभी बोला ही नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नम्र निवेदन करता हूं····

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह कह रहा हूं····

श्री उपाध्यक्ष : अब उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : सुनिये तो सही, मैं क्या कह रहा हूं ? मैं कह यह रहा था कि ४ से ६····

श्री उपाध्यक्ष : That is on the same clause.

श्री मुरलीधर व्यास : वसूली ५ की की गई। तो लिखते आप ४ हैं, तो क्या यह लिखना वैधानिक है ? इसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : कहते ४ हैं और वसूल करते हैं ५; तो यह वैधानिक कैसे हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : इसको आप थर्ड रीडिंग में शुद्ध करा लीजिये।

(विराम)

क्लाज १९; इस पर कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज १९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लाज १९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लाज २०, श्री बालकृष्ण कौल।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) :

1. In the new section 5-B sought to be inserted, in the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, the following words shall be added at the end namely:—"and provisions of section 10-A shall, *mutatis mutandis* apply to every such person and in respect of matters not covered by section 10-A, other provisions of the Act shall apply as if he were a dealer".

2. In sub-section (1) of the new section 5C, sought to be inserted in the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, the following commas and words shall be deleted, namely:—"other than these exempted under section 4,"

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दी में यह बिल होता तो हमारी समझ में पड़ता। अब मिनिस्टर अगर रिप्लाई दें तो हिन्दी में बोलें। हम सब को समझना जरूरी है।

(व्यवधान)

हिन्दी में पढ़ा जावे। इस अंग्रेजी को कोई समझ नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

श्री हीराभाई : उपाध्यक्षजी, आपने क्या किया, यह तो हमको मालूम पड़े। 'हां, ना' कुछ तो कहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके हुक्म के मुताबिक, आपकी ही चेयर के हुक्म के मुताबिक जो वित्तीय बिल आया है वह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में आया है। अब उसमें जो भी परिवर्तन मन्त्री महोदय करने जा रहे हैं तो वह परिवर्तन अंग्रेजी में मिल रहे हैं, हिन्दी में नहीं मिल रहे हैं। यह आपके आदेश के विपरीत हैं। आपकी व्यवस्था है कि जो भी हो, हिन्दी, अंग्रजी दोनों में मिले। हमें यह सिर्फ अंग्रेजी में मिला है, हिन्दी में नहीं मिला। अभी जो मन्त्रीजी ने अंग्रेजी में पढ़ा वह हिन्दी म भी पढ़कर सुनावें ताकि जो हिन्दी ही जानते हैं, अंग्रेजी नहीं, उनकी भी समझ में आ जाय। जब चेयर की यह व्यवस्था है तो उसके मुताबिक कार्य होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आइंदा माननीय मन्त्री ऐसा ही करेंगे। हिन्दी में भी देंगे।

(विराम)

Yes, Shri Teja Ram Gahlot

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : हिन्दी में हमें मिलेगा साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : जी हां, हो जावेगा।

In new section 5B sought to be inserted in Rajasthan Act 29 of 1954,

(a) Delete the words, figures and commas "Notwithstanding anything contained in section 3, 5 and 5A but subject to the first proviso to section 5," and

(b) Substitute the word "Dealer" for the word "person"

In new section 5C sought to be inserted in Rajasthan Act 29 of 1954—

(a) In sub-section (1) insert the words "or sale outside the State or sale out of India" after the words "inter state trade or commerce."

(b) Delete sub-section (2) of section 5C.

(२) श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) एवं श्री रवीशंकर याज्ञनिक (पिंडवाड़ा):

In section "5B" sought to be inserted in Rajasthan Act 29 of 1954 substitute the word "five" for the word "Ten" occurring between the words "not exceeding" and "Percent".

(३) श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :

Omit section 5C sought to be inserted in Rajasthan Act 29 of 1954.

इस खण्ड पर संशोधन इस प्रकार है :

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्लाज २० पर उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन पहला है। ए. बी. सी. तीनों पर हैं मेरे। उनका तो एक पर है। मेरे पास जो कापी है, उस पर है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : है साहब, है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ५ बे में जो लाइव स्टाक पर कर लगाया गया है उसमें पहली लाइन है "Notwithstanding anything contained in sec. 3, 5 and 5A but subject to the first proviso to Sec. 5" यह इसमें डिलीट करने के लिये लिखा है। दूसरा यह है 'shall be payable by every person, who sells'..... उसके बजाय मेरा अमेन्डमेन्ट है

"Substituted the word 'dealer' for the word 'person."

इसमें मुझे यह अर्ज करना है कि जो सेक्शन्स ३, ५ और ५ए हैं यह एक लिमिट प्रेसक्राइब करते हैं कि जो व्यक्ति कोई बिक्री करेगा तो वह कब टैक्स का लायबिल होता है। तो सेक्शन ३ कहता है कि यदि कोई मैन्युफैक्चरर है रुद ५,०००) रु० की बिक्री करेगा तो लायबल होगा और manufacturers other than this है तो लायेबल होगा और और किसी प्रकार का व्यक्ति है जनरल डीलर है तो १२,०००) रु० की बिक्री करेगा तो टैक्स आयद होगा। लेकिन इन सबके होते हुए भी सेक्शन ३, ५ और ५ए पर लागू नहीं किया है और यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कैटल बेचेगा, कितना भी लाइव स्टाक बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स देना पडेगा। तो यह एक विशेष परिस्थिति निर्माण की गयी है जानवरों की बिक्री के लिये। मैं चाहता हूं कि जब हमारे यहां सेल्स टैक्स का कानून लागू है तो उसमें जो डीलर की डेफीनेशन है कि डीलर कौन है और किस लिमिट तक एग्जेम्पशन मिलना चाहिए वह एग्जेम्पशन इस लाइव स्टाक की बिक्री करने वालों को भी मिलनी चाहिये। मेरी मन्शा यह है कि यदि कोई १५,०००) रु० की बिक्री जानवारों की करता है तो उस पर बिक्री कर लगना चाहिए। अलबत्ता वह इस डेफीनेशन में नहीं आना चाहिए। इसमें जो मेरा अमेन्डमेन्ट है वह इस प्रकार का है कि कोई भी व्यक्ति यदि जानवरों की बिक्री करता है और उसकी बिक्री १५,०००) रु० से कम होती है तो उस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। इन वर्ड्स के निकालने के बाद यह परिभाषा बन जायेगी और आपने जो लिखा है उसका मतलब यह निकलता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कैटल बेचेगा, चाहे एक ही कैटल बेचे तो उसको टैक्स देना पडेगा। इस तरह से करके क्या आपकी यह मन्शा है कि साधारण से साधारण आदमी जो बिना पढा लिखा है उससे भी इस प्रकार का टैक्स वसूल करें, चाहे वह एक पशु की बिक्री करे या किसी की भी करे? तो मेरी मन्शा है कि इस प्रकार का जो क्लाज है वह इसमें से डिलीट कर दिया जाये और 'अदर पर्सन' के बजाय 'डीलर' कर दिया जाये और "Sub-section (2) of section 5C" यह डिलीट कर दिया जाये। इसके साथ ही सेक्शन ५सी में "In sub section (1) insert the words 'or sale outside the State or sale out of India' after the words 'inter state trade or commerce'." यह जो कन्सेशन रेट आफ टैक्स फोर रॉ-मेटीरियल्स का प्रोविजन ५सी में है इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि जो रॉ-मेटीरियल पर कन्सेशनल रेट्स प्रेसक्राइब की है वे सिर्फ उन लोगों के लिये की हैं जो माल राजस्थान में बेचेंगे या अन्तर-राज्य बिक्री करेंगे तो इसका सीधासादा अर्थ यह हुआ कि जो माल राजस्थान के बाहर बिकेगा या हिन्दुस्तान के बाहर बिकेगा उसमें आपने यह छूट नहीं दी है। इसका मतलब यह हो गया कि एक व्यक्ति जो माल अपने कारखाने में खरीदता है उसको पहले से यह प्लान करना होगा कि वह इतना माल तो राजस्थान में बेचेगा, इतना अन्तर-राज्य में बेचेगा और इतना हिन्दुस्तान के बाहर बेचेगा। क्या एक व्यापारी इस प्रकार का अन्दाजा लगा सकेगा कि यह माल कब वह राजस्थान में बेचेगा और कब आउट साइड दी स्टेट बेचेगा? तो मेरा निवेदन यह है कि एक व्यापारी के लिये इस तरह मुसीबत होनेवाली है और दूसरा main कारण यह है कि हमारी इन्डस्ट्रीज डेवलप नहीं होंगी। यदि हमने अपना माल डेवलप नहीं किया तो हमारी इन्डस्ट्रीज पनप नहीं सकेंगी। यदि यह क्लाज रख दिया गया तो इसका अर्थ यह होगा कि आप जितना माल पैदा करते हैं वह राजस्थान में बेचे और अन्तर राज्य बिक्री में बेचे। इसका सीधा सादा अर्थ यह है कि आप दूसरे प्रान्तों में अपना मार्केट क्रियेट नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष: Please be little brief.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: एक एक सब क्लाज के ऊपर एक एक सेकिन्ड ही बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : एक एक सेकिन्ड दो दो मिनट हो रहे ह ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: इसके बाद में सब-क्लाज (२) है । इसमें यह प्रावधान रखा है कि यदि ऐसा व्यक्ति जो माल राजस्थान में नहीं बेचेगा और बाहर बेच देगा उस पर जितनी रेट्स का डिफरेन्स है वह और उससे १। गुना पैनल्टी के रूप में वसूल किया जा सकता है । तो मेरा प्रस्ताव है कि इसको डिलीट कर दिया जाये क्योंकि इन्डस्ट्रियलिस्ट को यह नहीं मालूम होगा कि वह माल जो पैदा कर रहा है वह राजस्थान में बेचेगा या कहां बिकेगा । तो यह क्लॉज जो है यह डेट्री-मेन्टल टू दी इन्डस्ट्रीज है और इसको मान करके वित्त मंत्री महोदय ने २३ मार्च को नोटीफिकेशन निकाला है उसमें कुछ कन्सेशन्स दिये हैं । उसमें ऑयल इन्डस्ट्री को कन्सेशन्स दिये हैं । मेरा यह निवेदन है कि आप एक इन्डस्ट्री को एग्जेम्प्शन देते हैं तो दूसरी इन्डस्ट्री को भी एग्जेम्प्शन देना चाहिये । मैं यह चाहता हूं कि राज्य के विकास के लिए, इन्डस्ट्रीज की प्रगरा के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति राजस्थान में माल बना कर कहीं भी बेचे उसको मेटीरियल १ परसेन्ट के कन्सेशन पर लेने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज ५बी में मेरा अमेन्डमेन्ट है····

श्री उपाध्यक्ष: Hon' Member be please brief.

श्री तेजाराम गहलोत: Yes, Sir, I would be brief. इसके अन्दर राज्य सरकार ने लॉइव स्टाक के ऊपर १० परसेन्ट टैक्स लगान की पावर्स ली हैं । यहां बजाय १० के ५ जोडा जाये क्योंकि जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने गाय, भैंस के ऊपर तो टैक्स विथड्रा कर लिया परन्तु अब जो भी लाइव स्टाक से बेचते हैं भेड, बकरी या ऊंट उनके ऊपर अगर १० परसेन्ट टैक्स लगायेंगे तो भेड, बकरी जो हमारी बाहर जाती हैं वहां के मार्केट के हिसाब से सेल करना पडेगा और अल्टीमेटली १० परसेन्ट लगायेंगे तो जो भी व्यापारी होगा वह तो अपना मार्जिन देख कर यहां से खरीदेगा और बेचेगा । तो इस तरह से अल्टीमेटली जो अपने यहां से एक्सपोर्ट होता है वह नहीं हो सकेगा और व्यवसाय करने वालों को भी धक्का लगेगा । इसलिये १० के बजाय ५ परसेन्ट रख दिया जाये ।

दूसरा यह है कि जो सेक्शन ५सी है इसको डिलीट कर दिया जाये, क्योंकि इस सेक्शन के जरिये सरकार कुछ इन्डस्ट्रीज को उनके रा-मेटीरियल के ऊपर कन्सेशन्स देना चाहती है, सेल्स टैक्स के बारे में । मेरा सुझाव यह है कि जब कि अपने टैक्स बढाने के लिए लैण्ड रेवेन्यू सरचार्ज को १।। गुना से २५ परसेन्ट बढा रहे हैं तो क्या वजह है कि बडी बडी इन्डस्ट्रीज जिनको चलाने के लिए लाखों और करोडों रुपया लगता है उनको बिजली की रियायत और सेल्स टैक्स की रियायत देते हैं ? जो ज्यादा रियायतें बडे बडे उद्योगों को दी जाती हैं वह सिद्धान्त

(श्री तेजराम गहलोत)
उचित नहीं है और जब तक रियायतें देते चले जायेंगे उस समय तक वह अपने व्यवसाय में इफीशियेन्सी और कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट्स कम करने की कोशिश नहीं करेंगी। इसलिये अगर यह सही माने में हम अपने इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उनको कम्पीटीशन करना जरूरी है और इन्टरस्टेट मार्केट में कम्पीटीशन में खडे रहन की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिये जो सरकार अमेन्डमेन्ट लाई है कि हम रॉ-मेटीरियल के ऊपर कन्सेशन देंगे, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को वापिस लें और इसीलिए ही मैंने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रविशंकर याज्ञनिक।

श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिंडवारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेन्ट ५बी में १० परसेन्ट के पावर्स के लिए सरकार ने मांग की है उसके बदले में ५ परसेन्ट कर दिया जाये। राजस्थान के अन्दर ऐसी बहुत बडी आबादी है जिसको हम रेबारी कहते हैं और ग्वाला कहते हैं, जिनका पेशा भेड, बकरियां पालना और उनके ऊपर अपना जीवन निर्वाह करना है। आज राजस्थान से मवेशी बहुत एक्सपोर्ट होते हैं और उससे उन लोगों को-आमदनी होती है और इससे वह अपनी गुजरान करते हैं। इसलिए उन रेबारी, गडरिये और ग्वालों पर टैक्स लग गया तो ये जो कौम हैं और जो बहुत गरीब हैं तो वे बडी मुश्किल में पड जायेंगे और उनका एक तरह से गुजारा चलना बन्द हो जायेगा क्योंकि इनका एक्सपोट कम हो जायेगा। तो मेरा निवेदन यह है कि जो १० परसेन्ट तक के पॉवर्स देने को कहा है वह कम करके जैसा कि सुझाव दिया है ५ परसेन्ट तक का ही उसमें रखा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द्र सुराणा

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रामसिंहनगर): I want deletion of the clause.

श्री उपाध्यक्ष : Do you want complete deletion ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Yes, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पशु धन का जहां तक संबंध है, सारे भारत वर्ष में उसका अपने किस्म का विशिष्ट स्थान है। सारे भारतवर्ष की २० प्रतिशत भेड़ अकेले राजस्थान में हैं और राजस्थान के जो बकरे हैं वे भी अपने प्रकार के नोट्स हैं और उनकी भारत-वर्ष के दूसरे क्षेत्रों में बहुत मांग है और यह राजस्थान का मुख्य धंधा है। पशु धन में से गाय और भैंस पर से तो वित्त मंत्रीजी ने टैक्स विथड्रा कर लिया है। अब इसका इम्पेक्ट भेड़ और गोट्स पर रह जाता ह। भेड़ और गोट्स पर सरकार टैक्स लगाती है तो राजस्थान के मुख्य धंधे पर जो ४० परसेन्ट स्थान अपने धर में रखता है उस पर सरकार टैक्स लगाती है। इसलिये इसका इम्पेक्ट बहुत बड़ा है और डाइरेक्टली व इनडाइरेक्टली उन लोगों पर पहुंचता है जो इस प्रकार का पेशा रखते है, व्यापार करते हैं, क्यों कि यदि कोई व्यापारी उनसे पर्चेज करेगा।...

Page No 108

एक माननीय सदस्य: ऊंट और है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: और फिर राजस्थान भारतवर्ष में सबसे ,अच्छा नस्ल का ऊंट पैदा करता है, जिसके संबंध में सरकार की नीति दुर्लक्ष पूर्ण है और एग्रीकल्चर प्रोफेशन का राजस्थान भर में गंगानगर जिले से आरम्भ हो जाइये और गुजरात व आबू तक चले जाइये यही मुख्य पशु हैं जो हर प्रकार के कार्य में इस्तेमाल में मुख्य रूप से आता है। इसलिये यह ऐसा टैक्स है जो राजस्थान के किसानों और पशुधन का धंधा करने वालों पर दोहरी चोट पहुंचाता है।

इसके अतिरिक्त दूसरे पार्ट है रॉ-मेटीरियल पर टैक्स लगाते हैं। जिस प्रकार की दूरलक्षपूर्ण स्थिति राजस्थान में कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ की, मिल इन्डस्ट्रीज़ की और हैवी इन्डस्ट्रीज की है वह सदन के सामने प्रस्तुत हो चुकी है। अभी तक राजस्थान की इन्डस्ट्रीज भारतवर्ष में कहीं स्न्टेड नहीं कर सकती। मुख्य मंत्रीजी ने बार बार कहा है कि हम इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स को इन्सेन्टिव देते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में आयें और धंधा करें। ऐसी स्थिति में रॉ-मेटीरियल को टैक्स करना राजस्थान की इन्डस्ट्रीज को कमजोर करना है। इसलिये क्लॉज एजएहोल को मैं अपोज करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: Hon'ble Minister.

श्री **बालकृष्ण कौल** (वित्त मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन रखे हैं वे मुझको जैसे उन्होंने रखे हैं; मंजूर नहीं हैं।

सवाल यह है कि जहां तक इन्डस्ट्रीज का ताल्लुक है जो अब तक उन पर सेल्स टैक्स छोड़ रखा था उनको टैक्स करने के लिये प्रस्ताव सामने रखा है। उन पर जो अब तक टैक्स नहीं था सिर्फ इतना है कि १ परसेन्ट उन पर टैक्स रखा है। हम तो प्रोग्रेसिव स्टेप ले रहे हैं इन्डस्ट्रीज को भी नहीं छोड़ा जाय उन पर भी टैक्स लगाया जाय।

दूसरा इसमें सवाल है अभी १० परसेन्ट का पास किया है सदन में उसको रेगुलेराइज करने के लिये कि लाइव स्टोक पर भी रेगुलेराइज हो जाय, वह सेक्शन ३ में आप देख रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिये टैक्स वसूल करने का, उसको बता दिया है १०(ए) में होना चाहिये आज तक प्रोसीजर नहीं था इसलिये बताया है। तीनों चीजें ऐसी हैं जो मेरे पोइन्ट से गलत नहीं हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने संशोधन रखे हैं वे उन्हें वापिस लें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): यह जो पेनल्टी रखी है १ परसेन्ट टैक्स लगेगा यदि वह राजस्थान में नहीं बेचेगा तो उस पर डिफरेन्शियल रेट से पैनल्टी सवा गुनी लगे। उसको पहले कैसे पता चलेगा कि कहां बेचेगा ? राजस्थान में नहीं बेचेगा और दूसरे क्षेत्र में बेचेगा • •

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): यह किसमें है ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: क्लॉज १० में है "Where any raw material purchased by a registered dealer under sub section (1) is utilised by him for any purpose other than a purpose specified therein, such dealer shall be liable to pay as penalty, such amount, not less than the differ-

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

ence between the amount of tax on the sale of such raw material at the full rate applicable thereto under section 5 and the amount of tax payable under sub. sec. 1 but not exceeding one and one-quarter times the amount of tax at such full rate, as the assessing authority may determine, having regard to the circumstances in which such use was made".

इसका मतलब सीधा सादा यह होगा कि डिफरेन्शियल रेट मिनमिम है मानलीजिये एक चीज पर ६ परसेन्ट है तो उसको कन्सेशन १ परसेन्ट का दिया। यदि राजस्थान के बाहर बेच दिया तो ५ परसेन्ट कम से कम लेंगे और अधिक से अधिक सवा गुना ७॥ परसेन्ट तक लेंगे। इसको तो क्लॉज में डिलीट कर दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : स्मॉल इन्डस्ट्रीज और मिडल इन्डस्ट्रीज को एवोइड करके हैवी पर लगा सकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : इन्डस्ट्रीज तो पहले होने दें फिर देखा जायगा।

जो मुद्दा आपने सामने रखा है वह पैनल्टी का है। जरा थोड़ी देर सोचने की यह बात है कि एक इन्डस्टी रजिस्टर्ड डीलर बनाता है, यह कह कर कि इन्डस्ट्री चल रही है और जो कंसेशन रेट पर १ परसेन्ट पर माल खरीदता है और वह माल ६ महीनों तक रखता है न इन्डस्ट्री चलाता है और न कुछ करता है और १ परसेन्ट कन्सेशन लेने वाले माल को बेचता है मुनाफे पर तो उसके लिये पैनल्टी सवा गुनी रखी है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: आप जो कह रहे हैं वह दूसरे क्लाज के लिये कह रहे हैं मैं २२(सी) के लिये कह रहा हूं। दोनों एक से हैं इसलिये कह रहे हैं! आपने कन्फ्यूज कर दिया। मेरा क्लॉज २० में (५) (सी) (२) के बारे में है।

श्री बालकृष्ण कौल: आप इसके बारे म क्या कह रहे हैं?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) रॉ मेटीरियल यदि मैं राजस्थान में बेचूं और इन्टर स्टेट में बेचूं तो १ परसेन्ट पर खरीद सकता हूं। यदि मैं माल राजस्थान के बाहर आड़त पर दूसरे स्टेट में बेचता हूं तो आपका क्लॉज एप्लाई नहीं होता है।

श्री बालकृष्ण कौल: आप इसको दुबारा पढ़िये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: सब क्लॉज (१) पढ़ूं या (२) पढ़ूं।

श्री बालकृष्ण कौल: जिस पर आप एतराज करते हैं उसको पढ़िये।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: "Where any raw material purchased by a registered dealer under sub-section (1) is utilised by him for any purpose other than a purpose specified therein........

ये दो बातें रखी हैं; मैंने अमेन्डमेन्ट मूव किया था

"Insert the words 'or sale out-side the state or sale out of India' after the words 'inter state trade or commerce".

ये दो और एड कर दिये जाएं उसके बाद।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं तो समझ गया। प्रश्न सीधा यह है कि जिस मकसद के लिये रामेटीरियल मिलता है उस मकसद के बजाय और काम के लिये बेचता है तो उसको दंड हो

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: यह नहीं। दंड इस बात का नहीं है कि रॉ मेटीरियल बेच दिया, दंड इस बात का है कि प्रोड्यूस बेच दिया।

श्री बालकृष्ण कौल: Raw material.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा:

"Where any raw material purchased by a registered dealer under sub section (1) is utilised by him for any purpose other than a purpose specified therein, such dealer shall be liable to pay as penalty such amount, not less than the difference between the............"

श्री बालकृष्ण कौल: यूटीलाइज न करे और बेच दें?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: Not that.... उसके लिए भी तो हो गया। आपकी मंशा जो है वह क्लीयर होती है यदि सब क्लॉज (१) में दोनों बातें लिख दें "or sale outside the State or saleout of India......"

यदि दोनों चीजें लेते हैं, सब-क्लॉज (१) में एक के बजाय दोनों लिख देते हैं तो आपका मतलब साफ हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मतलब यह है कि राजस्थान के बाहर प्रोड्यूस बेचेगा तो एक परसेन्ट का कन्सेशन नहीं मिलेगा और डिफरेन्स पर एक परसेन्ट का जुर्माना देना पड़ेगा।

श्री बालकृष्ण कौल: आपका मतलब यह है

श्री उपाध्यक्ष: Hon'ble Minister does not want to accept.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: मैं पढ़ कर सुनाऊं। ५ सी में कन्सेशनल रेट है

श्री बालकृष्ण कौल: सवाल यह है कि लोग अपने से ही माल भेजते हैं बाहर तब बड़ा मुश्किल होजाता है सेन्ट्रल सेल्स टैक्स लेना। इसलिए जो पैनल्टी लगाई है वह सेल के ऊपर लगाई है। वह लगाई है उसको वह वेव नहीं कर सकता, इवेड नहीं कर सकता, कन्साइनमेंट पर माल भजता है वह बच न जाय सेल्स टैक्स से इसलिए यह लफ्ज लिखा है। आप चाहते हैं कन्साइनमेंट पर अपने नाम पर माल भेजें तो वह बच जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा: मेरा सिर्फ मतलब है, कन्साइनमेंट पर माल बेचेगा, तो उसको अधिकार है एक परसेन्ट कन्सेशन लेने का, वह नहीं दे रहे हैं। यहां तक ठीक है।लेकिन उसकी पैनलटी क्या करें? तो इसलिए जिस पर्पज पर यह माल बनाने के लिए किया है, वह नहीं करता है। इसमें इन्सर्ट किया है। इसमें मेरा अमेंडमेंट है और सेल आउटसाइड दी स्टेट और सेल आउट ऑफ इंडिया और जोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मंत्री ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया कया

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बोहरा, श्री तेजाराम गहलोत और श्री आर. एस. याज्ञनिक····

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री रविशंकर पाराशिक : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : फिर रखा किस लिये ?

श्री उपाध्यक्ष : (श्री बोहरा से) आप वापिस लेते हैं ?

श्री सम्पतिलाल बोहरा : No sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज २० पर····

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : संशोधन पर मत होगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २० पर जो संशोधन श्री सम्पतिलाल बोहरा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज २० संशोधनानुसार विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लाज २० संशोधनानुसार विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : noes जीता। गिनती भी ज्यादा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कम से कम आवाज के आधार पर तो कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, आज तक परम्परा रही है कि जो मेजोरिटी पार्टी है, उसके मतों को चेलेंज न किया जाय। डिवीजन न मांगा जाय तब तक मेजोरिटी पार्टी के जीतने का संकेत दिया जाता है। इसमें मैं नई बात नहीं कर रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टोकन स्ट्रेन्थ है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज २१।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : क्लाज २१ का प्रोविजो है····

श्री सम्पतिलाल बोहरा : [संशोधन इस प्रकार है : प्रोविजो मेन्युफेक्चरर्स के बारे में है। सब क्लॉज (१) इसमें (२), (३) व (४) हैं इनका स्वागत करता हूं। इसमें सब क्लास (५) है

Delete sub-section (5) of new section 6B sought to be inserted in Rajasthan Act 29 of 1954.

"If a person who has been granted a provisionsal certificate of registration under this section fails to start......."

बाकी जहां सजा का है वह प्रपोजल है, fails to start selling goods इसके मैंने मूव किया है कि इसको डिलीट किया जाय। इसमें यह है कि If he sells raw material then he should be penalised इसमें मेरा आब्जेक्शन है, " "fails to start selling" " होता क्या है कि किसी मेन्युफेक्चरर को कोई लाइसेन्स दिया गया लेकिन किसी भी मेन्युफेक्चरर के लिये हो सकता है कि वह ' fails to start ' क्यों कि किसी न किसी वजस से डिले हो जाय। मानलो मशीनरी आने में देरी हो जाय,

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)
इन्स्टालेशन में देरी हो जाय, फायर लग जाय, रॉ मेटीरियल मिलने में देरी हो जाय। कोई न कोई सर्कम्स्टान्सेज हो सकती है जिसके कारण सेल (sell), करने में देरी हो सकती है या मान लीजिये कि प्रोड्यूस किया उसकी बिक्री नहीं हुई तो फिर क्या होगा। इसलिये में चाहता था कि इस तरह का अमेन्डमेन्ट करें "If there is any delay in the sales......." यदि रॉ मेटीरियल के कारण सेल में डिले हो तो वह चाहे तो टाइम लिमिट बढा सकता है कि मेरा प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, मैं सेल नहीं कर सकता। वह रॉ मेटीरियल खरीद कर उसको एक्यूमुलेट नहीं करेगा। यह मंशा नहीं है कि रॉ मेटिरियल खरीद कर एक्यूमुलेट करता जाय। उसकी मंशा है कि वह माल बेचेगा और मेन्युफेक्चर करके बेचगा। अब इसके अन्दर कोई डिले हो गई, दस, पन्द्रह, बीस दिन की तो इसमें प्रावधान नहीं है कि जिसके तहत वह लाइसेन्स की डेट को एक्सटेंड करा सके। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें प्रोविजन होना चाहिये कि लाइसेन्स की डेट एक्सटेन्ड करने की पावर सेल्स टैक्स आफिसर को दे दी जाय। इसके साथ ही रॉ मेटीरियल बेचे तो उसको पीनेलाइज किया जाय। रॉ मेटीरियल न बेचे और प्रोड्यूस न बिक सके तो उसको पीनेलाइज नहीं किया जाय। इस तरह का प्रोविजन होना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय सदस्य का इतना सा मतलब है कि कोई ऐसी हालत हो जाय कि वह प्रोड्यूस न कर सके। आप इसकी लास्ट लाइन पढ़ें। उसमें आगे आता है, अगर रॉ मेटीरियल न बेचे तो उसको पीनेलाइज न किया जाय। इसलिये मुझे माफ करें, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : आप समझ लें, इसमें यह है this is regarding the penalty but not regarding circumstances. पैनेल्टी कम ज्यादा कर सकते हैं। सर्कम्स-टान्सेज जो दी गई हैं वे पैनेल्टी के लिये हैं। मेरा मतलब है, रॉ मेटीरियल बेचे तो पैनेल्टी लगे। प्रोड्यूस की देरी से बिक्री हो तो क्यों पीनेलाइज किया जाय ?

श्री बालकृष्ण कौल : रॉ मेटीरियल का यूज कर लिया है तो कोई पीनेल्टी नहीं होगी। यह आश्वासन देता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह आश्वासन दे रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : रॉ मेटीरियल के यूज करने में देरी हो जाय, मशीनरी फेल हो जाय, आग लग जाय, जो अनएवोइडेबल हो तो उससे एग्जेम्प्ट हो जाय।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह चाहते हैं कि असेसिंग आथोरिटी को पावर दी जाय कि सर्कम्स्टान्सेज को देखते हुए चाहे तो प्रोवीजनल सर्टीफिकेट की डेट एक्सटेन्ड कर दे।

श्री बालकृष्ण कौल : देखिये, दे रखी है पॉवर।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : सर्टीफिकेट की डेट एक्सटेन्ड करने का . . . .

श्री उपाध्यक्ष : He does not agree.

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है... Would you withdraw

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : Yes, he must

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) :— Yes, Sir, I withdraw

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मन्शा है कि श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : I withdraw...आश्वासन दे दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २१ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २१ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि २२, २३, २४····

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : २४ नहीं । २४ के बारे में····

श्री उपाध्यक्ष : No amendment.

प्रश्न यह है कि खण्ड २२, २३ व २४ वधेयक के अंग बने ?

(स्वीकृत)

खण्ड २२, २३ व २४ विधेयक में अंग रूप से जोडे गये ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : २४ पर मैंने दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : २२, २३ व २४ स्वीकार किया गया ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लॉज २४ को डिलीट करने के लिए मैंने संशोधन दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : There is no amendment

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसके लिये डिस्कशन हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष : This has been passed.

श्री राम प्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) This is very important.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : क्लॉज २५ में सब-क्लाज (४) है, इसमें··

[संशोधन इस प्रकार है :

To sub-section (1) of dew Sec. 21 b sought to be inserted in the Rajasthan Sales Act 1954 Rajasthan Act 29 of 1954)

Add the following proviso, namely—

'Provided that nothing contained in this section shall apply to a dealer who deals exclusively in goods not liable to tax.']

Page No 114

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता, 'हां' पक्ष जीता ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक आश्वासन चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जानकारी बाद में ले लें ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि पेंडिंग अपील लोगों से रिकवरी नहीं की जावे । जब तक अपील का तस्फिया नहीं होता तब तक रिकवरी रोक दी जावे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : इसमें क्या आश्वासन की जरूरत है ? यह तो कानूनी बात है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने यह लिखा है with the previous approval of the commissioner. इसलिये यह बात पैदा होती है कि मान लें किसी में एक लाख टैक्स की रिकवरी करनी है, उसने अपील कर दी तो जब तक अपील का फैसला न हो तब तक रकम वसूल नहीं की जावे ।

श्री अध्यक्ष : : प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २५, यथासंशोधित विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २५, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉज २६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २६ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉज २७, श्री सम्पतिलाल बोहरा ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २७ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २७ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लॉज २८, श्री बोहरा ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : क्लॉज २८ में मेरा संशोधन इस प्रकार है : "Insert the word 'taxable' after the word 'whose' occurring in the first line of sub-section (1)"
यह स्वीकार कर लिया जावे ।

(श्री सम्पिलाल बोहरा)

इसमें आगे क्लॉज में जहां यह लिखा है कि, 'the shall be liable to a penalty Equal to double the amont of the bill......"

और मैंने लिखा है, "insert the words 'the amount of tax leviable' on after the word 'double' in line four".

यह प्रस्ताव मैंने मूव किया है । इसके आगे एक चीज और है जो मैं आपकी आज्ञा से अपना प्रस्ताव मूव करता हूं ।

संशोधन इस प्रकार है :

श्री उपाध्यक्ष :खण्ड २७ और २८ के साथ ले लिया जावेगा ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा :इसमें, प्रोवीजो एड हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष :yes you can move.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा :—इसी के नीचे यह एड कर दिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष :यह २९ में है ।

श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** : यह २८(१) का प्रोविजो है । इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो आपने ५० हजार की लिमिट टर्न ओवर की रखी है यह बहुत कम है । यदि एक व्यापारी शक्कर बेचता है और कपड़ा बेचता है जो एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता । श्रीमान के दो एमेन्डमेन्ट्स हैं । एक तो ५० हजार से एक लाख का, इसमें कोई आपत्ति नहीं है और जो प्रोविजो रखा है वह भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : would you like to withdraw ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मेरा तो एमेन्डमेन्ट एक्सेप्ट हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : you have accepted the other amendment which has been moved just ?

श्री ब.लकृष्ण कौल : Yes.

श्री **उपाध्यक्ष** : You wethdraw the other part of it?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : पहले पार्ट को मैं विथड्रा करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन अभी प्रोवीजो ऐड करने का माननीय सदस्य ने रखा है ।

उसे स्वीकार कर लिया जावे जो इस प्रकार है :

Add the following proviso, namely:— "Provided that nothing contained in the Section apply to a dealer who deals exclusiveiy in goods not liable to tax"

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि यथा संशोधित क्लॉज २८ विधेयक का अंग बने ।

Page No 116

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

क्लाज २८ विधेयक में अंग रूप से जोडा गया ।

(विराम)

क्लाज २९

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : संशोधन इस प्रकार है—

In section 23 sought to be substituted for the existing section 23 of Rajasthon Act 29 of 1954—

In sub-section—

(a) Delete the words "applying in this behalf" in the third line.

(b) Delete proviso to the sub-section in sub-section (2)—substitute the words "the order" for the words "receipt of application in this behalf from dealer" in the 3rd and 4th lines. उपाध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन इसमें इस प्रकार है :

In sub-section (1) : (a) delete the words

"applying in this behalf" in the third line. तो कोई आपत्ति नहीं होगी । जिस समय गसेसिंग आथोरिटी आर्डर पास करती है तो वह उसमें लिख देती है refund the amount.

या अपीलेट आथोरिटी होती है उसका आर्डर होता है तो उसमें भी लिखा रहता है So much relief is given. जब अपीलेट आथोरिटी के स्वयं के आर्डर होते हैं तो फिर रिफन्ड के लिय एप्लीकेशन किस तरह से आप चाहते हैं ? यह सब क्लाज २९ के सब-क्लाज (२) में है । एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है । इससे आपके उल्टी कॉम्पलीकेन्सीज पैदा होंगी और बढ़ेंगी जिस प्रकार आटोमेटिक तरीके से इनकम टैक्स में होता है और एसेसमेन्ट आर्डर के साथ सब डिटेल्स होती हैं । यदि ६ महीनों में वह दे तो फिर एप्लीकेशन देने की जरूरत होती है । लेकिन जब सेल्स टैक्स आफिसर या अपीलेट कमिश्नर आर्डर देता है तो फिर किस तरह से सरकार यह चाहती है कि एप्लीकेशन पार्टी दे ? मैं समझता हूं कि मैंने जो एमेंडमेंट रखा है उससे आपकी मंशा में कोई फर्क नहीं आवेगा लेकिन उल्टा आपकी कॉम्पलीकेशन्स कम होंगी और सर्क लोड भी कम होगा ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान, मैं इतना इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसमें एक नई चीज डाल रहे हैं वह है ४ परसेन्ट इन्टेरेस्ट देने की । इसलिये थोडी दिक्कत हमें मालूम होती है कि कहीं सरकार को नुकसान न हो जावे । इसलिये हमने थोडी जिम्मेदारी पार्टी पर डाली है कि जिस दिन से वह एप्लीकेशन दे उस दिन के बाद हमें ४ परसेन्ट ब्याज देंगे ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : इसमें आपने ६० दिन रखे हैं उसके बजाय आप ६ महीने कर दें तो मैं समझता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो जावेगी । आप ६० दिन के बजाय ६ महीने कर दें । We are not interested in the interest. We are interested in getting the refund. Interest is not the primary thing.

(श्री सम्पतिलाल बोहरा)
आवश्यकता इस बात की है कि आपकी कम्प्लीकेशन्स कम होंगी और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है । होता यह है कि वकीलों के पास उनको जाना पडता है । इससे उनको अन्नेसेसरी हैरेसमेंट होता है । इसमें कोई फर्क नहीं पडता है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अगर जिस तरह से आटोमेटीकली देते हैं, अगर आप आटोमेटीकली नहीं देते हैं और रोकना चाहते हैं और एप्लीकेशन्स देने के बाद में ६ महीने तक रोकने के बाद में · · ·

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : इस तरह का प्रोविजन नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ६० दिनों तक तो वेट करना होगा । आप देखेंगे—

"Amounts refundable under sub-section (1) or Section 23 A if not refunded within 60 days from the receipt of the application........"

तो आप ६० दिन और वेट करेंगे, तो ६ महीने बाद में मालूम होता है कि रकम देनी ड्यू है तो फिर उसको दो महीने और वेट करना पड़ेगा । तो आपको जब मालूम हो जाता है कि एक्सेस जमा हुई है तो उसी दिन से जिस दिन से कि उसने जमा करवाया ४ परसेंन्ट इन्ट्रेस्ट देकर लौटा दें ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मेरे ३ और अमेंडमेंट्स हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : You should have moved them.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बीच में बोलने लग गये ।

श्री उपाध्यक्ष : That is not the way of moving amendments. No.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : बहुत इम्पोर्टेन्ट हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : They will be considered as moved by you. I have treated them moved.
Yes, Finance Minister.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान, मुझे अफसोस है कि जो माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट दिये हैं उनको स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : मैं एक इन्फार्मेशन मांग लूं ? आपने लिखा है कि २४ मन्थ्स के बाद में लैप्स हो जायगा तो इसके बजाय ४ साल कर दीजिये, इनकम टैक्स में भी ४ साल हैं । ३ साल पहले तो वैसे भी टाइमबार नहीं होता ।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : No Sir.

श्री उपाध्यक्ष : It is no use. The Hon' Minister does not accept it.
आप वापसि लेंगे ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : No sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २९ विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

Page No 118

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

क्लॉज २९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३०, श्री बोहरा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्लॉज ३० में कुछ वर्ड्स के संबंध में है। शिड्यूल में आइटम्स की लिस्ट है। My amendment is to delete part (a) of the clause.

डेस्क्रिप्शन आफ गुड्स में है Fertilisers etc including spare parts of such mechinary........

ये एग्जेम्प्टेड थे। इसमें आपने आइटमस नं० १३ को डिलीट किया है जो इस प्रकार है : and Tractor when enclusive by used for Agriculture purpose.

यह डिलीट क्या है। इसका मतलब होगा कि एग्रीकल्चर के काम में ट्रेक्टर्स आते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया है। तो इसमें मेरा निवेदन है कि अदर पर्पज में ट्रेक्टर्स काम में आते हैं उन पर टैक्स लगायें पर एग्रीकल्चर के पर्पज में जो ट्रेक्टर्स आते हैं उन पर टैक्स नहीं लगायें।

आइटम नं. १३ जो चारकोल और फायरवुड का है इसको इस परिभाषा से निकाला है····

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्यप्रशासन) : बी. पर आपका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You leave it to another number.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि चारकोल को कॉल की परिभाषा में डाल दें तो चारकोल पर २ परसेन्ट ही टैक्स रहेगा, नहीं तो आपने ६ परसेन्ट रखा है।

श्री बालकृष्ण कौल : (वित्त मंत्री) : क्या रेट है चारकोल की ? कहां कोल की रेट और कहां चारकोल की रेट ? कौन यूज करता है चारकोल ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : गरीब यूज करते हैं। कोल तो इन्डस्ट्री में खूब काम आता है, चारकोल तो गरीब काम में लेते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : गरीब तो सोफट कोक, हार्ड कोक काम में लेते हैं। कोल पर २ परसेन्ट है, चारकोल पर है इसकी यहां से गाड़ियां भर के जाती हैं, इस पर ६ परसेन्ट है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यही तो मैं कह रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री रामानन्द के खड़े होने पर) : Order ! Shri Ramanand !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : संशोधन इस प्रकार है [Omit parts (a) and (b) of the clause.] मेरा अमेंडमट यह है कि ट्रेक्टर्स जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिये हैं वे एग्जम्प्टेड थे, इस बिल के जरिये, इस पर सेल्स टैक्स लगाया है। मेरे अमेंडमेंट के जरिये में इसको अब भी एग्जम्प्टेड रखना चाहता हूं। इसके रीजन्स ऑब्वियस हैं। अभी एग्रीकल्चर पर्पज के लिये बिजली की दरों में रियायत दी है, सेंट्रल ने माइनर इर्रिगेशन के लिये रेट्स की दरों में रियायत दी है। तो हमारे यहां एग्रीकल्चर में मेके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नाइजेशन हो, इसके लिये आवश्यक है कि जो लोग खेती के काम के लिये ट्रेक्टर खरीद रहे हैं, कोआपरेटिव वगैरह उनको प्रोत्साहन देना चाहिये । इस पर सेल्स टैक्स रखने से लोगों को दिक्कत हो जायगी ।

दूसरा, चारकोल के बारे में अमेंडमेंट है । मैं नहीं समझता कि मन्त्री महोदय इसके कन्जम्प्शन को कौनसे बडे तबके का मानते हैं । यह आडनेरी कन्जम्प्शन में कोयले की तरह इस्तेमाल होता है इसको भी एग्जेम्प्ट रखना चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : About tractors, wanted to say something

श्री उपाध्यक्ष: You want to oppose this ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Yes, sir उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रेक्टर पर टैक्स लगाने का संबंध है, सारे राजस्थान में यह पहले जोधपुर रीजन में, बीकानेर रीजन में लगता था । ट्रोलीज का रोड परमिट लेना पडता था और ट्रेक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पडता था पर और क्षेत्रों में न ट्रोलीज का रोड परमिट लेना पडता था और न ट्रेक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पडता था । अब सारे राजस्थान में सब जगह फिक्स रेट में टैक्स लगा रहे हैं । गंगानगर में इस टैक्स को गैर कानूनी तौर पर चालू रखा गया है, बीकानेर में तो था वही चालू रखा और जोधपुर रेंज में था तो जोधपुर रेंज में चालू रखा गया । जहां तक कृषि का, कृषि सहायक यन्त्रों का संबंध है, पंजाब राजस्थान के नजदीक है । गंगानगर में सारे राजस्थान से ज्यादा ट्रेक्टर हैं और उससे लगा हुआ पंजाब का इलाका है वहां फिरोजपुर में सबसे ज्यादा हैं । सारे भारत में प्रोपोर्शनेटली पंजाब में सबसे ज्यादा ट्रेक्टर हैं । वहां भी ट्रेक्टर्स और ट्रोलीज को मुकम्मिल रूप से इस प्रकार के टैक्स से एग्जेम्प्ट रखा है । सारे भारत में किसी प्रोविन्स में इस बात को अंतिम रूप से सोचा है कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के ऊपर जिनसे कि प्रोडक्शन बढता है–उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जावे । इस प्रकार के टैक्स लगाना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हैम्पर करना है और उस हालत में जब कि नेशनल एमर्जेन्सी के समय हमारा नारा है कि प्रोडक्शन बढाओ, तो सरकार को इस समय में कम से कम यह टैक्स नहीं लगाना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री महोदय

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सिर्फ ट्रेक्टर के टैक्स का सवाल है । मोटर व्हिकल्स पर अधिक लगायें आप ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय सदस्य सेल्स टैक्स पर बात नहीं कर रहे थे मोटर व्हिकल्स पर टैक्स पर बात कर रहे थे । तो मेरा निवेदन है कि हमारे यहां जितने ट्रेक्टर्स आते हैं, यहां खरीद किये जाते हैं वे हमारे पास की दूसरी रियासतों में चले जाते हैं । दूसरी रियासतों में यह सेल्स टैक्स मौजूद है । उसको बचाने के लिए जैसे बीकानेर डिविजन है और खास कर गंगानगर क्षेत्र में ये ट्रेक्टर्स खरीदे जाते हैं, पंजाब गवर्नमेन्ट के सेल्स टैक्स का इवेजन करने के लिये । इसलिये यह जरूरी है कि पंजाब गवर्नमेंट में जो टैक्स का इवेजन हो रहा है उसको रोका जाय ।

(श्री बालकृष्ण कौल)
माननीय सदस्य ने चारकोल के लिये कहा कि इस पर से टैक्स हटा दिया जाय। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि चारकोल ऐसी चीज है कि आम गरीब आदमी उसको यूज नहीं करते हैं, अच्छे सरमायेदार हैं, जो अच्छा कोयला खरीदने में समर्थ हैं ही इसको यूज करत हैं। इसलिये दोनों के अमेन्डमेन्ट स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाज ३० विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लाज ३० विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

क्लाज १, प्रिएम्बल, टाइटल एवं इनेक्टिंग फॉर्मुला।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल, टाइटल एवं इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक के अंग बने ?

(स्वीकृत)

क्लाज १, प्रिएम्बल, टाइटल एवं इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फाइनेन्स बिल, १९६३, जैसा कि सदन ने संशोधित किया है, पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाय ?

(मतदान के पश्चात)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Division Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : डिवजन नहीं मांगेंगे, उन्होंने मना कर दिया है। पहले ही बात कर ली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We claim division.

अनेक माननीय सदस्य : 'Ayes' have it.

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please! बहुमत दल को बुलाने का कार्यक्रम हो चुका है। मैं एक दफा और प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को पारित किया जाय ?

(मद-दान के पश्चात)

'हां' पक्ष जीता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'ना' पक्ष जीता।

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य : 'Ayes' have it Sir.

विपक्ष के माननीय सदस्य : 'Noes' have it, Sir.

श्री मानसिंह महार (आमेर) : 'Noes' have it, Sir.

Page No 121

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : We claim division, Sir

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष वाले 'हां' की लॉबी में जावेंगे और ना पक्ष वाले 'ना' की लॉबी में जावेंगे ।

सदन का समय जो समाप्त हो रहा है, मैं समझता हूं कि सदन की मंशा होगी कि आज का कार्यक्रम समाप्त हो तब तक सदन का समय बढा दिया जावे सदन का समय २० मिनट बढा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय २० मिनट के लिये बढाया जाता है ।

(विभाजन के पश्चात्)

मतदान का रिजल्ट इस प्रकार है:

'हां' पक्ष ७९

'ना' पक्ष ४८

राजस्थान फाइनेन्स बिल, १९६३ पारित हुआ ।

(विभाजन सूचियों के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य :

हां पक्ष

श्री अमृतलाल यादव
श्री बालकृष्ण कौल
श्री भगराज चौधरी
श्री भरतलाल
श्री भवानीशंकर नन्दवाना
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल कालाबादल
श्री भीम सेन
श्री भीम सिंह
महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल
श्री बृजसुन्दर शर्मा
श्री चन्दनमल बैद
श्री चतुर्भुज उपाध्याय
श्री छोटू राम
श्री छुट्टन लाल
श्री दौलतराम सारण
श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्मराम आर्य
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेश लाल
श्री गंगासिह परिहार (हिंडोली)
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री घासीराम यादव
श्री गिरधारी लाल व्यास
श्री गोकुल चन्द
श्री गोकुल प्रसाद शर्मा
श्री गोविन्द सिह (पिड़ावा)
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्री हनुमान सिह चौधरी
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
डा. हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिराम घारू (सिवाना)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
महाराज श्री हुकमसिंह
श्री जगन सिंह

Page No 122

श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरवड़
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद
श्रीमती कमला बेनीवाल
श्रीकाना भाई नुवाल
श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)
श्री किशन सिंह वाटड़
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
श्री लालाराम
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मजलिस खां
श्री मालम सिंह
श्री मन फूल सिंह
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोहन राज
श्री मोतीलाल चौधरी
श्री नाथूराम (वागीडौरा)
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजनाथ आचार्य
श्रीमती निर्मला देवी नाहर
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूल चन्द जैन
डा. पोहूमल ईसरदास
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रघुनाथ विश्नोई
श्री रामचन्द्र
श्री रामप्रसाद लड्ढा
श्री रविशंकर याज्ञिक
श्री रावत राम
श्री सांवलिया राम
श्री शंकर लाल जाट
श्री शोभाराम ओला
श्रीमती सुमित्रा
श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
कुमारी उमा माथुर

श्री विरधाराम फुलवारिया

'ना' पक्ष

श्री ए. जब्बार
श्री अभय सिंह
श्री भैरोंसिंह शेखावत
श्री चन्द्रसिंह बर्फा
श्री चौथमल वर्मा
श्री छत्र सिंह
श्री चोसर सिंह बाबेल
श्री दयाचन्द सौन
श्री दिग्विजयसिंह
श्री दुर्गालाल बाढदार
श्री फतेह सिंह
वैध श्री गोविन्द सहाय
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री हरि भाई
श्री जयलाल
श्री जयनारायण सोलोदिया
श्री जावन्दसिंह
ठाकुर श्री जीवराजसिंह
श्री जोधसिंह चौहान
श्री केदार नाथ
श्री केसरीसिंह (पाली)
श्री कुमारानन्द
श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल
श्री ललित मोहन
कु. श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी
श्री मानिक चन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
श्री मथुरेश विहारी माथुर
श्री मावा
श्री मोहर सिंह राठौड़
श्री मुरलीधर व्यास
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)
श्री नत्थी लाल
श्री नत्थी सिंह (भरतपुर)
श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामकिशन
श्री रूपाराम पंवार
श्री सम्पतिलाल बोहरा
श्री श्रवण लाल
श्री सतीश कुमार शर्मा
श्री श्योपत सिंह
श्री स्वरूपसिंह
श्री उदयलाल वर्दिया
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री (विजयपाल) कटार
श्री विजयसिंह झाला
श्री विठ्ठल |
श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा]

राजस्थान भू-राजस्व (अधिकार) (संशोधन) विधेयक, १९६३

(विचारार्थ)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सर्चार्ज) (अमेन्डमन्ट) बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथ द्वारा): On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूल्स ऑफ बिजनेस में नियम ६६ के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करता हूं, जिसमें यह लिखा है:

"Provided that no such motion shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of the Members"

बिल की कॉपीज दो दिन पहले देनी चाहिये थी। वह आज दी गई।

श्री उपाध्यक्ष: महोदय कॉपीज तो दो दिन पहले दी जा चुकी हैं।

श्री विजयसिंह झाला: हिन्दी वर्शन ऑफ दी बिल आज प्रातः दिया गया है।

The words used are for the use of the Members.

बिल दो दिन पहले आना चाहिये For the use of the Members.

श्री उपाध्यक्ष: इंग्लिश की कॉपीज दो दिन पहले दी जा चुकी है।

श्री विजयसिंह झाला: मैं नियम संविधान के आर्टिकल साथ साथ ३४३ का भी रेफरेन्स करूंगा। ६६ में है For the use of Members' इसमें बात पर जोर देता है मेम्बर्स इसको समझते हैं या नहीं। ज्यादा तर मेम्बर्स हैं वे अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं वैसी हालत में हिन्दी में वर्शन आज सुबह दिया गया है। हिन्दी का वर्शन भी दो दिन पहले मिलना चाहिये। संविधान के आर्टिकल ३४३ के अन्तर्गत हिन्दी अनुवाद जरूरी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): You should see Article 348 also.

श्री विजयसिंह झाला: ३४३ के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि जिस प्रांत की भाषा हो उस भाषा के अन्दर बिल आना चाहिये और उसके साथ इंगलिश की कॉपी भी अनिवार्य है। राजस्थान की भाषा हिन्दी है इसलिये For the use of Members' तभी मानी जा सकती है जबकि वह हिन्दी भाषा में आये। उन मेम्बरों के पास पहुंच जानी चाहिये जो अंग्रेजी नहीं जानते। इसलिये यह अभी विचारार्थ नहीं लिया जा सकता।

(श्री विजयसिह झाला)

इसके साथ ही साथ में आर्टिकल ३५१ की ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिसके अनुसार कोई भी पेपर अंग्रजी में मूव तो हो उसका हिन्दी वर्सन भी साथ ही होना जरूरी है ।

३५१ और ३४८ के अनुसार वहां की भाषा में हो तो अंग्रेजी में होना जब आवश्यक था तो यहां की भाषा हिन्दी है इसके हिसाब से हिन्दी में होना बहुत आवश्यक था ताकि सदस्य उस पर विचार कर सकते सारे ही । इसलिये यह बिल विचारार्थ नहीं लिया जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झाला ने जो यह आपत्ति उठाई है कि बिल की कॉपियां माननीय सदस्यों के पास दो दिन पहले ही पहुंचनी चाहिये और इसके अलवा वे ऐसी भाषा म पहुंचनी चाहिये कि जो सबकी समझ में आ सके और इसके लिये उन्होंने संविधान के आर्टिकल और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल्स इत्यादि क्वोट किये हैं ।

अब मंशा जो रूल्स की और सविधान के आर्टिकल्स की है वह यह है कि कॉपीज बिल की अवेलेबिल हों । रहा सवाल भाषा का तो यद्यपि हिन्दी में हम महत्व देना है जो निर्विवाद है, फिर भी यहां की परंपरा के अनुसार अंग्रेजी भी यहां चालू है और आर्टिकल में भी और कांस्टीट्यूशन में भी ३४८ में ये शब्द जो आते हैं : "shall be in English Language."

तो वे करीब करीब उसको छुट्टी दे देते हैं कि अंग्रेजी में भी अगर कोई कार्यवाही हो जावे तो आपत्ति की बात नहीं है। यद्यपि भावना का जहां तक प्रश्न है, हिन्दी को महत्व देना ही है और देना ही चाहिये और हमेशा देना चाहिये । पर इसमें ऐसी कोई वेधानिक रूप से आपत्ति नहीं होती कि जो बिल अंग्रेजी में दो दिन पहले आ चुका है उसको आज पेश नहीं होने दिया जावे या उस पर विचार नहीं किया जावे, इसलिये कि वह हिन्दी में नहीं दिया गया । मैं इजाजत देता हूं कि बिल विचारार्थ करने के लेने को पेश किया जावे ।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय . . . . . .

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : The ruling is there. Are you challenging the Ruling ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामकिशन : आपने जो व्यवस्था दी है वह तो मान्य है । पर विधान की मंशा जसी कि यहां वाख्या की जा रही है यह थी कि जहां पहले से अंग्रेजी चलती रही है वहां १५ वर्षों तक चालू रहे, पर जहां हिन्दी चलती थी पहले से वहां अंग्रेजी को तरजीह नहीं दी जा सकती ।

श्री हरिदेव जोशी : आपकी व्यवस्था के बाद ऐसी कोई बहस नहीं हो सकती ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं । पर संविधान की मंशाए भाषा के बारे में स्पष्ट नहीं की गई हैं, क्योंकि भारतवर्ष एक लम्बा-चौडा प्रदेश है, सभी की भावनाओं को साथ लेकर चलना है । यद्यपि हमें हिन्दी को प्रोत्साहन देना है पर एक ही तरफ संविधान इंगित नहीं करता

(श्री उपाध्यक्ष)
है। इसलिये आपत्ति की दृष्टि से आपत्ति निर्मूल है आपकी पर भावनाओं की दृष्टि से मैं इसको शिरोधार्य करता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : जो अंगूठा लगाते हैं, उनके लिये क्या होगा ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ): On a point of information, Sir, आपकी व्यवस्था को हम मानेंगे पर हाउस में आप हम लोगों की भाषा में हमें जानकारी देने की व्यवस्था करावें।

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! Order !! Hon'ble Member !

श्री हीराभाई : यह देखना पड़ेगा कि हाउस अंग्रेजी जानता है अधिकतर या हिन्दी। अगर हाउस से राय लेनी है तो उपाध्यक्ष महोदय, उसको सारे मामले की जानकारी देने की व्यवस्था करनी चाहिये नहीं तो कैसे राय दे सकेगा ? इसलिये हिन्दी में हमें कॉपी मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष Order please ! Order ! There is no point of information.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान······

श्री विट्ठल (बांसवाडा): On a Point of order, Sir जो व्यवस्था दी गयी है वह तो अच्छी है, पर हमको हिन्दी में जानकारी मिलनी चाहिये। इसके बिना हम कैसे जान सकेंगे कि आप हमसे क्या राय चाहते हैं, किस मामले पर आप हमें राय देने के लिये कहते हैं ?

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : दो दिन के पहले देना चाहिये था वह आज मिली। वह बिल फिर देर से पास होना चाहिये। यह मैं साफ चाहता हूं कि इस तरह नहीं होना चाहिये, हमें जल्दी कॉपी मिलनी चाहिये थी। बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते। ७५ परसैन्ट लोग सदन के अंग्रेजी नहीं जानते, हिन्दी जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अब ऐसा नहीं होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा द्वारा स्पष्टीकारक वक्तव्य एवं उस पर वाद-विवाद

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक पर और इसका जवाब देते हुए बहस का कुछ बडे जोरों के साथ एस्पार्शन आये हैं और वे एस्पर्शन्स क्या थे इस बारे में मुझे जो कुछ मालूम हुआ है और जो कुछ कहा गया है उस पर से सही बात तो यह है कि कल जो बात कही गयी थी विदेशी शराब के लाइसेंस के विषय में आज खुशी की बात यह है कि उन सब पर बातों को पूरी तरह से मंजूर किये हैं हमारे सम्माननीय वित्तमंत्रीजी ने और यह भी कहा है कि पहले सब फाइनल हो गया था। यह भी माना था कि इसमें करप्शन हुआ था इसलिये काटा छांटा। इसमें कौन आया, यह भी मान लिया। फिर भी उन्होंने 'सरकार' माना इस सब झगडे को। मुझे इतना ही दुख आता है और मैं वह कह देता हूं कि 'सरकार' से मतलब यहां है उस चीज को काम में लाने में केवल बाल कृष्ण कौल, वित्तमंत्री थे जिन्होंने अपना डिस्क्रिशन काम में लिया। इसके बीच म जो कमिश्नर, अधिकारी थे यह सब करने को थे किन्तु उनको नहीं करने देकर उन्होंने वह

(ज्वाला प्रसाद शर्मा)

सब अपने हाथ से किया, इसके लिये मैं उन अधिकारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह अपने हाथ से नहीं किया। उन्होंने यह भी माना है कि जिस सेक्रेटरी के लिये पहले प्रश्न किया था उसके बारे में अफवाह थी उसकी रोके जगह दूसरा सेक्रेटरी आगया था। इसके बाद यह भी माना है कि उन सारी चीजों पर फैसला करना पड़ा।

इतना कहते हुए अब मैं अपनी सफाई पर आता हूं। मैंने कल कहा था कि यह जो हम शराबबन्दी का आंदोलन चलाते हैं उसकी बजह से जो लोग बेरोजगार हो गये उनको कलाल कहते हैं। कलाल 'जाति' नहीं मानता शराब बेचने वाले हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : 'कलाल' जाति है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : होगी। पर जो डिस्प्लेस्ड हो गये हैं उनका पहला हक होता है, जिनको प्रोफेशन से निकाला गया है उनको पहला मौका देना चाहिये। मोनोपोली किसी की नहीं है। मोनोपोली तो उसको कहते हैं जो सरकार मोनोपोली किसी को देतीहो। इतना कॉन्स्टीट्यूशन मैं भी जानता हूं। कॉन्स्टीट्यूशन का सहारा लेते हुए मेरा इतना ही कहना था कि कानून से एग्जेम्ट करने का वित्त मंत्री को और सरकार को अधिकार नहीं था, एग्जेम्प्ट करने में बीच में सरकार और वित्त मंत्री आते नहीं। अब इसकी शिकायत पहुंची थी कि रुपये खाये थे, बदबू आई थी। बहुतसी अर्जियां उनके पास पहुंची थीं, वे कहते हैं एक अर्जी आई। मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत सी अर्जियां आई थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें क्यों गया, यह पहलू भी साफ है। किस तरह से यह एप्लीकेशन्स आई, किस तरह से उन्होंने किया, फिर इसके बाद अपना डिस्क्रिशन किस तरह से यूज किया, यह भी साफ है। ये सारी अर्जियां सारे राजस्थान भर से एक जगह मंगवाई गई, यह भी मान लिया। मैं इसके लिये उनको बधाई देता हूं। पर इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि मेरे लिये यह कहा गया कि खेती मैंने की, प्रेस की बात कही गई; मैं खेती नहीं करता था खेती करने लग गया। जमीन किसी से ले ली और खेती करने लगा तो इससे ऐसा लगता है कि सरकार की रहम पर मैं चल रहा था। सरकार की रहम पर मैंने जीना नहीं सीखा। मैं अपनी सफाई पेश करता हूं कि मैंने यह जमीन कोई इस सरकार को अर्जी देकर नहीं ली है। वह मैंने किसान से और ऐसे किसान से ली है जो खेती नहीं करता था जो वास्तव में किसान नहीं था। मैंने सीधे उससे ली है। अब सस्ती ली है या मंहगी ली है मैं इसके लिये यहां सेदन से मांग करूंगा कि आप स्वयं इसकी इन्क्वायरी करलें।

दूसरी बात यह कही गई कि बगैर प्रिंटिंग काम हुए गलत टैण्डर लेकर मेरठ में इलेक्ट्रोरल लिस्टें छपवाई।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय माफ करें मैं बीच में इन्टरप्ट तो कर रहा हूं पर सदन का समय बीस मिनट का ही बढ़ाया गया था अब अगर अधिक चलना है तो इसे और बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि इसे और बढ़ाया जाय ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

सदन का समय दस मिनट और बढाया जाता है ।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ) : आपने जमीन क्यों ली ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जमीन मैंने मेरे पैसों से ली और वह भी एक किसान से ली, जो सब को हक है । मैंने इनसे अलॉटमैन्ट नहीं करायी । मैं इनके पास कभी इसके लिये गया नहीं । खेती करने का सब को हक है मैंने कभी सरकार के पास किसी प्रकार की अर्जी देकर जमीन अलॉटमैन्ट में नहीं ली । . . .

श्री नत्थीसिंह : तो फिर आपके दिमाग में जमीन लेने की क्या आई ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे हक है लेने का, तुम कौन होते हो ? मैंने मेरे पैसों से ली . . .

श्री उपाध्यक्ष : Order please माननीय सदस्य केवल आसन को ही संबोधित करें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं क्या करूं साहब, बीच में बोलते हैं और मुझे उनका जवाब देना पडता है ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि इन दोनों बातों के बारे में मैंने कहा । मैंने प्रिंटिंग प्रेस के लिये कोई टैण्डर नहीं दिये । न ही मैंने ना जायज तौर से मेरठ में इलेक्टोरल रोल्स छपवाये । इतना ब्यान देने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सदन की परम्परा रही है कि हम कांग्रेस वालों के ऊपर विरोधियों की तरफ से हमले होते हैं तो उनकी बराबर जांच कराई जाती है, उसमें सत्यता को जानने के लिये कमीशन बैठाये जाते हैं । नाथद्वारा के ऊपर आपने कमीशन बैठाकर जांच करवाई । आज मैं भी कहता हूं कि मेरी प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ तो प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि आप लोग इन्क्वायरी करा लें, हमारा दामन साफ है । इसी तरह से मैं कहता हूं कि आप चाहे जैसी इन्क्वायरी बैठायें मेरा दामन साफ है और साथ ही इनकी (श्री बालकृष्ण कौल) भी इन्क्वायरी बैठायें कि इनका भी दामन साफ है या नहीं । अगर इनका दामन साफ होता तो ये क्यों नहीं कहते कि यह कागजात पडे हैं, ये फाइल हैं जो चाहे देखलें । परन्तु क्योंकि इनको आजादी है, क्योंकि यह सरकार के नाम पर विधान सभा सदस्यों को करप्ट करते हैं और उनको करप्ट करने के लिये उनके रिश्तेदारों को लाइसेंस देंगे और कोई व्यक्ति जयपुर का होगा तो वह कोटा में जाकर लाइसेंस ले सकता है । क्यों ले सकता है ? यह सब मेम्बर जानते हैं । मैं इस सिलसिले में कहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है उसकी भी इन्क्वायरी करा लें, मेरी भी हो जाये और इनकी भी होजाये । इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सदन में सही बात कही जानी चाहिये । मैं खुद भी किसी भी बात को बहुत जांच करके कहता हूं । इस सदन के अन्दर मैंने हमेशा कहा है कि आज सत्य और असत्य का भेद नहीं रहा तो इस सदन की वकत गिरेगी । आज मैं इसी स्थान के ऊपर न्याय चाहता हूं और इस सदन से जिसको कि सबसे बडी शक्ति है जो जनता का रिप्रेजेन्टिव है इसके लिये मैं अपील करता हूं कि जो व्यक्ति झूंठ बोलता है उसका मुकाबला हो और जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं उनको सजा मिले । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बैठता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब समय चूंकि रह जाता है . . .

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : समय का सवाल नहीं है, समय तो आप बढा दें। अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि मंत्री महोदय ने उनके ऊपर चार्जेज लगाये और उन्होंने उन चार्जेज का कॉन्ट्राडिक्शन किया ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अगर लगाये हैं तो मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने उनका कोन्ट्रा-डिक्शन किया है। सदन की यह परम्परा है कि सदन में कोई भी गलत बात नहीं कही जाये। अब क्वेश्चन यह आगया कि मंत्री महोदय ने गलत बात कहीं या नसीराबाद से आनेवाले माननीय सदस्य ने गलत बात कही. सदन जब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाये तब तक सदन की परम्परा के के लिए यह बहुत ही घातक चीज होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं जवाब के अन्दर और यदि वह चार्ज उनके ऊपर था तो मंत्री महोदय यह बतावें कि इस प्रकार की गलत बातें जो सही नहीं हैं इस सदन में उन्होंने क्यों कहीं ? यदि इस चार्ज को वे फिर एस्टेब्लिश करते हैं तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार की परम्परा को रोकने के लिये यातो वह चेलेन्ज स्वीकार करे कि कोई कमेटी बनाकर उनकी आचरण की जांच कर लें। फिर जो भी उस कमेटी की रिपोर्ट हो, फिर सदन उसके ऊपर अपना निर्णय ले कि सदस्य के खिलाफ सदन क्या करता है। लेकिन इस बात को यों ही नहीं छोडा जाये। अगर इस बात को यों हो छोडा गया तो आरोप–प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन जावेगा जिसका निर्णय कभी हाने वाला नहीं है। इस मसले को लेकर इस सदन के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था की जावे कि जो आरोप लगाते हैं जो असत्य हों जिनके ऊपर फिर मंत्री महोदय एस्टीब्लिश नहीं कर पाये तो सदन इस की गलत बात कहने वाले को और इस प्रकार के आरोप लगाने वाले को दण्ड दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारी और आपकी तरफ से जिसके लिये चैलेन्ज हुआ था उसके बारे में हम स्टैण्ड करने के लिये तैयार हैं।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में अगर किसी की कोई शिकायत रखनी है तो वह कैसे रखी जाय, इसकी बाबत में जो नियम हैं वह बहुत स्पष्ठ हैं और यह पहला अवसर नहीं है जब कि किसी माननीय सदस्य ने अथवा माननीय मंत्री ने किसी के बाबत में कुछ कहा हो। जैसा कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था, मेरे नाम के उस उदाहरण को ही जिसको बहुत दिन नहीं बीते हैं, हमारे सामने है। चाहे किन्हीं माननीय मंत्री महोदय ने किसी के संबंध में कुछ कहा हो, अथवा माननीय सदस्य ने किन्हीं मंत्री के लिए कुछ कहा हो चाहे वह इस तरफ के हों अथवा कोई भी हों वह बहुत ही गलत चीज है कि माननीय मंत्री महोदय के बारे में या किसी के बारे में भी कुछ कहा जाय। कम से कम मेरे मन को यह नहीं भाता और मैं एसा समझता हूं कि इस तरह की चीजें चाहे व किसी के बारे में भी हों उनकी प्रतिष्ठा को नहीं बढाती आक्षेप लगाने वाले को न इस सदन को इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि आज से चार दिन पहले ही मैं स्वयं चुनौती देकर यह कहा था कि मुझ पर इल्जाम लगाने वाले विरोधी दल के नेता की अध्यक्षता में ही एक कमेटी बैठाकर उन बातों की जांच की जाये।

(श्री हरिदेव जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह रूलिंग दी थी कि इस तरह के आक्षेप लगाना अपने आप में गलत चीज है इस प्रकार की गलत कार्यवाहियां की जाती हैं तो उसकी कोई वकत नहीं रह जाती है ! यह आक्षेप चाहे किसी की तरफ से लगाये गये हों। इसलिये मैं यह निवेदन करना उपयुक्त समझता हूं कि उस समय क्या भाषा उपयोग में लायी गयी थी, मैं यह नहीं जानता, किन्तु इसके ऊपर कोई कमेटी कायम करना या इस प्रकार की चीज करना अपने आप में गलत चीज होगी; क्योंकि वह हाउस की प्रतिष्ठा को नहीं बढाती और न हीं माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा को बढाती है। इसलिये इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग दी थी उसका इसके अन्दर भी उपयोग किया जाना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सवाल है सही माने में वह बडे महत्व का सवाल है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूं कि सदन में कोई भी कभी भी किसी के बारे में जब किसी प्रकार की बात कहे या आरोप लगाये तो हो सकता है उसका असर यहां न हो, परन्तु क्योंकि यह बात प्रोसिडिंग्स में आ जाती है इसने भ्रष्टाचार किया या यह कहा जाये कि इस प्रकार से कोई जमीन खरीद ली.....

श्री हरिदेव जोशी : क्यों नहीं उसको प्रिविलेज कमेटी को सौंपा गया ? I challenge it.

श्री मुरलीधर व्यास : तो इस प्रकार की बातें हो जाती हैं तो क्या होता है कि इसका दुरुपयोग होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि गये सदन में मैंने एक प्रश्न जमीन के बारे में उठाया था कि जमीन का बहुत दुरुपयोग किया गया। इनके पास बहुत ज्यादा जमीन है। तो फिर जवाब में यह कहा गया था कि इन्होंने भी जमीन मांगी थी। मैंने चाहा था कि इसका स्पष्टीकरण हो। लकिन इस प्रकार की बात प्रोसीडिंग्स में तो आ ही गयी और उसका दुरुपयोग हो सकता है ....

श्री उपाध्यक्ष : Order Please! सदन का एक्सटैन्डेड समय फिर समाप्त हो रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं एक ही मिनट में कह देता हूं कि इसका दुरुपयोग होता है। आज इस संबंध में भी उसका दुरुपयोग चुनावों में हुआ। तो ऐसी बातें किसी भी सदस्य के बारे में कभी कोई भी कह दे तो आप मानें या न मानें पर उनका दुरुपयोग होता है। इसलिय हम आगे भविष्य के दृष्टिकोण से चाहे वित्त मंत्री ने अगर उनके बारे में कुछ कहा है ......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अगर मगर लगाकर बात मत कहिये। आप क्या चाहते हैं, साफ कहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहता हूं कि उन्होंने नाम तो स्पष्ट नहीं लिया लेकिन उनका मकसद यहीं था कि इन्होंने कुछ जमीन खरीदी। मतलब इनका यह था। अब यह क्यों उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाया ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर मैंने ली तो क्या हर्ज है ? मैं मेहनत करके खाऊंगा। किसी के रहम पर नहीं हूं। पैसा देकर ली है।

Page No 130

श्री मुरलीधर व्यास : आपके रहम की बात नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगाया गया है और उसका दुरुपयोग हो सकता है। आप पर भी इसी प्रकार से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है इसकी जांच के लिये कमेटी अवश्य ही बैठनी चाहिये।

मैं इसका पक्षपाती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय क्योंकि समाप्त हो रहा है। यह तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाना सदन की स्वस्थ परम्परा नहीं है और उसको हमेशा ही अलग रखना चाहिये और अब चूंकि सदन का समय समाप्त होता है...

अनेक माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाये, समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अनेक माननीय सदस्य : समय बढाया जाये समय बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बज कर ३० मिनट पर दिनांक ५ अप्रेल, १९६३ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(गुरुवार दिनांक ४ अप्रेल, १९६३)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६०५३

मंडी कमेटी-कोटा।

बीमार. मिल, भरतपुर को टिनशीट्स।

महुआ बेचने के परमिट।

सैंड स्टोन क्वेरीज- जिला भरतपुर।

अलवर जिले में साबुन की फैक्ट्रियों तथा डेरी फार्म के लिये ऋण।

स्पेशल-पे के रूप में चुकाई गई धनराशि।

राजस्थान की तहसीलें।

ग्रामों में महिला शिक्षा प्रचार के लिए योजनाबद्ध विशेष कार्यक्रम।

पंचायतों के सेक्रेट्री।

सरकारी मांन्टेसरी स्कूल।

पोस्ट ग्रेजूएट कक्षाएं।

सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ पैन्डिंग गबन के मामले।

जिलाधीश चुरू द्वारा आराजी राज भूमि को आबादी भूमि में बदलने के आदेश।

शिक्षा विभाग के उपाध्यक्षों के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर जिला निरक्षकों को अधिकार।

राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड) पे नियम १९६१ में संशोधन।

विभाय चक-भूमि का आवंटन-नीम का थाना

अजमेर जिले में शराब की दूकानों हेतु नये आज्ञा-पत्र।

सरकारी सामान का दुरुपयोग।

मवेशियों का मेला-ग्राम पंचायत पीपलू, तहसील टोंक।

पिग आइरन फैक्ट्री, उदयपुर।

बीमा विभाग के कर्मचारियों की सीनियोरिटी लिस्ट।

दूकानों की नीलामी-ग्राम पंचायत अलीगढ़ जिला टोंक।

तहसील बसवा के ग्रामों में मिडल स्कूल खोलने के लिये आवेदन-पत्र।

खादी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड हिन्डोन को ऋण।

खादी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, हिन्डौन ऋण।

एल. डी. सी. तथा यू. डी. सी. स्तर के कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण।

राजस्थान विश्वविद्यालय में परराष्ट्र भाषाओं के पाठन की व्यवस्था।

चाकसू सेवा सहकारी समिति के चुनाव।

पाली जिले में अध्यापकों के नियम विरुद्ध प्रोमोशन।

डूंगरगढ़ तहसील को बीकानेर तहसील में मिलाने का निर्णय।

बालोतरा हाई स्कूल को डिग्री कालेज बनाने की योजना।

Page No 132

चार्ज शीट

ग्राम रिडमलसर सिपाहियान ।

चित्तौड़गढ़ गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिकाओं की निर्धारित संख्या ।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये वसूली के सम्बंध में शिकायतें ।

चाकसू हाई स्कूल में साइन्स क्लास खोलने की इजाजत ।

मांगरोल तहसील क्षेत्र में गोचर भूमि ।

हायर सैकेन्डरी स्कूल गोविन्दगढ़ में साइन्स क्लास ।

बड़ी सादड़ी पंचायत सर्किल में कृषकों को खातेदारी हक ।

अध्यापकों एवं स्टाफ की कमी—माध्यमिक शाला बोहत, तहसील मांगरोल ।

अग्नि पीड़ितों को सहायता—मकराना पंचायत समिति क्षेत्र ।

प्राईमरी स्कूल, मण्डी खटीकान, जयपुर को मिडल स्कूल बनाने की योजना ।

सीमेण्ट और चद्दरों का वितरण-जिला झालावाड़ ।

जालोर में शिक्षा प्रसार

सिंध से विस्थापित अध्यापकों को सुविधाएं ।

अनट्रेण्ड ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक ।

स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु गणना ।

जयपुर में ज्वेलरी व मीनाकारी की ट्रेनिंग की व्यवस्था ।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बकाया ग्रेड इन्क्रीमेंट—बांसवाड़ा ।

गोटा उद्योग अजमेर ।

स्काउटिंग, ए. सी. सी. और समाज सेवा केम्प के कार्यक्रम ।

स्थगित प्रश्न

(२५-३-६३)

भूतपूर्व जागीरदारों को जमीनें-भाखरा प्रोजेक्ट ।

स्थगित प्रश्न

[२८-३-६३]

नागौर जिले के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति ।

संक्षिप्त विवरण

आर. ए. एस. इत्यादि सेवा का गठन भूमि हीन काश्तकारों द्वारा दूसरों के खेतों पर मजदूरी।

तहसील निवाई में सवाई चक भूमि लेने के प्रार्थना-पत्र—

राज्य सरकार द्वारा मितव्ययता।

राजस्थान प्रशासन सेवा में अधिकारियों की वरिष्ठता सूची।

ग्राम पंचायत ९० जी. बी. को दी गई राशि तकावी लोन बकाया।

विभिन्न उद्योगों, व्यक्तियों, फार्मों एवं कम्पनियों को दी गई धन-राशियां।

गंगनहर क्षेत्र में आबादी मन्जूरी की मिसलें सन् १९६२-६३ में राजस्थान में आलट हुई भूमि—

अलवर जिले में जागीरदारों एवं बिस्वेदारों को खुदकाश्त भूमि का नियतन।

२. विधायी कार्य पुरः स्थापित किए गए विधेयक स्कंभ ६१२६

राजस्थान लैण्ड रिफोर्म्स एण्ड एक्विजीशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स बिल, १९६३ सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, पुरः स्थापित किया गया।

३. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना स्कंभ ६१३०

श्री विजय सिंह झाला, सदस्य विधान सभा, ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १९५९ के अन्तर्गत नियम न बनाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मन्त्री, देवस्थान विभाग का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-राजस्व मन्त्री ने इस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

४. आध घण्टे की चर्चा स्कंभ ६१३६

खानों से वसूल की जाने वाली रायल्टी से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ३८ (१२ सी. एम.) के उत्तर मे, जो दिनांक २८ फरवरी,१९६३ को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य विधान सभा, ने आधे घण्टे की चर्चा उठाई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मन्त्री ने बहस का उत्तर दिया।

५. विधायी कार्य विचारार्थ लिया गया विधेयक स्कंभ ६१५६

(१) राजस्थान वित्त विधेयक, १९६३

उपरोक्त विधेयक के विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक ३ अप्रेल, १९६३ को की गई बहस का उत्तर आज वित्त मन्त्री श्री बालकृष्ण कौल द्वारा दिया गया।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

Page No 134

खण्ड २ से ४
स्वीकार किये गये ।

खण्ड ५ .. .. ..
संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ६ से १३ .. ..
स्वीकार किये गये ।

खण्ड १४ .. ..
संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड १५ से १९ .. ..
स्वीकार किये गये ।

खण्ड २० .. ..
संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड २१ से २४ .. ..
स्वीकार किये गये।

खण्ड २५ .. ..
संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड २६ व २७ .. ..
स्वीकार किये गये ।

खण्ड २८ .. ..
संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड २९, ३० एवं १ आदि ..
स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित भी किया गया ।

(२) राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३.

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मन्त्री, राजस्व विभाग ने उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

सदन की बैठक ५ बजकर ३० मिनट पर शुक्रवार, दिनांक ५ अप्रेल, १९६३ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

शुक्रवार दिनांक, ५ अप्रेल, १९६३ की
कार्य-सूची

(१) सदन की मेज पर रखना :

(क) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक।

(ख) रैवेन्यू एण्ड इकोनोमिक एफेयर्स विभाग की अधिसूचना ।

(ग) टैक्सों इकोनोमिक सर्वे ऑफ राजस्थान की प्रति

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन।

(२) सेमी कन्डक्टिंग रोक की खोज से सम्बन्धित विषय पर ध्यान आकर्षित करना

(३) श्री गृह मन्त्री के वक्तव्य ।

(४) प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने वाले विधेयक।

(क) राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड एक्वीजीशन ऑफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स विधेयक. १९६३

(ख) राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३—

विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण :

(क) राजस्थान पशु-मेला विधेयक, १९६३

(ख) राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६३

Page No 136

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८४ का उत्तर देखिये)

S. No.	Name and Designation	Qualifications
1	2	3
1.	Mrs. F. T. Singh, Headmistress, Montessori School, Kotah	M.A., B.Ed.
2.	Miss Kamlesh Issar, Asstt. Teacher ..	B.A.
3.	Miss Damyanti Tyagi -do-	M.A. (Prev.)
4.	Mrs. Usha Mittal -do- ..	Matric, Montessori. Trained, Happy School, Delhi.
5.	Mrs. Yashoda Sharma	Montessori Trained Manav Bharti, Mussori.
6.	Miss Alep Kohli -do- ..	M.A.
7.	Mrs. Nag, Head Mistress, Ganga Children School, Bikaner	M.A., B.Ed. Montessori & Nursery Trained.
8.	Miss Harbeen Kaur, Assistant Teacher	B.A.B.T. Montessori Trained.
9.	Miss Sarswati Dixit .. -do- ..	B.A., Montessori and Nursery Trained (Undergoing B.Ed. Course this year).
10.	Miss Asha Gulharya -do- ..	B.A. Montessori Trained.
11.	Miss Satya Bhargava -do- .. -do-	M.A., B.Ed.
12.	Miss Sushila Saxena -do- ..	M.A., B.E.d.
13.	Miss Urmila Puri -do-	B.A., B. T.
14.	Miss Usha Gupta .. -do-	M.A., B.Ed.
15.	Miss Pushpa Bhargava -do-	Intermediate.
16.	Mrs. Veena Bakshi -do- ..	B.A., B.Ed.
17.	Smt. Leela Matta, Head Mistress, Montessori School, Bharatpuri	B.A., B.T.
18.	Smt. Shanti Saxena, Assistant Teacher ..	M.A., V.T.C.

1	2	3
19.	Smt. Urmila Sharma -do- ..	B.A.
20.	Miss Nirmala Torne .. -do- ..	Intermediate and Nursery Trained.
21.	Smt. Leela Rao, Head Mistress, Montessory School, Udaipur	B.A., E.T.C., Montessory Trained.
22.	Smt. Krishna Mittal, Asstt. Teacher ..	M.A., L.T.
23.	Kumari Indira Bhatt -do- ..	M.A., B.Ed.
24.	Smt. Chhaya Moze -do- ..	S.S.C. (Bombay) Primary Education (Indore).

Montessory Trained Teachers.

1.	Miss. V. B. Zutshi, Headmistress ..	M.A., B.Ed. Montessory trained.
2.	Mrs. Vedwati Sharma, Asstt. Mistress ..	Intermediate, Nursery & Infant Training.
3.	Mrs. Malti Rajdan -do- ..	Matric Montessory trained.
4.	Miss. Asha Mathur -do- ..	Non-Matric only Montessory trained.
5.	Mrs. Sita Mathur -do- ..	B.A., Montessory trained
6.	Mrs. Kusum Lata Agarawal -do- ..	Inter, Nursery & Infant training.
7.	Mrs. J. P. Singh -do- ..	Matric, Happy Education trained.

S.T.C. Trained Teachers.

1.	Mrs. Shushila Devi Assistant Mistress ..	Matric trained.
2.	Mrs. Chandra Kant Sharma -do- ..	Visharad Vidushi, Vidhyavinodani-Physical Education trained. — S.T.C. trained, Bombay Inter (Arts).

Un-trained Teacher working on the Budgeted post of this School

1.	Miss. Lata Sharma Asstt. Mistress ..	Matric.

1	2	3

Untrained Teachers working on deputation.

1.	Mrs. Uma Tewari, Asstt. Mistress	..	Inter (Arts).
2.	Mrs. Shashi Kala Jain -do-	..	B. A.

परिशिष्ट २ [६३२६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७, ८, ५, का उत्तर देखिये)

List of Post-Graduate Classes which were started during the last Five-Year-Plan.

S.No.	Name of the College	Faculty	Subjects	Year of starting
1.	M. B. College, Udaipur ..	Arts.	(i) Sociology (ii) English	1957-58. 1959-60.
2.	Govt. College, Kota ..	Arts.	English	1959-60.
3.	Govt. College, Ajmer ..	Arts.	Pol. Science	1959-60.
4.	Maharaja's College, Jaipur ..	Science	Chemistry (Org.)	1959-60.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७९० का उत्तर देखिये)

क्र. संख्या	नाम ग्राम	दिनांक जिसको बैठक हुई
१	तहसील हैडक्वार्टर नीम का थाना	५-२-५९
२	मावंडा खुर्द	२२-६-५९
३	डाबला	२३-६-५९
४	टोडा	२६-६-५९
५	चला	२७-६-५९
६	पीथमपुरी	२८-६-५९
७	रायपुर पाटन	६-७-५९
८	पाटन	६-७-५९
९	सावलपुरा	७-७-५९
१०	मठोली	२४/२५-९-६१

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ का उत्तर देखिये)

ग्राम पंचायत अलीगढ़ द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्यों की सूचीः—

१	श्री बजरंग लाल	उप सरपंच
२	श्री नवाब वशीरुद्दीन	पंच
३	श्री राजा ईसुफ अली	"
४	श्री हरक चन्द	"
५	श्री मिट्ठू खां	"

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८०९ का उत्तर देखिये)

कार्यालय राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

कार्यालय आदेश

निम्नांकित अस्थाई अध्यापिकाओं को जिनकी नियुक्ति दिनांक ३१-८-६१ से पूर्व अथवा ३१-८-६१ के पश्चात् इस शाला में हुई हैं। उन्हें दिनांक ३०-६-६२ प्रथम पारी के पश्चात् राजस्थान सर्विस रूल की धारा ९७ के अनुसार राज्य सेवाओं से विमुक्त किया जाता है।

जिन अध्यापिकाओं की नियुक्ति १३-७-६३ से पूर्व हुई हैं। तथा १३-५-६२ तक बराबर कार्य किया है उन्हें ग्रीष्म अवकाश (समर वेकेशन) का वेतन नियमानुसार चुकाया जावेगा।

क्र. सं.	नाम व पद			वेतन शृंखला	नियुक्ति दिनांक
१	सुश्री चांद बाई शर्मा स. अ.	..	..	९०-१४०	१-७-१९६१
२	सुश्री कमला कुमारी सिंघवी स. अ.	..	..	"	"
३	श्रीमती प्रेम प्यारी देवी विद्यार्थी	..	..	११०-२२५	२९-८-६१
४	श्री घनश्याम लाल जोशी स. अ.	..	..	७०-१००	१-७-६१

प्रधानाध्यापिका
राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय,
चित्तौड़गढ़।

दिनांक ३०, १९६२

संख्या क. उ. वि.।वि.।नि।टरमी।६२।१४९४-७७ : प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

१. श्रीमति।श्री················
२. व्यक्तिगत पंजिका सम्बन्धित अध्यापिका
३. लेखा पालन कार्यालय हाजा

प्रधानाध्यापिका, ।
राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय,
चित्तौडगढ़ ।

परिशिष्ट ५ [६२३०

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

From

Headmistress
Govt. Girls High School,
Chittorgarh.

To,

Mrs. Bhag Khanna Asstt. Mistress
Govt. Girls High School,
Chittorgarh.

SUB:—Discharge from Services.

Chittorgarh, February, 2, 1963.

No. G.H.S./CH/TCH/61-62/—You are appointed for a period of six months or tiil P.S.C. hands are made availabe which ever is earlier has already been expired and no further extension has been received from the higher authorities. Moreoaur your services are not required any more in this institution as such you are hereby discharged from the services with effect from 31-12-61 after noon.

Sd/-*Headmistress*
Govt. Girls High Schools,
Chittorgarh.

NG. OHS—GH/E/B/61-62/2091-93 *Dated* 2-2-62.

Copty to: —

1. The Dy. Director of Educa- tion Udaipur with reference to my D.O. Letter No. 2087 dated 31-1-62 for information & necessary action.
2. Personal file of Smt. Bhag Khanna A.M.

HEAD MISTRESS
Govt, Girls High School,
Chittorgarh.

राजस्थान सरकार

ओर से,
शिक्षा उपाध्यक्ष,
महिला शाखा,
उदयपुर

को,
प्रधानाध्यापिका,
राजकीय कन्या उच्च विद्यालय
चित्तौडगढ

सं० डी० डी० ई० (एफ० बी०) यू०। दि० १–३–६२

विषय:—श्रीमती भाग्य खन्ना स० ह० को राज्य सेवा से मुक्त किये जाने बाबत।

प्रसंग:—आपका पत्र क्रमांक जी० एच० एस०।सि० एच०।इ।६१–६२।२०६१–६३ दिनांक २–२–६२,

उपरोक्त विषय में प्रसंगानुसार श्रीमती भाग्य खन्ना को ६ माह की अवधि समाप्त होने पर आप द्वारा राज्य सेवा में जो मुक्त किया है, उसको अनुमोदन किया जाता है।

सही० जे० डी० वैश्य,

शिक्षा उपाध्यक्ष, महिला शाखा,
उदयपुर।

परिशिष्ट ६

(समयाभाव के कारण प्रश्न में न लिये जा सकने वाले प्रश्नों के प्रश्नोत्तर)

चाकसू हाई स्कूल में साइन्स क्लास खोलने की इजाजत

८११. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कस्बा चाकसू जिला जयपुर के चाकसू हाई स्कूल में साइन्स की शिक्षा देने के लिये कमरे बना दिये गये हैं,वहां पर साइन्स का सामान भी पहुंचा दिया गया है और वहां की जनता द्वारा सामान का पैसा भी अदा कर दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो फिर वहां पर साइन्स क्लास खोलने की सेंक्शन क्यों नहीं दी जाती है ?

उत्तर

(१) यह सही है कि सरकार द्वारा चाकसू हाई स्कूल में साइन्स कि शिक्षा देने के लिए कमरे बनाये जा चुके हैं। जनता ने ६०००) रु. का अनुदान का साइन्स सामान क्रय करने के लिए देने का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक जनता से केवल २२६०)रु० प्राप्त हुआ है जिसका सामान मंगवाया जा चुका है।

(२) क्योंकि वहां की जनता आश्वासन के मुताबिक रकम नहीं दे सकी इसलिए साइन्स क्लास नहीं खोली जा सकी।

मांगरोल तहसील क्षेत्र में गोचर भूमि

८१२. श्री जयलाल (डग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मांगरोल तहसील क्षेत्र में किन २ गांवों में सरकार की स्वीकृति के बिना गोचर भूमि को लोगों ने फाडली है ? सरकार द्वारा गोचर भूमि को फाडने वालों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(२) क्या यह सत्य है कि अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम डाबरी काकाजी, टारडीखेडा में भी गोचर भूमि को फाडली गई है ?

(३) क्या यह सत्य है कि उन क्षत्रों में अनुचित ढंग से गोचर भूमि को फाड लिये जाने के कारण पशुओं के चराने की समस्या हो गई है ? यदि हां तो सरकार ने इसके बाबत क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(१) गांववार भूमि सदन को मेज पर रख दी गई है।

३९४ बीघा २ बिस्वा भूमि चरागाह पर अतिक्रमण पाया गया।

६३६ बीघा ८ बिस्वा भूमि पर से अतिक्रमण-कारियों को बेदखल कर दिया गया है। और १२५ बीघा १३ बिस्वा भूमि का नियमानुसार विक्रय भी कर दिया गया। शेष भूमि के लिए कार्यवाही चल रही है।

(२) जी नहीं।

(३) अनुचित ढंग से जो भूमि तोडली गई है उसके लिए तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है किन्तु चरागाह रखने की प्रणाली को सिंचाई क्षेत्र में शनैः शनैः कम करके बन्द करना है।

सूची

क्र. सं. १	नाम ग्राम २	रकबा बीघा-बिस्वा ३
१	काचरी	१-१०
२	दतरिया	६-१४
३	शोरखन्डकलां	१७-१५
४	सरकलां	१२-१५
५	बडगांव	४-१०
६	तीसकला	२५-१५
७	लडवाडा	५-१०
८	बघूलिया जोगियान	७-१०
९	पाटुन्डा	१-१०
१०	रायपुर	१-१६
११	बालबडा	१९-१३
१२	असीपुरा	१-१२
१३	मालपुरा	३-१७
१४	जगवडिया	११-००
१५	मूडिया	१६-९
१६	हिंगोलिया	१-४
१७	श्यामपुरा	३-८
१८	सदिदा	०-१८
१९	पाडलिया	१-२
२०	बोरोत	३-१४
२१	कजलिया	१-१७
२२	मांगरोल	९-११
२३	खेडा जागीर	८-९
२४	बम्बूलिया जागीर	४-२
२५	सांकली	३५-७
२६	बरा	३९-५
२७	मूडला	१-००
२८	रखतपुरा	७-४
२९	बाडवा	१८-१६
३०	मदुआ	१-१८
३१	रायल	८-१५

१	२	३
३२	पुष्पा	१-४
३३	कुंडला	९-१९
३४	जलोदा तेजा	३-१४
३५	सीमलिया	०-०७
३६	शाहपुरा	८-००
३७	पन्नाडा	२-११
३८	तिमाया	२-१७
३९	नवलपुरा	०-१५
४०	सोहनवा	३-९
४१	छत्रपुरा	६-१०
४२	ओवपुरा	३-१२
४३	पापडली	११-११
४४	कोषवानी	६२-१६
		३९४-२

हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोविन्दगढ़ में साइन्स क्लास

८१३. श्री नत्थीसिंह, (गोविन्दगढ): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार का हायर सेकेन्डरी स्कूल गोविन्दगढ में साइन्स क्लास खोलने का विचार है? अगर हां, तो क्या ये क्लासें आगामी सत्र में खुल जायेंगी ?

उत्तर

सत्र १९६३-६४ में स्कूलों में साइन्स क्लासेज खोलने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। योजना के अनुसार साइन्स क्लासेज पहले सेन्ट्रल स्कूलों में खोलने की है जिसकी जांच की जा रही है और यदि गोविन्दगढ भी सेन्ट्रल स्कूल के लिये चुन लिया गया तो यहां भी साइन्स क्लासेज खोलने के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जावेगा।

बडी सादडी पंचायत सर्कल में कृषकों को खातेदारी हक

८१४. श्री शंकर लाल (सादडी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौडगढ जिले के बडी सादडी पटवार सर्कल में ब्राह्मणिया माल नाम की भूमि है जिस पर कई अर्से से कुछ किसान काश्त कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या उनको खातेदारी हक मिल चुका है?

(२) यदि हां, तो कितने कृषकों को खातेदारी हक मिला है?, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(१) जी हां। यह माफी की जमीन है जिसे ९० कास्तकार काश्त करते हैं। यह

जमीन दिनांक २३-८-५४ से रीज्यूम हो चुकी है।

(२) कुल ९० काश्तकार इस जमीन को काश्त करते हैं उनमें से ४५ काश्तकार पहले से ही खातेदार हैं। बकाया ४५ काश्तकारों में से ३० काश्तकारों को एक साल पहले खातेदारी हक दिये जा चुके हैं। १५ काश्तकारान के खाते इस किस्म के हैं जो कागजात में समस्त माफीदारान के मुर्तहीन दर्ज हैं। यह काश्तकार खातेदारी हक पाने के अधिकारी नहीं हैं इसके इन्तकाल खुले हुए हैं जिनमें कार्यवाही जारी है व जिनका फैसला जल्द होगा। इन आसामियान में, सरकार का शिक्मी काश्तकार कोई नहीं है।

अध्यापकों एवं स्टाफ की कमी—
माध्यमिक शाला बोहत, तहसील मांगरोल

८१५. श्री **लक्ष्मी चन्द** (पीपल्दा) : **क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बोहत तहसील मांगरोल के माध्यमिक शाला में छात्रों के बैठने के लिये कमरे न होने से व अध्यापकों और स्टाफ की भी कमी के कारण छात्रों की पढाई की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं होती ?

(२) क्या सरकार इन तकलीफों को जल्दी से जल्दी दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह सब कब तक दूर हो जावेगी ?

उत्तर

(१) माध्यमिक शाला बोहत तहसील मांगरोल में इस समय पहली से सात तक कक्षाएं चल रही हैं और १२ अध्यापक कार्य कर रहे हैं अतः अध्यापकों व स्टाफ की कमी नहीं है।

शाला दो भवनों में चल रही है एक भवन में चार कच्चे कमरे हैं तथा दूसरा भवन जो जनता द्वारा बनवाया जा रहा है उसमें एक कमरा व एक बरामदा है इसी के साथ पंचायत भवन का एक कमरा भी शाला के काम में आ रहा है इस समय कमरों की भी विशेष कमी नहीं है।

(२) अध्यापकों की कमी की बाबत प्रश्न ही नहीं उठता। भवन के हित में अवश्य प्रयास जारी है और यह कमी शीघ्र ही दूर की जा सकेगी।

अग्नि पीडितों को सहायता—मकराना पंचायत समिति क्षेत्र

८१६. श्री **जेठमल, बरबड**, (परबतसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९६२ में मकराना पंचायत समिति में कितने ग्रामों में अग्निकांड हुए और कितने घर जले व कितने अग्निपीडितों को क्या क्या सहायता दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि जितने भी ग्राम जले हैं उनको किसी भी प्रकार की सहायता अब तक नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि ग्राम जाखली के अग्निपीडित परिवारों को सहायता देने वास्ते धन राशि स्वीकृत हुई थी परन्तु उनको वितरित नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक करदी जावेगी ?

उत्तर

(१) सन् १९६२ में मकराना पंचायत समिति में ७ ग्रामों में अग्निकांड हुए, ६७ घर क्षतिग्रस्त हुए। सूचि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) इन अग्निपीडितों को १४००) रुपये की सहायता मंजूर हुई है जिसका विवरण प्रति परिवार सूचि में दिया हुआ है। विकास अधिकारी को क्षतिग्रस्तों को सहायता वितरण करने के आदेश जिलाधीश नागौर द्वारा जारी किये जा चुके हैं। तथा पंचायत समिति के पी. डी. एकाउन्ट में उक्त राशि का स्थानान्तरण होते ही भुगतान कर दिया जायगा।

(३) ग्राम जाखली के क्षतिग्रस्तों को ८२५) रु० सहायतार्थ स्वीकृत हुए हैं। तथा उसका वितरण भी उत्तर दो में बताये गये अनुसार विकास अधिकारी मकराना शीघ्र ही करेंगे।

List of fire sufferers in village Jakhali of Panchayat Samiti, Makrana.

S.No.	Name of the person.	Amount.
1	2	3
1.	Shri Ladu Ram S/o Panna Ram Jat	25/-
2.	Smt. Ramli W/o Poosa Jat	15/-
3.	Shri Mewa Ram S/o Nanu Ram Jat	10/-
4.	Shri Ghisa Ram S/o Balu Ram Jat	30/-
5.	Shri Magna Ram S/o Birda Ram Jat	15/-
6.	Shri Tiku Ram S/o Panna Ram Jat	50/-
7.	Shri Balu Ram S/o Odha Ram Jat	15/-
8.	Shri Jagdeo Singh S/o Govind Singh Rajput	10/-
9.	Shri Hukam Singh S/o Sobh Singh	10/-
10.	Shri Chandar Singh S/o Mengej Singh	25/-
11.	Shri Khiv Singh S/o Bagsu Singh	10/-
12.	Shri Ramla S/o Chootu Bhambi	15/-
13.	Shri Sawai Ram S/o Chootu Ram	15/-
14.	Smt. Jhamkuri W/o Lichman	15/-
15.	Shri Ishwae Ram S/o Kheta Ram	25/-
16.	Shri Kana Ram S/o Kheta Ram	20/-
17.	Shri Khumla S/o Kheta Ram	15/-
18.	Shri Dana Ram S/o Khima Ram	10/-
19.	Shri Dula Ram S/o Gula Ram	25/-
20.	Shri Jaisa Ram S/o Gula Ram	20/-
21.	Shri Chotha Ram S/o Gula Ram	20/-
22.	Shri Chandra Ram S/o Deva Ram	20/-
23.	Shri Aurjan Ram S/o Kishtooram	30/-
24.	Shri Hardeena Ram S/o Baxsuram	30/-
25.	Shri Ramdeena S/o Deva Ram	30/-
26.	Shri Mohana Ram S/o Jeewna	25/-
27.	Shri Jetha Ram S/o Khesha Ram	15/-
28.	Shri Shivkaran S/o Aurjun Ram	10/-
29.	Shri Heera Ram S/o Arja Ram	10/-

1	2	3
30.	Shri Khema Ram S/o Manna Ram	30/-
31.	Shri Pema Ram S/o Manna Ram	30/-
32.	Shri Aurjna Ram Pema Ram	30/-
33.	Shri Mangu Ram S/o Ladu	15/-
34.	Shri Ramla S/o Todiya Ram	15/-
35.	Shri Prabhu Ram S/o Kishtoor Ram Bhambhi ..	15/-
36.	Shri Mangoo Ram S/o Panna Ram Bhambhi	10/-
37.	Shir Poosa Ram S/o Mangoo Ram Bhambhi	15/
38.	Shri Narion Ram S/o Moda Ram Bhambhi	15/-
39.	Shri Asa Ram S/o Moda Ram Bhambhi	20/-
40.	Shri Chitar S/o Uda Bhambhi	10/-
41.	Shri Rafha S/o Moda Ram Bhambhi	10/-
42.	Shri Birda Ram S/o Moda Ram Bhambhi	10/-
43.	Shri Bagasa Ram S/o Ganesha Ram Bhambhi ..	10/-
44.	Shri Pokar Ram S/o Tulsa Ram Bhambhi	30/-
45.	Shri Ram deen S/o Ganesha Ram Bhambhi	15-/-
	TOTAL	825/-

List of fire sufferers Panchayat Samiti, Makrana.

S. No. 1	Name of the person. 2	Name of the village. 3	Amount B/F.825 4
1.	Shri Balu Singh S/o Birad Singh Rajput	Itawalakha	10/-
2.	Shri Biharidass S/o Jeenendradast ..	Sad	30/-
3.	Shri Baneshingh S/o Madho Singh Rajpur	,,	10/-
4.	Shri Mathur Das S/o Mohan Das Sad ..	,,	20/-
5.	Shri Ganpat Singh Rajput	,,	10/-
6.	Shri Lal Singh Govind Singh Rajput ..	,,	10/-
7.	Shri Chandar Singh S/o Rugh Nath Singh Rajput	,,	5/-
8.	Shri Chooga Daroga	,,	30/-
9.	Shri Prahladpuri S/o Malpuri Gusai ..	,,	30/-
10.	Shrimati Sonka W/o Ram Singh Rajput	,,	15/-
11.	Shri Ladkanwar W/o Dhukal Singh ..	,,	15/-
		TOTAL ..	185/-

1.	Shri Magej Singh S/o Kan Singh Rajput ..	Harnawa Tosina	40/-
2.	Shri Man Singh S/o Kan Singh Rajput ..	,,	40/-
3.	Shri Udai Singh S/o Prem Singh Rajput ..	,,	30/-
4.	Shri Ganpat Singh S/o Devi Singh ..	,,	50/-
		TOTAL ..	160/-

1	2	3	4
1.	Shri Bal Singh S/o Dol Singh Rajput ..	Bhichawa	40/-
2.	Shri Berisal Singh S/o Kan Singh Rajput	,,	30/-
3.	Shri Jawant Singh S/o Magej Singh Rajput	,,	40/-
4.	Shri Gopal Singh	,,	30/-
		TOTAL ..	140/-
1.	Shri Suja Singh S/o Ajeet Singh ..	Gelasar	40/-
2.	Shri Bal Singh S/o Man Singh	,,	30/-
		TOTAL ..	70/-
1.	Shri Rameshwar S/o Lal Chand Gaur ..	Ramsiya	20/-
		TOTAL ..	20/-
		GRAND TOTAL ..	1,400/-

प्राईमरी स्कूल, मंडी खटीकान, जयपुर को मिडिल स्कूल बनाने की योजना

८१७, **श्री डूंगाराम राजोरिया** (जमवा-रामगढ)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

क्या जयपुर शहर के नगरपालिका वार्ड नं० २४ में प्राईमरी स्कूल मण्डी खटीकान को मिडिल स्कूल बनाने की योजना है ? यदि हां , तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । इमारत अपर्याप्त है अत: मिडिल स्कूल बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

सीमेन्ट और चद्दरों का वितरण-जिला झालावाड़

८१८. **श्री जयलाल** (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या सीमेंट और टीन की चद्दर जिला झालावाड़ की हर तहसील में फिक्स कोटे के अनुसार दी जाती है ? यदि हां, तो डग, गंगधार, झालावाड़ में अलग अलग सन् ६०-६१ और ६१-६२ में किन २ डीलर्स को कितनी कितनी सीमेन्ट और चद्दरें दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) सीमेंट व नालीदार चद्दरों का कोटा जिला झालावाड़ की हर तहसील में जनसंख्या व मांग के अनुसार दिया जाता है । नालीदार चद्दर का कोटा एम. के एम. मूसा भाई अमीन झालावाड़ को व सीमेंट का कोटा डग गंगधार के लिये मैसर्स राम नारायण नानूलाल व मैसर्स एम. के. एम. मूसा भाई अमीन तथा झालावाड़ के लिए मैसर्स एम. के एम. मूसा भाई अमीन को दिया जाता है ।

डग, गंगधार में निम्न कोटा दिया गया है:

	६०-६१	६१-६२
टीन की चद्दर	६१८ चद्दरें	६५० चद्दरें,

	६०-६१	६१-६२
ीमट	१५० टन	२०० टन

तथा झालावाड़ में निम्न कोटा दिया गया है :-

	६०-६१	६१-६२
टीन की चद्दर	७३८ चद्दरें	८५९ चद्दरें
सीमेंट	२०० टन	३०० टन

जालौर में शिक्षा प्रसार

८१९. श्री विरदाराम फुलवारिया (जालौर):—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जालौर जिले में विभिन्न श्रेणी के कितने स्कूल हैं और इन स्कूलों में कुल कितने छात्र पढते हैं?

(२) जालौर जिले में हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं खोलने का क्या कारण है?

(३) क्या पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जिला जालौर में शिक्षा प्रसार का कोई कार्यक्रम रखा गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि रखा गया है, तो क्या क्या योजनायें हैं?

(४) क्या जालौर में हायर सेकेण्डरी स्कूल और लडकियों के लिये पृथक् पृथक् स्कूल खोलने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि हां, तो कब तक खोले जायेंगे?

(५) क्या जालौर में शिक्षा का कार्य प्रगति पर नहीं है? यदि प्रगति पर है, तो शिक्षालय निरीक्षक का कार्यालय हटा कर सिरोही क्यों भेजा गया है और यदि प्रगति पर नहीं है, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है?

(६) क्या यह सही है कि सिरोही की जन संख्या, स्कूलों और छात्रों की संख्या से कई गुना अधिक जन संख्या स्कूल और छात्र जालौर में हैं और जालौर लम्बाई चौडाई में भी सेण्टर है? यदि हां, तो उक्त कार्यालय का स्थानान्तर क्यों किया गया है? क्या सरकार इसे वापिस जालौर लाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) जालोर जिले में विभिन्न श्रेणी के स्कूलों तथा छात्र संख्या की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाने की कोई योजना नहीं है। अतः जालोर जिले में हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाने का प्रश्न नहीं होता।

(३) तीसरी पंचवर्षीय योजना जिलेवार नहीं बनाई गई केवल जिलेवार योजना प्राथमिक शिक्षा की बनाई गई है जिसकी तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) भाग दो में उत्तर दिया गया है। ६ वर्ष से ११ वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये को-एज्युकेशन है। ऐसी कोई योजना जिलेवार नहीं बनाई गई है। वैसे प्राथमिक से माध्यमिक व माध्यमिक से कनिष्ठ उच्चतर माध्यमिक शाला सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर की जाती है।

(५) सिरोही व जालौर के लिये अभी हाल ही जो रेन्ज व डिस्ट्रिक्ट लेविल आफिसरों का जो पुनर्गठन हुआ है उसमें एक इन्सपेक्टोरेट का प्रावधान है। अतः शिक्षा पर प्रगति होना या न होने का प्रश्न नहीं उठता।

(६) मामला विचाराधीन है।

Statement showing Primary Schools to be opened in 3rd Plan and for the number of teachers required.

S. No.	Name of the Distt. and Panchayat Samiti	Population	No. of children of 6-11 age group	No. of children of 6-11 on 70%	Schools to be opened according to Survey Report 61-62	62-63	Teachers to be provided 61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	Total	Teachers reqd. of of	No. of Addl. teachers required of col. 4	No. existing
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jalore District.															
1.	Ahore	77000	9625	6730	4	4	7	8	9	10	10	44	167	123	44
2.	Jalore	41390	5174	3620	17	16	17	16	1	1	1	36	90	62	36
3.	Sayala	61960	7745	5420	2	2	10	10	17	20	20	77	135	58	77
4.	Sanchore	89000	11125	7780	14	13	14	14	19	17	20	86	194	108	86
5.	Bhinmal	48528	6066	4240	9	8	9	9	11	12	12	53	106	53	53
6.	Raniwara	46576	5822	4070	4	4	8	10	15	15	15	53	101	38	63
7.	Jaswantpura ..	46806	5851	4100	6	5	10	10	11	11	13	55	102	47	55

सिंध से विस्थापित अध्यापकों को सुविधाएं

८२०. श्री पोहूमल ईसरदास

Will the Minister for Education be pleased to state:—

(1) Is it a fact that the Services of all teachers in aided Schools, which were taken over by the Government, have been counted towards pension if they refunded the amount of Provident Fund, contributed by the institution to them ?

(2) If so, why is such facility not being given to displaced teachers from Sind ?

उत्तर

1. Yes. The services of the teachers in aided schools taken over by the Government have been allowed for counting towards pension if it is mentioned in the conditions taking over of the Institution otherwise not.

2. The question does not arise.

अनट्रेन्ड ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापक

८२१. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अध्यापकों को पहले पी. एस. सी. से एप्रूवल होने पर अनट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड मिलती थी ?

(२) क्या यह सही है कि अब इसका अधिकार शिक्षा विभाग को दे दिया गया है तथा वही स्थायी ग्रेड देता है ?

(३) इतने कितने अध्यापक हैं जो ट्रेन्ड पोस्ट ग्रेजुएट तो हो चुके हैं लेकिन पी. एस. सी. से कन्फर्म नहीं किये गये हैं ?

(४) शिक्षा विभाग ने इसके लिये अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह सूचना समस्त उप-शिक्षाध्यक्षों से प्राप्त करके सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(४) एजूकेशनल सॅबर्डिनेट सर्विस रूल्स सरकार के विचाराधीन हैं जिसके अनुसार एक कमेटी बनाई जावेगी जो अनट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड देने के बारे में अध्यापकों का चुनाव करेगी।

स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु गणना

८२२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने अजमेर, ब्यावर व केकडी तहसीलों में स्कूल जाने वाले बच्चों की आयु की गणना १८-१२-६२ को कराई थी ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

(२) इस प्रकार की गणना राजस्थान में और कहां कहां अब तक कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

जी हां। परिणाम की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

इस प्रकार की गणना राजस्थान राज्य में सिवाय अजमेर जिले के और कहीं नहीं कराई गई क्योंकि अजमेर प्राथमिक शिक्षा अधिनियम १९५२ केवल अजमेर में ही लागू था और कहीं दूसरी जगह के लिये लागू नहीं किया गया।

सूची

	६ वर्ष से ११ वर्ष की आयु के कुल बच्चे।			६ वर्ष से ११ वर्ष के पढ़ने वाले बच्चे।		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
अजमेर तहसील ..	१३१४५	१०७८०	२३९२५	८३४६	३३१३	११६५९
ब्यावर तहसील ..	१०२२७	८५७९	१८८०६	७०३१	२५४७	९५८१
केकड़ी तहसील ..	१००५०	८७२८	१८७७८	५७८९	२००८	७७९७
अजमेर जिला योग ..	३३४२२	२८०८७	६१५०९	२११७४	७८६८	२९०४-

६ वर्ष से ११ वर्ष की आयु के पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत।			कम व अधिक आयु सहित पढ़ने वाले कुल बच्चों की संख्या (जनरल एनरोलमेन्ट)			कम व अधिक आयु वाल पढ़ने वाले कुल बच्चों का प्रतिशत (जनरल प्रतिशत)		
बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
६३.४	३०.७	४८.०	११६८२	३९७६	१५६५८	८८.८	३७	६५
६८	३०.८	५०.	१०४५७	२९५७	१३४१४	१०९	३४.४	७१.१
५७.६	२३	४१.५	७६८३	२३८५	१००६८	७६.४	२७.३	५३.६१
६३.३	२८	४७.२	२९८२२	९३१८	३९१४०	८९	३३	६३

जयपुर में ज्वेलरी व मीनाकारी की ट्रेनिंग की व्यवस्था

८२३. **श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) दिनांक २०-९-६० तथा १३-१०-६० को मन्त्रीमन्डल की बैठक में ज्वेलरी व मीनाकारी की ट्रेनिंग की व्यवस्था जयपुर में करने का जो निर्णय लिया गया था उसके अनुसार ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है ?

(२) यदि नहीं तो सरकार उसके लिये क्या कर रही है ?

उत्तर

ट्रेनिंग की व्यवस्था करने के लिये संचालक उद्योग विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेजे थे।

२. केन्द्रीय सरकार द्वारा सोने पर नियन्त्रण लगाये जाने के कारण उन प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाना सम्भव नहीं है।

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बकाया ग्रेड इन्क्रीमेन्ट—बांसवाड़ा

८२४. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

उप-निरीक्षक शिक्षणालय, बांसवाड़ा के अन्तर्गत शिक्षा विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें ग्रेड इन्क्रीमेन्ट देना बकाया है और कितने वर्षों का ?

उत्तर

ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसका ग्रेड इन्क्रीमेन्ट देना बकाया हो।

गोटा उद्योग, अजमेर

८२५. **श्री पोहूमल ईसरदास** (अजमेर):

Will the Minister for Industries please state :—

(1) Is the Government aware that the Ajmer Gota Industry is dwindling day by day ?

(2) Do the Government supply the copper wire quota to proper consumers ?

उत्तर

1. Government has no such information.

2. Yes.

स्काउटिंग ए. सी. सी. और समाज सेवा केम्प के कार्य-क्रम

८२६. **श्री विरदाराम फुलवारिया** (जालोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) स्काउटिंग, ए. सी. सी. और समाज सेवा केम्प के कार्य-क्रमों, उद्देश्य और ध्येय में मूलत: क्या अन्तर है ?

(२) क्या इन तीनों के मूल सिद्धान्तों में इतना अधिक अन्तर है कि इनके लिये अलग बजट, अलग कर्मचारी वर्ग और अलग से छात्रों का समय व्यय करना आवश्यक है ?

(३) क्या इन अलग-अलग संस्थाओं के कारण छात्रों के अभिभावकों पर वर्दी आदि का अतिरिक्त व्यय पड़ता है ? यदि हां, तो इसे कम करने के क्या उपाय हैं ?

(४) क्या इन तीनों या अन्य ऐसी ही संस्थाओं को सम्मिलित करके एक ही संस्था का निर्माण नहीं किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक किया जायेगा ?

उत्तर

प्रश्न १—

		शिविर कार्यक्रम	उद्देश्य	लक्ष्य
ए० सी० सी०—		वर्ष में एक बार केम्प लगता है जिसमें विशेष कर श्रमदान, समाज सेवा, संयमी जीवन और आपसी मेल पर जोर दिया जाता है। एन० सी० सी० कमान्डर इसका इन्चार्ज होता है।	शारिरिक शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा श्रमदान आदि का महत्व।	जो एन० सी० सी० में छात्र नहीं लिए जा सकते उनको इसमें शिक्षित कर सुरक्षा की तैयारी करवाना।
स्काउटिंग—	(१)	शालाएं सुविधानुसार बाहर केम्प करती हैं।	देश सेवा, मानव सेवा, सदा तैयार रखना।	सेवा के लिए सदा तत्पर रहना, जीवन की सम्पूर्ण शिक्षा।
	(२)	पेट्रोल लीडर प्रशिक्षण शिविर होते हैं।		
	(३)	राज्यस्तर पर भी चुने हुए स्काउटों के केम्प लगते हैं।		
	(४)	केम्प जीवन की सम्पूर्ण शिक्षा के साथ स्काउटिंग की क्रियात्मक उपयोगिता बताई जाती है।		
समाज सेवा—		भारत सेवक समाज के तत्वाधान में इसके केम्प लगते हैं। विकास विभाग के कार्यक्रमों में इसको शामिल किया।	श्रमदान, समाज सेवा, प्रौढ़ शिक्षण।	समाज सेवा, श्रमदान प्रौढ़ शिक्षण।

जाता है। शिक्षा विभाग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता ।

प्रश्न २—

(१) ए० सी० सी० के छात्रों की साल भर शालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा होती हैं, शारीरिक व्यायाम पर विशेष जोर दिया जाता है। इसको एन० सी० सी० के स्टाफ संभालते हैं। यह रक्षा कार्य-क्रम में आती है।

(२) स्काउटिंग की साल भर हफ्ते में दो दिन के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। प्रशिक्षित अध्यापक इसको संभालते हैं। कुछ छात्र ही स्काउट बनते हैं। यह जीवन की सम्पूर्ण शिक्षा है। यह राष्ट्रीय संस्था दिल्ली से क्रियान्वित होती है।

(३) भारत सेवक समाज का कोई शालाओं में भाग नहीं होता बल्कि जब केम्प लगते हैं तो छात्र जिनको जाना हो भिजवा दिए जाते हैं।

प्रश्न ३—

(१) भारत सेवक समाज के केम्पों में कोई विशेष वर्दी पर जोर नहीं दिया जाता। यह तो केवल एक समाज सेवा, श्रमदान आदि का केम्प लगाता है।

(२) ए० सी० सी० के छात्रों को दो वर्ष में एक वर्दी मुफ्त देते हैं। आधी कीमत पर भी वर्दी मिलती है।

(३) स्काउटिंग में खाकी वर्दी होती है। ए० सी० सी० की वर्दी से काम चल जाता है या स्काउटिंग की वर्दी ए० सी० सी० में काम आ जाती है। स्काउटिंग ऐच्छिक कार्य है।

(४) वर्दी का अभिभावकों पर कोई विशेष जोर नहीं पड़ता।

प्रश्न ४—

तीनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। सब छात्रों के लिए तीनों क्षेत्र अनिवार्य नहीं हैं कोई ए० सी० सी० करता है कोई स्काउटिंग करता है और भारत सेवक समाज तो केवल केम्प लगाता है जिसमें जाने के इच्छुक छात्र चले जाते हैं। ए० सी० सी० स्कूल के समय में ही होती है। स्काउटिंग स्कूल के समय के बाद होती है।

पूरक:—राष्ट्रीय संयम योजना (नेशनल डिसीपिलेन स्कीम) नामक एक और योजना चालू है जिसका समन्वय उपर्युक्त योजनाओं के साथ बिठाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(२५-३-६३)

भूतपूर्व जागीरदारों को जमीनें—भाखरा प्रोजेक्ट

५७५. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भाखरा प्रोजेक्ट के सिंचित क्षेत्र में कितने भूतपूर्व जागीरदारों को काश्त की जमीनें अपने क्षेत्र की जमीनों की एवज में खुदकाश्त के लिये तवादले में दी गई ?

(२) बीकानेर जिले के कितने भूतपूर्व जागीरदारों को अब तक भाखरा प्रोजेक्ट में खुदकाश्त के लिये जमीनें उक्त तबादले के रूप में दी जा चुकी हैं व कितनी दरख्वास्तें पेंडिंग हैं और वे किस अधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं ?

(३) क्या सरकार कोई अवधि बता सकती है जिसके पूर्व इन दरख्वास्तों का फैसला कर दिया जायेगा ?

उत्तर:

(१) १४४६ जागीरदारों को ।

(२) बीकानेर जिले के केवल एक जागीरदार को भाखरा क्षेत्र में उनकी जमीन की एवज में जमीन खुदकाश्त के लिये दी गई, एक दरख्वास्त सरकार के विचाराधीन है । ७ दरख्वास्त कलेक्टर बीकानेर के विचाराधीन हैं ।

(३) ऊपर पैरा दो में वर्णित ८ पेन्डिंग दरख्वास्तों का फैसला शीघ्र करने का प्रयत्न किया जावेगा ।

स्थगित प्रश्न

[२८-३-६३]

नागौर जिले के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्र वृति

६६०. श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

समाज कल्याण विभाग की ओर से नागौर जिले के पिछड़े वर्ग के कितने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये १९६१-६२ में छात्र-वृत्ति मिली ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर:

(१) नागौर जिले में उच्च शिक्षा के लिये सन् १९६१-६२ में निम्न लिखित पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्र वृत्तियां दी गई हैं ।

(१)	श्री रामेश्वरलाल लखेरा बी. कॉम. फाईनल	५१२) रु०
(२)	श्री श्रवणदास साद पी. यू. सी.	३१२) रु०
(३)	श्री रामजीलाल साद पी. यू. सी.	२५२) रु०
(४)	श्री तुलसीराम साद पी. यू. सी.	३०६) रु०
(५)	श्री नरपतराज कुम्हार पी. यू. सी.	३०६) रु०

परिशिष्ठ ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

देहाती क्षेत्रों के व्यक्तियों की सूची, जो आर. ए. एस., आर. पी. एस., आर. ज. एस., आर. ए.ए. सी. एस., (R. Ac. S) में नियुक्त किये गये।

(१) आर. ए. एस.

क्रम सं०	नाम	निवास स्थान	जिला
१	२	३	४
१.	श्री आनन्द सिंह	सादुलपुर	चूरू
२.	श्री बनवारी लाल सारस्वत	मांडलगढ	भीलवाडा
३.	श्री छगन लाल जैन	बागडा	जालौर
४.	श्री दया शंकर शर्मा	अरनोद	चित्तौड़गढ़
५.	श्री धर्मदत्त	तालवंदी भाई	पंजाब
६.	श्री धर्मवीर	मकसर	गंगानगर
७.	श्री गनपराय यादव	उलहरी	अलवर
८.	श्री गुलाब सिंह डरडा	मांडलगढ़	भीलवाड़ा
९.	श्री हरप्रसाद अग्रवाल	बनेटी	जयपुर
१०.	श्री हजारी लाल बरवा	ईसरदा	टोंक
११.	श्री जालम सिंह तंवर	श्वेतसर	जोधपुर
१२.	श्री जगदेव सिंह यादव	मनचल	अलवर
१३.	श्री जीवराज कानूनगो	सांचोर	जालौर
१४.	श्री जगदीश नारायण भटनागर	श्री माधोपुर	सीकर
१५.	श्री जगबीर सिंह	टौचीगढ	अलीगढ (उ० प्र०
१६.	श्री मातादीन शर्मा	जोनीचा	अलवर
१७.	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव	मोरयाना	इटावा (उ०प्र०)
१८.	श्री प्रद्युम्नकुमार	कुमटेर	कोटा
१९.	श्री रामेश्वर सिंह	भोजसर	झुंझुनू
२०.	श्री रतनकुमार गुप्ता	नगीना	पंजाब
२१.	श्री रतनकांत व्यास	कुशलगढ़	बांसवाड़ा
२२.	श्री रामकुमार सिंह	गोथरा	सीकर
२३.	श्री राम रतन गुप्ता	झंझर	झुंझुनू
२४.	श्री रामवीर सिंह भंवर	महरा कांकरौली	भरतपुर
२५.	श्री एस० एस० राणावत	कांकरवा	उदयपुर

Page No 160

१	२	३	४
२६.	श्री एस० एन० खंडेलवाल	रांडी	सीकर
२७.	श्री शेरनाथ	फलौदी	जोधपुर
२८.	श्री सुखदेवा दाधीच	जसवंतपुरा	नागौर
२९.	श्री सुगन सिंह	जट बहरोड	अलवर
३०.	श्री ताराचंद	जहाजपुर	भीलवाडा
३१.	श्री प्रकाशचंद सालेचा	बालोतरा	बाडमेर
३२.	श्री छोटासिंह मादुरीया	गुलांडी	कानपुर
३३.	श्री फूलचंद हाडिया	परमूपुरा	जयपुर
३४.	श्री राधेश्याम राजोरिया	मानपुरा	जयपुर
३५.	श्री रामचंद जैफ	नागावास	जयपुर
३६.	श्री बसंत लाल अग्रवाल	छापोली	झुंझुनूं
३७.	श्री रमेश चन्द्र गुप्ता	मानकरी	बुलन्दशहर (उ. प्र.)
३८.	श्री सुरेन्द्र सिंह वर्मा	साबोरा	भरतपुर
३९.	श्री प्रेमदत्त पालीवाल	घरवाड	इटावा (उ. प्र.)
४०.	श्री रमेश चन्द्र रूंगटा	बगड	झुंझुनूं
४१.	श्री एन. के. भार्गव	मौडक	कोटा

(२) आर. पी. एस.

१.	श्री जे. एम. महारिया	कुडन	सीकर
२.	श्री सी. एम. पालरेचा	सादड़ी	पाली
३.	श्री नारायन सिंह नरूका	मंडा भीमसिंह	जयपुर
४.	श्री जोधसिंह	इंद्रपुरा	झुंझूनू
५.	श्री गोपीलाल आचारज	पीपाड़ सिटी	जोधपुर
६.	श्री के जी. धाबाई	किशनगढ़	अजमेर
७.	श्री एम. एम. महर्षि	बांड बरेठा	भरतपुर
८.	श्री एम. एल. वैश्य गर्ग	कोटपूतली	जयपुर
९.	श्री आर. के. सुरोलिया	राजगढ़	चूरू
१०.	श्री बनवारी लाल जोशी	छोटी खाटू	नागौर
११.	श्री भूरमल एन. जैन	बागड़ा	जालोर
१२.	श्री सुखदेव कुमार	नवाब साहेबद्वा	जलंधर
१३.	श्री गिरराजसिंह	किशनगढ़	अजमेर
१४.	श्री के. एल. गोदरा	हनुमानगढ़	गंगानगर
१५.	श्री आर. एस. गुप्ता	पूंगा	बाडमेर

Page No 161

१	२	३	४
१६.	श्री वी. डी. गुप्ता	उचेन	भरतपुर
१७.	श्री वाई. पी. शर्मा	बसवा	जयपुर
१८.	श्री हणुमान प्रसाद	धारेडा	झुंझुनू
१९.	श्री जी. एस. पटवारी	सूरतगढ	बीकानेर
२०.	श्री बजरंगदास जैन	अकलेरा	फिरोजपुर
२१.	श्री एम एन. धावन	बांदीकुई	जयपुर
२२.	श्री हरीशचंद्र शर्मा	हरसोली	अलवर
२३.	श्री वीरेन्द्र सिंह यादव	नागल	भरतपुर
२४.	श्री बाबूलाल शर्मा	भीनमाल	जालोर
२५.	श्री नाथी लाल	पहाडी	भरतपुर
२६.	श्री नंतरामसिंह	छान्डा	अलीगढ

(३) आर.जे. एस.

१.	श्री श्याम सुन्दर व्यास	छोटी सादडी	चितौडगढ
२.	श्री भंवरलाल मनडाना	नावां	नागौर
३.	श्री ओम प्रकाश जैन	कदवी	बांदा (उ. प्र.)
४.	श्री हर स्वरूप दरयारी	कालारस	शिवपुरी (म. प्र.)
५.	श्री चन्द्र शेखर गोयल	बयाना	भरतपुर
६.	श्री चम्पा लाल बांठिया	सौजत	पाली
७.	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	मुसावर	भरतपुर
८.	श्री वासुदेव व्यास	फलोदी	जोधपुर
९.	श्री ज्योती प्रसाद बंसल	दुवती	भरतपुर
१०.	श्री प्रेम चंद जैन	लाडपुरा	कोटा
११.	श्री सुन्दरलाल मेहता	मावली	उदयपुर

(४) राजस्थान अकाउन्ट्स सर्विस

१.	श्री मोहन लाल पसारी	डूंडलोद	झुंझुनू
२.	श्री जान मोहम्मद खां	बीजौलिया	भीलवाडा
३.	श्री काशी प्रसाद जैन	फतेहपुर	सीकर
४.	श्री चंचलराज मेहता	जैतारण	पाली
५.	श्री मोहन लाल मेहता	नवाना	उदयपुर
६.	श्री नंदलाल कानूनगो	नयन	जयपुर
७.	श्री राम अवतार खंडेलवाल	बांसूर	अलवर

१	२	३	४
८.	श्री रनजोत सिंह	निमराना	अलवर
९.	श्री सोभाग सिंह जैन	गुलाबपुरा	भीलवाडा
१०.	श्री महावीर प्रसाद गुप्ता	कोटपूतली	जयपुर
११.	श्री राधेश्याम राजोरिया	मानपुरा	जयपुर
१२.	श्री श्रीगोपाल अग्रवाल	राजगढ	चूरू

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिए)

क्रम संख्या	जिला	किसानों की संख्या जिनके पास अपनी काश्त की जमीन बिलकुल नहीं है और वे दूसरों की जमीन पर मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं।	किसानों की संख्या जिनके पास अपनी खातेदारी की जमीन बिलकुल नहीं है और दूसरों की जमीन लगान या बटाई पर लेकर काश्त करते हैं।	किसानों की संख्या जिनके पास ५ एकड़ या उससे कम भूमि खातेदारी की है।
१	२	३	४	५
१.	डूंगरपुर ..	२५.१३०	२५,३४५	४३,३६३
२.	टोंक ..	३,५८७	२,४४०	१०,१०६
३.	बूंदी ..	६,३०७	६,८६२	६,६१४
४.	अलवर ..	१३,२७३	११,५३२	२०,५०४
५.	बीकानेर ..	—	१,५६१	६७५
६.	भीलवाड़ा	२,३६५	३,०६४	२१,२०८
७.	झालावाड़	७,०२१	४,६०६	२५,६५०
८.	बांसवाड़ा	२,१४२	७६७	२५,४६१
९.	सीकर ..	२१,४६४	१६,५०२	४६,८०५
१०.	भरतपुर ..	२४,६६५	११,०६५	५३,६०४
११.	जयपुर ..	२८,८२५	२६,५३८	८०,३६०
१२.	अजमेर ..	७,११७	३,८८२	१,२६,६२७
१३.	उदयपुर ..	१०,१६३	७,८१७	१,५५,६१५
१४.	सवाई माधोपुर	१०,५६५	११,६००	५३,०२३
१५.	झुंझनूं ..	६,४५१	५,४७४	१२,२०६
१६.	बाड़मेर ..	६,७०२	३,५१८	२६,५५०
१७.	सिरोही ..	२,६१४	१,३०८	१२,६३१
१८.	चूरू ..	८६५	४,२१४	६,८६६
१९.	नागौर ..	५,७५१	४,६२२	८,७५८
२०.	जोधपुर ..	३,२३४	४,५८२	१२,२८१
२१.	चित्तौड़गढ़	१३,२१४	६,१६३	३६,०३६
२२.	कोटा ..	२१,२२२	११,६७१	५६,६२३

Page No 164

१	२	३	४	५
२३.	पाली ..	१३,३२७	६,५७७	२५,३६२
२४.	जैसलमेर ..	१,७८३	१,८०२	६२४
२५.	गंगानगर	२७,४०२	१६,१३६	८,७२०
२६.	जालौर ..	१०,७०४	३,६०३	१०,८२१
		२,७३,२५३	२,१०,१४७	८,८५,२८२

परिशिष्ट ६

(कृपया मतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये)

Statement of Economics

Head of Account	Economy cut in B.E. 62-63	Cuts approved		Likely materialisation in 1962-63	
		Recurring	Non-Recurring	Recurring	Non-Recurring
1	2	3	4	5	6
9-Land Revenue	..	5.53	0.08	2.12	0.03
10-State Excise Duties ..	0.64	..	..	..	..
11-Taxes on Vehicles ..	..	0.09	0.42	0.12	0.77
12-Sales Tax	0.64	0.24	..	0.24	..
13-Other Taxes and Duties ..	0.32	..	..	..	..
14-Stamps	..	..	..	..	..
15-Registration	..	..	..	..	..
18-Parliament and State Legislature	..	0.96	..	0.02	..
19-General Administration ..	11.00	4.91	..	5.16	..
21-Administration of justice	1.00	1.04	..	0.87	..
22-Jails	..	0.43	..	0.43	0.22
23-Police	12.00	14.67	13.57	1.38	12.17
26-Misc. Departments ..	0.50	3.08	1.53	1.46	1.53
27-Scientific Departments ..	0.30	..	..	0.30	..
28-Education	5.00	23.01	..	17.10	..
29-Medical	1.00	3.10	..	3.65	..
30-Public Health	0.50	0.90	..	1.00	..
31-Agriculture	2.55	3.67	..	3.82	..

1	2	3	4	5	6
33-Animal Husbandry ..	1.75	1.77	..	2.40	..
34-Co-operation	1.80	2.26	..	1.95	..
35-Industries	0.25	6.72	..	6.85	..
37-C.D.P., N.E.S. and Local Development Works ..	0.05	..	..	..	..
38-Labour and Employment	..	0.49	..	0.46	..
39-Misc. Social and Developmental Organisations ..	0.25	6.72	..	3.87	2.85
42-Multipurpose River Schemes	..	0.14	..	0.28	..
43-Irrigation (Commercial) ..	..	..	..	..	..
44- -do- (Non-com.) ..	..	0.57	0.20	0.97	0.20
44- -do- (Com. Estt.)	2.25	0.28	..	0.34	..
50-Public Works	..	..	..	..	..
50-Public Works (Combined Estt.)	6.10	1.94	..	4.34	..
57-Road & Water Transport	..	..	..	..	..
64-Famine Relief	..	0.11	..	0.11	..
68-Stationery & Printing ..	..	0.35	1.00	0.35	1.00
70-Forest	1.90	0.41	..	0.36	..
71-Miscellaneous	0.20	0.98	..	0.73	..
76-Other Mics. Contributions and Assignments ..	..	..	..	..	..
TOTAL Rev. Account ..	50.00	84.37	16.80	60.68	18.77
Capital Account					
94-Capital Outlay on Improvement of Public Health	..	0.20	..	0.20	..
103-Capital Outlay on Public Works	..	5.00	33.00	5.00	33.00
124-Capital Outlay on Schemes of Govt. Trading ..	..	0.02	..	0.02	..

1	2	3	4	5	6
Q.-Loans and Advances ..	..	7.25	..	7.25	..
TOTAL Capital Account ..	..	12.47	33.00	12.47	33.00
TOTAL Rev. & Capital ..	50.00	96.84	49.80	73.15	51.77

Page No 168

परिशिष्ट १०

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिये)

सलेक्शन ग्रेड पदों पर जो आर. ए. एस. अधिकारी स्थाई रूप से काम कर रहे हैं, उनकी सूची ।

क्रम संख्या	नाम	तारीख जब से काम कर रहे हैं	वरिष्ठता सूची का नम्बर
१.	श्री अजीतसिंह	१-३-५६	२
२.	„ हरीसिंह	१५-६-५८	५
३.	„ रोशन मल माथुर	१५-११-५८	७
४.	„ भंवरलाल मेहता	१८-१-६०	८
५.	„ रनधीर सिंह चौधरी	६-७-६१	३६
६.	„ नन्द लाल माथुर	२६-७-६१	४०
७.	„ परमानन्द	१५-१२-६२	१३
८.	„ तेज करन जोशी	१५-१२-६२	२७

आर. ए. एस. अधिकारियों की सूची जो सलेक्शन ग्रेड पदों पर आफिसियेट कर रहे हैं ।

क्रम संख्या	नाम	तारीख जब से काम कर रहे हैं	वरिष्ठता सूची का नम्बर
१.	श्री राम कुमार शर्मा	२५-७-६२	२९
२.	„ रामनारायण	२१-५-६२	३०
३.	„ इन्द्रसिंह मेहता	२-२-६३	१२

आर. ए. एस. अधिकारियों की सूची जिन्हें सलेक्शन ग्रेड पदों पर नहीं लगाया गया ।

क्रम संख्या	नाम	वरिष्ठता सूचि का नम्बर
१.	२.	३
१.	श्री श्यामकरन	१५

१	२	३
२.	श्री प्रताप सिंह	१६
३.	,, सुरेन्द्रनाथ मिश्रा	२०
४.	,, श्यामा शंकर दवे	२८
५.	,, मानधाता सिंह	३२
६.	,, मानसिंह सारंगदूत	३७
७.	,, करतार सिंह	३८

APPOINTMENT (A—V) DEPARTMENT

Seniority list of officers borne on the Rajasthan Administrative Service Cadre.

(As on 1-1-1961)

NOTE:—The contents of this list should not be deemed to convey any sanction or authority in the matter of seniority, pay and allowance.

(*i*) *Officers on Selection posts.*

S.No.	Name	
1	2	
1.	Shri Gulzari Lal Mathur.	Retired from 1-7-61.
2.	,, Ajit Singh.	
3.	,, Samarath Raj.	Retired from 1-10-61.
4.	,, Champa Lal Kochar.	On I.A.S. post.
5.	,, Hari Singh.	
6.	,, H. S. Galundia.	Retired from Govt.service.
7.	,, Roshan Mal Mathur.	
8.	,, B. L. Mehta.	
9.	,, M. L. Nanawati.	Retired from 23-4-61.
	(*ii*) *Officers in the Grade of* 500-30-740-*E.B.*-30-800-50-900 (*Personal*).	
10.	,, R. C. Sinha.	Died.
	(*iii*) *Officers in the Ordinary Time Scale.*	
11.	,, Dungar Singh Mehta.	Retired.
12.	,, Inder Singh Mehta.	
13.	,, Parmanand.	
14.	,, Bhanwar Lal Bhatnagar.	Retired.
15.	,, Shyam Karan.	

1	2	
16.	Shri Pratap Singh.	
17.	„ Onkar Singh	
18.	„ Mathura Nath Pacholi	On I.A.S. Post.
19.	„ Hazari Lal Mehta	On S.G. post.
20.	„ Surendra Nath Misra.	
21.	„ Dharni Dhar Mohale.	Retired.
22.	„ S.A.Rauf (Provisional)	Retired.
23.	„ Abdul Jalil Qazi.	Retired.
24.	„ Jiwan Singh Chaudhari.	Retired.
25.	„ P.K.B. Kurup.	On I.A.S post.
26.	„ P.D. Khanna (Provisional).	Retired.
27.	„ Tej Karan Lal Joshi.	
28.	„ S.S.M.Dave (Provisional).	(Spl. selection 1959.)
29.	„ Ram Kumar Sharma.	
30.	„ Ram Narayan.	(Spl slection 1956.)
31.	„ Kanhaiya Lal Baraya.	On I.A.S post.
32.	„ Mandhata Singh.	
33.	„ Gajraj Ojha.	Retired compulsorily.
34.	„ Allauddin Khilji.	On I.A.S post.
35.	„ Hanuman Sahai Rawat.	On. I.A.S post.
36.	„ Damodar Lal Khandelwal.	Expired
37.	„ Man Singh Saragdoot.	
38.	„ Kartar Singh.	
39.	„ Randhir Singh Choudhary.	
40.	„ Nand Lal Mathur.	
41.	„ Tej Narain Kak.	
42.	„ Pahap Singh.	Retired.
43.	„ Prakash Chandra Gupta (Provisional)	(Special selection 1958).
44.	„ Ratan Narain Shivpuri	
45.	„ Vijey Singh.	
46.	„ Brijendra Singh.	
47.	„ Maya Ram Baloni.	
48.	„ Yasin Ali Khan.	
49.	„ Balendu Sharma.	
50.	„ Rang Dutt Sharma.	
51.	„ Hari Mohan Mathur.	
52.	„ Roop Lal Gandhi.	
53.	„ Basanti Lal Mathur.	Retired.
54.	„ Parmama Sahai Saxena.	
55.	„ Fateh Singh I	
56.	„ Tulsi Raj Agarwal.	
57.	„ Shankar Lal.	
58.	„ Shambhu Dayal Gupta.	
59.	„ Fauj Raj Joshi.	
60.	„ Gulab Singh.	
61.	„ Subh Karan Kavia.	
62.	„ Muneshwar Nath Kaul.	
63.	„ Roop Chand Mathur (Provisional.)	(Special selection 1958).
64.	„ Nand Lal Mathur II.	
65.	„ Madan Singh Rathore.	
66.	„ P.N.Seth (Provisional).	
67.	„ Achal Singh.	
68.	„ A.M.David (Provisional).	

1	2	
69.	Shri H. G. Mehra (Provisional).	
70.	„ Ram Ratan Agarwal.	
71.	„ Badri Dass.	
72.	„ Prem Dass Agarwal.	
73.	„ Madho Singh.	
74.	„ Milap Chand Jain.	
75.	„ Bal Sahai Sharma.	
76.	„ Umaid Singh.	
77.	„ Nagin Lal B. Sadasukhi.	
78.	„ Banney Singh II.	
79.	„ Ganga Lehri.	
80.	„ H. G. Bhutani.	
81.	„ Iqbal Nath Kaul.	
82.	„ Baney Singh III.	
83.	„ Shyam Narain Bhargava.	
84.	„ Bhanwar Lal Dashora.	
85.	„ Jaswant Singh Saheewala.	
86.	„ Raghuraj Singh.	
87.	„ Berisal Singh.	
88.	„ Jodh Singh Mehta.	
89.	„ Radha Ballabh Chaudhari.	Retired.
90.	„ Shiv Kumar Vyas (Provisional).	(Special selection 1959.)
91.	„ Jagdish Ram Sharma.	
92.	„ Sukh Lal Mantri.	
93.	„ Bhagwan Sahai Joshi.	
94.	„ Kailash Chandra Jain.	
95.	„ Jagpal Singh.	
96.	„ Tara Chand Jain.	
97.	„ Sheoram Jain.	
98.	„ Mandan Mohan Mathur.	
99.	„ Mohan Singh Bhandari.	
100.	„ Vinayak Dutt.	
101.	„ Hazari Chand.	
102.	„ Pyare Lal Talwar.	
103.	„ Gopal Narain Bhawan.	
104.	„ Brahma Dutt Sharma (Provisional).	(Special selection 1957.)
105.	„ Sri Krishna Dass.	
106.	„ Akbar Mohammed.	
107.	„ Jagdish Chandra Trivedi.	
108.	„ Gopal Lal Kapardar.	
109.	„ Jamna Lal Ladha.	
110.	„ Bhanwar Lal Kachera.	
111.	„ Nagendra Narain Verma.	
112.	„ Mohammed Gani.	
113.	„ Bhopal Singh Baxi.	
114.	„ Gulab Singh Mehta.	
115.	„ Amrit Lal Ojha.	
116.	„ Jai Shankar Shrimali.	
117.	„ Chatur Behari Lal K. Gupta.	
118.	„ Hari Lal Thakore.	
119.	„ Hari Singh Yadav.	Retired.
120.	„ Mohammed Ismail.	Retired.

1	2	
121.	Shri Bohat Lal Kavadia.	
122.	„ Chatur Singh Pancholi.	
123.	„ Mohan Singh Maheyaria.	
124.	„ Baldeo Krishna Binjoo.	
125.	„ Kanhaiya Lal Purohit.	
126.	„ Yashodeo Sharma.	
127.	„ Mani Lal J. Pareek.	
128.	„ S. P. Maini.	
129.	„ Jagroop Sahai Mathur.	
130.	„ Bansi Lal.	
131.	„ Sugan Chand.	
132.	„ Jagdish Narain Misra.	
133.	„ Karan Singh.	
134.	„ Inder Singh Shekhawat.	
135.	„ Narendra Singh.	
136.	„ Laxmi Narain Mathur.	
137.	„ Madan Singh Saktawat.	
138.	„ Ranjeet Singh Kothari.	
139.	„ Balmukand Gupta.	
140.	„ Brij Mohan Purohit.	
141.	„ Mata Deen Sharma.	
142.	„ Tara Chand Agarwal.	
143.	„ Radhey Shyam Dass Agarwal.	
144.	„ Bishambher Singh.	
145.	„ Ram Chandra Harit.	
146.	„ Ganesh Shanker Dwivedi.	
147.	„ Brij Ballabh Mehta.	
148.	„ K. G. Raj.	
149.	„ Ramesh Chandra Gupta.	
150.	„ Hukam Raj Bhandari.	
151.	„ Mohan Singh.	
152.	„ Ganpat Raj.	
153.	„ Prahlad Rai Sharma.	
154.	„ Sajjan Nath Modi.	
155.	„ K. Mahadeomal Singhvi.	
156.	„ J. P. Chandani.	
157.	„ Jagdish Narain Mathur.	
158.	„ Narendra Mohan Saxena.	
159.	„ Pratap Narain Singhal.	
160.	„ Dalpat Singh.	
161.	„ Jayanti Prasad.	
162.	„ Vidya Sagar Sud.	(Special selection 1955.)
163.	„ Bhawani Shanker Sharma.	(Expired).
164.	„ Lal Singh Choudhery.	
165.	„ Daulat Singh Kothari.	
	„ S. L. Gaur.	
166.	„ Fateh Singh III.	
167.	„ Jagat Prakash.	
168.	„ Munga Lal Surekha.	
169.	„ Gaja Nand.	
170.	„ Sushil Kumar Sharma.	
171.	„ Moti Lal Kakkar.	

Page No 173

1	2	
172.	Shri Kiran Babu.	
173.	„ Jugal Behari Srivastava.	
174.	„ Gopi Nath Gupta.	
175.	„ Kishen Lal.	
176.	„ Shrikant Kumar Shukla.	
177.	„ Shiv Dutt Sharma.	
178.	„ Krori Mal Rastogi.	
179.	„ Ramkaran Gupta.	
180.	„ Kundan Lal Chaturvedi.	
181.	„ Rewat Mal Singhvi.	
182.	„ Govind Narain Sharma.	
183.	„ Subh Karan.	
184.	„ Nag Singh.	
185.	„ Gopi Nath S. Rai.	
186.	„ Sardar Singh.	
187.	„ Rewati Raman Sharma.	
188.	„ Prem Singh.	
189.	„ Shiv Pal Singh.	
190.	„ Hari Narain Mathur.	
191.	„ Kanhaiya Lal Goyal.	
192.	„ Nand Lal Singh.	
193.	„ Ram Niwas Mathur.	
194.	„ Birendra Bir Baj.	
195.	„ Kalyan Chand Khunteta.	
196.	„ Madan Lal Baweja.	
197.	„ Govind Saran.	
198.	„ Bishambhar Dayal Sharma.	
199.	„ Ram Babu Kothari.	
200.	„ Kashi Ram Goyal.	
201.	„ Kaushal Kumar Narula.	
202.	„ Gopal Dass Kewalia.	
203.	„ Sheo Ramni Singh.	
204.	„ J. D. Kochar.	
205.	„ Moti Singh Sankhla.	
206.	„ Khet Pal Singh.	
207.	„ M. B. Mirchandani.	
208.	„ Uttam Chand T. Thakore.	
209.	„ Sachanand Wadhwani.	
210.	„ Zorawar Singh N. Sandhu.	
211.	„ Jas Raj Joshi.	
212.	„ Fateh Singh II.	
213.	„ Prabhu Sharan.	
214.	„ Girish Prasad.	
215.	„ Amarchand C. Bapna.	
216.	„ Shambhu Singh Deora.	
217.	„ Amar Chand U. Bapna.	
218.	„ Rameshwar Dayal Gupta.	
219.	„ Shree Niwas Purohit.	
220.	„ Ganesh Dutt Acharya.	Retired.
221.	„ Gokal Prasad Sharma.	
222.	„ Himmat Singh Saruparia.	
223.	„ B. N. Sharma (Provisional).	
224.	„ Ganesh Dutt Chhangani.	(Promoted 1956.)

1		2	3
225.	Shri	Harish Chandra Mangal.	E. R. 57.
226.	„	Gopal Lal Sharma .	E. R. 57.
227.	„	Jagdish Kishore Sharma'	E. R. 57.
228.	„	Surendra Prasad Garg.	Promotee 1955.
229.	„	Devi Singh .	Promotee 1955.
230.	„	Bhura Mal Vyas.	Promotee. 55.
231.	„	Laxmi Chand Gupta.	D. R. 1955.
232.	„	Har Narain Mathur.	D. R. 1955.
233.	„	Rajendra Pal Singh.	D. R. 1955.
234.	„	Jai Narain R. Gaur.	D. R. 1955.
235.	„	Prem Sukh Maheshwari.	D. R. 1955.
236.	„	Sheetla Prasad Purohit.	D. R. 1955.
237.	„	Rameshwar Singh.	D. R. 1955.
238.	„	Shyam Sunder Joshi.	D. R. 1955.
239.	„	Mata Deen Sharma.	D. R. 1955.
240.	„	Gopeshwar Bhatt.	D. R. 1955.
241.	„	Anand Singh.	D. R. 1955.
242.	„	Sumer Chand Bhandari.	D. R. 1955.
243.	„	Ram Chandra Meena.	D. R. 1955.
244.	„	Jai Narain Singh	Promotee 1956.
245.	„	Laxman Singh Dhabai.	Promotee 1956.
246.	„	Jawahar Singh Rao.	Promotee 1956.
247.	„	Abdul Gaffar.	Special selection 1956.
248.	„	Davendra Singh Saktawat.	E. R. 1957.
249.	„	Babu Prasad Mathur.	E. R. 1957.
250.	„	Sukhdeo Arya.	E. R. 1957.
251.	„	Bhagwat Swaroop Mathur.	E. R. 1957.
252.	„	Om Prakash Joshi.	E. R. 1957.
253.	„	Arjun Raj Bhandari.	E. R. 1957.
254.	„	Guman Singh	E. R. 1957.
255.	„	Gopal Singh.	E. R. 1957.
256.	„	Ram Nath Kaul.	E. R. 1957.
257.	„	Jaswant Mal B. Karnawat.	E. R. 1957.
258.	„	Amar Chand Sethi.	E. R. 1957.
259.	„	Vishnu Dutta Sharma.	E. R. 1957.
260.	„	Ganesh Narain Vyas.	E. R. 1957.
261.	„	Laxmi Narain Sharma.	E. R. 1957.
262.	„	Ishwari Singh Agre.	E. R. 1957.
263.	„	Padam Chand Singhi.	E. R. 1957.
264.	„	Brij Kishore Sharma.	E. R. 1957.
265.	„	Raghunandan Prasad.	E. R. 1957.
266.	„	Kishori Lal.	E. R. 1957.
267.	„	Radhey Shyam Dadheech.	E. R. 1957.
268.	„	Bal Krishan Sharma. I.	E. R. 1957.
269.	„	Hari Shankar Durga Shankar Dave.	E. R. 1957.
270.	„	Hari Kumar Sharma.	E. R. 1957.
271.	„	Bhawani Singh.	E. R. 1957.
272.	„	Mahmud.	E. R. 1957.
273.	„	Bal Krishan Sharma II.	E. R. 1957.
274.	„	Rajeshwar Dayal Mathur.	E. R. 1957.
275.	„	Shri Krishna Tak.	E. R. 1957.
276.	„	Ghan shyam Das Bhardwaj.	E. R. 1957.

1	2	3
277.	Shri Radhey Kant Sharma.	E. R. 1957.
278.	,, Kalyan Singh.	E. R. 1957.
279.	,, Daya Shankar Sharma.	D. R. 1956.
280.	,, Surendra Chandra Pagoria.	D. R. 1956.
281.	,, Kanhiya Lal Kochar.	D. R. 1956.
282.	,, Sajjan Singh Ranawat.	D. R. 1956.
283.	,, Ratan Kumar Gupta.	D. R. 1956.
284.	,, Har Prasad Agarwal.	D. R. 1956.
285.	,, Jas Raj Chopra.	D. R. 1956.
286.	,, Satya Narain Khandelwal.	D. R. 1956.
287.	,, Narsingh Prasad Bhatt.	D. R. 1956.
288.	,, Pravin Chand Jain.	D. R. 1956.
289.	,, Munna Lal Goyal	D. R. 1956.
290.	Kumari Mukalika Sen	E. R. 1957.
291.	Shri Deependra Nath Upadhyaya.	E. R. 1957.
292.	,, Bhrama Prakash Bhargava.	E. R. 1957.
293.	,, Mahendra Kumar Vyas.	E. R. 1957.
294.	,, Bhanwar Lal Verma.	E. R. 1957.
295.	,, Gauri Shanker Jha.	Promotee 1957.
296.	,, Chand Ratan Misra.	Promotee 1957.
297.	,, Rameshwar Lal.	Promotee 1957.
298.	,, Prathvi Singh.	Promotee 1957.
299.	,, Davendra Mohan Kasliwal.	Promotee 1957.
300.	,, Ram Bux Mirdha.	Special selection 1957.
301.	,, Sunder Lal Gaur.	Special selection 1957.
302.	,, Vaikunth Nath Chaturvedi.	D. R. 1957.
303.	,, Prakash Chandra Jain.	D. R. 1957.
304.	,, Rajeshwar Prasad Tiwari.	D. R. 1957.
305.	,, Tara Prakash Joshi.	D. R. 1957.
306.	,, Dilip Chand Jain.	D. R. 1957.
307.	,, Ved Prakash Sahni.	D. R. 1957.
308.	,, Jeewan Singh Mahecha.	D. R. 1957.
309.	,, Tara Chandra	D. R. 1957.
310.	,, Govind Prasad.	D. R. 1957.
311.	,, Brahma Dutt Joshi.	D. R. 1957.
312.	,, Sudherdra Gemawat.	D. R. 1957.
313.	,, Iqbal Krishan Bali.	D. R. 1957.
314.	,, Chaitanya Prakash.	D. R. 1957.
315.	,, Ganpat Ram Yadav.	D. R. 1957.
316.	,, Hazari Lal Barwa.	D. R. 1957.
317.	,, S. Dt· Arha (Provisional).	E. R. 1950.
318.	,, Paras Mal (Provisional.)	E. R. 1960.
319.	,, Gur Bux Saxena (Provisional).	E. R. 1960.
320.	,, Roop Ram Vyas (Provisional).	E. R. 1960.
321.	,, Dayal Das Bisarya (Provisional).	E. R. 1960.
322.	,, Ram Narain Saxena. (Provisional.	E. R. 1960.
323.	,, Haranarain Singh Rajpurohit.(Prov.)	E. R. 1960.
324.	,, Vyas Deo Chopra (Provisional)	E. R. 1960.
325.	,, S. K. Banerji (Provisional).	E. R. 1960.
326.	,, Prafulla Chandra Parihar. (Provisional)	E. R. 1960.
327.	,, Raghubir Singh Bist (Provisional).	E. R. 1960.
328.	,, Ram Narain Sharma (Provisinal).	E. R. 1960.
329.	,, Nav Ratan Verma.	Promotee 1958.

1	2	3
330.	Shri Gajraj Singh Kothari	Promotee 1958.
331.	„ Hukam Chand Sharma.	Promotee 1958.
332.	„ Phani Bhushan Thakur.	Promotee 1958.
333.	„ Moti Lal Gupta.	Promotee 1958.
334.	„ Radha Krishna Tripathi.	Promotee 1958.
335.	„ Suraj Prakash Singh.	Promotee 1958.
336.	„ N. N. Bhatnagar.	Special selection 1958.
337.	„ C. L. Kanwaria.	Special selection 1958.
338.	„ Prageshwar Tiwari.	D. R. 1958.
339.	„ Ganesh Prasad Nagar.	D. R. 1958.
340.	„ Nihal Chand Jain.	D. R. 1958,
341.	„ Chhagan Lal Jain.	D. R. 1948.
342.	„ Ajit Singh Singhvi.	D. R. 1958.
343.	„ Ratan Singh Singhvi.	D. R. 1958.
344.	„ Prem Kumar B. Singh.	D. R. 1958.
345.	„ Krishna Kant Avsathi.	D. R. 1958.
346.	„ Rama Kant Vyas.	D. R. 1958.
347.	„ Jalam Singh Tanwar.	D.R. 1958.
348.	„ Jagdish Chandra Sharma.	D. R. 1958.
349.	„ Madan Lal Gupta.	D. R. 1958.
350.	„ Jagdeo Singh Yadav.	D. R. 1958.
351.	„ Gulab Singh Darda.	D. R. 1958.
352.	„ Laxmi Narain Mishra.	D. R. 1958.
353.	„ Mukat Behari Gupta.	D. R. 1958
354.	„ Kanhiya Lal Pareek.	D. R. 1958.
355.	„ Jeoraj Kanoogo. .	D. R. 1958.
356.	„ Ash Karan Agrawal.	D. R. 1958.
357.	„ Prem Krishna Garg.	D. R. 1958.
358.	„ Navind Chandra Joshi.	D. R. 1958.
359.	„ Jadgish Narain Bhatnagar.	D. R. 1958.
360.	„ Mahendra Kumar Saxema.	D. R. 1958.
361.	„ Pradyuman Kumar.	D. R. 1958.
362.	„ Santish Kumar Sharma.	D. R. 1958.
363.	„ Janma Lal.	D. R. 1958.
364.	„ Kanti Lal Ojha.	Promotee 1959.
365.	„ Sawai Singh Mehta.	Promotee 1959.
366.	„ Kesri Singh Deopura.	D. Promotee 1959.
367.	„ Goverdhan Lal Pandey.	Promotee 1959.
368.	„ Kushal Singh.	Promotee, 1959.
369.	„ Bal Krishna Rao.	Promotee 1959.
370.	„ Mokham Singh.	Promotee 1959.
371.	„ Sabir Hussain Saddiqui.	Promotee 1959.
372.	„ Jagdish Prasad Dixit.	Promotee 1959.
373.	„ Devki Nandan Chaturvedi.	Promotee 1959.
374.	„ Pooran Singh.	Promotee. 1959.
375.	„ O. P. Bansal.	Special selection 1959..
376.	„ M. P. Kalla.	Special selection 1959.
377.	„ Shanti Lal Khasghiwal.	Special selection 1959..
378.	„ Durga Lal Mathur (Provisional).	E. R. 1960.
379.	„ Jai Kumar Jain (Provisional).	E. R. 1960.
380.	„ M. G. Madnani. (Provisional)	E. R. 1960.
381.	„ Pundarik Bhattacharya (Provisional).	E. R. 1960.

Page No 177

1	2	3
382.	Shri Som Dutt Sharma (Provisional).	E. R. 1960.
383.	„ Banwari Lal Vasistha (Provisional).	E. R. 1960.
384.	„ Shiv Charan Sharma (Provisional).	E. R. 1960.
385.	„ Sharad Chandra Verma (Provisional).	E. R. 1960.
386.	„ Satyendra Nath (Provisional).	E. R. 1960.
387.	„ Kedar Nath Gupta (Provisional).	E. R. 1960.
388.	„ Raghubir Singh Verma. (Provisional).	E. R. 1960.
389.	„ Shyam Lal Sharma (Provisional).	E. R. 1960.
390.	„ Shyam Sunder Bhatnagar (Provisional)	E. R. 1960.
391.	„ Arjun Nath Pandit (Provisional).	E. R. 1960.
392.	„ Aklanka Jinda (Provisional).	E. R. 1960
393.	„ Charanjit Lal Khanna (Provisional).	E. R. 1960
394.	„ Tarachand Gupta (Provisional).	E. R. 1960
395.	„ P. R. S. Menon (Provisional).	E. R. 1960
396.	„ Sita Ram Agarwal. (Provisional).	E. R. 1960
397.	„ Mahendra Singh Sethi (Provisional).	E. R. 1960
398.	„ Gyan Swarup Gupta (Provisional).	E. R. 1960
399.	„ Chandra Sekhar Sharma (Provisional).	E. R. 1960
400.	„ Ram Singh Jain (Provisional).	E. R. 1960
401.	„ Ram Chandra Mishra (Provisional).	E. R. 1960
402.	„ Balbir Singh Yadav (Provisional).	E. R. 1960
403.	„ Raghubir Sharma (Provisional).	E. R. 1960
404.	„ Amrit Lal Bedi (Provisional).	E. R. 1960
405.	„ Suraj Karan Arun. (Provisional).	E. R. 1960
406.	„ Sharad Kumar Lahri (Provisional).	E. R. 1960
407.	„ Tarlochan Singh Oberio (Provisional).	E. R. 1960
408.	„ Brij Bhusan Sareen (Provisional).	E. R. 1960
409.	„ Shanker Lal Dholiwal (Provisional).	E. R. 1960
410.	„ Prabhati Lal Meena (Provisional).	E. R. 1960
411.	„ Ram Das Goyal (Provisional).	E. R. 1960
412.	„ Vinod Kumar Srivastava (Provisional).	E. R. 1960
413.	„ Ram Saran Mittal (Provisional).	E. R. 1960
414.	„ Madan Lal Jain (Provisional.	E. R. 1960
415.	„ Shiv Kumar Vijay (Provisional).	E. R. 1960
416.	„ Bhawani Shanker (Provisional).	E. R. 1960
417.	„ Kan Singh Rawal (Provisional).	E. R. 1960
418.	„ Sudarshan Choda (Provisional).	E. R. 1960
419.	„ Yatendra Nath (Provisional).	E. R. 1960
420.	„ Naresh Chandra Jain (Provisional).	E. R. 1960
421.	„ Sawai Singh Singhvi (Provisional).	E. R. 1960
422.	„ Ramesh Nath (Provisional).	E. R. 1960
423.	„ Amrit Lal Bisani.	D. R. 1959
424.	„ Krishna Mohan Sahai Saxena.	D. R. 1959
425.	„ Santosh Das Srivastava.	D. R. 1959
426.	„ Manohar Singh.	D. R. 1959
427.	„ Devendra Raj Mehta.	D. R. 1959
428.	„ Bishan Kumar Malhotra.	D. R. 1959
429.	„ Narwani Gurmukh Singh.	D. R. 1959
430.	„ Jag Mohan Bhatnagar.	D. R. 1959
431.	„ Banwari Lal Saraswat.	D. R. 1959
432.	„ Devendra Kumar.	D. R. 1959
433.	„ Narpat Singh S. Bhandari.	D. ER. 1959

1	2	3
434.	Shri Dinesh Chandra Sharma.	D. R. 1959
435.	„ Chandra Singh Murdia.	D. R. 1959
436.	„ Shiv Charan Agrawal.	D. R. 1959
437.	„ Sher Nath.	D. R. 1959
438.	„ Ram Kumar Singh.	D. R. 1959
439.	„ Sukh Deo Dadhich.	D. R. 1959
440.	„ Santosh Kumar Bhatnagar.	D. R. 1959
441.	„ Deen Dayal Sood.	D. R. 1959
442.	„ Natha Ram Sharma.	D. R. 1959
443.	„ Dharma Dutt.	D. R. 1959
444.	„ Prem Chand Agarwal.	D. R. 1959
445.	„ Dharam Vir.	D. R. 1959
446.	„ Goverdhan Lal Tiwari.	D. R. 1959
447.	„ Jagbir Singh.	D. R. 1959
448.	„ Ram Ratan Gupta.	D. R. 1959
449.	„ Ashwani Kumar Gupta.	D. R. 1959
450.	„ Gopal Das.	D. R. 1959
451.	„ Bhoma Ram.	D. R. 1959
452.	„ Surendra Kumar Gulati.	D. R. 1960
453.	„ Naresh Kumar Sethi.	D. R. 1960
454.	„ Trilochan Singh Matharoo.	D. R. 1960
455.	„ Kumari Usha Beri.	D. R. 1960
456.	„ Shri Mahendra Singh Yadava.	D. R. 1960
457.	„ Kushal Singh.	D. R. 1960
458.	„ Om Prakash Srivastava.	D. R. 1960
459.	„ Raj Kumar Sharma.	D. R. 1960
460.	„ Ganga Vishnu Gupta.	D. R. 1960
461.	„ Dinesh Nath Sharma.	D. R. 1960.
462.	„ Jinendra Kumar Jain.	D. R. 1960.
463.	„ Naresh Nath Tankha.	D. R. 1960.
464.	„ Krishna Kumar.	D. R. 1960.
465.	„ Madan Murari Lal.	D. R. 1960.
466.	„ Mangal Sain Madhok.	D. R. 1960.
467.	„ Predyesh Kumar Sharma.	D. R. 1960.
468.	„ Prakash Narain Raina.	D. R. 1960.
469.	„ Chinta Mani Sharma.	D. R. 1960.
470.	„ Pyare Mohan Bagerhotta.	D. R. 1960.
471.	„ Rameshwar Prasad K. Triwedi.	D. R. 1960.
472.	„ Hanwant Singh Rathore.	D. R. 1960.
473.	„ Mahesh Prakash Sharma.	D. R. 1960.
474.	„ Satya Narain Singh.	D. R. 1960.
475.	„ Sham Dass.	D. R. 1960.
476.	„ Yogesh Chandra.	D. R. 1960.
477.	„ Laxmi Narain Yadava.	D. R. 1960.
478.	„ Shri Krishana Dutta Sharma.	D. R. 1960.
479.	„ Ravi Prajash Nag.	D. R. 1960.
480.	„ Ram Vir Singh Bhanwar.	D. R. 1960.
481.	„ Mahendrapal Singh.	D. R. 1960.
482.	„ Roshan Lal.	D. R. 1960.

Page No 179

NOTE :—1. The seniority of officers belonging to the Ex-State of Ajmer is provisional pending finalisaton of interlaced Seniority.

2. The seniority of Emergenc of Recruits of 1960 is provisional.

3. The seniority of Direct Recruits of 1960 is provisional pending appointment to the service by promotion and special selection for thkat year.

परिशिष्ट ११

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर देखिये)

ग्राम पंचायत ६० जी. बी. को विभिन्न कार्यों के लिये दी गई धन राशि की सूची :—

क्रम सं.	नाम कार्य	प्रदत्त धनराशि	भुगतान की ता०
१.	स्कूल भवन ६० जी. बी.	१,०००)	२४-१२-५८
२.	अनुसूचित जाति के भवनों के निर्माण हेतु	४,३७५)	१२-२-६०
३.	स्कूल भवन ७८ जी. बी.	५००)	३१-३-६१
४.	भेड़ों के लिये दवा	१५०)	१०-४-६०
५.	पुली एक ६० जी. बी.	७५)	१-१०-५६
६.	कुवां सीवनी	१,८००)	४-१-६२
७.	पंचायत कार्यालय के लिये अनुदान ..	२३२)२० न. पै.	१८-२-६३
८.	पंचायत कार्यालय के लिये अनुदान ..	३०)५० ,,	१८-२-६३

परिशिष्ट १२

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर देखिए)

List showing the Tehsilwise outstanding amount of Taccavi of the Rajasthan State.

S.No. 1	District. 2	Name of Tehsil 3	Amount. 4	
1.	Alwar ..	.. Alwar.	62,481.00	N.P.
		Bansur.	1,934.00	,,
		Behror.	7,288.00	,,
		Kishengarh.	24,038.00	,,
		Laxmangarh.	54,451.00	,,
		Mandawar	18,337.00	,,
		Rajgarh.	14,288.00	,,
		Thanagazi.	22,976.00	,,
		Tijara	4,636.00	,,
2.	Bharatpur	.. Bharatpur.	1,14,840.00	N.P.
		Deeg.	1,445.00	,,
		Kama.	14,619.00	,,
		Nagar.	15,699.00	,,
		Nadbai	10,459.00	,,
		Bayana.	46,127.00	,,
		Weir.	19,704.00	,,
		Rupbas.	31,982.00	,,
		Dholpur.	88,165.00	,,
		Bari.	5,372.00	,,
		Basari.	1,98,008.00	,,
		Rajakhera.	71,479.00	,,
3.	Sikar ..	.. Sikar	29,749.00	N.P.
		Fatehpur.	7,860.00	,,
		Sri-Madhopur.	46,794.00	,,
		Laxmangarh.	200.00	,,
		Neem-ka-thana.	30,242.00	,,
		Danta Ramgarh.	29,178.00	,,
4.	Jhunjhunu	.. Jhunjhunu	4,196.00	N.P.
		Chirawa.	2,00,603.00	,,

1	2	3	4	
		Khetri.	1,315.00	nP.
		Udaipurwati.	20,363.00	,,
5.	Tonk	Nawai.	6,280.00	N.P.
		Todaraisingh.	8,702.00	,,
		Aligarh.	103.00	,,
		Deoli.	2,125.00	,,
		Tonk.	30,576.00	,,
6.	Sawai Madhopur ..	Sawai Madhopur.	1,28,408.60	N.P.
		Khandar.	37,740.03	,,
		Boili	31,205 00	,,
		Gangapur.	10,756.00	,,
		Bamanwas.	235 00	,,
		Nadoti.	26,396.00	,,
		Karauli.	37,640.72	,,
		Spatora.	39,473 26	,,
		Toda Bhim.	19,248.65	,,
		Mahwa.	42,764.00	,,
7.	Ajmer	Ajmer.	5,74,237.00	N.P.
		Beawar.	11,87,735.00	,,
		Kishangarh.	1,43,618.00	,,
		Kekri.	4,38,552.00	,,
		Sarwar.	990.00	,,
8.	Jaipur	Jaipur.	2,80,924.00	N.P.
		Bassi.	26,190.00	,,
		Sanganer.	89,658 00	,,
		Chaksu.	26,098.00	,,
		Lalsote.	36,979.00	,,
		Dausa.	20,941.00	,,
		Sikrai.	45,664.00	,,
		Baswa.	27,239.00	,,
		Amber.	13,065.00	,,
		Jamwaramgarh.	33,231.00	,,
		Bairath.	7,418.00	,,
		Kotputli.	10,179.00	,,
		Phulara.	2,53,905.00	,,
		Paghi	600.00	,,
		Dudu	17,051.00	,,

1	2	3	4	
9.	Kota. ..	.. Ladpura.	43,179.00	N.P.
		Digod.	1,036.00	,,
		Pipalda.	4,306.00	,,
		Indergarh.	5,433.00	,,
		Baran.	83,875.00	,,
		Mangrol.	18,948.00	,,
		Kishanganj.	46,990.00	,,
		Shahabad.	45,652.00	,,
		Sangod.	11,119.00	,,
		Ramganjmandi.	8,949.00	,,
		Chhabra.	11,368.00	,,
		Chippabarod.	5,036.00	,,
		Atru.	36,853.00	,,
10.	Bundi ..	.. Bundi.	1,25,132.00	N.P.
		Hindoli	68,904.00	,,
		Nainwa.	53,418.00	,,
		Keshraipatan	60,804.00	,,
11.	Jhalawar	.. Jhalarapatan.	19,394.85	N.P.
12.	Bikaner ..	.. Bikaner.	1,43,430.00	N.P.
		Nokha.	1,763.00	,,
		Kolayat.	14,914.00	,,
		Lunkaransar.	23,012.00	,,
13.	Ganganagar.	.. Ganganagar.	1,86,776.00	N.P.
		Karanpur.	27,918.00	,,
		Padampur.	69,793.00	,,
		Raisingnagar	43,806.00	,,
		Anoopgarh.	21,232.00	,,
		Suratgarh.	82,287.00	,,
		Hanumangarh.	1,52,016.00	,,
		Nohar.	79,543.00	,,
		Bhadra.	24,085.00	,,
14.	Churu ..	.. Churu.	15,488.00	N.P.
		Sardarsahar.	2,29,041.00	,,

1	2	3	4	
		Rajgarh.	5,597.00	,,
		Taranagar.	7,106.00	,,
		Ratangarh.	24,465.00	,,
		Sujangarh.	9,370.00	,,
		Dungargarh.	37,910.00	,,

परिशिष्ट १३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिए)

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

Statement showing loans advanced by the Corporation up to 31st December, 1962

S. No. 1	Type of Industry. 2	Amount advanced. 3
		Rs.
1.	Metal Wiring	80,000.00
2.	Chemical & Fartilizer Mineral Mining ..	10,00,000.00
3.	Mica.	1,00,000.00
4.	Flour Mills	7,68,987.00
5.	Dal Mills	29,000.00
6.	Sugar Factroies & Refineries	15,00,000.00
7.	Sugar (including Khandsari)	1,65,000.00
8.	Manufacture of edible oils (other than hydrogenated oils)	1,90,000.00
9.	Cold Storage.	60,000.00
10.	Cotton Textiles	3,94,200.00
11.	Hosiery	50,000.00
12.	Manufacture of Textiles not elsewhere classified	10,00,000.00
13.	Cotton Ginning, Cleaning & Pressing. ..	1,00,000.00
14.	Umbrella Manufacture	2,75,000.00
15.	Heavy Chamicals	1,00,000.00
16.	Drugs & Pharmaceuticals	25,000.00
17.	Perfumes, Cosmetics and other toilet preparations	1,40,000.00
18.	Refractories (including maganesite refractory manufacture)	2,00,000.00
19.	Laboratory Ware	2,95,000.00
20.	China Ware & Pettory	86,100.00
21.	Sanitary Ware & white ware	46,000.00
22.	Stone Dressing & Crushing	6,69,400.00
23.	Iron & Steel Castings & Forgings	5,00,000.00
24.	Iron & Steel structurals	8,77,000.00
25.	Bolts, Nuts, Mails, Screws, Springs, Chain etc.	1,64,000.00
26.	Sanitary & Plumbing Fixtures & fittings of metal	55,000.00
27.	Expended Wetal	2,30,000.00
28.	Metal ware & Utensils	1,57,000.00
29.	Manufacture of Metal products except machinery and transport equipments others	1,35,000.00
30.	Machine Tools	60,500.00
31.	Agricultural Implements	75,000.00
32.	Electric cables and wire (Rubber & Plastic insulated cables, flexible and winding wires) ..	1,00,000.00
33.	Manufacture of Electrical machinery, apparatus, appliances and supplies Others	2,40,000.00
34.	Surgical Instruments	1,18,400.00

1	2	3
35.	Manufacturing Industries not elsewhere classified	18,000.00
36.	Manufacture of Ice	60,000.00
	3 TOTAL ..	1,30,63,587.00

Loans Advanced out of the consolidated Fund and Devasthan Fund of the Rajasthan Government.

		Rs.
I.	Jaipur Udyog Limited, Sawai Madhopur (1956)	60,00,000
I.	Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur (1960)	12,00,000
III.	J. K. Investment Trust Ltd., Kanpur (1959)	30,00,000
IV.	Swadeshi Cotton Mills Limited, Kanpur (Devasthan Fund Account)	30,00,000
V.	Bijainagar Sugar Mills Limited, Bijainagar ..	3,84,546.58
	(Original loan was advanced by R. F. C. but payment was made by the Government treating as Government loan)	
	TOTAL ..	1,35,84,546.58

Page No 187

परिशिष्ट १४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर देखिये)

विवरण अज्ञात तकावी जिला गंगानगर

नं. शु.	नाम तहसील	नाम गांव	तारीख दरख्वास्त	तारीख मंजूरी	समय जो मंजूरी में लगा	विशेष विवर
१	२	३	४	५	६	७
					वर्ष माह	
१.	रायसिहनगर	१ टी. के.	१९-११-५५	२५-५-५७	१ ५	
२.		बराईनवाली	२२-११-५५	११-२-५६	१	
३.		४५ एम. पी.	२२-११-५५	११-१-५६	१ १	
४.		दुलारासर	२८-११-५५	२-१२-५६	१	
५.		९ एम. पी.	१४-२-५६	३-७-५७	१	
६.		२४ आर. पी.	१४-२-५६	१३-१२-५६	....१०	
७.		४१ एन. पी.	१५-२-५६	३-७-५६	१ ५	
८.		४३ पी. एस.	२-३-५६	३-७-५६	१ ४	
९.		श्यामगढ़	२६-३-५७	३-४-५७	९ दिन	
१०.		६६ एन. पी.	२९-७-५७	९-६०	३ २	
११.		८४ आर. बी.	२१-१-५८	..	..	विचाराधीन
१२.		भागसरदावला	१५-११-५८	२६-७-६२	५ ६	
१३.		९ टी. के.	३०-१-५८	२६-७-६२	४ ६	
१४.		३३ एन. पी.	४-४-५८		..	विचाराधीन
१५.		१५ एन. पी.	७-७-५८	..	..	"
१६.		४४ बी. एस.	२१-३-५८	२९-८-६[illegible]	३ ९	
१७.		४६ एन. पी.	८-१२-५८	१८-१-६१	३ १	
१८.		६१ आर. बी.	२०-७-५९	..	..	विचाराधीन
१९.		भोमपुरा	१९-९-५९	२६-७-६२	२ १०	
२०.		६१ सी.	१९-९-५९	५-९-६०	११	
२१.		कराडवाली	१९-९-५९	२६-७-६२	२ १०	
२२.		विसनपुरा	१९-९-५९	१५-९-६०	१	
२३.		अमरसर	१-१२-५९	२६-७-६२	२ ९	
२४.		३४ एन. पी.	१-१२-५९	११-४-६०	४	

१	२	३	४	५	६	७
	राय सह नगर				वर्ष माह	
२५.		२६ पी. एस. ए.	१-१२-५६	२६-७-६२	२ १०	
२६.		२२ एन. पी.	२०-८-६०	२६-७-६२	१ ११	
२७.		६ एल. सी.	२५-८-६०	५-६-६०	१२ दिन	
२८.		६४ आर. बी.	५-६-६०	१८-१२-६१	१ ४	
२९.		लुहारा	७-६-६०	७-६-६०		
३०.		४२ पी. एस.	२१-१२-६०	..	..	विचाराधीन
३१.		३ एफ.एफ. बी.	२२-४-६१	२८-१२-६२	१ ८	
३२.		५७ एम पी.	२७-६-६१	२६-७-६२	१ १	
३३.		५ एल. सी.	६-७-६१	२६-६-६२	११	
३४.		भोमपुरा	२२-८-६१	२६-७-६१	११	
३५.		४२ पी. एस.	२१-६-६१	२८-११-६१	२	
३६.		७२ एन. पी.	१५-३-६२	१५-३-६२		
३७.		४४ पी. एस.	५-१०-६१	३०-१-६३	१ ४	
३८.		२४ एन. पी.	१६-३-६३	१६-३-६३		
३९.		२७ एन. पी.	३०-४-६२	३०-४-६२		
४०.		१४ आर. बी.	१४-५-६२	१४-५-६२		
४१.		६७ आर. जी.	२३-७-६३	२३-७-६३		
४२.		कीकरवाली	२६-७-६२	२६-७-६२		
४३.		३८ आर. बी.	२६-७-६२	२६-७-६२		
४४.		सिलमेवाला	२६-७-६२	२६-७-६२		
४५.		१२ टी. के.	२६-७-६२	२६-७-६२		
४६.		१२ एन. पी.	२६-७-६२	२६-७-६२		
४७.		ठान्डीबारानी	२६-१०-६२	२८-१२-६२	२	
४८.		१२ एन. पी.	२०-१०-६०	..	..	विचाराधीन
४९.		संगराना	२६-७-६२	२६-१-६३	६	
५०.		१५ पी. एस.	२१-१-६३	..	..	,,
५१.	गंगानगर ..	८ वाई	१-२-५८	२८-३-५८	१	
५२.		१ एम. एल.	१५-७-५८	२२-५-६२	३ १०	
५३.		डूंगरसिंहपुरा	६-४-६०	१४-४-६०	?	
५४.		१७ एम. एल.	६-४-६०	२२-१-६२	५०	,,
५५.		२५ एम. एल.	४-५-६०	२२-१-६२	१ ८	
५६.		१२ एल.एम. पी.	५-६-६१	२६-१२-६२	१ ३	
५७.	पदमपुर	७६ एल. एम. पी.	[illegible]	[illegible]	३	
५८.		४५ एल. एम. पी.	[illegible]	[illegible]	३	
५९.		५४ एल. एन. पी.	[illegible]	[illegible]	..	,,

१	२	३	४	५	६	७
६०.	अनूपगढ़	१० जी.बी.	१६-१०-५८	..	वर्ष माह	विचाराधीन
६१.		६८।२ जी. बी.	९-१०-५७	२३–१२-५७	२	
६२		८८ जी. बी.	१९-१२-५८	२१-९-६१	२ ९	
६३.		५८ जी. बी.	२१-४-६३	२१-१२-६२	१ ८	
६४.		८० जी. बी.	१९-८-६१	१९-८-६१		
६५		२२ जी. बी.	२१-८-६१	२१-८-६१		
६६.	करनपुर ..	४० एफ.	२२-३-६२	१२-२-६२	१ १०	
६७.		४० एफ.	६-८-६२	..	..	विचाराधीन
		६७	योग निर्णीत ५८		योग विचाराधीन	

परिशिष्ट १५

(कृपया प्रतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर देखिये)

Assembly question No. 523 / C. M.

S. No.	Name of District	Name of Tehsil	Allotted land in 1962-63
1	2	3	4
			Acres.
1.	Dungarpur	1. Dungarpur	1023.64
		2. Sagwara	116.68
		3. Aaspura	1934.36
		TOTAL	3074.68
2.	Banswara	1. Banswara	19699.32
		2. Gadi	8598.86
		3. Ghatol	3328.46
		4. Kushalgarh	910.15
		5. Bagidora	1369.36
		TOTAL	33906.15
3.	Bhilwara	1. Bhilwara	886
		2. Mandal	844
		3. Sahada	2298
		4. Mandalgarh	1562
		5. Photadi	1183
		6. Shahpura	24818
		7. Jahazpur	2128
		8. Hurda	523
		9. Asind	1283
		TOTAL	38505
4.	Chittorgarh	1. Chittorgarh	410
		2. Gangrar	632
		3. Begu	81
		4. Kapasan	805
		5. Rashmi	87
		6. Nimbaheda	680
		7. Bhadesar	1833
		8. Badi Sadri	118
		9. Chhoti Sadri	619
		10. Pratapgarh	1165
		TOTAL ..	6380
5.	Udaipur	1. Girwa	420
		2. Nathdwara	930
		3. Gogunda	277
		4. Rajsamand	937
		5. Railmagra	130
		6. Kumbhalgarh	290

Page No 191

1	2	3	4
			Acres.
	Udaipur	7. Amber	1610
		8. Bhim	219
		9. Devgarh	1150
		10. Balabhnagar	1162
		11. Mavli	..
		12. Lasadiya	5105
		13. Salumber	113
		14. Sarda	1669
		15. Kherwada	1115
		16. Palasiya	3262
		17. Kotra	920
		TOTAL ..	19,289
6.	Kota	1. Kota	675
		2. Digor	543
		3. Pipatda	1442
		4. Ramganjmandi	996
		5. Sangod	1812
		6. Bara	1031
		7. Mangrol	399
		8. Kishanganj	3118
		9. Sahavath	1549
		10. Chhabra	4244
		11. Atru	1326
		12. Chhipabadod	609
		TOTAL ..	18044
7.	Bundi	1. Bundi	87
		2. Kashavrawpatan	..
		3. Nenwa	86
		4. Hindoli	1467
		TOTAL	1650
8.	Jhalawar	1. Jhalrapatan	132
		2. Pachpahad	732
		3. Gangadhar	797
		4. Pidawa	42
		5. Aklera	202
		6. Khanpur	173.72
		TOTAL	2178.72
9.	Bikaner	1. Bikaner	12341
		2. Loonkaransar	35750
		3. Nokha	492
		4. Kolayat	43125
		TOTAL	101708

1	2	3	4
			Acres.
10.	Churu	1. Churu	335
		2. Sardarsahar	15756
		3. Rajgarh	163
		4. Taranagar	116
		5. Ratangarh	249
		6. Sujangarh	..
		7. Dungargarh	29781
		Total ..	46065
			Bigha.
11.	Ganganagar	1. Ganganagar	295
		2. Karanpur	1093
		3. Padampur	4239
		4. Raisinghnagar	6549
		5. Anoopgarh	1622
		6. Hanumangarh	108
			(Bhakra Project Deptt.
		7. Suratgarh	129727
		8. Bhadra	1432
		9. Nohar	114385
			Acres.
12.	Barmer	1. Barmer	206
		2. Shiv	5677
		3. Chotan	2605
		4. Siwana	8023
		5. Pachpadra	615
		Total ..	17226
13.	Jaisalmer	1. Jaisalmer	10074
		2. Ramgarh	..
		3. Sam	..
		4. Pokaran	346
		5. Nachna	..
		TOTAL ..	10420
14.	Jalore	1. Jalore	1892
		2. Ahore	2520
		3. Bhinmal	3687.42
		4. Sanchore	8535.50
		TOTAL ..	16304.92

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ४ अप्रेल, १९६३)

स्कम्म सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६०५४	१३	कमाडेन्ड	कमान्डेड
६०५५	१	Ereceipts	receipts
,,	२	leuds in Mandies	lands in Mandis
६०५६	७	उसम	उसमें
६०५९	अन्तिम से ४	श्री बालकृष्ण कल	श्री बालकृष्ण कौल
६०६०	१०	रूपवाल	रूपवास
६०६१	अन्तिम से २	पट्ट्रेदार	पट्टेदार
६०६२	अन्तिम से २	में	में
६०६३	१७	इससे	इसमें
६०६८	१२	श्री मातिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
६०७१	१८	सेकेट्री	सेक्रेट्री
,,	२०	से	सेक्रेट्री से
६०७२	७	करेंग ?	करेंग ?
६०७३	शीर्षक	–४ अप्रल	४ अप्रेल
६०७४	६	चाहिए,	चाहिए जब
६०७५	१७	स्कल	स्कूल
६०७६	१२	म	में
,,	१३	कक्षाए	कक्षाएं
,,	अन्तिम से ३	पोलिटिकल साइस	पोलिटिकल साइन्स
६०७७	११	श्री निरंजननथ आचार्य	श्री निरजननाथ आचार्य
६०८२	शीर्षक	प्रशोत्तर	प्रश्नोत्तर
,,	१९	विकेन्द्रा करण व निरीक्षको	विकेन्द्रीकरण व निरीक्षकों
६०८९	२	श्री रामानन्द अ वाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
६०९०	अन्तिम से २	श्रीरामानन्द अ वाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
६०९८	अन्तिम से ३	लिमिाटड,	लिमिटेड
६१०२	११	विद्याथिया	विद्यार्थियों
,,	१८	रसीयन	रशियन
६१०४	२४	मासले	मसले
,,	अन्तिम से ३	आचाय	आचार्य
६१०५	शीर्षक	अप्रेल ४, ६३–	–४ अप्रेल, ६३–
,,	२०	अध्यापक	अध्यापकों की
६१०६	अन्तिम से ३	डि ाकालेज	डिग्रीकॉलेज
६१०७	शीर्षक	–४ अप्रल,	–४ अप्रेल,
६६०९	१०-११	सकता है है	सकता है
६११०	१७-१८	किस किस किस	किस किस
६१११	१५	श्री मथुरशबिहारी माथुर	श्री मथुरेशबिहारी माथुर
६११२	२	ग्रामरि डमलसर	ग्राम रिडमलसर
	१८	सव्ब	सबब

१	२	३	४
६११२	२०	इच्छाह	इच्छा है
,,	२७	हो जावेगा	जावेगा
६११३	६	स्ट्रेन्य	स्ट्रेन्य
६११४	२२-२३	तो तो	तो
६११५	३	मंत्री महोदय	मंत्री महोदय
,,	५-६	मी हूँ। हूँ।	मी हूँ।
६११६	अन्तिम से ७	गगानगर	गंगानगर
६११८	१४	पहल	पहले
६११९	१	के लिय	के लिये
६१२०	१८	सदन को मेज	सदन की मेज
६१२५	शीर्ष	(श्री पंचायत मंत्री)	(पंचायत मंत्री)
६१२८	१६-१७	मत्री यह बातने की	मंत्री यह बताने की
६१३०	२	श्री रामप्रसाद लडढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	१५	श्री रामप्रसाद लडढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६१३२	३१-३२	necesary	necessary
६१३३	२८	श्री निजयसिह झाला	श्री विजयसिंह झाला
६१३५	७	श्री रामप्रसाद लड् ा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६१३७	२३	इसका नून	इस कानून
६१३९	अन्तिम से ६	रिकवरी म	रिकवरी में
६१४४	१२-१३	वह या या तो	वह या तो
,,	अन्तिम से ५	कहूँगा	कहूंगा
६१४५	२४	की थे टनिग	थ्रे टनिग
६१४६	६	नहों हुई	नहीं हुई
६१४७	३	होने से	होने के
६१५५	अन्तिम से ८	इज	ड्यूज
६१५७	९	होत	होता
६१५८	१६	बजा यपाच	बजाय पांच
६१६०	अन्तिम से ६	श्री बालकृष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
६१६४	४	लेकर थे।	लेकर आये थे।
,,	अन्तिम से ३	जसा	जैसा
६१६५	१५	पैटन है।	पैटर्न है।
,,	२२	एक्सपे डीचर	एक्सपेन्डीचर
६१६६	१२	आपके है ब्राह्मण महाशय का। इस	आप है ब्राह्मण महाशय का। इसे
६१६७	२	अजं	अर्ज
,,	२०	पव्यू	पर्व्यू
६१६९	१०	श्री योगेद्रनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
६१७३	३	श्री ज्वलापसाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
,,	अन्तिम से ९	श्री हरिराम चेंहान	श्री हरिराम चौहान
,,	,, ४	श्री बालकृष्ण कौल:	श्री बालकृष्ण कौल: श्रीमान उन्होंने
६१७४	१	ज	जो
,,	अन्तिम से ५	रोकन	रोकना

१	२	३	४
६१७५	१७	शर्म	शर्म
६१७७	२१	गी।	होगी।
,,	अन्तिम	बड़ी खि ों	बड़ी सुर्खियों
६१७६	शीर्षक	७६	६१७६
,,	१	ट्रांसफर	ट्रांसफर
,,	१०	सलिये	इसलिये
,,	अन्तिम	लो की	वालों की
६१८०	१०	एलीकेशन्स	एप्लीकेशन्स
,,	१३	एड ाि इजमेंट	एडवर्टाइजमेंट
६१८२	१०-११	को क्को	को
६१८३	अन्तिम	म बैठते	में बैठते
६१८४	१६	on point	on a point
,,	अन्तिम से १	ठीक ह।	ठीक हैं।
६१८५	,, ,, ४	यज किया।	यूज़ किया।
६१८७	१८	मंजर	मंजूर
६१८८	७-८	एमेडन्डमेन्ट्स	एमेन्डमेन्ट्स
६१८६	५	rate of surcharge	rate of surcharge 50%
,,	२५	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा	श्री संम्पत्तिलाल बोहरा
,,	अन्तिम से ३-२	be....on	be 50% on
६१६२	१४ से १७	(पंक्तियां १४ से १७, पंक्ति २१ के पश्चात् पढ़ी जायें)	
,,	अन्तिम से ३	information	information, sir,
६१६३	१४-१५	लिये लिये लिख	लिये लिख
,,	२३	में इस इस प्रकार	में इस प्रकार
६१६४	२०	श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)	श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)
,,	अन्तिम	प्राडूयूस	प्रोड्यूस
६१६५	१	,,	,,
,,	६	समझता वित्त	समझता हूं वित्त
६१६६	१	वित्त मत्री	वित्त मंत्री
६१६७	अन्तिम से ७	श्री विजयसिंह झा	श्री विजयसिंह झाला
६२०१	२२	श्री बालकृष्ण क़ौल	श्री बालकृष्ण कौल
६२०३	अन्तिम से ४	ग्रग बनें।	ग्रंग बनें।
६२०५	१८	श्री रामानन्द अग्रवल	श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	२५	श्री बालकृण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
६२१०	२१	इसम	इसमें
६२१३	अन्तिम से ६	को बताया	का बताया
६२२२	११	श्री उपध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	अन्तिम से ६	to oppoe	to oppose
६२२६	१८	ज्वादा से	ज्यादा से
,,	२०	हटान	हटाने
,,	२२	वार्कइ	वाकई
६२२७	अन्तिम से ६	श्री योगेन्द्रनाय हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
६२२८	१८	(नसीदाबाद)	(नसीराबाद)
६२२६	७-८	श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली)	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)

		उपाध्य महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
६२२६	१३	श्री संपत्तिाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
,,	अन्तिम से ३	श्री सम्पत्तिलास बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
६२३०	१७	श्री राधाकृष्ण गोयल	श्री राधाकृष्ण गोयल
६२३१	शीर्ष	(राधाकृष्ण गोयल)	(श्री राधाकृष्ण गोयल)
,,	अन्तिम से ७	(वीकानेर)	(बीकानेर)
६२३२	२५	मिलजजाती	मिल जाती
६२३३	शीर्ष	(श्री राधाकृष्ण गोयल)	(श्री मुरलीधर व्यास)
६२३४	अन्तिम से १	आता हूँ	आता हू
६२३७	शीर्ष	—	(श्री नत्थीसिंह)
६२४२	अन्तिम से ९	'हां' पक्ष ७१	'हां' पक्ष ७२
६२४३	शीर्ष	—	(श्री उपाध्यक्ष)
६२४४	शीर्षक	विधेयक १९६४	विधेयक, १९६३
६२४६	२०	श्री विजयपाल कटार—	श्री विजयपाल कटारा
,,	अन्तिम से ५	संशोधन इस प्रकार है : क्लॉज १८ द्वारा	[संशोधन इस प्रकार है :— श्री सम्पत्तिलाल बोहरा श्री चन्द्रसिंह बर्फा श्री उमरावसिंह ढाबरिया क्लॉज १८ द्वारा for figure '6' subastitute '5']
६२५४	अन्तिम से ८—९	'हां' कहे हां । 'ना' कह ना ।	'हां' कहें । 'ना' कहें ।
६२५५	१२	on odd	n odd
,,	अन्तिम से ३	श्री नाथूराम मिर्धा	ी नाथूराम मिर्धा
६२५६	११	मौजूद ह,	मौजूद है,
६२५८	अन्तिम से ५	हिन्दी म	हिन्दी में
६२५९	९—१० के बीच	—	[इस खण्ड पर संशोधन इस प्रकार है :— श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) :
६२६०	५	इस खण्ड पर संशोधन इस प्रकार है :	—
६२६३	५	रहे ह ।	रहे हैं ।
६२६५	८	खडे रहन	खडे रहने
,,	अन्तिम से १	एक्सपोट	एक्सपोर्ट
६२६६	२४	जाता ह ।	जाता है ।
६२६९	अन्तिम से ८	एक इन्डस्टी	एक इन्डस्ट्री
६२७०	८	म क्या	में क्या
६२७१	१९	श्री बलकृष्ण कौल	श्री बालकृष्ण कौल
६२७२	अन्तिम से ५	किया कया ।	किया गया ।
६२८३	१८	and 4th lnes	and 4th lines
,,	२५	गर्सेसिग आयोरिटी आडर	प्रर्सेसिग ऑथोरिटी ऑर्डर
६२८४	१	लिय	लिये
,,	२१	इन्टेस्ट	इन्ट्रेस्ट

६२८५– ६२८६	क्रमशः २८, १, ५, १५, २३, २६	श्री सम्पत्तिलाल बौहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
६२८७	१८	कथा है।	किया है।
,,	अन्तिम से ८	जरिय,	जरिये
६२८६	६	ग्राडनरी	ऑर्डिनेरी
,,	२०	रीजन म,	रीजन में,
,,	अन्तिम से ४	रज	रेंज
६२६०	४	पंजाब म	पंजाब में
,,	२०	के टक्स	के टैक्स
,,	२६	किय जाते	किये जाते
,,	३३	म	में
६२६१	७	करत हैं।	करते हैं।
,,	२३	इर्नक्टिग	इनेक्टिग
६२६२	१८	(मद दान	(मत दान
६२६५	२६	श्री रविशंकर यातनिक	श्री रविशंकर यातनिक
६२६६	१६	श्री हरि भाई	श्री हीरा भाई
६२६७	१०	श्री (विजयपाल) कटार	श्री विजयपाल कटारा
,,	१६–२०	(अमेन्डमन्ट)	(अमेन्डमेन्ट)
६२६८	६	में नियम	मैं नियम
,,	११	६६ मैं	६६ में
,,	१४	ज्यादा तर मे	ज्यादातर मेम्बर
६३००	१६	जसी	जैसी
६३०२	अन्तिम से ३	म जो	में जो
६३०३	शीर्ष	(ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
,,	५–६	उसकी रोके जगह	उसकी जगह
६३०४	शीर्षक	स्पष्टीकरण वक्तव्य	स्पष्टीकारक वक्तव्य
,,	२१	यहां सेदन से	यहां सदन से
,,	२५–२६	इलेक्जक्टोरल	इलेक्टोरल
६३०५ से ६३१५ तक	शीर्षक	राजस्थान वित्त–४ अप्रेल, १९६३–विधेयक, १९६३	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा द्वारा-४ अप्रेल, १९६३–स्पष्टीकारक वक्तव्य
६३०७	अन्तिम से २	हाने वाला	होने वाला
६३०८	१	व्बवस्था	व्यवस्था
,,	१२	ो नियम हैं वह बहुत स्पस्ठ हैं	जो नियम हैं वह बहुत स्पष्ट हैं
,,	अन्तिम से ५	मैं स्वयं	मैंने स्वयं
६३१०	६	लकिन	लेकिन
६३१३	४	ताराकित प्रश्नों	तारांकित प्रश्नों
,,	११	विशेष	विशेष
,,	१६	पैन्डिय	पैन्डिग
६३१४	११	मिडल स्कूल	मिडिल स्कूल
,,	१३	लिमिटैड	लिमिटेड
६३१६	अन्तिम से २	छोत्र वत्ति	छात्रवृत्ति

६३३३	१४	सेकेंन्डरी स्कू	सैकन्डरी स्कूल
,,	अन्तिम से ५	खालन को	खोलने की
६३३८	१	ीमट	सीमेन्ट
६३४०	६	सर्बडिनेट	सबोर्डिनेट
६३४६	२–३	आर. ज. एस., आर. ए. ए. सी. एस. (R. Ac. S.)	आर. जे. एस., आर. एसी. एस. (R. Ac. S.)
६३६६	४	Emergenc	Emergency
,,	७	thkat year.	that year.
६३६८	२४ आइटम ३	Basari	Baseri
६३६९	३ ,,	Nawai	Niwai
,,	१५ ,,	spatora	Spotara
६३७२	आइटम नं. २०	china ware & pettory	chinaware & pottery
,,	,, ,, २७	Expended wetal	Expanded Metal
६३७३	८	J u l m ted Sawai Madhopur	Jaipur Udyog Limited Sawai Madhopur
६३७४	कालम ७ पंक्ति ३	विशेष विवर	विशेष विवरण
६३८१	कालम ३-पंक्ति ३२	12. Phulea	12. Paulera